इकाई 1: (UNIT-1) एक संगठन के रूप में विद्यालय। प्रबंधन और प्रशासन की अवधारणा। संगठन: अर्थ, उद्देश्य और विशेषताएँ (School as an Organisation. Concept of Management and Administration. Organisations: Meaning, purpose and Characteristics.

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 विद्यालय का अर्थ

1.4 विद्यालय की परिभाषाएं

1.5 संगठन की संकल्पना

1.6 एक संगठन के रूप में विद्यालय

अपनी उन्नति जानिए

1.7 प्रबंधन की अवधारणा

1.8 प्रशासन की अवधारणा

1.9 विद्यालय में प्रबंधन एवं प्रशासन की भूमिका

1.10 संगठन का अर्थ

1.11 संगठन के उद्देश्य

1.12 संगठन की विशेषताएं

अपनी उन्नति जानिए

1.13 सारांश

1.14 शब्दावली

1.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.16 संदर्भ ग्रंथ सूची

1.17 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

विद्यालय न केवल शिक्षा प्राप्त करने का एक स्थान है, बल्कि यह एक संगठित संस्था (organization) भी है जो समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा संस्थान है जहाँ छात्रों को न केवल पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाती है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास - शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक - पर भी ध्यान दिया जाता है। विद्यालय एक संगठन के रूप में विभिन्न घटकों से मिलकर बना होता है, जैसे – प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, छात्र, अभिभावक, प्रशासनिक कर्मचारी, तथा शैक्षिक संसाधन। इन सभी घटकों का आपसी तालमेल और समन्वय ही विद्यालय को एक सुदृढ़ संगठन बनाता है। एक विद्यालय का उद्देश्य होता है सुनियोजित ढंग से ज्ञान प्रदान करना और छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाना।

विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहाँ बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। यह केवल एक पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि एक सामाजिक संगठन होता है जहाँ कई प्रकार की गतिविधियाँ, व्यवस्थाएँ और नियम होते हैं। एक संगठन के रूप में विद्यालय में विभिन्न विभाग, शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी, कर्मचारी और प्रबंधन समिति होती है, जो मिलकर विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना होता है। यह संगठन एक सुव्यवस्थित संरचना के साथ कार्य करता है जिसमें नेतृत्व, योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन शामिल होते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संगठन भी है, क्योंकि यह समाज से जुड़ा होता है और समाज को शिक्षित नागरिक प्रदान करता है। विद्यालय (School) एक ऐसा संस्थान है जो सामाजिक, शैक्षिक और नैतिक विकास के लिए कार्य करता है। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने की जगह नहीं है, बल्कि एक संरचित संगठन है जहाँ विभिन्न घटक मिलकर एक साझा उद्देश्य की पूर्ति करते हैं—यानी विद्यार्थियों का समग्र विकास।

1.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात शिक्षार्थी-

1. विद्यालय के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगें।
2. विद्यालय की परिभाषाओं को आत्मसात कर सकेंगे

3. संगठन की संकल्पना की व्याख्या कर सकेंगे।
4. एक संगठन के रूप में विद्यालय भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।
5. प्रबंधन एवं प्रशासन की अवधारणा की व्याख्या कर सकेंगे।
6. विद्यालय में प्रबंधन एवं प्रशासन की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।
7. संगठन के अर्थ, उद्देश्य तथा विशेषताओं का विश्लेषण कर सकेंगें।

1.3 विद्यालय का अर्थ

'विद्यालय' संस्कृत भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है — "विद्या" और "आलय"। विद्या का अर्थ है: ज्ञान, शिक्षा या सीख। आलय का अर्थ है: स्थान या घर। इस प्रकार, विद्यालय का अर्थ होता है "विद्या का स्थान" या "ज्ञान का घर"। यह वह स्थान है जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त होती है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए तैयार किया जाता है।

जैसा कि पहले बताया गया, 'विद्यालय' का शाब्दिक अर्थ है – 'विद्या का आलय' अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का स्थान। यह एक ऐसा संस्थान है जहाँ विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है, जिससे वे बुद्धिमान, सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

विद्यालय की भूमिका और महत्व

विद्यालय किसी भी समाज की नींव होता है। यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ देश के भविष्य का निर्माण होता है। विद्यालय छात्रों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों, सामाजिक कर्तव्यों और जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यहाँ छात्र अनुशासन, समय का पालन, सहनशीलता, नेतृत्व, सहयोग और आत्मनिर्भरता जैसे गुण सीखते हैं जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने में सहायक होते हैं। विद्यालय शिक्षक और छात्र के बीच एक ऐसा सेतु है जहाँ शिक्षक अपने अनुभव और ज्ञान से बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं और उनके भीतर छिपी प्रतिभाओं को निखारते हैं। साथ ही, विद्यालय छात्रों को विविध गतिविधियों जैसे खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, नाटक आदि के माध्यम से सर्वांगीण विकास का अवसर भी देता है। संक्षेप में, विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला है - जहाँ से निकलकर छात्र जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं।

2. विद्यालय के उद्देश्य:

विद्यालय का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

बौद्धिक विकास: विषयों की समझ, तर्क शक्ति और विचार करने की क्षमता विकसित करना।

नैतिक शिक्षा: बच्चों में अच्छे संस्कार, अनुशासन और सामाजिक मूल्यों का विकास करना।

शारीरिक विकास: खेलकूद, योग आदि के माध्यम से स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना।

सामाजिक विकास: समूह में काम करने, नेतृत्व करने और सामाजिक व्यवहार सीखने का अवसर देना।

रचनात्मक विकास: कला, संगीत, नाटक आदि के माध्यम से छात्रों की प्रतिभाओं को निखारना।

3. विद्यालय के प्रकार:

विद्यालयों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) शिक्षा स्तर के आधार पर:

प्राथमिक विद्यालय (Primary School) – कक्षा 1 से 5 तक

उच्च प्राथमिक विद्यालय (Upper Primary) – कक्षा 6 से 8 तक

माध्यमिक विद्यालय (Secondary) – कक्षा 9 से 10 तक

उच्च माध्यमिक विद्यालय (Senior Secondary) – कक्षा 11 से 12 तक

(ख) प्रबंधन के आधार पर:

सरकारी विद्यालय (Government Schools)

निजी विद्यालय (Private Schools)

सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय (Aided Schools)

गृह विद्यालय (Home Schooling - कुछ देशों में)

(ग) माध्यम के आधार पर:

हिंदी माध्यम विद्यालय

अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय

अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यालय

1.4 विद्यालय की परिभाषाएं

यहाँ पर विद्यालय की कुछ परिभाषाएँ दी जा रही हैं, जो विभिन्न दृष्टिकोणों से विद्यालय को स्पष्ट करती हैं:

विद्यालय की परिभाषाएँ:

1. सामान्य परिभाषा:

विद्यालय वह स्थान है जहाँ बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है और उनके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व नैतिक विकास की प्रक्रिया को दिशा दी जाती है।

2. शैक्षिक परिभाषा:

विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो सुनियोजित पाठ्यक्रम और शिक्षकों की सहायता से छात्रों को ज्ञान, कौशल और जीवन मूल्यों की शिक्षा देती है।

3. प्रशासनिक परिभाषा:

विद्यालय एक संगठित संस्था है जो शिक्षकों, प्रधानाचार्य, प्रशासनिक कर्मचारियों और छात्रों के समन्वय से सुचारु रूप से संचालित होती है।

4. मनोवैज्ञानिक परिभाषा:

विद्यालय एक ऐसा सामाजिक वातावरण है जहाँ बालक सीखते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज में जीने के योग्य बनता है।

विभिन्न विद्वानों के अनुसार विद्यालय की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं :-

यहाँ विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई विद्यालय की परिभाषाएँ दी जा रही हैं, जो विद्यालय की भूमिका और महत्व को अलग-अलग दृष्टिकोणों से स्पष्ट करती हैं:

1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार: "विद्यालय वह स्थान है जहाँ मनुष्य को सोचने, समझने और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है।"

2. महात्मा गांधी के अनुसार: "विद्यालय वह स्थान होना चाहिए जहाँ बालक को अपने समाज और संस्कृति के साथ जुड़ने का अवसर मिले और वह श्रम, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों को सीखे।"

3. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार: "विद्यालय ऐसा संस्थान है जो बालकों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति का विकास करता है तथा उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के योग्य बनाता है।"

4. जॉन डीवी (John Dewey) के अनुसार: "विद्यालय जीवन का एक लघु रूप (miniature society) है, जहाँ बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है।"

5. रॉस (Ross) के अनुसार: "विद्यालय समाज द्वारा निर्मित एक सामाजिक संस्था है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना है ताकि वह समाज का उपयोगी सदस्य बन सके।"

6. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अनुसार: "विद्यालय वह जगह है जहाँ भविष्य के सपनों की नींव रखी जाती है। यह केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का स्थान है।"

7. हर्बर्ट स्पेंसर (Herbert Spencer) के अनुसार: "विद्यालय का मुख्य कार्य जीवन के लिए शिक्षा देना है, न कि केवल जीविकोपार्जन के लिए।"

1.5 संगठन की संकल्पना

संगठन का अर्थ (Meaning of Organization): 'संगठन' शब्द संस्कृत के "सम् + गम्" धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है – एक साथ चलना या मिलकर कार्य करना। आधुनिक अर्थ में, संगठन का अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों, संसाधनों, कार्यों और भूमिकाओं को सुव्यवस्थित ढंग से जोड़ना। संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें कई लोग मिलकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु योजनाबद्ध और समन्वित रूप से कार्य करते हैं। संगठन (Organization) एक ऐसी संरचना होती है जिसमें अनेक व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं। इसमें स्पष्ट भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ, नियम और कार्यप्रणालियाँ होती हैं। संगठन (Organization) का अर्थ है — किसी कार्य को सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से संपन्न करने के लिए व्यक्तियों, संसाधनों, क्रियाओं और संरचनाओं का एक निश्चित ढांचा तैयार करना। "जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं और उनकी भूमिकाएं, जिम्मेदारियाँ और संबंध स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं, तो उसे संगठन कहा जाता है।"

संगठन की प्रमुख विशेषताएँ:

1. सामूहिक प्रयास – संगठन में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं।

2. साझा उद्देश्य – सभी सदस्य किसी एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं।

3. कार्य का विभाजन – कार्यों का विभाजन दक्षता और योग्यता के अनुसार किया जाता है।

4. समन्वय – विभिन्न कार्यों और विभागों के बीच तालमेल होता है।

5. प्रबंधन और नेतृत्व – संगठन को संचालन हेतु एक नेतृत्व और प्रबंधन तंत्र होता है।

उदाहरण के रूप में:

विद्यालय एक शैक्षणिक संगठन है, जहाँ शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य आदि मिलकर शिक्षा प्रदान करते हैं।

सेना एक सुरक्षा संगठन है, जिसमें अनुशासन, नेतृत्व और रणनीति का समन्वय होता है।

बैंक एक वित्तीय संगठन है।

अस्पताल एक स्वास्थ्य सेवा संगठन है।

1.6 एक संगठन के रूप में विद्यालय

विद्यालय किसी समाज में औपचारिक शिक्षा–प्रदायिनी संस्था है, जहाँ शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासनिक एवं परिचारिका कर्मचारी, छात्र–छात्राएँ तथा अभिभावक मिलकर एक संगठित ढाँचे के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस दृष्टि से विद्यालय, एक लक्ष्य–केंद्रित (goal-oriented) औपचारिक संगठन (formal organization) है, जिसका मुख्य उद्देश्य—ज्ञान-प्राप्ति, कौशल विकास तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण है।

विद्यालय के संगठनात्मक तत्त्व

1. उद्देश्य (Objectives):

शैक्षिक: पढ़ाई-लिखाई के माध्यम से बौद्धिक विकास

सामाजिक: सहयोग, नेतृत्व और नैतिक मूल्यों का संवर्धन

व्यक्तिगत: रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं आत्म-अनुशासन का विकास

2. संरचना (Structure):

शिक्षा–प्रणाली: कक्षा वार शिक्षण, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन

प्रबंधन व नेतृत्व: प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक—विभागाध्यक्ष—शिक्षक

विभागीकरण (Departmentalization): पाठ्यक्रम (विषय), प्रशासन, वित्त, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियाँ

3. कार्य विभाजन (Division of Work):

प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट: जैसे—अध्यापक का शिक्षण, क्लर्क का अभिलेख-परीक्षण, परिचारिका का साफ-सफाई व देख-रेख

4. समन्वय (Coordination):

शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के बीच संवाद

पाठ्येतर गतिविधियों (खेल, विज्ञान मेले, वार्षिक उत्सव) का आयोजन

5. नियम व नीतियाँ (Rules & Policies):

समय सारिणी (Time-table), उपस्थिति नियम, परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली

अनुशासनात्मक कोड, पोशाक, अवकाश एवं सुरक्षा निर्देश

6. संसाधन (Resources):

मानव संसाधन: प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी

भौतिक संसाधन: कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकूद के मैदान

आर्थिक संसाधन: शैक्षणिक शुल्क, अनुदान, दान–उपहार

3. विद्यालय का संगठनात्मक व्यवहार

औपचारिक संचार (Formal Communication): बैठक, नोटिस, पत्राचार, रिपोर्ट कार्ड

अनौपचारिक संचार (Informal Communication): शिक्षक-छात्र संवाद, मित्र मंडली, अभिभावक-अध्यापक संघ

प्रेरणा (Motivation):

शिक्षण उत्साहवर्धक पुरस्कार–प्रशस्ति, छात्र परिषद, विज्ञान–नाटक प्रतियोगिता

निगरानी व नियंत्रण (Monitoring & Control):

आवधिक परीक्षाएँ, कक्षाओं का निरीक्षण, पाठ योजनाओं का मूल्यांकन

4. संगठनात्मक विशेषताएँ एवं लाभ

स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण: सभी गतिविधियाँ "शिक्षा और विकास" लक्ष्य हेतु निर्देशित

दिशानिर्देश एवं नियमावली: शैक्षणिक अनुशासन सुनिश्चित

समन्वय एवं सहयोग: सम्पूर्ण स्टाफ व विद्यार्थियों के मध्य तालमेल

लीडरशिप एवं प्रबंधन: प्रिंसिपल/हेडमास्टर नेतृत्व सुनिश्चित करता है

उत्कृष्टता के मानक: पाठ्येतर प्रतियोगिताएँ व मूल्यांकन प्रणाली से गुणवत्ता मानकीकृत

निष्कर्षतः, विद्यालय एक सुव्यवस्थित, लक्ष्य–केंद्रित औपचारिक संगठन है जहाँ संरचना, नियम, संसाधन व मानव संपदा एक समन्वित फ्रेमवर्क के तहत संचालित होकर शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास का कार्य संपन्न करती है।

विद्यालय के संगठनात्मक रूप में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं:

1. लक्ष्य-केन्द्रितता – प्रत्येक विद्यालय का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना होता है।
2. संरचना – विद्यालय में प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, और अन्य कर्मचारियों की एक निश्चित संरचना होती है।
3. नियम और प्रक्रियाएँ – विद्यालय के संचालन के लिए निश्चित नियम और प्रक्रिया निर्धारित होती हैं।
4. भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ – सभी सदस्यों की स्पष्ट भूमिकाएँ और कर्तव्य होते हैं।

इस प्रकार, विद्यालय एक सुव्यवस्थित संगठन होता है जो शिक्षा के माध्यम से समाज के निर्माण में योगदान देता है।

विद्यालय एक संगठन क्यों है?

विद्यालय को एक संगठन के रूप में निम्न कारणों से देखा जाता है:

1. साझा उद्देश्य: विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को शिक्षा देना और उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना होता है।
2. संगठित संरचना: विद्यालय में प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, लिपिकीय कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रबंधन समिति आदि की एक निश्चित संरचना होती है। यह संगठनात्मक ढांचा विद्यालय को सुचारु रूप से संचालित करता है।
3. नियम एवं प्रक्रिया: विद्यालय में प्रवेश, मूल्यांकन, अनुशासन, परीक्षा आदि से संबंधित स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएँ होती हैं।
4. नेतृत्व एवं प्रबंधन: विद्यालय में नेतृत्व का कार्य प्रधानाचार्य करते हैं, जो संस्थान के प्रशासन, योजना निर्माण, निर्णय लेने और निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं।

5. समूहगत कार्य: विद्यालय में सभी विभाग और व्यक्ति टीम भावना से कार्य करते हैं। शिक्षकों का सहयोगात्मक व्यवहार, छात्रों की सहभागिता और प्रबंधन की सक्रियता संगठन को मजबूती प्रदान करती है।

6. अनुशासन और नियंत्रण: एक संगठन के रूप में विद्यालय में नियंत्रण की व्यवस्था होती है जिससे अनुशासन बना रहता है और सभी कार्य समय पर पूरे होते हैं।

विद्यालय का सामाजिक आयाम:

विद्यालय केवल एक प्रशासनिक संगठन नहीं है, यह एक सामाजिक संगठन भी है क्योंकि:

यह समाज के मूल्यों को संरक्षित करता है।

यह सामाजिक बदलाव और सुधार में सहायक होता है।

यह नागरिकता की भावना, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व सिखाता है।

निष्कर्ष: इस प्रकार, विद्यालय एक जीवंत और गतिशील संगठन होता है, जहाँ प्रशासन, शिक्षण, मूल्यांकन, और सामाजिक उत्तरदायित्व सभी एकसाथ कार्य करते हैं। एक प्रभावी विद्यालय संगठन ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है और समाज के निर्माण में सहयोग दे सकता है।

<u>अपनी उन्नति जानिए</u>

प्र. विद्या का अर्थ है।

प्र. 2 शिक्षा का अर्थ है ।

प्र. 3 संगठन का अर्थ क्या है?

प्र. 4 उपनिषद के अनुसार शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य क्या है।

प्र. 5 संकुचित शिक्षा का अर्थ है।

1.7 प्रबंधन की अवधारणा

प्रबंधन (Management) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन के उपलब्ध संसाधनों (मानव, भौतिक, वित्तीय आदि) का सुनियोजित, समन्वित और प्रभावशाली रूप से प्रयोग करके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है।

प्रबंधन की परिभाषा:

"प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना, समन्वय स्थापित करना और नियंत्रण करना शामिल है ताकि संगठन के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके।"

प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएँ:

1. लक्ष्य–उन्मुखता (Goal Oriented):

प्रबंधन का उद्देश्य निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है।

2. संगठित प्रक्रिया:

यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें योजना बनाना, कार्यों का विभाजन, नेतृत्व और निगरानी शामिल होती है।

3. संसाधनों का उचित उपयोग:

प्रबंधन संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है।

4. समूह आधारित गतिविधि:

यह व्यक्तियों के समूह द्वारा सामूहिक प्रयासों को समन्वित करता है।

5. गतिशील (Dynamic) प्रकृति:

बदलते परिवेश के अनुसार प्रबंधन में भी परिवर्तन और अनुकूलन की क्षमता होती है।

प्रबंधन की मुख्य क्रियाएँ (Functions of Management):

1. योजना बनाना (Planning) – भविष्य की गतिविधियों का पूर्वानुमान और कार्ययोजना तैयार करना
2. संगठन करना (Organizing) – कार्यों और जिम्मेदारियों का वितरण
3. नेतृत्व/निर्देशन (Leading/Directing) – कर्मचारियों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना
4. समन्वय (Coordinating) – विभिन्न विभागों और कार्यों में तालमेल बैठाना
5. नियंत्रण (Controlling) – प्रदर्शन की निगरानी और आवश्यक सुधार करना

निष्कर्ष: प्रबंधन एक ऐसा विज्ञान और कला है जो किसी भी संगठन को कुशलतापूर्वक संचालन करने में सहायता करता है। यह संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है।

यहाँ पर शैक्षणिक प्रबंधन (Educational Management) और विद्यालय प्रबंधन (School Management) की विस्तृत जानकारी दी जा रही है:

School Organisation and Management   BAED-N-221 Semester- IV

1. शैक्षणिक प्रबंधन (Educational Management)

शैक्षणिक प्रबंधन एक विशेष प्रकार का प्रबंधन है जो शैक्षणिक संस्थानों (जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि) की गतिविधियों को योजनाबद्ध, संगठित, निर्देशित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है।

उद्देश्य:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना

शिक्षकों और छात्रों के बीच समन्वय बनाए रखना

पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन और सह-शैक्षणिक गतिविधियों का कुशल संचालन करना

संसाधनों का समुचित उपयोग करना

मुख्य घटक:

1. शैक्षणिक योजना

2. शिक्षण और पाठ्यक्रम विकास

3. समय सारिणी और कार्य विभाजन

4. छात्र मूल्यांकन

5. अध्यापक प्रशिक्षण

6. संसाधन प्रबंधन

2. विद्यालय प्रबंधन (School Management)

विद्यालय प्रबंधन का आशय विद्यालय के भीतर सभी गतिविधियों – प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय और सह-शैक्षणिक – के कुशल संचालन से है ताकि विद्यालय के उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरे किए जा सकें।

प्रमुख कार्य:

1. प्रशासनिक प्रबंधन:

रिकॉर्ड रखना, प्रवेश प्रक्रिया, उपस्थिति व्यवस्था, अवकाश आदि

2. शैक्षणिक प्रबंधन:

पाठ्यक्रम का संचालन, शिक्षण-प्रशिक्षण, कक्षाओं का निरीक्षण

3. वित्तीय प्रबंधन:

बजट बनाना, अनुदान व शुल्क का प्रबंधन

4. मानव संसाधन प्रबंधन:

शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और मूल्यांकन

5. संपर्क और समन्वय:

अभिभावकों, स्थानीय निकायों और शैक्षणिक बोर्डों के साथ संवाद

6. छात्र कल्याण:

स्वास्थ्य सेवाएँ, परामर्श, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ

प्रबंधन के सिद्धांत (Principles of Management – F.W. Taylor और Henry Fayol के अनुसार)

हेनरी फेयोल (Henry Fayol) के 14 सिद्धांत:

1. कार्य विभाजन
2. अधिकार और जिम्मेदारी
3. अनुशासन
4. आदेश की एकता
5. निर्देशन की एकता
6. व्यक्तिगत हित पर संगठन का हित
7. पारिश्रमिक
8. केंद्रीकरण
9. स्केल ऑफ चेन (कम्युनिकेशन चैनल)
10. आदेश
11. समानता
12. कर्मचारी स्थायित्व
13. पहल
14. समूह भावना (Esprit de Corps)

टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत (Scientific Management – F.W. Taylor):

कार्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण

समय और गति अध्ययन

मानक निर्धारण

प्रशिक्षण

कार्य और जिम्मेदारी का स्पष्ट वितरण

निष्कर्ष: शैक्षणिक एवं विद्यालय प्रबंधन, शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। ये न केवल शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाते हैं, बल्कि संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित कर, छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं।

प्रशासन का अर्थ

प्रशासन (Administration) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संगठन, संस्था या सरकार के कार्यों को योजनाबद्ध, नियंत्रित और समन्वित ढंग से संचालित किया जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

प्रशासन का अर्थ है - उपलब्ध संसाधनों (जैसे व्यक्ति, धन, सामग्री, समय आदि) का ऐसा संचालन करना जिससे कार्य कुशलता और व्यवस्था के साथ पूरे किए जा सकें।

प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ:

1. उद्देश्य-निर्देशित: कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्य किया जाता है।
2. योजनाबद्ध कार्य: सभी गतिविधियाँ पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार होती हैं।
3. नियम और प्रक्रिया: कार्यों को नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप संचालित किया जाता है।
4. समन्वय: सभी विभागों और व्यक्तियों के कार्यों में तालमेल बनाए रखा जाता है।
5. नियंत्रण: कार्य की निगरानी की जाती है ताकि गलतियाँ समय पर सुधारी जा सकें।

प्रशासन की मुख्य विशेषताएँ:

1. लक्ष्य-उन्मुख (Goal-Oriented):

प्रशासन का उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना होता है।

2. नियम आधारित प्रक्रिया:

प्रशासन कार्यों को सुनियोजित नियमों और नीतियों के तहत संचालित करता है।

3. समन्वय और नियंत्रण:

विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों के कार्यों में तालमेल बैठाकर अनुशासन बनाए रखना।

4. निर्णय-निर्धारण:

उचित समय पर उपयुक्त निर्णय लेकर कार्यों को दिशा देना।

5. सार्वजनिक या निजी स्तर पर क्रियाशील:

प्रशासन सरकारी (लोक प्रशासन) और निजी संस्थाओं (निजी प्रशासन) दोनों में कार्य करता है।

प्रशासन का उदाहरण:

विद्यालय प्रशासन: जिसमें प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य स्टाफ मिलकर शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियाँ संचालित करते हैं।

सरकारी प्रशासन: जिसमें अधिकारी और कर्मचारी शासन के नियमों के अनुसार देश/राज्य को संचालित करते हैं।

1.8 प्रशासन की अवधारणा (Concept of Administration):

प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानव और भौतिक संसाधनों का नियोजन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। यह प्रक्रिया संगठनात्मक ढांचे के भीतर नियम, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करती है।

प्रशासन की परिभाषा: "प्रशासन वह कला है जिसके माध्यम से व्यक्ति समूह के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध और संगठित प्रयास किए जाते हैं।" – L.D. White

"प्रशासन का तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जो नीति निर्माण के पश्चात उसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं।" – Dimock and Dimock

प्रशासन के प्रकार:

1. लोक प्रशासन (Public Administration):

सरकार द्वारा जनहित में संचालित व्यवस्थाएँ, जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि।

2. निजी प्रशासन (Private Administration):

निजी कंपनियों या संगठनों द्वारा अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अपनाया जाने वाला प्रबंधन।

विद्यालय प्रशासन की अवधारणा (Concept of School Administration in Hindi)

विद्यालय प्रशासन का तात्पर्य विद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और सह-शैक्षणिक गतिविधियों का इस प्रकार संचालन करना है जिससे विद्यालय के उद्देश्य – जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन, चरित्र निर्माण, व सर्वांगीण विकास – प्रभावी रूप से पूरे हो सकें।

सरल शब्दों में:

विद्यालय प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी व अन्य संबंधित व्यक्ति विद्यालय की समस्त गतिविधियों का योजनाबद्ध, समन्वित व नियंत्रित संचालन करते हैं।

विद्यालय प्रशासन के प्रमुख घटक:

1. शैक्षणिक प्रशासन (Academic Administration):

पाठ्यक्रम संचालन

शिक्षण प्रक्रिया

मूल्यांकन व्यवस्था

शिक्षक प्रशिक्षण

2. प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative Management):

समय सारिणी

उपस्थिति पंजी

दस्तावेज़ीकरण

भवन व कक्षाओं का प्रबंधन

3. वित्तीय प्रशासन (Financial Administration):

बजट निर्माण

निधियों का लेखा-जोखा

सरकारी अनुदान व व्यय

4. छात्र सेवाएँ (Student Services):

स्वास्थ्य व सुरक्षा

परामर्श

खेल, सांस्कृतिक व सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

5. समुदाय एवं अभिभावक समन्वय:

अभिभावक-शिक्षक बैठक

स्थानीय निकायों से सहयोग

विद्यालय प्रशासन की विशेषताएँ:

लक्ष्य–उन्मुख

समन्वयकारी और सहभागिता पर आधारित

नियमबद्ध प्रक्रिया

नेतृत्व–निर्भर

अनुशासनात्मक व्यवस्था

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

निष्कर्ष: विद्यालय प्रशासन एक ऐसी सुनियोजित प्रणाली है जो विद्यालय को एक संगठन के रूप में सुचारु रूप से चलाने में मदद करता है। यह केवल शैक्षणिक ही नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक और मानसिक विकास के लिए भी आधार प्रदान करता है। प्रशासन एक सुव्यवस्थित, नियोजित एवं समन्वित प्रक्रिया है, जो किसी भी संस्था के सफल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से संसाधनों का दक्ष उपयोग कर, संगठित प्रयासों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है।

1.9 विद्यालय में प्रबंधन एवं प्रशासन की भूमिका (Role of Management and Administration in School)

विद्यालय एक संस्था के रूप में तभी सफल होता है जब उसमें प्रबंधन (Management) और प्रशासन (Administration) कुशलता से कार्य कर रहे हों। दोनों की भूमिकाएँ भले अलग हों, लेकिन उद्देश्य एक ही है — विद्यालय को प्रभावी रूप से संचालित करना और छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना।

1. विद्यालय में प्रबंधन की भूमिका:

1. लक्ष्य निर्धारण:

विद्यालय के दीर्घकालीन और तात्कालिक उद्देश्यों की स्थापना।

2. योजना निर्माण (Planning):

शैक्षणिक सत्र की योजना, समय-सारणी, पाठ्यक्रम, परीक्षाएँ आदि।

3. संसाधनों का प्रबंधन:

मानव संसाधन (शिक्षक, कर्मचारी), भौतिक संसाधन (कक्षाएं, पुस्तकालय), वित्तीय संसाधनों का कुशल उपयोग।

4. नेतृत्व और प्रेरणा:

प्रधानाचार्य या प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देना।

5. समस्या समाधान और निर्णय लेना:

छात्रों, अभिभावकों या स्टाफ से संबंधित समस्याओं का समाधान।

2. विद्यालय में प्रशासन की भूमिका:

1. दैनिक क्रियाकलापों का संचालन:

समय पर कक्षाओं का संचालन, उपस्थिति, अवकाश, फीस आदि का प्रबंधन।

2. नियम और अनुशासन बनाए रखना:

विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करवाना।

3. रिकॉर्ड और दस्तावेज़ प्रबंधन:

छात्रों की उपस्थिति, रिपोर्ट कार्ड, परीक्षा परिणाम, स्टाफ फाइल्स आदि का लेखा-जोखा।

4. सरकारी नियमों का पालन:

शिक्षा विभाग या बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन और रिपोर्टिंग।

5. समन्वय बनाए रखना:

शिक्षक, छात्र, अभिभावक और उच्च प्रशासन के बीच तालमेल बनाए रखना।

3. दोनों की संयुक्त भूमिका का महत्व:

प्रबंधन

'क्या करना है' पर केंद्रित

लक्ष्य निर्धारित करता है

नेतृत्व प्रदान करता है

नवाचार और परिवर्तन लाता है

प्रशासन

'कैसे करना है' पर केंद्रित

उन लक्ष्यों को क्रियान्वित करता है

आदेशों और नीतियों को लागू करता है

स्थिरता और नियंत्रण सुनिश्चित करता है

निष्कर्ष: विद्यालय में प्रबंधन और प्रशासन एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रबंधन जहाँ दिशा और रणनीति देता है, वहीं प्रशासन उसे व्यवहार में लाकर विद्यालय को सुचारु और प्रभावी रूप से संचालित करता है। दोनों की सशक्त भूमिका से ही विद्यालय अपने शैक्षिक, नैतिक और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति कर पाता है।

1.10 संगठन का अर्थ

संगठन (Organization) का अर्थ है — किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए व्यक्तियों, संसाधनों और गतिविधियों को एक निश्चित ढांचे और उद्देश्य के अंतर्गत एकत्रित करना, उनका समन्वय करना और एक प्रणाली के रूप में उन्हें कार्यान्वित करना।

संगठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह विशेष किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है और अपने कार्यों को इस प्रकार बाँटता है कि वे एक-दूसरे के पूरक बन सकें।

संगठन की विशेषताएँ:

1. निश्चित उद्देश्य:

संगठन का निर्माण किसी स्पष्ट और पूर्व-निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है।

2. कार्य विभाजन:

संगठन में कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर विशेषज्ञता (specialization) के आधार पर लोगों को सौंपा जाता है।

3. समूह कार्य:

संगठन व्यक्तियों का समूह होता है जो सामूहिक प्रयासों से कार्य करता है।

4. समन्वय:

संगठन के विभिन्न घटकों और व्यक्तियों में तालमेल और समन्वय आवश्यक होता है।

5. प्राधिकरण और उत्तरदायित्व:

संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट होती है — किसे आदेश देना है और किसे उत्तरदायित्व निभाना है।

6. संचार व्यवस्था:

संगठन के भीतर सूचनाओं का प्रवाह (communication) आवश्यक होता है जिससे सभी सदस्य अद्यतन और सक्रिय रहें।

संगठन की परिभाषाएँ (Definitions):

1. L. Urwick के अनुसार: "संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को पहचाना जाता है, उन्हें बाँटा जाता है, और उन पर अधिकार तथा उत्तरदायित्व तय किए जाते हैं।"

2. Chester I. Barnard के अनुसार: "संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ऐसी प्रणाली है जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए समन्वित प्रयास करते हैं।"

संगठन के प्रकार:

1. औपचारिक संगठन (Formal Organization):

पूर्व नियोजित ढाँचा

नियम, अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट

उदाहरण: स्कूल, बैंक, सरकारी दफ़्तर

2. अनौपचारिक संगठन (Informal Organization):

व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित

लचीलापन अधिक

उदाहरण: दोस्तों का समूह, कक्षा के सहपाठी

निष्कर्ष: संगठन एक ऐसी संरचना है जो किसी भी संस्था, कार्यालय, या कार्य-स्थल के सुचारु संचालन का मूल आधार है। यह कार्यों, लोगों और संसाधनों को इस प्रकार जोड़ता है कि वे मिलकर लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें।

1.11 संगठन के उद्देश्य

संगठन का मुख्य उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों का सामूहिक, सुनियोजित एवं समन्वित उपयोग करना होता है। हर संगठन का उद्देश्य उसके स्वरूप, कार्यक्षेत्र और प्रकृति पर निर्भर करता है, फिर भी कुछ सामान्य उद्देश्य सभी संगठनों में पाए जाते हैं।

संगठन के प्रमुख उद्देश्य:

1. उद्देश्यों की प्राप्ति (Achievement of Goals):

संगठन का मूल उद्देश्य किसी विशेष लक्ष्य – जैसे शिक्षा देना, उत्पाद बनाना, सेवा प्रदान करना या लाभ अर्जित करना – की प्राप्ति करना होता है।

2. कार्य कुशलता (Efficiency in Work):

कार्यों को समय पर, न्यूनतम संसाधनों में और अधिकतम परिणामों के साथ संपन्न करना

3. कार्य विभाजन और विशेषज्ञता (Division of Work & Specialization):

कार्यों को अलग-अलग हिस्सों में बाँटकर उन्हें उपयुक्त एवं दक्ष व्यक्तियों को सौंपना, जिससे गुणवत्ता और गति बढ़े।

4. समन्वय एवं सहयोग (Coordination and Cooperation):

संगठन में विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के बीच समन्वय बनाए रखना ताकि सामूहिक प्रयास सफल हों।

5. उत्तरदायित्व एवं अनुशासन (Responsibility and Discipline):

संगठन प्रत्येक सदस्य को उसकी भूमिका और दायित्वों से अवगत कराता है जिससे कार्यों में अनुशासन बना रहता है।

6. संसाधनों का प्रभावी उपयोग (Optimum Use of Resources):

उपलब्ध मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना।

7. नवाचार एवं विकास (Innovation and Growth):

संगठन नए विचारों, तकनीकों और तरीकों को अपनाकर विकास की ओर अग्रसर होता है।

8. स्थिरता और निरंतरता (Stability and Continuity):

संगठन सुनिश्चित करता है कि कार्य नियमित, स्थिर और दीर्घकालिक रूप से चलते रहें।

निष्कर्ष: संगठन का उद्देश्य केवल कार्य को संचालित करना नहीं, बल्कि उसे नियोजित, नियंत्रित और सुव्यवस्थित ढंग से करते हुए लक्ष्यों की प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित करना है।

विद्यालय संगठन के उद्देश्य (Objectives of School Organization)

विद्यालय एक शैक्षणिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होता है। विद्यालय संगठन सुनिश्चित करता है कि शैक्षिक, प्रशासनिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक पक्षों का समुचित विकास हो।

1.11 संगठन के उद्देश्य:

संगठन (Organization) के उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जो उसके प्रकार, कार्यक्षेत्र और लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। सामान्यतः किसी भी संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं:

1. लक्ष्य प्राप्ति (Goal Achievement): संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति जैसे– उत्पाद बनाना, सेवाएं देना या सामाजिक कल्याण करना।

2. संसाधनों का समुचित उपयोग: मानव, वित्तीय, भौतिक और तकनीकी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना।

3. समन्वय और सहयोग: संगठन में विभिन्न विभागों, व्यक्तियों और प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित करना ताकि सामूहिक प्रयास सफल हो।

4. सुधार और नवाचार: निरंतर विकास के लिए नई विधियों, तकनीकों और विचारों को अपनाना।

5. लाभ अर्जन (यदि व्यवसायिक संगठन हो): व्यापारिक संगठनों का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है।

6. सामाजिक उत्तरदायित्व: समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना जैसे – पर्यावरण की रक्षा, कर्मचारियों का कल्याण, उपभोक्ताओं की सेवा आदि।

7. स्थिरता और विकास: संगठन को लंबे समय तक टिकाऊ और विकासशील बनाए रखना।

एक विद्यालय संगठन के उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित हैं:-

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना:

विद्यार्थियों को व्यवस्थित, प्रभावी और समग्र शिक्षा उपलब्ध कराना।

2. सर्वांगीण विकास:

विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक पक्ष का विकास।

3. अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों का विकास:

छात्रों में आत्मानुशासन, समयबद्धता, ईमानदारी, सहयोग, सहनशीलता आदि मूल्यों का निर्माण करना।

4. शिक्षकों और कर्मचारियों का समुचित प्रबंधन:

योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, उनके कार्यों का संचालन और संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना।

5. शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को सुचारु बनाना:

पाठ्यक्रम, समय-सारणी, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन इत्यादि को योजनाबद्ध रूप से क्रियान्वित करना।

6. विद्यालय प्रशासन का संचालन:

विद्यालय के भौतिक, वित्तीय और मानव संसाधनों का समन्वयपूर्ण संचालन।

7. अभिभावकों और समुदाय से सहयोग:

विद्यालय और समाज के बीच संबंध मजबूत करना, ताकि शिक्षा व्यवस्था समाजोपयोगी हो सके।

8. समतामूलक और समावेशी वातावरण बनाना:

सभी छात्रों को समान अवसर देना, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति, धर्म या लिंग से हों।

निष्कर्ष: विद्यालय संगठन केवल कक्षाओं को चलाना नहीं है, बल्कि यह एक संगठित प्रणाली है जो छात्रों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार और मूल्यों के समग्र विकास की दिशा में काम करता है। इसके माध्यम से एक बेहतर, शिक्षित और जिम्मेदार समाज की नींव रखी जाती है।

1.12 सगठन की विशेषताएं

संगठन एक ऐसा ढाँचा है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्तियों, कार्यों और संसाधनों को एक निश्चित प्रणाली के अंतर्गत जोड़ता है। यह कार्यों का बँटवारा, जिम्मेदारियों का निर्धारण और संसाधनों का समन्वय कर, कार्य कुशलता और लक्ष्य-प्राप्ति सुनिश्चित करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. निश्चित उद्देश्य (Definite Objective):

संगठन का एक स्पष्ट, पूर्व-निर्धारित लक्ष्य होता है, जिसकी पूर्ति हेतु सभी गतिविधियाँ होती हैं।

2. कार्य विभाजन (Division of Work):

कार्यों को अलग-अलग भागों में बाँटकर उन्हें विशेषज्ञता के आधार पर लोगों को सौंपा जाता है।

3. समूह प्रयास (Group Effort):

संगठन व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों पर आधारित होता है।

4. सामंजस्य और समन्वय (Coordination):

संगठन में विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के बीच तालमेल और सहयोग आवश्यक होता है।

5. अधिकार एवं उत्तरदायित्व (Authority and Responsibility):

प्रत्येक सदस्य को उसकी भूमिका, कार्य व उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से सौंपा जाता है।

6. व्यवस्थित संरचना (Structured Framework):

संगठन की एक निर्धारित संरचना होती है जिसमें उच्च से निम्न स्तर तक भूमिका निश्चित होती है।

7. संचार व्यवस्था (Communication System):

जानकारी के आदान-प्रदान हेतु संगठन में प्रभावी संचार व्यवस्था आवश्यक होती है।

8. अनुशासन (Discipline):

संगठन नियमों, प्रक्रियाओं और समयबद्धता का पालन करता है।

9. लचीलापन (Flexibility):

संगठन बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को ढाल सकता है।

10. निरंतरता (Continuity):

संगठन एक दीर्घकालीन व्यवस्था होती है जो लगातार कार्य करता रहता है।

निष्कर्ष: संगठन की विशेषताएँ उसे एक सुनियोजित, उद्देश्यपूर्ण और परिणामदायी इकाई बनाती हैं। इन विशेषताओं के कारण ही संगठन अपने लक्ष्यों को कुशलता और प्रभावशीलता से प्राप्त कर पाता है।

विद्यालय संगठन की विशेषताएँ (Characteristics of School Organization)

विद्यालय एक शैक्षिक संगठन है जो बच्चों के शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और शारीरिक विकास के लिए कार्य करता है। यह एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध संस्था होती है जिसकी अपनी विशेष संरचना और कार्य प्रणाली होती है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. पूर्व निर्धारित उद्देश्य:

विद्यालय का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना होता है।

2. कार्य विभाजन:

विद्यालय में शिक्षकों, प्रधानाचार्य, लिपिक, कक्षा सहायक आदि के कार्य अलग-अलग बाँटे गए होते हैं।

3. शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया पर केंद्रित:

विद्यालय संगठन का मूल केंद्र विद्यार्थियों की शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना होता है।

4. नियमितता और अनुशासन:

विद्यालय में समय सारणी, उपस्थिति, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन आदि अनुशासित ढंग से चलते हैं।

5. संचार व्यवस्था:

विद्यालय में सूचना का आदान-प्रदान – जैसे सूचनाएं, परीक्षाफल, घोषणाएं – एक सुव्यवस्थित प्रणाली के तहत होता है।

6. समन्वय:

विद्यालय में शिक्षकों, छात्रों, प्रशासन और अभिभावकों के बीच उचित समन्वय आवश्यक होता है।

7. मानव एवं भौतिक संसाधनों का प्रयोग:

शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ा सामग्री, भवन आदि संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाता है।

8. लचीलापन:

विद्यालय बदलते शैक्षणिक नीतियों, समाज की आवश्यकताओं व छात्रों की रुचियों के अनुसार अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन कर सकता है।

9. समुदाय और समाज से संबंध: विद्यालय समाज का हिस्सा होता है और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है। पीटीए (PTA) जैसे माध्यमों से संवाद होता है।

10. मूल्यपरक शिक्षा पर बल: केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिकता, सह-अस्तित्व, सहयोग, अनुशासन आदि मूल्यों का विकास भी विद्यालय का उद्देश्य होता है।

निष्कर्ष:

विद्यालय संगठन एक जीवंत प्रणाली है जो नियम, समन्वय, संसाधन और मूल्यपरक दृष्टिकोण के माध्यम से छात्रों को जीवन के लिए तैयार करता है। इसकी विशेषताएँ इसे अन्य संगठनों से अलग और महत्वपूर्ण बनाती हैं।

अपनी उन्नति जानिए (Know your progress)

प्र.1 विद्यालय किस प्रकार का संगठन है?

प्र. 2 नियमित शिक्षा को कहा जाता है।

प्र. 3 शिक्षा विज्ञान और कला दोनों ही है। सत्य /असत्य

प्र. 4 विद्यालय प्रबंधन का क्या आशय है?

1.13 सारांश (Summary)

शिक्षा हमारे समाज में एक शक्तिशाली उपकरण है, और इसका उद्देश्य हमें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का अधिकतम विकास करना है। यह हमारी महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के साथ-साथ हमारे संचार कौशल को विकसित करने में हमारी मदद कर सकता है। विद्यालय संगठन एवं प्रबंधन शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विद्यालय को सुनियोजित, सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से संचालित करने में सहायक होता है। इसका उद्देश्य न केवल शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना भी है।

विद्यालय संगठन (School Organization): विद्यालय संगठन से तात्पर्य है - विद्यालय की संरचना, कार्य प्रणाली, विभागों, मानव संसाधनों और भौतिक संसाधनों को एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यवस्थित करना।

मुख्य बिंदु:

शिक्षकों, छात्रों और संसाधनों के बीच समन्वय

पाठ्यक्रम, समय-सारणी और मूल्यांकन की योजना

सहयोगात्मक और अनुशासित वातावरण निर्माण

अभिभावकों और समुदाय से संवाद

विद्यालय प्रबंधन (School Management):

विद्यालय प्रबंधन का तात्पर्य है — विद्यालय के दैनिक कार्यों का संचालन, शिक्षकों का निर्देशन, निर्णय लेना, समस्याओं का समाधान और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना।

मुख्य बिंदु:

नेतृत्व और निर्णय क्षमता

योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन

निरीक्षण एवं मूल्यांकन

लक्ष्य की पूर्ति हेतु रणनीति

निष्कर्ष: विद्यालय संगठन और प्रबंधन दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। संगठन विद्यालय की संरचना को तय करता है, जबकि प्रबंधन उसे क्रियान्वित करता है। इनकी प्रभावशीलता से ही विद्यालय अपने शैक्षिक, नैतिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है।

1.14 शब्दावली (Glossary)

1- संगठन (Organization)- किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए व्यक्तियों, संसाधनों और गतिविधियों को एक निश्चित ढांचे और उद्देश्य के अंतर्गत एकत्रित करना, उनका समन्वय करना और एक प्रणाली के रूप में उन्हें कार्यान्वित करना।

2- प्रबंधन- प्रबंधन (Management) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन के उपलब्ध संसाधनों (मानव, भौतिक, वित्तीय आदि) का सुनियोजित, समन्वित और प्रभावशाली रूप से प्रयोग करके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है।

3- **विद्यालय-** विद्यालय किसी भी समाज की नींव होता है। यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ देश के भविष्य का निर्माण होता है। विद्यालय छात्रों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों, सामाजिक कर्तव्यों और जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यहाँ छात्र

अनुशासन, समय का पालन, सहनशीलता, नेतृत्व, सहयोग और आत्मनिर्भरता जैसे गुण सीखते हैं जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने में सहायक होते हैं।

4-**उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया**-शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार की शिक्षा का आयोजन निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा शिक्षा के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते है और समाज ही इसे विकासोन्मुख बनाता है तथा शिक्षा भी समाज को विकासोन्मुख बनाती है। जिसमें विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

1.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of practice Questions)

भाग -1

उ.1 ज्ञान, शिक्षा या सीख।

उ. 2 पूर्णता की अभिव्यक्ति है।

उ. 3 'संगठन' का तात्पर्य है – एक साथ चलना या मिलकर कार्य करना।

भाग -2

उ.1 विद्यालय एक शैक्षिक संगठन है

उ. 2 औपचारिक शिक्षा

उ. 3 सत्य

उ. 4 विद्यालय प्रबंधन का आशय विद्यालय के भीतर सभी गतिविधियों – प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय और सह-शैक्षणिक – के कुशल संचालन से है

1.16 सन्दर्भ ग्रन्थ (Reference)

1. लाल, रमन बिहारी (2009) : History , Development and Problems of Indian Education, Uttar Pradesh, (Revised edition)
1. शर्मा कृष्णकांत (2009) : भारतीय शिक्षा का इतिहास , विकास एवं समस्याएं , मेरठ ,आर० लाल० पब्लिकेशन
2. पाठक , पी०डी० (2005), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं , आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर

3. पचौरी गिरीश (2007), शिक्षा और समाज मेरठ , इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस ।
4. एन. आर. स्वरुप सक्सेना , डॉ के.पी. पाण्डेय (1993 – 94) शिक्षा सिद्धांत, मेरठ , आर.लाल.बुक डिपो ।
5. शर्मा,गणपति एवं व्यास. (2014). उदीयमान भारतीय समाज और शिक्षा. जयपुर:हिंदी ग्रन्थ अकादमी
6. लोढ़ा, एम्. (2013). नैतिक शिक्षा के विबिध आयाम. जयपुर:हिंदी ग्रन्थ अकादमी
7. रूहेला, एस.पी. (2014). शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन
8. मालवीय,राजीव. (2013). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन
9. भटनागर, सुरेश. (2008). भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास. मेरठ: आर लाल बुक डिपो

1.17 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

1. शिक्षा से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के विकास में शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिये।
2. विद्यालय संगठन का वर्णन कीजिए।
3. प्रशासन से आप क्या समझते है? व्याख्या कीजिये ।
4. विद्यालय संगठन की विशेषताओं का वर्णन कीजिये।

इकाई 2: (UNIT-2) स्कूलों के प्रकार: सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, उत्तराखंड राज्य बोर्ड

(Types of School: CBSE, ICSE, IB, State Board of Uttarakhand)

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 विद्यालय का अर्थ

2.4 विद्यालयों के प्रकार

2.5 विभिन्न विद्यालय बोर्डों की संरचना

2.6 विभिन्न विद्यालय बोर्डों का महत्व

अपनी उन्नति जानिए

2.7 सीबीएसई

2.8 आईसीएसई

2.9 आईबी

2.10 उत्तराखंड राज्य बोर्ड

अपनी उन्नति जानिए

2.11 सारांश

2.12 शब्दावली

2.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2.14 संदर्भ ग्रंथ सूची

2.15 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत में शिक्षा प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए कई स्कूल बोर्ड स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक बोर्ड का अपना पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली और शैक्षिक दृष्टिकोण होता है। देश में विद्यालयी शिक्षा हेतु कई स्कूल बोर्ड होते हैं। सीबीएसई (CBSE - Central Board of Secondary Education) भारत सरकार का राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है। सीबीएसई का पाठ्यक्रम विज्ञान, गणित और प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे NEET, JEE) के अनुरूप होता है। यह बोर्ड देशभर के केंद्रीय विद्यालयों (KVs) और नवोदय विद्यालयों (JNVs) से जुड़ा है। आईसीएसई (ICSE - Indian Certificate of Secondary Education) यह काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) द्वारा संचालित है। इसका पाठ्यक्रम सीबीएसई की तुलना में अधिक विस्तारपूर्वक होता है और यह अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य पर अधिक ज़ोर देता है। राज्य बोर्ड (State Boards) प्रत्येक राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड होता है जैसे उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड आदि। इन बोर्डों का पाठ्यक्रम राज्य की भाषा, संस्कृति और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। एनआईओएस (NIOS - National Institute of Open Schooling) यह बोर्ड वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से ओपन लर्निंग के लिए है। यह छात्रों को लचीले ढंग से शिक्षा पूरी करने का अवसर देता है। अंतरराष्ट्रीय बोर्ड (International Boards) जैसे IB (International Baccalaureate) और Cambridge (CAIE)। ये बोर्ड वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं और आमतौर पर निजी स्कूलों में उपलब्ध होते हैं।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्कूल बोर्डों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड न केवल छात्रों की शैक्षणिक नींव तैयार करते हैं, बल्कि उनके करियर और व्यक्तित्व विकास में भी सहायता करते हैं। आइए जानें प्रत्येक बोर्ड का महत्व: सीबीएसई (CBSE - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं (JEE, NEET आदि) के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह पूरे भारत में मान्यता प्राप्त, ट्रांसफर में आसानी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त। आईसीएसई (ICSE - इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) यह छात्रों को गहराई से ज्ञान देने और अंग्रेजी भाषा में दक्षता बढ़ाने पर जोर देता है। इससे मजबूत भाषा कौशल, विविध विषय विकल्प और अंतरराष्ट्रीय मान्यता में सहायता मिलती है। राज्य बोर्ड (State Boards) स्थानीय भाषा, संस्कृति और राज्य की शैक्षणिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करता है। आसान पाठ्यक्रम, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में लाभ और स्थानीय मुद्दों की समझ

इसकी विशेषता होती है। हर स्कूल बोर्ड की अपनी विशेषताएँ और उद्देश्य होते हैं। छात्रों को उनके लक्ष्य, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त बोर्ड का चयन करना चाहिए।

2.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात शिक्षार्थी-

1. विद्यालय के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगें।
2. विद्यालयों के विभिन्न प्रकारों को आत्मसात कर सकेंगे
3. विद्यालयों के विभिन्न प्रकारों की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे।
4. विभिन्न विद्यालयों का महत्व का विश्लेषण कर सकेंगे।
5. सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों की व्याख्या कर सकेंगे।
6. आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों का विश्लेषण कर सकेंगें।
7. आईबी बोर्ड के विद्यालयों की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।
8. उत्तराखंड राज्य बोर्ड के विद्यालयों की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगें।

2.3 विद्यालय का अर्थ

"विद्यालय" एक संस्कृत शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है - विद्या (ज्ञान) और आलय (स्थान)। इस प्रकार, विद्यालय का शाब्दिक अर्थ होता है: "ज्ञान का स्थान"। व्यावहारिक अर्थ में, विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बच्चों और विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। यह वह संस्थान है जहाँ शैक्षणिक, नैतिक, सामाजिक और मानसिक विकास होता है। विद्यालय में छात्र न केवल पढ़ाई करते हैं, बल्कि अनुशासन, संस्कार, सहयोग, और नेतृत्व जैसे गुण भी सीखते हैं।

विद्यालय किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह स्थान है जहाँ एक बालक केवल पढ़ना-लिखना ही नहीं सीखता, बल्कि जीवन जीने की कला, अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को भी आत्मसात करता है। विद्यालय हमारे जीवन की आधारशिला है। विद्यालय का अर्थ होता है – "विद्या का आलय" यानी ज्ञान का स्थान। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों का बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास होता है।

विद्यालय की आवश्यकता:

1. शिक्षा प्राप्त करने के लिए- विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ बच्चों को प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा दी जाती है।

2. व्यक्तित्व विकास के लिए- विद्यालय में छात्र-छात्राएं विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर आत्मविश्वास, नेतृत्व, और संवाद कौशल विकसित करते हैं।

3. अनुशासन सीखने के लिए- विद्यालय में समय पालन, नियमों का पालन और अनुशासित जीवन शैली का अभ्यास कराया जाता है।

4. सामाजिकता बढ़ाने के लिए- विद्यालय में बच्चों को साथ पढ़ने, खेलने और सहयोग करने से सामाजिक व्यवहार और मित्रता की भावना विकसित होती है।

5. नैतिक शिक्षा के लिए- विद्यालय में सदाचार, सच्चाई, ईमानदारी, देशभक्ति जैसे गुणों का विकास होता है।

निष्कर्ष: विद्यालय किसी राष्ट्र की नींव तैयार करता है। एक अच्छा विद्यालय अच्छे नागरिक बनाता है, जो आगे चलकर देश और समाज की उन्नति में योगदान देते हैं। इसलिए, हर बच्चे को विद्यालय जाना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।

2.4 विद्यालयों के प्रकार

भारत में विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार के विद्यालय होते हैं, जो उनके संचालन, पाठ्यक्रम, और उद्देश्य के आधार पर विभाजित किए जा सकते हैं। नीचे प्रमुख प्रकारों का विवरण दिया गया है:

1. सरकारी विद्यालय (Government Schools)- ये स्कूल केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं। विद्यार्थियों को निशुल्क या बहुत कम शुल्क में शिक्षा दी जाती है। जैसे: केंद्रीय विद्यालय (KVS), नवोदय विद्यालय (JNV), राज्य बोर्ड के सरकारी स्कूल।

2. निजी विद्यालय (Private Schools)- ये स्कूल निजी संस्थाओं या ट्रस्टों द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है लेकिन फीस अधिक होती है। जैसे: डीपीएस, एमिटी, श्री राम स्कूल आदि।

3. सहायता प्राप्त विद्यालय (Aided Schools)- ये निजी प्रबंधन द्वारा चलाए जाते हैं लेकिन सरकार से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम और नियम सरकारी स्कूल जैसे होते हैं।

4. अंतरराष्ट्रीय विद्यालय (International Schools)- ये स्कूल अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम (IB, Cambridge) को अपनाते हैं। ये उच्च गुणवत्ता वाली वैश्विक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये विद्यालय मुख्यतः महानगरों में स्थित होते हैं।

5. मिशनरी विद्यालय (Missionary Schools)- ये ईसाई मिशनों द्वारा स्थापित और संचालित होते हैं। ये विद्यालय अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर होता है। जैसे: सेंट जेवियर्स, लॉरेटो, डॉन बॉस्को आदि।

6. आवासीय विद्यालय (Residential Schools)- ये स्कूल हॉस्टल सुविधाओं सहित पूर्ण आवासीय होते हैं। इसमें विद्यार्थी परिसर में ही रहते, पढ़ते और अन्य गतिविधियाँ करते हैं। जैसे: सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल आदि।

7. ओपन स्कूल (Open Schools)- जैसे NIOS (National Institute of Open Schooling)। यह उन छात्रों के लिए है जो नियमित स्कूल में नहीं जा सकते। इसमें लचीला समय और स्वयं अध्ययन की सुविधा।

8. विशेष विद्यालय (Special Schools)- ये विद्यालय दिव्यांग या विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए होते हैं। इन विद्यालयों में विशेष शिक्षक और संसाधन होते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में शिक्षा की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के विद्यालय विकसित किए गए हैं। यह विविधता छात्रों को अपनी परिस्थितियों, क्षमताओं और लक्ष्यों के अनुसार उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देती है।

2.5 विभिन्न विद्यालय बोर्डों की संरचना

भारत में स्कूल शिक्षा को नियंत्रित और संचालित करने के लिए कई प्रकार के शिक्षा बोर्ड (School Boards) कार्यरत हैं। प्रत्येक बोर्ड का अपना पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली और उद्देश्य होता है। नीचे प्रमुख विद्यालय बोर्डों का विवरण दिया गया है:-

1. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE - Central Board of Secondary Education)- यह भारत सरकार का एक राष्ट्रीय बोर्ड है। इसका पाठ्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE, NEET के लिए

अनुकूल होता है। यह बोर्ड पूरे भारत और विदेशों में कई विद्यालयों से संबद्ध है। इसका माध्यम: हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों होता है।

2. भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (CISCE - ICSE और ISC Board)- यह बोर्ड ICSE (कक्षा 10) और ISC (कक्षा 12) परीक्षाएं संचालित करता है। **यह बोर्ड** अंग्रेज़ी माध्यम पर ज़ोर देता है, इसमें विषयों की गहराई और परियोजना कार्य शामिल होते हैं। अधिक प्राइवेट स्कूल इस बोर्ड से संबद्ध होते हैं।

3. राज्य बोर्ड (State Boards)- हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड होता है, जैसे: उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड, जिसे UBSE (Uttarakhand Board of School Education) कहा जाता है, राज्य सरकार द्वारा संचालित एक शैक्षिक बोर्ड है। इसका मुख्यालय रामनगर, नैनीताल में स्थित है। यह बोर्ड उत्तराखंड राज्य के विद्यालयों में माध्यमिक (कक्षा 10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 12) शिक्षा को नियंत्रित करता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board), महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड आदि। इसमें पाठ्यक्रम राज्य की संस्कृति, भाषा और आवश्यकताओं के अनुसार होता है। इसका माध्यम: प्रायः राज्य की क्षेत्रीय भाषा या अन्य भाषा होती है।

5. अंतरराष्ट्रीय बोर्ड (International Boards)- यह वैश्विक दृष्टिकोण पर केंद्रित, उच्च विश्लेषणात्मक शिक्षा बोर्ड होता है। ये Cambridge (CAIE – Cambridge Assessment International Education): ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली पर आधारित। ये मुख्यतः बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों में स्थित होते है ।

6. मदरसा और संस्कृत बोर्ड- मदरसा बोर्ड: मुस्लिम समुदाय के छात्रों के लिए धार्मिक और आधुनिक शिक्षा आधारित होता है।

निष्कर्ष: भारत में विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि, भाषा और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के विद्यालय बोर्ड हैं। हर बोर्ड की अपनी विशेषताएं हैं, और छात्रों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार सही बोर्ड चुनना चाहिए।

2.6 विभिन्न विद्यालय बोर्डों का महत्व

भारत में शिक्षा को संगठित और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न विद्यालय बोर्ड कार्यरत हैं। हर बोर्ड की अपनी विशेषताएं और उद्देश्य होते हैं, जो छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नीचे विभिन्न बोर्डों का महत्व दिया गया है:

1. CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) का महत्व

राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त।

प्रतियोगी परीक्षाओं (JEE, NEET) के अनुरूप पाठ्यक्रम।

बच्चों को विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा में मजबूत बनाता है।

ट्रांसफर के लिए सुविधाजनक क्योंकि पूरे भारत में फैला हुआ है।

2. ICSE / ISC (भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद) का महत्व

अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य पर विशेष जोर।

गहन विषय ज्ञान और प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन।

विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त।

3. राज्य बोर्ड (State Boards) का महत्व

क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा की सुविधा।

राज्य की सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम।

ग्रामीण और स्थानीय छात्रों के लिए अधिक सुलभ।

4. NIOS (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) का महत्व

वे छात्र जो नियमित स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए विकल्प।

कामकाजी या विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए उपयुक्त।

लचीला अध्ययन और परीक्षा समय।

5. अंतरराष्ट्रीय बोर्ड (IB) का महत्व

वैश्विक स्तर की शिक्षा और कौशल विकास।

विश्लेषणात्मक सोच, शोध, और प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा।

विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए सर्वोत्तम विकल्प।

निष्कर्ष- हर विद्यालय बोर्ड की अपनी उपयोगिता और उद्देश्य हैं। छात्रों और अभिभावकों को अपनी ज़रूरत, भाषा, भविष्य की योजना और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का चुनाव करना चाहिए। सही बोर्ड, छात्र की दिशा और विकास तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अपनी उन्नति जानिए (Know your progress)

प्र.1   केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE - Central Board of Secondary Education)- किस प्रकार का बोर्ड है?

प्र. 2 भारत में स्कूल बोर्ड क्यों स्थापित किए गए हैं?

प्र. 3   स्कूल बोर्ड का क्या उद्देश्य है?

2.7 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)

CBSE (Central Board of Secondary Education) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और यह भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल बोर्डों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न हिस्सों में एक समान शिक्षा प्रणाली प्रदान करना। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। गुणवत्ता पूर्ण और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है । इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। CBSE भारत सरकार का एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है, जो स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रमाणन की व्यवस्था करता है। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

1. प्रारंभिक पृष्ठभूमि (Early Background):

CBSE की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई, जब भारत में एकरूप शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई। 1921 में सबसे पहले उ.प. बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना हुई, जो भारत का पहला बोर्ड था। 1929 में भारत सरकार ने "Board of High School and Intermediate Education, Rajputana" की स्थापना की। यह बोर्ड अजमेर, मेरठ, सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर जैसे क्षेत्रों को कवर करता था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों और उनके अधीन भारतीयों के बच्चों को एक समान शिक्षा देना। 1952 में बोर्ड का पुनर्गठन कर इसे नाम दिया गया: "Central Board of Secondary Education (CBSE)" इसका मुख्य उद्देश्य बना: देशभर में एक समान, केंद्रित और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली लागू करना।

1962: CBSE को वर्तमान स्वरूप में फिर से गठित किया गया ताकि यह भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, निजी और पब्लिक स्कूलों को एक बोर्ड के अंतर्गत लाया जा सके। इसकी संबद्धता केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, रेलवे, और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा संचालित स्कूलों से है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ (Major Milestones):

1975 CBSE ने अंतरराष्ट्रीय स्कूलों को मान्यता देना शुरू किया।

2000 CCE प्रणाली (Continuous and Comprehensive Evaluation) लागू की गई।

2014 CBSE Online Portals (academic.nic.in, results.nic.in) लॉन्च किए गए।

2020 Skill-based subjects और AI, Coding जैसी नई विषय-वस्तुएँ जोड़ी गई।

2023 CBSE ने मूल्यांकन में Competency-Based Questions का बड़ा हिस्सा शामिल किया।

आज का स्वरूप (Present Form):

28,000+ स्कूल भारत में और 25+ देशों में अंतरराष्ट्रीय स्कूल

हर वर्ष कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में लाखों छात्र सम्मिलित होते हैं

स्कूली शिक्षा को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक

निष्कर्ष (Conclusion)- CBSE की यात्रा एक क्षेत्रीय शिक्षा बोर्ड से शुरू होकर आज भारत का सबसे व्यापक और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड बनने तक पहुँची है। यह छात्रों को गुणवत्ता, समानता और प्रतियोगिता की त्रिपक्षीय शक्ति देता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. पाठ्यक्रम (Curriculum)- CBSE का पाठ्यक्रम NCERT (National Council of Educational Research and Training) की पुस्तकों पर आधारित होता है। यह विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर साइंस आदि विषयों पर अधिक ध्यान देता है।

2. माध्यम (Medium)- हिंदी और अंग्रेज़ी – दोनों में शिक्षा उपलब्ध है।

3. मान्यता- CBSE भारत और विदेशों के 25+ देशों में फैले 20,000+ स्कूलों से संबद्ध है। देशभर के केंद्रीय विद्यालय (KVS), नवोदय विद्यालय (JNV) और आर्मी स्कूल इसी बोर्ड से संबद्ध होते हैं।

4. परीक्षा प्रणाली- कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है। मूल्यांकन प्रणाली सीसीई (CCE – Continuous and Comprehensive Evaluation) जैसे मॉडल को अपनाती है।

5. प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ाव- CBSE का पाठ्यक्रम NEET, JEE, CUET, NDA जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है।

सीबीएसई की कुछ नवीन पहलें:

Skill Education (कौशल शिक्षा): 9वीं से 12वीं तक कई व्यावसायिक विषय जोड़े गए हैं।

AI और Coding: कक्षा 6 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग जैसे आधुनिक विषयों की शुरुआत।

डिजिटल प्लेटफॉर्म: जैसे Diksha App, CBSE Academic Website, और Pariksha Pe Charcha

CBSE की परीक्षा प्रणाली को इस प्रकार संरचित किया गया है कि छात्रों का सैद्धांतिक ज्ञान, प्रयोगात्मक कौशल, और समझने की क्षमता पूरी तरह से आंकी जा सके।

निष्कर्ष- CBSE एक आधुनिक, व्यावहारिक और प्रतियोगी शिक्षा प्रणाली प्रदान करता है, जो छात्रों को न केवल अच्छे अंक दिलाने बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम बनाता है। यह बोर्ड उन छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना चाहते हैं।

1. CBSE की परीक्षा प्रणाली (Examination System)

3. मूल्यांकन विधि (Assessment Pattern)- CBSE की मूल्यांकन प्रणाली को समग्र मूल्यांकन (Comprehensive Assessment) कहा जाता है।

मुख्य मूल्यांकन घटक:

1. थ्योरी (Theory): अधिकांश विषयों में थ्योरी के लिए 80 अंक निर्धारित होते हैं। बोर्ड द्वारा तैयार प्रश्नपत्र होता है।

2. आंतरिक मूल्यांकन / प्रैक्टिकल (Internal Assessment / Practical):

20 अंक स्कूल द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें

प्रोजेक्ट

लैब वर्क

क्लास टेस्ट

प्रेजेंटेशन शामिल होते हैं।

3. CCE (Continuous and Comprehensive Evaluation): (अब अधिकांश कक्षाओं में लागू नहीं, लेकिन स्कूल स्तर पर मूल्यांकन में उपयोग) इसके द्वारा छात्रों के सामाजिक, नैतिक और व्यवहारिक पक्ष का भी मूल्यांकन।

निष्कर्ष- CBSE की परीक्षा प्रणाली केवल अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्र के समग्र विकास, आत्मविश्वास, और भविष्य की तैयारियों पर केंद्रित है। यह प्रणाली छात्रों को आत्मनिर्भर, सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाती है।

2.8 आईसीएसई (ICSE) Indian Certificate of Secondary Education

परिचय (Introduction)- ICSE का पूर्ण नाम है Indian Certificate of Secondary Education। यह परीक्षा CISCE (Council for the Indian School Certificate Examinations) द्वारा आयोजित की जाती है। यह एक प्राइवेट, गैर-सरकारी शिक्षा बोर्ड है जिसे भारत सरकार ने मान्यता दी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

उद्देश्य (Objective)- ICSE का (Indian Certificate of Secondary Education।) का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यापक, संतुलित और गहराई से युक्त शिक्षा प्रदान करना। अंग्रेज़ी भाषा, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विशेष ज्ञान देना। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा की तैयारी करना है।

विशेषताएँ (Key Features):

परीक्षा स्तर- कक्षा 10 (ICSE), कक्षा 12 (ISC)

माध्यम -मुख्य रूप से अंग्रेज़ी

पाठ्यक्रम- साहित्यिक, विश्लेषणात्मक और प्रोजेक्ट-आधारित

प्रमाणन- भारत में और कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में मान्य

पाठ्यक्रम (Curriculum):

ICSE का सिलेबस व्यापक होता है और इसमें विषयों की गहराई अधिक होती है। छात्रों को Project Work, Internal Assessment, और Practical Knowledge पर ज़ोर दिया जाता है। विषयों का विकल्प भी अधिक होता है, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार चयन कर सकते हैं।

मुख्य विषय:

अंग्रेज़ी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र

गणित, विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान)

कंप्यूटर एप्लिकेशन, आर्ट, इकोनॉमिक्स, कमर्शियल स्टडीज़

परीक्षा प्रणाली (Examination System):

ICSE (Class 10) और ISC (Class 12) की परीक्षाएं हर वर्ष फरवरी-मार्च में होती हैं।

मूल्यांकन में थ्योरी के साथ-साथ 20% से 30% प्रोजेक्ट/प्रैक्टिकल वर्क भी शामिल होता है।

ICSE की विशेषताएँ अन्य बोर्डों से अलग क्यों हैं?

ICSE की विशेषता

भाषा पर बल- अंग्रेज़ी में गहराई, व्याकरण और साहित्य पर अधिक ध्यान

समृद्ध विषय-वस्तुविषयों का गहन अध्ययन, और अधिक वैकल्पिक विषय

प्रोजेक्ट वर्क- आंतरिक मूल्यांकन के ज़रिए व्यवहारिक ज्ञान

विदेश में मान्यता- विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए अधिक मान्यता प्राप्त

फायदे (Advantages of ICSE):

बेहतर अंग्रेज़ी भाषा दक्षता

Project-based learning से व्यावहारिक ज्ञान

कला, विज्ञान, और वाणिज्य विषयों का संतुलन

विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अधिक मान्यता

सीमाएँ (Limitations):

पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत कठिन और विस्तृत

केवल अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा – हिंदी भाषी छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण

भारत में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं (JEE, NEET) के लिए CBSE की तुलना में कम अनुकूल

निष्कर्ष (Conclusion)- ICSE एक समृद्ध और शोध आधारित शिक्षा प्रणाली है, जो छात्रों को भाषा, विश्लेषणात्मक सोच और वैश्विक शिक्षा के लिए तैयार करती है। यह बोर्ड उन छात्रों के लिए श्रेष्ठ है जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा, भाषा दक्षता और रचनात्मक सोच को प्राथमिकता देते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड (IB)

परिचय (Introduction)- IB (International Baccalaureate) एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली है जो दुनिया भर के छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण, सोचने की स्वतंत्रता, और जीवन कौशल सिखाने पर केंद्रित है।

स्थापना: 1968

मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

उद्देश्य: दुनिया भर के विद्यार्थियों को एक साझा और गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षा देना

कार्यकारी कार्यालय: वाशिंगटन, नीदरलैंड, सिंगापुर आदि

IB कार्यक्रमों के प्रकार (Types of IB Programs):

कार्यक्रम	कक्षा	विवरण
PYP (Primary Years Programme)	कक्षा 1–5	छोटे बच्चों के लिए, खोज आधारित शिक्षा
MYP (Middle Years Programme)	कक्षा 6–10	मध्य स्तर पर विश्लेषण और सोच विकसित करना
DP (Diploma Programme)	कक्षा 11–12	वैश्विक स्तर की कॉलेज तैयारी, कठिन लेकिन प्रतिष्ठित
CP (Career-related Programme)	कक्षा 11–12	करियर-केंद्रित व्यावसायिक शिक्षा

IB की विशेषताएँ (Key Features):

Inquiry-Based Learning (जिज्ञासा आधारित शिक्षा)

Global Curriculum (वैश्विक पाठ्यक्रम)

No final exam-only system, बल्कि assignments + projects + internal assessments

Languages, Arts, Humanities, and Sciences में संतुलन

Critical Thinking, Creativity, and Research Skills पर ज़ोर

पाठ्यक्रम की शैली (Curriculum Style):

IB बोर्ड का पाठ्यक्रम CBSE या ICSE की तरह "पुस्तक आधारित" नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट आधारित, केस स्टडी और रिफ्लेक्शन आधारित होता है। इसके अंतर्गत छात्रों को विषयों में खुद खोज करने, प्रश्न पूछने और समाधान निकालने की आदत डाली जाती है।

DP कार्यक्रम (कक्षा 11–12) में 6 विषय समूह होते हैं:

1. भाषा और साहित्य
2. भाषा अधिग्रहण
3. व्यक्तित्व और समाज (जैसे इतिहास, मनोविज्ञान)
4. विज्ञान
5. गणित
6. कला (वैकल्पिक)

साथ ही 3 मुख्य अवयव होते हैं:

TOK (Theory of Knowledge)

EE (Extended Essay)

CAS (Creativity, Activity, Service)

मूल्यांकन प्रणाली (Assessment System):

Written Exams, Internal Assessments, Projects, Presentations

Final Diploma Score: 45 में से

प्रत्येक विषय के लिए स्कोर: 1 से 7

EE और TOK के लिए कुल 3 अंक

IB की मान्यता और महत्त्व (Recognition & Importance):

विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे Harvard, MIT, Oxford, Cambridge आदि में प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त है। भारत के कई विश्वविद्यालय भी IB छात्रों को प्राथमिकता देते हैं। IB विद्यार्थी आमतौर पर अच्छे कम्युनिकेशन, सोचने की क्षमता और नेतृत्व में आगे रहते हैं।

भारत में IB स्कूल (IB Schools in India):

भारत में लगभग 200+ मान्यता प्राप्त IB स्कूल हैं, जैसे:

Dhirubhai Ambani International School (Mumbai)

The Doon School (Dehradun)

Pathways Schools (Gurgaon, Noida)

Woodstock School (Mussoorie)

फायदे और चुनौतियाँ

फायदे

वैश्विक मान्यता

रिसर्च और सोचने की स्वतंत्रता

भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास

चुनौतियाँ

शुल्क अधिक (महंगे स्कूल)

कठिन पाठ्यक्रम

कुछ भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा लाभ नहीं

निष्कर्ष (Conclusion)- IB एक अत्यधिक उन्नत, वैश्विक और खोज-आधारित शिक्षा प्रणाली है। यह उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा और समग्र विकास की दिशा में बढ़ना चाहते हैं।

2.10 उत्तराखंड राज्य बोर्ड

परिचय (Introduction)- उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE), जिसे उत्तराखंड शिक्षा परीक्षा परिषद भी कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य में स्कूली शिक्षा की निगरानी, संचालन और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी बोर्ड है। उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 2001 को हुई थी। यह बोर्ड राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय रामनगर, नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य के विद्यालयों में स्कूली शिक्षा का संचालन, नियंत्रण और विकास करना है। यह बोर्ड कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षाएं आयोजित करता है तथा पाठ्यक्रम निर्धारण, पुस्तकों का प्रकाशन और परीक्षाफल की घोषणा भी करता है। उत्तराखंड बोर्ड राज्य के छात्रों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे उनका समग्र विकास और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) राज्य सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जो उत्तराखंड राज्य में विद्यालयी शिक्षा के संचालन, नियमन, परीक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम विकास जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

उत्तराखंड बोर्ड की कार्यप्रणाली और संगठनात्मक ढाँचा

(Uttarakhand Board - Working System & Organizational Structure)

कार्यप्रणाली (Working System):

उत्तराखंड बोर्ड की कार्यप्रणाली निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर केंद्रित होती है:

परीक्षा संचालन:

कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन

प्रश्न पत्रों की तैयारी, सेंटर निर्धारण और मूल्यांकन व्यवस्था, परिणाम (रिजल्ट) घोषित करना और अंक पत्र (मार्कशीट) जारी करना

पाठ्यक्रम निर्धारण:

उत्तराखंड राज्य के विद्यालयों के लिए नवीनतम और सुसंगत पाठ्यक्रम तैयार करना, विषय विशेषज्ञों की मदद से सिलेबस में समय-समय पर संशोधन.

पुस्तक प्रकाशन:

पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और वितरण (SCERT व NCERT के सहयोग से)

विद्यालयों की मान्यता:

नए स्कूलों को मान्यता प्रदान करना

विद्यालयों के निरीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन की प्रक्रिया

शिक्षकों का प्रशिक्षण:

शिक्षकों को अद्यतन शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित करना

शैक्षिक सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन

नीति निर्माण:

शैक्षिक सुधारों, मूल्यांकन नीति और परीक्षा प्रणाली से संबंधित निर्णय लेना

राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को रिपोर्ट देना

संगठनात्मक ढांचा (Organizational Structure):

पदनाम **कार्य और ज़िम्मेदारियाँ**

अध्यक्ष (Chairperson) -बोर्ड का सर्वोच्च प्रमुख; नीतिगत निर्णयों और संचालन की निगरानी

सचिव (Secretary) - प्रशासनिक प्रमुख; आदेशों का पालन और विभागीय समन्वय

परीक्षा नियंत्रक - परीक्षाओं का संचालन, प्रश्नपत्र वितरण, मूल्यांकन की व्यवस्था

पाठ्यक्रम निदेशक - पाठ्यक्रम विकास, संशोधन और प्रकाशन का दायित्व

आईटी अधिकारी- ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल रिजल्ट और रिकॉर्ड प्रबंधन

सदस्यगण - शिक्षाविद, शिक्षकों के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के अधिकारी आदि

क्षेत्रीय कार्यालय और सेवाएँ:

UBSE का मुख्यालय रामनगर (नैनीताल) में स्थित है, जहाँ से पूरे राज्य के विद्यालयों का संचालन और नियंत्रण होता है।

निष्कर्ष- उत्तराखंड बोर्ड एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक और शैक्षिक संगठन है, जो राज्य में शिक्षा को सुनियोजित, अनुशासित और गुणवत्ता-युक्त बनाए रखने हेतु कार्य करता है। इसकी कार्यप्रणाली विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के विकास पर केंद्रित है।

उद्देश्य (Objectives):

राज्य में कक्षा 1 से 12 तक की स्कूली शिक्षा का संचालन करना

कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करना

उत्तराखंड राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा प्रदान करना

पाठ्यक्रम (Curriculum)- UBSE का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (NCF) के अनुरूप तैयार किया जाता है, जिससे छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं (JEE, NEET, NDA आदि) में भी भाग लेने के योग्य बनें।

प्रमुख विषय:

कक्षा 10: हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर

कक्षा 12: कला, विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान), वाणिज्य (अर्थशास्त्र, अकाउंटिंग), और अन्य वैकल्पिक विषय

परीक्षा प्रणाली (Examination System):

कक्षा	परीक्षा का आयोजन
10वीं	हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा (मार्च–अप्रैल)

12वीं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा (मार्च–अप्रैल)

प्रश्नपत्र: थ्योरी + प्रैक्टिकल

रिजल्ट जारी करने की अवधि: मई–जून

मूल्यांकन- उत्तर पुस्तिकाओं का केंद्रीकृत मूल्यांकन

यूबीएसई की विशेषताएँ (Features of UBSE)- यह उत्तराखंड राज्य में एकमात्र राज्य शिक्षा बोर्ड है। इसमें स्थानीय भाषा, संस्कृति और भूगोल को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड सरल और सुलभ परीक्षा प्रणाली को अपनाता है। बोर्ड द्वारा उत्तराखंड की दुर्गम क्षेत्रों में भी शिक्षा पहुँचाने की पहल की गई है।

परिणाम और प्रदर्शन (Results and Performance)- उत्तराखंड बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। परिणाम ऑनलाइन और SMS के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। मेरिट सूची जारी की जाती है और टॉपर्स को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)- उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड (UBSE) राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करता है। यह बोर्ड न केवल परीक्षा आयोजित करता है, बल्कि शैक्षिक विकास, सामाजिक समावेशन और डिजिटल शिक्षा की दिशा में भी प्रयासरत है।

अपनी उन्नति जानिए (Know your progress)

प्र.1 सरकारी विद्यालय (Government Schools)- से आप क्या समझते है?

प्र. 2 उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहा है?

प्र. 3 शिक्षा विज्ञान और कला दोनों ही है। सत्य /असत्य

प्र. 4 प्रत्यक्ष शिक्षा में अध्यापक एवं छात्र का निकट का संपर्क होता है।सत्य /असत्य

2.11 सारांश (Summary)

भारत में स्कूली शिक्षा के लिए कई प्रकार के बोर्ड उपलब्ध हैं, जिनमें प्रत्येक की अपनी विशेषताएँ, उद्देश्य और लाभ हैं। CBSE जहाँ राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक है, वहीं ICSE गहन विषय ज्ञान और अंग्रेज़ी भाषा पर ज़ोर देता है। राज्य बोर्ड क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय संस्कृति और सुलभ शिक्षा को

बढ़ावा देते हैं। NIOS शिक्षा से वंचित या लचीली पढ़ाई चाहने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त है। वहीं IB और IGCSE जैसे अंतरराष्ट्रीय बोर्ड वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं।

निष्कर्षतः, भारत का शिक्षा तंत्र छात्रों को उनके रुचि, क्षमता, सुविधा और भविष्य की योजना के अनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराता है। सही बोर्ड का चयन छात्र के व्यक्तिगत और शैक्षिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए कई प्रकार के विद्यालय बोर्ड कार्यरत हैं। हर बोर्ड की अपनी विशेषताएँ, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली होती है। इनमें प्रमुख रूप से CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड), ICSE / ISC (भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद), विभिन्न राज्य बोर्ड (जैसे उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड आदि) प्रत्येक राज्य का अपना एक बोर्ड होता है, जिसके माध्यम से वह विद्यालयी शिक्षा का संचालन राज्य में करता है। इसके अतिरिक्त NIOS (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तथा IB (International Baccalaureate) संचालित होते है। भारत में उपलब्ध स्कूल बोर्ड छात्रों को उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, और भविष्य की योजना के अनुसार बहुविकल्पीय शिक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं। CBSE और राज्य बोर्ड सामान्यतः अधिक लोकप्रिय हैं, जबकि ICSE, IB और IGCSE अधिक अकादमिक और वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

2.12 शब्दावली (Glossary)

1. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE - Central Board of Secondary Education)- यह भारत सरकार का एक राष्ट्रीय बोर्ड है। इसका पाठ्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE, NEET के लिए अनुकूल होता है। यह बोर्ड पूरे भारत और विदेशों में कई विद्यालयों से संबद्ध है। इसका माध्यम: हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों होता है।

2- IB (International Baccalaureate) -एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली है जो दुनिया भर के छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण, सोचने की स्वतंत्रता, और जीवन कौशल सिखाने पर केंद्रित है।

3- **विद्यालय-** विद्यालय किसी भी समाज की नींव होता है। यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ देश के भविष्य का निर्माण होता है। विद्यालय छात्रों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों, सामाजिक कर्तव्यों और जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यहाँ छात्र अनुशासन, समय का पालन, सहनशीलता, नेतृत्व, सहयोग और आत्मनिर्भरता जैसे गुण सीखते हैं जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने में सहायक होते हैं।

4- **सरकारी विद्यालय (Government Schools)-** ये स्कूल केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं। विद्यार्थियों को निशुल्क या बहुत कम शुल्क में शिक्षा दी जाती है। जैसे: केंद्रीय विद्यालय (KVS), नवोदय विद्यालय (JNV), राज्य बोर्ड के सरकारी स्कूल।

5- उत्तराखंड बोर्ड- उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE), जिसे उत्तराखंड शिक्षा परीक्षा परिषद भी कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य में स्कूली शिक्षा की निगरानी, संचालन और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी बोर्ड है। उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 2001 को हुई थी। यह बोर्ड राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय रामनगर, नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य के विद्यालयों में स्कूली शिक्षा का संचालन, नियंत्रण और विकास करना है।

2.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of practice Questions)

भाग -1

उ.1 यह भारत सरकार का एक राष्ट्रीय बोर्ड है।

उ. 2 भारत में शिक्षा प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए कई स्कूल बोर्ड स्थापित किए गए हैं।

उ. 3 स्कूल बोर्ड छात्र की दिशा और विकास तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भाग -2

उ.1 ये स्कूल केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं।

उ. 2 रामनगर

उ. 3 सत्य

उ. 4 सत्य

2.14 सन्दर्भ ग्रन्थ (Reference)

2. लाल, रमन बिहारी (2009) : History , Development and Problems of Indian Education, Uttar Pradesh, (Revised edition)

10. शर्मा कृष्णकांत (2009) : भारतीय शिक्षा का इतिहास , विकास एवं समस्याएं , मेरठ ,आर० लाल० पब्लिकेशन

11. पाठक , पी०डी० (2005), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं , आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर

12. पचौरी गिरीश (2007), शिक्षा और समाज मेरठ , इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस।

13. एन. आर. स्वरुप सक्सेना , डॉ के.पी. पाण्डेय (1993 – 94) शिक्षा सिद्धांत, मेरठ , आर.लाल.बुक डिपो।

14. शर्मा, गणपति एवं व्यास. (2014). उदीयमान भारतीय समाज और शिक्षा. जयपुर:हिंदी ग्रन्थ अकादमी

15. लोढ़ा, एम. (2013). नैतिक शिक्षा के विबिध आयाम. जयपुर:हिंदी ग्रन्थ अकादमी

16. रूहेला, एस.पी. (2014). शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशाश्त्रीय आधार. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन

17. मालवीय, राजीव. (2013). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन

18. भटनागर, सुरेश. (2008). भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास. मेरठ: आर लाल बुक डिपो

19. सक्सेना, एन.आर.स्वरुप. (2005). शिक्षा सिद्धांत. मेरठ: आर लाल बुक डिपो

2.15 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

5. स्कूल बोर्ड से आप क्या समझते हैं? बालक के विकास में इसके महत्व का वर्णन कीजिये।
6. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका को स्पष्ट कीजिये।
7. शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिये।
8. राज्य बोर्ड को विस्तार से वर्णन कीजिये।

इकाई 3: (UNIT-3) विद्यालय प्रत्यायन: विभिन्न स्तर के स्कूलों की आवश्यकता और मानदंड। (School Accreditation: Need & Criteria of different Levels of School.)

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 प्रत्यायन का अर्थ

3.4 विद्यालय प्रत्यायन का महत्व

3.5 विद्यालय प्रत्यायन के प्रकार

3.6 विद्यालय प्रत्यायन के उद्देश्य

अपनी उन्नति जानिए

3.7 प्रत्यायन: विभिन्न स्तर के स्कूलों की आवश्यकताए

3.8 प्रत्यायन के मानदंड

3.9 विद्यालय प्रत्यायन की आवश्यकता

3.10 विभिन्न स्तर के स्कूलों में प्रत्यायन के मानदंड

अपनी उन्नति जानिए

3.11 सारांश

3.12 शब्दावली

3.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

3.14 संदर्भ ग्रंथ सूची

3.15 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्रत्यायन (Accreditation) का अर्थ है - किसी संस्था, संगठन, सेवा या कार्यक्रम को निर्धारित मानकों के आधार पर प्रमाणित करना कि वह गुणवत्ता, योग्यता और विश्वसनीयता की दृष्टि से उपयुक्त है। यह एक औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी स्वायत्त या मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा यह जांचा जाता है कि संबंधित संस्था या कार्यक्रम निर्धारित मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं। प्रत्यायन का उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं, छात्रों या हितधारकों को विश्वास प्रदान करना होता है।

प्रत्यायन (Accreditation) एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संस्था, कार्यक्रम या संगठन की गुणवत्ता, मानक एवं विश्वसनीयता को सत्यापित किया जाता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक और अन्य विविध क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्यायन यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित संस्था या कार्यक्रम निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है तथा उसके द्वारा दी जा रही सेवाएं या शिक्षा गुणवत्ता की दृष्टि से उपयुक्त हैं।

वर्तमान समय में जब वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रत्यायन एक आवश्यक साधन बन गया है जिससे उपभोक्ताओं, छात्रों और अन्य हितधारकों को किसी संस्था पर विश्वास करने का आधार प्राप्त होता है। यह न केवल संस्था की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, बल्कि निरंतर सुधार और उत्तरदायित्व की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। इसलिए प्रत्यायन आधुनिक संस्थागत प्रणाली का एक अभिन्न और अनिवार्य अंग बन चुका है।

3.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात शिक्षार्थी-

1. प्रत्यायन के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगें।
2. प्रत्यायन का महत्व को आत्मसात कर सकेंगे
3. विद्यालय प्रत्यायन के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे।
4. प्रत्यायन के उद्देश्य का विश्लेषण कर सकेंगे।
5. विभिन्न स्तर के स्कूलों की आवश्यकताओं की व्याख्या कर सकेंगे।
6. प्रत्यायन के मानदंडों का विश्लेषण कर सकेंगें।

7. विद्यालय प्रत्यायन की आवश्यकता की व्याख्या कर सकेंगे।

3.4 विद्यालय प्रत्यायन का महत्व

विद्यालय प्रत्यायन का शिक्षा प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कोई विद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता, अधोसंरचना, शिक्षक योग्यता, पाठ्यक्रम संचालन तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निर्धारित मानकों का पालन कर रहा है। नीचे विद्यालय प्रत्यायन के कुछ प्रमुख महत्व दिए गए हैं:

1. गुणवत्ता की पुष्टि: प्रत्यायन यह प्रमाणित करता है कि विद्यालय उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहा है।
2. विश्वसनीयता और मान्यता: प्रत्यायित विद्यालयों को समाज, अभिभावकों और शिक्षा विभागों द्वारा अधिक विश्वास और मान्यता प्राप्त होती है।
3. निरंतर सुधार: प्रत्यायन प्रक्रिया विद्यालयों को आत्ममूल्यांकन और सुधार के अवसर प्रदान करती है, जिससे वे अपनी कमजोरियों को पहचानकर सुधार कर सकें।
4. छात्रों के हित में: प्रत्यायित विद्यालय छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण, संसाधन और समग्र विकास के अवसर प्रदान करते हैं।
5. शिक्षकों की दक्षता: प्रत्यायन में शिक्षक योग्यता और प्रशिक्षण की भी समीक्षा होती है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
6. पारदर्शिता और उत्तरदायित्व: यह विद्यालयों को पारदर्शिता बरतने और अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनने के लिए प्रेरित करता है।

इस प्रकार, विद्यालय प्रत्यायन एक महत्वपूर्ण साधन है जो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने, सुधारने और विश्वास निर्माण में सहायक होता है।

3.5 विद्यालय प्रत्यायन के प्रकार(Types of School Accreditation)

विद्यालय प्रत्यायन विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जो विद्यालय की प्रकृति, स्तर, उद्देश्य और मूल्यांकन की विधियों पर आधारित होते हैं। प्रत्यायन का उद्देश्य विद्यालय की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है, और इसके विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं:

1. संस्थागत प्रत्यायन (Institutional Accreditation)- यह प्रत्यायन सम्पूर्ण विद्यालय को एक संस्था के रूप में मूल्यांकित करता है। इसमें विद्यालय की समग्र गुणवत्ता, जैसे – प्रबंधन प्रणाली, शिक्षा का स्तर, अधोसंरचना, शिक्षक योग्यता, छात्रों की उपलब्धियाँ, पाठ्यचर्या आदि की जांच की जाती है।

विशेषताएँ:

विद्यालय के सभी विभागों और कार्यों का मूल्यांकन होता है।

दीर्घकालिक गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित।

आमतौर पर यह प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होता है।

2. कार्यक्रमात्मक प्रत्यायन (Programmatic Accreditation)- इसमें किसी विशेष शैक्षिक कार्यक्रम या कोर्स को प्रत्यायन प्रदान किया जाता है। जैसे कि किसी विद्यालय में विज्ञान, गणित या व्यावसायिक शिक्षा के विशेष कार्यक्रम की गुणवत्ता का आकलन।

विशेषताएँ:

केवल किसी विशेष शैक्षिक कार्यक्रम का मूल्यांकन होता है।

यह सुनिश्चित करता है कि विशेष कोर्स निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में अधिक प्रचलित है।

3. आंतरिक प्रत्यायन (Internal Accreditation)- इस प्रकार का प्रत्यायन विद्यालय द्वारा स्वयं (स्व-मूल्यांकन) किया जाता है, जिसमें विद्यालय अपने लक्ष्यों, प्रक्रियाओं और उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है।

विशेषताएँ:

आत्ममूल्यांकन पर आधारित होता है।

विकास और सुधार के लिए योजना बनाना मुख्य उद्देश्य होता है।

बाहरी एजेंसियों की अपेक्षा कम हस्तक्षेप।

4. बाह्य प्रत्यायन (External Accreditation)- यह प्रत्यायन किसी बाहरी स्वतंत्र संस्था या सरकारी निकाय द्वारा किया जाता है, जो विद्यालय की गुणवत्ता का निरीक्षण और मूल्यांकन करती है।

विशेषताएँ:

मानकीकृत प्रक्रिया द्वारा मूल्यांकन होता है।

विश्वसनीयता और पारदर्शिता अधिक होती है।

प्रमाणपत्र या रिपोर्ट के रूप में परिणाम जारी किए जाते हैं।

5. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन (National and International Accreditation)- राष्ट्रीय प्रत्यायन भारत जैसे देशों में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या राज्य शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

6.अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन किसी वैश्विक मान्यता प्राप्त संस्था जैसे कि Council of International Schools (CIS) या International Baccalaureate (IB) द्वारा दिया जाता है।

विशेषताएँ:

अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन से विद्यालय को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है।

इससे छात्रों को विदेशी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में सुविधा मिलती है।

निष्कर्ष- विद्यालय प्रत्यायन के विभिन्न प्रकार विद्यालयों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने, विश्वसनीयता बढ़ाने, और निरंतर सुधार की दिशा में कार्य करने में सहायता करते हैं। इससे न केवल शिक्षण प्रक्रिया में निखार आता है, बल्कि छात्रों और अभिभावकों को भी बेहतर विकल्प मिलते हैं।

3.6 विद्यालय प्रत्यायन के उद्देश्य

विद्यालय प्रत्यायन (School Accreditation) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई विद्यालय शिक्षा की न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को पूरा कर रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना – यह जांचना कि विद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण है या नहीं।

2. निरंतर सुधार को बढ़ावा देना – प्रत्यायन विद्यालय को आत्ममूल्यांकन करने और सुधार की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

3. पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना – विद्यालय की गतिविधियाँ, प्रबंधन, शिक्षण पद्धति आदि पारदर्शी रूप से निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

4. विद्यार्थियों और अभिभावकों का विश्वास बढ़ाना – प्रत्यायन यह भरोसा देता है कि विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है।

5. सरकारी और अन्य संस्थागत मान्यता प्राप्त करना – प्रत्यायन प्राप्त विद्यालयों को सरकारी योजनाओं और सहयोग प्राप्त करने में आसानी होती है।

6. प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करना – प्रत्यायन के माध्यम से विभिन्न विद्यालय एक-दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, जिससे संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार होता है।

अपनी उन्नति जानिए (Know your progress)

प्र.1 प्रत्यायन (Accreditation) का अर्थ है-

प्र. 2 शैक्षिक गुणवत्ता का क्या अर्थ है?

प्र. 3 संस्थागत प्रत्यायन (Institutional Accreditation) क्या है?

3.7 प्रत्यायन: विभिन्न स्तर के स्कूलों की आवश्यकताए

प्रत्यायन (Accreditation) किसी शैक्षणिक संस्थान की गुणवत्ता और मानकों की आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि विद्यालय शिक्षण, अधिगम, अवसंरचना, प्रशासन आदि के आवश्यक मापदंडों पर खरा उतरता है। विभिन्न स्तरों – प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रत्यायन की आवश्यकताएँ कुछ इस प्रकार हैं:

1. प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5)

शैक्षिक योग्यता: शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता D.El.Ed या समकक्ष।

छात्र-शिक्षक अनुपात: अधिकतम 30:1।

अवसंरचना:

स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय (बालक-बालिका पृथक)

सुरक्षित भवन व कक्षाएँ

खेल सामग्री व ओपन स्पेस

शैक्षणिक योजना: राज्य/NCERT पाठ्यक्रम का पालन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली।

समुदाय सहभागिता: एसएमसी (School Management Committee) का गठन।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8)

शैक्षिक योग्यता: शिक्षकों के पास स्नातक डिग्री + B.Ed या BTC/D.El.Ed।

छात्र-शिक्षक अनुपात: अधिकतम 35:1।

अवसंरचना:

विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा

कंप्यूटर/डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था

पुस्तकालय

शिक्षण गुणवत्ता: विषय-विशेषज्ञ शिक्षक, शैक्षणिक निरीक्षण, प्रशिक्षण।

अनुशासन एवं मूल्यांकन: आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक रिपोर्टिंग।

3. माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 10)

शैक्षिक योग्यता: विषयवार स्नातक + B.Ed अनिवार्य।

प्रशासनिक मानक: प्रधानाचार्य की नियुक्ति, विद्यालय प्रबंधन समिति की सक्रिय भूमिका।

अवसंरचना:

पूर्ण विकसित विज्ञान व गणित प्रयोगशालाएँ

ICT लैब, स्मार्ट क्लास रूम्स

लाइब्रेरी, खेल का मैदान

शैक्षणिक उपलब्धियाँ: बोर्ड परीक्षाओं में न्यूनतम पास प्रतिशत।

4. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11 से 12)

शैक्षिक योग्यता: विषय में स्नातकोत्तर + B.Ed/ M.Ed।

विषय विकल्प: विज्ञान, वाणिज्य, कला आदि स्ट्रीम की उपलब्धता।

प्रशिक्षण: नियमित शिक्षक प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम।

शोध/प्रोजेक्ट कार्य: विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण।

बाह्य मूल्यांकन: बोर्ड द्वारा नियमित मूल्यांकन व निरीक्षण।

3.8 प्रत्यायन के मानदंड

प्रत्यायन (Accreditation) के मानदंड वे मानक होते हैं जिनके आधार पर किसी संस्था, कार्यक्रम या संगठन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रयोगशालाएं आदि) में प्रत्यायन के मानदंड अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख मानदंड माने जाते हैं:

1. शैक्षणिक गुणवत्ता (Academic Quality)

पाठ्यक्रम की संरचना और प्रासंगिकता

अध्यापन विधियाँ और मूल्यांकन प्रणाली

शोध और नवाचार को बढ़ावा

2. संकाय योग्यता (Faculty Competency)

शिक्षक की शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव

प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम

3. भौतिक और तकनीकी संसाधन (Infrastructure & Resources)

कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और तकनीकी सुविधाएं

इंटरनेट, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक संसाधन

4. प्रबंधन और प्रशासन (Governance & Management)

संस्था की संगठनात्मक संरचना

पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाएं

वित्तीय प्रबंधन और स्थिरता

5. छात्र सहायता और कल्याण (Student Support & Progression)

मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं

छात्रवृत्तियाँ, प्लेसमेंट सहायता

शिकायत निवारण तंत्र

6. उपलब्धियाँ और सामाजिक उत्तरदायित्व (Outcomes & Social Responsibility)

छात्र की प्रगति और प्लेसमेंट रिकॉर्ड

समुदाय में संस्था की भूमिका

नैतिक और सामाजिक मूल्य

7. निरंतर सुधार (Continuous Improvement)

आत्ममूल्यांकन और बाहरी मूल्यांकन

प्रतिक्रिया आधारित सुधार प्रणाली

NAAC (National Assessment and Accreditation Council) भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन (accreditation) के लिए एक प्रमुख संस्था है। यह UGC (University Grants Commission) के अधीन कार्य करती है। NAAC उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन कुछ निश्चित मानदण्डों के आधार पर करता है।

NAAC के प्रमुख प्रत्यायन मानदण्ड निम्नलिखित हैं (2024 के अनुसार):

1. सांस्थानिक दृष्टिकोण और नेतृत्व (Institutional Vision and Leadership)

संस्थान की दृष्टि, मिशन और उद्देश्य।

प्रशासनिक ढांचा और नेतृत्व की भूमिका।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता।

2. शैक्षणिक पाठ्यक्रम (Curricular Aspects)

पाठ्यक्रम की योजना और विकास।

पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और अद्यतन प्रक्रिया।

पाठ्यक्रम में नवाचार और क्रॉस-कटिंग मुद्दे (जैसे लैंगिक समानता, पर्यावरण आदि) का समावेश।

3. शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन (Teaching-Learning and Evaluation)

विद्यार्थियों का प्रवेश और विविधता।

शिक्षण विधियाँ और नवाचार।

मूल्यांकन प्रणाली की पारदर्शिता और प्रभावशीलता।

4. शोध, नवाचार और विस्तार गतिविधियाँ (Research, Innovations and Extension)

शोध परियोजनाएँ और प्रकाशन।

नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)।

सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियाँ।

5. बुनियादी ढांचा और शिक्षण संसाधन (Infrastructure and Learning Resources)

भौतिक, पुस्तकालय और ICT सुविधाएँ।

प्रयोगशालाएँ, स्मार्ट कक्षाएँ और अन्य संसाधन।

रखरखाव और अद्यतन की व्यवस्था।

6. छात्र सहायता और प्रगति (Student Support and Progression)

छात्रवृत्तियाँ, परामर्श और करियर मार्गदर्शन।

सह-पाठ्यक्रम और अतिरिक्त गतिविधियाँ।

पूर्व छात्रों से जुड़ाव और सहायता।

7. प्रशासनिक व्यवस्था और संस्थागत मूल्य (Governance, Leadership and Institutional Values)

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली (IQAC)।

नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और समावेशिता।

पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तरदायित्व।

3.9 विद्यालय प्रत्यायन की आवश्यकता

विद्यालय प्रत्यायन (School Accreditation) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विद्यालय की गुणवत्ता, कार्यप्रणाली, शैक्षणिक उपलब्धियाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, और समग्र विकास का मूल्यांकन एक मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया विद्यालय की विश्वसनीयता और मानकों के अनुरूपता को प्रमाणित करती है।

विद्यालय प्रत्यायन की आवश्यकता का विस्तार से विश्लेषण निम्नवत है:

1. गुणवत्ता सुनिश्चित करना

प्रत्यायन से यह सुनिश्चित होता है कि विद्यालय शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उच्च गुणवत्ता बनाए रख रहा है। यह एक सतत गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है।

2. पारदर्शिता और जवाबदेही

प्रत्यायन से विद्यालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आती है और प्रशासनिक एवं शैक्षणिक जवाबदेही तय होती है। इससे छात्रों, अभिभावकों और समाज का विश्वास विद्यालय पर बढ़ता है।

3. आत्म-मूल्यांकन और सुधार

प्रत्यायन प्रक्रिया विद्यालय को आत्म-मूल्यांकन के लिए प्रेरित करती है। इससे कमज़ोरियों की पहचान कर उन्हें सुधारने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे संस्थान लगातार बेहतर बनता है।

4. विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा

प्रत्यायन में केवल शैक्षणिक परिणामों पर नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। इससे छात्रों का समग्र विकास होता है।

5. प्रतियोगी माहौल में प्रतिस्पर्धा की क्षमता

प्रत्यायन प्राप्त विद्यालयों को अन्य संस्थानों की तुलना में अधिक मान्यता और विश्वास मिलता है, जिससे वे प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक वातावरण में टिके रह सकते हैं।

6. नीति निर्धारण और योजना निर्माण में सहयोग

प्रत्यायन के तहत प्राप्त डेटा और विश्लेषण विद्यालय को भविष्य की योजनाएं बनाने और नीति निर्धारण में सहायक होते हैं।

7. शैक्षिक अनुदान और सहयोग की सुविधा

कई सरकारी और निजी संस्थाएं प्रत्यायन प्राप्त विद्यालयों को प्राथमिकता देती हैं, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य संसाधनों की सुविधा मिलती है।

निष्कर्ष- विद्यालय प्रत्यायन न केवल गुणवत्ता की पहचान है, बल्कि यह एक सतत सुधार की प्रक्रिया भी है। इससे विद्यालय की कार्यकुशलता, विश्वसनीयता और नवाचार की भावना को बढ़ावा मिलता है, जो अंततः छात्रों और समाज दोनों के हित में है।

3.10 विभिन्न स्तर के स्कूलों में प्रत्यायन के मानदंड

विभिन्न स्तरों (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक) के विद्यालयों के लिए प्रत्यायन के मानदंडों को भारत में प्रमुखतः NABET (National Accreditation Board for Education and Training)

और SQAA (School Quality Assessment and Accreditation) जैसे निकायों द्वारा निर्धारित किया गया है। CBSE ने भी SQAA Framework को लागू किया है।

यहाँ विभिन्न स्तरों के विद्यालयों में प्रत्यायन के सामान्य मानदंडों का विस्तार से विवरण दिया गया है:

1. शैक्षणिक प्रक्रियाएँ (Academic Processes)

पाठ्यक्रम की योजना और उसका कार्यान्वयन

शिक्षण विधियाँ (बाल केंद्रित, समावेशी, ICT आधारित)

मूल्यांकन प्रणाली (निरंतर और व्यापक मूल्यांकन)

सीखने के परिणामों का आकलन

विशेष ध्यान:

प्राथमिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता और गणनात्मक कौशल।

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में विषय विशेषज्ञता और व्यावसायिक शिक्षा भी।

2. विद्यार्थियों का विकास और कल्याण (Student Development and Wellbeing)

स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएँ

जीवन कौशल शिक्षा, परामर्श सेवाएँ

खेल, योग, सांस्कृतिक गतिविधियाँ

बाल सुरक्षा नीति (POCSO आदि का पालन)

3. नेतृत्व और प्रबंधन (Leadership and Governance)

विद्यालय प्रमुख की नेतृत्व क्षमता

प्रशासनिक संरचना

निर्णय लेने की पारदर्शी प्रक्रिया

स्कूल विकास योजना (SDP)

4. शिक्षकों की गुणवत्ता और विकास (Teacher Quality and Professional Development)

शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण

निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD)

शिक्षक आकलन और प्रतिक्रिया तंत्र

नवाचारों को प्रोत्साहन

5. बुनियादी ढांचा और संसाधन (Infrastructure and Learning Resources)

सुरक्षित और सुलभ भवन

पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ICT कक्षाएं

खेल के मैदान, स्वच्छ शौचालय

स्मार्ट क्लासरूम / डिजिटल संसाधन

6. समावेशिता और समानता (Inclusion and Equity)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाएं

सामाजिक और लैंगिक समानता

कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्ति/सहायता

7. स्कूल संस्कृति और मूल्य प्रणाली (School Culture and Values)

नैतिक शिक्षा

राष्ट्रीय एकता और नागरिकता मूल्य

सामुदायिक सहभागिता

निष्कर्ष- विद्यालयों के स्तर चाहे कोई भी हों, प्रत्यायन का उद्देश्य विद्यालय को एक गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित, समावेशी और उत्तरदायी शैक्षणिक वातावरण बनाना है। प्राथमिक स्तर पर बुनियादी आवश्यकताओं पर ज़ोर होता है, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर पर विषय-विशेष दक्षता और करियर उन्मुखी शिक्षा महत्वपूर्ण होती है।

अपनी उन्नति जानिए (Know your progress)

प्र.1 शिक्षा की प्रक्रिया के मुख्य अंग है।

प्र. 2 विद्यालय प्रत्यायन (School Accreditation) की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये।

प्र. 3 कार्यक्रमात्मक प्रत्यायन (Programmatic Accreditation) क्या है?

3.11 सारांश

प्रत्यायन एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्था की गुणवत्ता और मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि संस्था निर्धारित शैक्षिक, प्रशासनिक और संरचनात्मक मानदंडों का पालन कर रही है। विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रत्यायन गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। इसमें आत्म-मूल्यांकन, सहकर्मी समीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा बाहरी मूल्यांकन शामिल होता है। प्रत्यायन से संस्था को विश्वसनीयता प्राप्त होती है, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है, नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, और अनुदान या सहयोग प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अंततः यह छात्रों के सर्वांगीण विकास और संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मानकों से जोड़ने में सहायक होता है।

3.12 शब्दावली

1- प्रत्यायन (Accreditation)- प्रत्यायन (Accreditation) का अर्थ है - किसी संस्था, संगठन, सेवा या कार्यक्रम को निर्धारित मानकों के आधार पर प्रमाणित करना कि वह गुणवत्ता, योग्यता और विश्वसनीयता की दृष्टि से उपयुक्त है। यह एक औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी स्वायत्त या मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा यह जांचा जाता है कि संबंधित संस्था या कार्यक्रम निर्धारित मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं। प्रत्यायन का उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं, छात्रों या हितधारकों को विश्वास प्रदान करना होता है।

2- संस्थागत प्रत्यायन (Institutional Accreditation)- यह प्रत्यायन सम्पूर्ण विद्यालय को एक संस्था के रूप में मूल्यांकित करता है। इसमें विद्यालय की समग्र गुणवत्ता, जैसे – प्रबंधन प्रणाली, शिक्षा का स्तर, अधोसंरचना, शिक्षक योग्यता, छात्रों की उपलब्धियाँ, पाठ्यचर्या आदि की जांच की जाती है।

3- विद्यालय प्रत्यायन (School Accreditation)- एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विद्यालय की गुणवत्ता, कार्यप्रणाली, शैक्षणिक उपलब्धियाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, और समग्र विकास का मूल्यांकन एक मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया विद्यालय की विश्वसनीयता और मानकों के अनुरूपता को प्रमाणित करती है।

4- कार्यक्रमात्मक प्रत्यायन (Programmatic Accreditation)- इसमें किसी विशेष शैक्षिक कार्यक्रम या कोर्स को प्रत्यायन प्रदान किया जाता है। जैसे कि किसी विद्यालय में विज्ञान, गणित या व्यावसायिक शिक्षा के विशेष कार्यक्रम की गुणवत्ता का आकलन।

3.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

भाग -1

उ.1 किसी संस्था, संगठन, सेवा या कार्यक्रम को निर्धारित मानकों के आधार पर प्रमाणित करना कि वह गुणवत्ता, योग्यता और विश्वसनीयता की दृष्टि से उपयुक्त है।

उ. 2 यह सुनिश्चित करना – यह जांचना कि विद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण है या नहीं।

उ. 3 यह प्रत्यायन सम्पूर्ण विद्यालय को एक संस्था के रूप में मूल्यांकित करता है।

भाग -2

उ.1 शिक्षक, शिक्षार्थी एवं समाज।

उ. 2 एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विद्यालय की गुणवत्ता, कार्यप्रणाली, शैक्षणिक उपलब्धियाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, और समग्र विकास का मूल्यांकन एक मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किया जाता है।

उ. 3 इसमें किसी विशेष शैक्षिक कार्यक्रम या कोर्स को प्रत्यायन प्रदान किया जाता है।

3.14 सन्दर्भ ग्रन्थ (Reference)

3. लाल, रमन बिहारी (2009) : History , Development and Problems of Indian Education, Uttar Pradesh, (Revised edition)

20. शर्मा कृष्णकांत (2009) : भारतीय शिक्षा का इतिहास , विकास एवं समस्याएं , मेरठ ,आर० लाल० पब्लिकेशन

21. पाठक , पी०डी० (2005), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं , आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर

22. पचौरी गिरीश (2007), शिक्षा और समाज मेरठ , इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस ।

23. एन. आर. स्वरुप सक्सेना , डॉ के.पी. पाण्डेय (1993 – 94) शिक्षा सिद्धांत, मेरठ , आर.लाल.बुक डिपो ।

24. शर्मा, गणपति एवं व्यास. (2014). उदीयमान भारतीय समाज और शिक्षा. जयपुर:हिंदी ग्रन्थ अकादमी

25. लोढ़ा, एम. (2013). नैतिक शिक्षा के विबिध आयाम. जयपुर:हिंदी ग्रन्थ अकादमी

26. रूहेला, एस.पी. (2014). शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन

27. मालवीय, राजीव. (2013). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन

28. भटनागर, सुरेश. (2008). भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास. मेरठ: आर लाल बुक डिपो

29. सक्सेना, एन.आर.स्वरुप. (2005). शिक्षा सिद्धांत. मेरठ: आर लाल बुक डिपो

3.14 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

1. विद्यालय प्रत्यायन का महत्व का वर्णन कीजिये।

2 विद्यालय प्रत्यायन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिये।

2 विद्यालय प्रत्यायन के उद्देश्य क्या है? स्पष्ट कीजिये।

3 विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के लिए प्रत्यायन के मानदंडों का वर्णन कीजिये।

इकाई 4: (UNIT-4) भारत में शैक्षिक संरचना। विभिन्न स्तरों पर संरचना और कार्य: केंद्र, राज्य, जिला, विश्वविद्यालय स्तर। (Educational Structure in India, Structure & Function at different Levels: Center, State, District, University Level.)

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 शिक्षा का अर्थ

4.4 भारत में शैक्षिक संरचना

4.5 केन्द्रीय स्तर पर शैक्षिक संरचना

4.6 केन्द्रीय स्तर पर शैक्षिक कार्य

अपनी उन्नति जानिए

4.7 राज्य स्तर पर शैक्षिक संरचना

4.8 राज्य स्तर पर शैक्षिक कार्य

4.9 जनपद स्तर पर शैक्षिक संरचना

4.10 जनपद स्तर पर शैक्षिक कार्य

4.11 विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक संरचना

4.12 विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक कार्य

अपनी उन्नति जानिए

4.13 सारांश

4.14 शब्दावली

4.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

4.16 संदर्भ ग्रंथ सूची

4.17 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत की शैक्षिक संरचना एक सुव्यवस्थित एवं बहुस्तरीय प्रणाली है, जो देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संरचना विद्यार्थियों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक ज्ञान, कौशल और मूल्यों से परिपूर्ण करने का कार्य करती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव प्राचीन गुरुकुल परंपरा से लेकर आधुनिक तकनीकी शिक्षा तक फैली हुई है। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसे और अधिक समावेशी, लचीला एवं कौशल आधारित बनाया जा रहा है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार विकास का अवसर मिल सके। इस शैक्षिक ढांचे का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना है जो देश की उन्नति में सक्रिय योगदान दे सकें। भारत की शैक्षिक संरचना को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है, ताकि बच्चों की शिक्षा व्यवस्थित और चरणबद्ध रूप से हो सके। यह संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब 5+3+3+4 प्रणाली पर आधारित है, जो विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर देती है।भारत की शैक्षिक संरचना केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के नैतिक, सामाजिक, मानसिक और व्यावसायिक विकास को भी ध्यान में रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से यह संरचना और अधिक समावेशी, लचीली और व्यावहारिक होती जा रही है, जिससे भारत का भविष्य और भी उज्जवल हो सके।

4.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात शिक्षार्थी-

1. शिक्षा के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगें।
2. भारत में शैक्षिक संरचना के महत्व को आत्मसात कर सकेंगे
3. केन्द्रीय स्तर पर शैक्षिक कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे।
4. केन्द्रीय स्तर पर शैक्षिक कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे।
5. राज्य स्तर पर शैक्षिक संरचना की व्याख्या कर सकेंगे।
6. राज्य स्तर पर शैक्षिक कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगें।
7. जनपद स्तर पर शैक्षिक संरचना एवं कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे।

8. विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक संरचना एवं कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगें।

4.3 शिक्षा का अर्थ

"शिक्षा" एक संस्कृत शब्द "शिक्षा" (शिक्ष् धातु) से निकला है, जिसका अर्थ है – सिखाना, सीखना या ज्ञान देना। शिक्षा का सामान्य अर्थ है – व्यक्ति के ज्ञान, चरित्र, कौशल, व्यवहार और सोच में सकारात्मक विकास करना। यह न केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित होती है, बल्कि जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों और आत्मनिर्भरता की समझ भी देती है।

सरल शब्दों में, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने अंदर छिपी योग्यताओं को विकसित करता है और समाज में एक सजग, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक के रूप में अपना योगदान देता है।

महात्मा गांधी ने कहा था – "शिक्षा का अर्थ है – शरीर, मन और आत्मा का समग्र विकास।"

इस प्रकार, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है। "शिक्षा" एक संस्कृत शब्द "शिक्षा" (शिक्ष् धातु) से निकला है, जिसका अर्थ है – सिखाना, सीखना या ज्ञान देना।

सरल शब्दों में, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने अंदर छिपी योग्यताओं को विकसित करता है और समाज में एक सजग, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक के रूप में अपना योगदान देता है।

महात्मा गांधी ने कहा था – "शिक्षा का अर्थ है – शरीर, मन और आत्मा का समग्र विकास।"

इस प्रकार, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। यह न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक मूल्यों की स्थापना और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

शिक्षा के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है:

1. व्यक्तिगत विकास: शिक्षा व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को विकसित करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। यह एक संतुलित और परिपक्व व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है।

2. आर्थिक उन्नति: शिक्षित व्यक्ति बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और जीवन स्तर ऊँचा होता है।

3. सामाजिक जागरूकता: शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण होता है।

4. नैतिकता और संस्कार: शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में अच्छे संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होता है।

5. राष्ट्र निर्माण: शिक्षित नागरिक ही एक सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। एक शिक्षित समाज में अपराध दर कम होती है और लोकतंत्र मजबूत होता है।

6. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार: शिक्षा व्यक्ति को तर्कशील बनाती है और उसे वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे नवाचार और प्रगति को बल मिलता है।

निष्कर्ष: शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह जीवन को समझने और उसे बेहतर बनाने की कुंजी है। अतः हर व्यक्ति के लिए शिक्षा आवश्यक है, ताकि वह स्वयं के साथ-साथ समाज और देश के विकास में योगदान दे सके।

4.4 भारत में शैक्षिक संरचना

भारत की शैक्षिक संरचना एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, जो छात्रों को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक क्रमिक रूप से शिक्षित करने का कार्य करती है। वर्तमान में यह संरचना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5+3+3+4 प्रारूप पर आधारित है, जो छात्रों के मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

1. बुनियादी स्तर (Foundational Stage) – 5 वर्ष

उम्र: 3 से 8 वर्ष

कक्षाएं: 3 साल की पूर्व-प्राथमिक (आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल) + कक्षा 1 और 2

विशेषता: खेल आधारित और गतिविधि केंद्रित शिक्षा, भाषा और सोचने की क्षमता का विकास।

2. तैयारी स्तर (Preparatory Stage) – 3 वर्ष

उम्र: 8 से 11 वर्ष

कक्षाएं: कक्षा 3 से 5 तक

विशेषता: बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करना, रचनात्मक और कलात्मक गतिविधियाँ।

3. मध्य स्तर (Middle Stage) – 3 वर्ष

उम्र: 11 से 14 वर्ष

कक्षाएं: कक्षा 6 से 8 तक

विशेषता: विषय-आधारित पढ़ाई की शुरुआत, परियोजना आधारित और व्यावहारिक शिक्षण।

4. माध्यमिक स्तर (Secondary Stage) – 4 वर्ष

उम्र: 14 से 18 वर्ष

कक्षाएं: कक्षा 9 से 12 तक

विशेषता: गहन विषय अध्ययन, सोचने-समझने की क्षमता का विकास, करियर मार्गदर्शन।

5. उच्च शिक्षा (Higher Education)

इसमें स्नातक (Undergraduate), स्नातकोत्तर (Postgraduate) और शोध (Research/Ph.D.) शामिल हैं।

विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं।

नई नीति के अनुसार, चार वर्षीय बहुविषयक स्नातक पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल प्रवेश और निकास प्रणाली, और क्रेडिट बैंक की अवधारणाएं लागू की जा रही हैं।

निष्कर्ष- भारत की शैक्षिक संरचना का उद्देश्य विद्यार्थियों को समग्र रूप से विकसित करना है – जिसमें ज्ञान, कौशल, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का समावेश हो। नई शिक्षा नीति के माध्यम से यह प्रणाली अधिक लचीली, समावेशी और भविष्य-केंद्रित बन रही है।

4.5 केन्द्रीय स्तर पर शैक्षिक संरचना

भारत में शिक्षा एक समवर्ती सूची (Concurrent List) का विषय है, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। लेकिन राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों, नीतियों और योजनाओं का निर्धारण मुख्यतः केंद्र सरकार के अधीन होता है। केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक संरचना को विभिन्न निकायों, संस्थानों और योजनाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है।

केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक संरचना के प्रमुख अंग:

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय)

यह भारत सरकार का प्रमुख मंत्रालय है जो शिक्षा की नीति निर्धारण और कार्यान्वयन का कार्य करता है।

दो विभाग शामिल हैं:

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

उच्च शिक्षा विभाग

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)

2020 में लागू नई शिक्षा नीति ने शैक्षिक ढांचे को 5+3+3+4 में बदल दिया है।

यह नीति केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है और सभी राज्यों के लिए मार्गदर्शक होती है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)

स्कूल स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण पद्धति तैयार करता है।

4. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)

एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड जो देशभर में स्कूलों को मान्यता देता है और कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा आयोजित करता है।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

यह उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाला केंद्रीय निकाय है, जो विश्वविद्यालयों को मान्यता और अनुदान प्रदान करता है।

6. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)

यह संस्था JEE, NEET, UGC-NET जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती है।

7. AICTE, NCTE, NAAC आदि

AICTE: तकनीकी शिक्षा के लिए

NCTE: शिक्षक शिक्षा के लिए

NAAC: उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता

निष्कर्ष- केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक संरचना शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। यह नीति निर्माण, पाठ्यक्रम विकास, परीक्षा प्रणाली, संस्थागत निगरानी और वित्तीय

सहायता जैसे विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है। राज्यों के साथ समन्वय करके यह देशभर में एक समान और संतुलित शिक्षा प्रणाली को साकार करने का प्रयास करती है।

4.6 केन्द्रीय स्तर पर शैक्षिक कार्य

"केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक कार्य" का तात्पर्य उन शैक्षिक गतिविधियों और नीतियों से है जो भारत सरकार के स्तर पर संचालित या नियंत्रित की जाती हैं। इसमें निम्नलिखित प्रमुख कार्य शामिल होते हैं:

1. शैक्षिक नीतियों का निर्माण- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) जैसी नीतियाँ केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती हैं जो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन करती हैं।
2. मानक निर्धारण- पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण आदि के लिए मानक तय करना, जैसे कि NCERT और NCTE द्वारा।
3. राष्ट्रीय संस्थानों का संचालन- जैसे – CBSE, NCERT, IGNOU, NIOS, UGC, AICTE आदि संस्थानों की स्थापना और संचालन।
4. अनुसंधान और विकास- शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और नई शिक्षण विधियों का विकास करना।
5. वित्तीय सहायता और योजनाएं- सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, RMSA आदि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
6. डिजिटल और तकनीकी पहल- DIKSHA, SWAYAM जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और ई-कंटेंट का विकास।
7. सर्वेक्षण और डाटा संग्रहण- शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण जैसे NAS (National Achievement Survey) का आयोजन।

अपनी उन्नति जानिए (Know your progress)

प्र.1 शैक्षिक संरचना से आप क्या समझते है? स्पष्ट कीजिये।

प्र. 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय संरचना क्या है?

4.7 राज्य स्तर पर शैक्षिक संरचना

राज्य स्तर पर शैक्षिक संरचना का उद्देश्य राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का संचालन, नियमन और निगरानी करना होता है। प्रत्येक राज्य की अपनी शैक्षिक व्यवस्था होती है जो केंद्रीय नीतियों के मार्गदर्शन में कार्य करती है। इसका विस्तार नीचे दिया गया है:

1. राज्य शिक्षा विभाग (Department of Education)- यह विभाग राज्य में समस्त शैक्षिक गतिविधियों का प्रशासनिक केंद्र होता है।

प्रमुख अधिकारी: शिक्षा सचिव (Principal Secretary of Education)

कार्य:

राज्य की शैक्षिक नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन

बजट का प्रबंधन

केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य में लागू करना

2. राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)- (State Council of Educational Research and Training)

कार्य:

पाठ्यक्रम विकास और संशोधन

शिक्षक प्रशिक्षण

शैक्षिक नवाचारों का विकास

मूल्यांकन एवं शैक्षिक अनुसंधान

3. राज्य शैक्षिक बोर्ड (State Education Board):

जैसे: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आदि

कार्य:

पाठ्यक्रम निर्धारण

परीक्षा आयोजन (10वीं और 12वीं)

प्रमाण पत्र प्रदान करना

4. जिला शिक्षा कार्यालय (District Education Office):

अधिकारी: जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)

कार्य:

जिले की शिक्षा प्रणाली की निगरानी

शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और उपस्थिति

विद्यालयों का निरीक्षण

योजनाओं का जिला स्तर पर क्रियान्वयन

5. ब्लॉक स्तर की संरचना:

अधिकारी: खंड शिक्षा अधिकारी (BEO)

कार्य:

ब्लॉक स्तर पर विद्यालयों का संचालन और निगरानी

स्कूलों में नियमित निरीक्षण

सरकारी योजनाओं का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन

6. स्थानीय निकायों की भूमिका:

नगर निगम, पंचायतें आदि प्राथमिक शिक्षा में सहयोग करती हैं

बालक-बालिका शिक्षा, भवन निर्माण, नामांकन आदि में योगदान

7. राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थाएं:

राज्य मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (State Open School)

राज्य उच्च शिक्षा परिषद – कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए

निष्कर्ष:

राज्य स्तर पर शैक्षिक संरचना बहुस्तरीय होती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पहुंच बढ़ाने और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। यह केंद्रीय नीतियों के अनुपालन के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को संचालित करती है।

4.8 राज्य स्तर पर शैक्षिक कार्य

राज्य स्तर पर शैक्षिक कार्यों का तात्पर्य उन सभी गतिविधियों और उत्तरदायित्वों से है जो राज्य सरकार द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को संचालित, नियंत्रित और सुधारने हेतु किए जाते हैं। ये कार्य प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक फैले होते हैं। नीचे राज्य स्तर पर प्रमुख शैक्षिक कार्यों का उल्लेख किया गया है:

राज्य स्तर पर शैक्षिक कार्य

1. शैक्षिक नीति और नियोजन- राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा संबंधी नीतियाँ बनाना। वार्षिक और दीर्घकालीन शिक्षा योजनाओं का निर्माण।bस्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना और विस्तार की योजना बनाना।

2. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक विकास- राज्य शिक्षा बोर्ड एवं SCERT के माध्यम से पाठ्यक्रम तैयार करना। स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुसार सामग्री तैयार करना। प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन

3. परीक्षा एवं मूल्यांकन- बोर्ड परीक्षाओं (10वीं/12वीं) का आयोजन।विद्यालय स्तरीय आंतरिक मूल्यांकन की निगरानी। छात्रों के अधिगम स्तर का आकलन (जैसे NAS के राज्य स्तरीय संस्करण) ।

4. शिक्षक प्रबंधन- शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवा शर्तों का निर्धारण। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन (SCERT/DIET के माध्यम से)

शिक्षकों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली की निगरानी।

5. वित्तीय प्रबंधन और संसाधन वितरण- शिक्षा के लिए राज्य बजट का निर्धारण। विद्यालयों को अनुदान देना। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश का योगदान।

6. शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन- सर्व शिक्षा अभियान (SSA), RMSA, मध्याह्न भोजन योजना, समग्र शिक्षा अभियान आदि का संचालन। बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु विशेष योजनाएँ।

7. निगरानी और मूल्यांकन- स्कूलों और शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण। शैक्षिक प्रगति की निगरानी हेतु रिपोर्टिंग प्रणाली का संचालन। सीखने के परिणामों का विश्लेषण

8. नवाचार और डिजिटल शिक्षा- डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्मार्ट क्लास जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना। राज्य स्तरीय ई-लर्निंग एप्स और पोर्टल्स का विकास।

9. उच्च शिक्षा का प्रबंधन- राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना, मान्यता और निरीक्षण। विश्वविद्यालय अनुदान और फैकल्टी की नियुक्तियाँ। राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से नीति निर्धारण।

निष्कर्ष- राज्य स्तर पर शैक्षिक कार्यों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण, सर्वसुलभ और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये कार्य शिक्षा के हर स्तर को प्रभावित करते हैं और देश की समग्र शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

4.9 जनपद स्तर पर शैक्षिक संरचना

जनपद स्तर पर शैक्षिक संरचना राज्य की शैक्षिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ जिला (जनपद) स्तर पर शिक्षा व्यवस्था का संचालन, निगरानी और प्रशासनिक कार्य किया जाता है। यह संरचना राज्य और ब्लॉक स्तर के बीच की कड़ी होती है। नीचे जनपद स्तर की शैक्षिक संरचना का विस्तृत वर्णन दिया गया है:

जनपद (जिला) स्तर पर शैक्षिक संरचना

1. जिला शिक्षा अधिकारी (DEO - District Education Officer)- माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्यों की देखरेख करते हैं। जिले में स्थित सभी माध्यमिक स्कूलों की निरीक्षण, परीक्षा संचालन और शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। राज्य शिक्षा बोर्ड एवं विभाग से प्राप्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हैं।

2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA - Basic Shiksha Adhikari)- प्राथमिक (कक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) विद्यालयों की देखरेख करते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, वेतन और अनुशासनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं। समग्र शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराते हैं।

3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (ABSA)- प्रत्येक ब्लॉक या संकुल स्तर पर कार्यरत होते हैं। बीएसए के अधीन कार्य करते हैं और स्कूलों का निरीक्षण, उपस्थिति, शैक्षिक गुणवत्ता आदि पर निगरानी रखते हैं। शिक्षकों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

4. जिला समन्वयक (DIET/SSA/समग्र शिक्षा)- शिक्षक प्रशिक्षण, नवाचार, बालिका शिक्षा, समावेशी शिक्षा आदि से संबंधित योजनाओं का संचालन करते हैं। SSA और समग्र शिक्षा के तहत कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग करते हैं।

5. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET - District Institute of Education and Training)- जनपद स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है। इन-सर्विस और प्री-सर्विस प्रशिक्षण,

शैक्षिक नवाचार, अनुसंधान एवं संसाधन विकास करती है। पाठ्यक्रम विकास एवं शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है।

6. खंड शिक्षा अधिकारी (BEO - Block Education Officer)- एक जनपद में कई ब्लॉक्स होते हैं, और हर ब्लॉक में एक BEO नियुक्त होता है। ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा का संचालन करते हैं। स्कूलों का नियमित निरीक्षण, शिक्षक उपस्थिति की निगरानी और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

अन्य घटक

समन्वयक (MIS, प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता)

क्लस्टर/संकुल प्रमुख – 10-15 विद्यालयों का समूह जिनकी देखरेख एक संकुल प्रमुख करता है

स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत/नगर निकाय) – विद्यालय प्रबंधन समिति (VMC/SMC) के माध्यम से भागीदारी

निष्कर्ष- जनपद स्तर पर शैक्षिक संरचना राज्य सरकार की शैक्षिक नीतियों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने का माध्यम है। यह संरचना प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक भागीदारी के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को सुनिश्चित करने का कार्य करती है।

4.10 जनपद स्तर पर शैक्षिक कार्य

जनपद (जिला) स्तर पर शैक्षिक कार्यों का उद्देश्य जिले के भीतर सभी शैक्षिक गतिविधियों का सुव्यवस्थित संचालन, प्रशासनिक निगरानी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। राज्य स्तर की नीतियों और योजनाओं को जनपद स्तर पर लागू करना इनका मुख्य कार्य होता है।

जनपद स्तर पर शैक्षिक कार्यों का वर्णन

1. विद्यालयों का संचालन और निगरानी- जिले के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की निगरानी। शैक्षिक गुणवत्ता, छात्रों की उपस्थिति, स्कूलों की भौतिक स्थिति आदि का मूल्यांकन। विद्यालयों का नियमित निरीक्षण और रिपोर्ट तैयार करना।

2. शिक्षक प्रबंधन- शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और अनुशासनिक कार्रवाई। शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी और डाटा संकलन। इन-सर्विस और पूर्व-सेवा शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन (DIET के माध्यम से)।

3. शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन- समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, RMSA, मध्याह्न भोजन योजना आदि का प्रभावी संचालन। विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन (जैसे: बालिका शिक्षा, दिव्यांग बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा)। वार्षिक कार्य योजना और बजट (AWP&B) का तैयार करना और लागू करना।

4. परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य- जिला स्तर पर बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निर्धारण और संचालन। मूल्यांकन और परिणाम तैयार करना। कक्षा स्तर के अधिगम मूल्यांकन (Learning Outcome) की निगरानी।

5. डाटा संकलन और रिपोर्टिंग- UDISE+, छात्र नामांकन, शिक्षक विवरण, भवन व अन्य संसाधनों की जानकारी एकत्र करना। शैक्षिक प्रगति और योजना के निष्पादन की राज्य सरकार को रिपोर्ट देना।

6. सामुदायिक सहभागिता और अभिभावक सहभाग- विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC/VMC) का गठन और मार्गदर्शन। ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के साथ समन्वय। बाल मेले, शैक्षिक जागरूकता अभियान, नामांकन अभियान आदि का आयोजन।

7. नवाचार और डिजिटल शिक्षा का प्रसार- ICT युक्त विद्यालयों की स्थापना में सहयोग। ई-लर्निंग सामग्री और डिजिटल शिक्षण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार। छात्र-शिक्षक प्रशिक्षण के लिए तकनीकी संसाधनों का उपयोग।

8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की शिक्षा- समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों की पहचान, नामांकन और सहायता। संसाधन शिक्षक (Resource Teacher) की तैनाती और अनुकूलन साधनों की व्यवस्था।

निष्कर्ष- जनपद स्तर पर शैक्षिक कार्यों का व्यापक दायरा है, जो शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने और अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने में अहम भूमिका निभाता है। यह संरचना शिक्षा को प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाती है।

4.11 विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक संरचना

विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक संरचना उच्च शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। इसका उद्देश्य स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना होता है। इस संरचना में अनेक विभाग, पदाधिकारी, शैक्षणिक निकाय एवं नियामक इकाइयाँ शामिल होती हैं।

विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक संरचना

1. कुलपति (Vice Chancellor)- विश्वविद्यालय का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख होता है। विश्वविद्यालय के सभी अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का नेतृत्व करता है। कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (सरकारी विश्वविद्यालयों में)।

2. प्रति-कुलपति (Pro-Vice Chancellor)- कुलपति के सहायक के रूप में कार्य करता है। विभिन्न अकादमिक गतिविधियों का समन्वय करता है। कुलपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है।

3. कुलसचिव (Registrar)- प्रशासनिक प्रमुख होता है। सभी रिकॉर्ड, छात्र पंजीकरण, परीक्षा प्रक्रिया और नियुक्तियों का प्रबंधन करता है।

4. वित्त अधिकारी (Finance Officer)- विश्वविद्यालय की वित्तीय गतिविधियों का संचालन करता है। बजट, व्यय, अनुदान आदि की योजना और निगरानी करता है।

5. परीक्षा नियंत्रक (Controller of Examinations)- परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन, परिणाम और प्रमाण पत्र वितरण का कार्य करता है।

6. संकाय (Faculty) या विद्याशाखाएँ- विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों के अंतर्गत संकायों में विभाजित होता है जैसे –

कला संकाय

विज्ञान संकाय

वाणिज्य संकाय

इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा, विधि आदि

प्रत्येक संकाय में कई विभाग होते हैं (जैसे हिंदी विभाग, रसायन विभाग आदि)।

7. विभागाध्यक्ष (Head of Department - HOD)- संबंधित विषय विभाग का नेतृत्व करता है। शिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण, शोध, समय-सारणी आदि का प्रबंधन करता है।

8. शिक्षकगण- प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर – ये विभिन्न स्तरों पर अध्यापन, शोध और प्रशासनिक कार्य करते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मानकों के अनुसार होती है।

9. शैक्षणिक परिषद (Academic Council)- विश्वविद्यालय की सर्वोच्च अकादमिक इकाई होती है। पाठ्यक्रम, परीक्षा, शोध, नामांकन नीति आदि से संबंधित निर्णय लेती है।

10. कार्यकारी परिषद (Executive Council)- प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय लेने वाली इकाई। वित्त, नियुक्ति, भवन निर्माण, अनुशासन आदि के निर्णय करती है।

11. अनुषांगिक इकाइयाँ

पुस्तकालय (Central Library)

अनुसंधान केंद्र (Research Centers)

छात्र कल्याण विभाग (Student Welfare)

प्लेसमेंट सेल, NSS, NCC, खेल विभाग आदि

नियामक संस्थाएँ (Regulatory Bodies):

UGC (University Grants Commission) – विश्वविद्यालयों की मान्यता और अनुदान प्रदान करता है।

AICTE, NCTE, MCI, BCI – व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नियामक संस्थाएँ।

NAAC – विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करती है।

निष्कर्ष- विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक संरचना बहुत व्यापक और संगठित होती है। यह न केवल उच्च शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, बल्कि शोध, नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से समाज के संपूर्ण विकास में योगदान देती है।

4.12 विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक कार्य

विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक कार्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, नवाचार और विशेषज्ञता के विकास को सुनिश्चित करने हेतु किए जाते हैं। यह कार्य विश्वविद्यालयों द्वारा न केवल शिक्षण में बल्कि अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण एवं सामाजिक विकास में भी संपन्न किए जाते हैं।

विश्वविद्यालय स्तर पर प्रमुख शैक्षिक कार्य

1. शिक्षण कार्य (Teaching Functions)- स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और डॉक्टरेट (PhD) स्तर पर शिक्षण। विषयवार विभागों द्वारा नियमित कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ और व्यावहारिक सत्रों का संचालन। पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस कवर करना और विद्यार्थियों को विषय में दक्ष बनाना।

2. पाठ्यक्रम विकास एवं अद्यतन (Curriculum Design and Update)- समयानुसार नए विषयों और तकनीकी ज्ञान को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना। शैक्षणिक परिषद (Academic Council) के माध्यम से पाठ्यक्रम की समीक्षा और सुधार। उद्योग और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाना।

3. परीक्षा और मूल्यांकन (Examination and Evaluation)

सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा।

आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन और थीसिस आदि द्वारा समग्र मूल्यांकन।

4. अनुसंधान और नवाचार (Research and Innovation)

पीएच.डी. और पोस्ट-डॉक्टोरल शोध का संचालन।

विभिन्न शोध परियोजनाओं का प्रस्ताव, क्रियान्वयन और प्रकाशन।

नवाचार केंद्र, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, पेटेंट और रिसर्च फंडिंग की सुविधा।

5. शिक्षक प्रशिक्षण एवं विकास (Faculty Development)

शिक्षक विकास कार्यक्रम (FDP), कार्यशालाएँ, सेमिनार, वेबिनार का आयोजन।

नवीनतम शैक्षिक तकनीकों और शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण।

6. छात्र कल्याण एवं सह-शैक्षिक गतिविधियाँ (Student Welfare & Co-curricular Activities)

NSS, NCC, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, भाषण, वाद-विवाद आदि का आयोजन।

करियर काउंसलिंग, प्लेसमेंट सेल, हेल्थ सेंटर आदि की सुविधा।

छात्रवृत्तियाँ, फ्रीशिप, सहायता योजनाएँ।

7. गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

NAAC, NIRF, IQAC जैसे निकायों के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखना।

टीचिंग-लर्निंग की निगरानी और सुधार हेतु नियमित मूल्यांकन।

छात्रों और शिक्षकों से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय अपनाना।

8. विस्तार सेवाएँ (Extension Activities)

सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सामुदायिक सेवा, पर्यावरण जागरूकता, ग्रामीण विकास आदि।

विश्वविद्यालय-समुदाय सहभागिता के कार्यक्रम।

9. डिजिटल एवं तकनीकी शिक्षा

ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, LMS, ऑनलाइन कोर्स, MOOCs, वर्चुअल क्लास आदि का संचालन।

डिजिटल लाइब्रेरी, ई-रिसोर्सेस का उपयोग।

10. प्रशासनिक एवं नियामक कार्य

विश्वविद्यालय अधिनियमों और UGC के निर्देशों के अनुसार नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन।

विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर और नियमावली का निर्माण।

निष्कर्ष- विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक कार्य केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह शोध, नवाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अपनी उन्नति जानिए (Know your progress)

प्र.1 विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक कार्य काया है?

प्र. 2 राज्य स्तर पर शैक्षिक संरचना का उल्लेख कीजिये।

प्र. 3 विस्तार सेवाएँ (Extension Activities) क्या है? स्पष्ट कीजिये।

4.13 सारांश

भारत में शैक्षिक संरचना और कार्यों की व्यवस्था बहु-स्तरीय और व्यापक है, जो केंद्र, राज्य, जनपद और विश्वविद्यालय स्तरों पर विभाजित होती है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करना है। भारत की शैक्षिक संरचना एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जो विभिन्न स्तरों पर संचालित होती है। प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट भूमिकाएँ और कार्य होते हैं, जो मिलकर शिक्षा को समग्र रूप में सशक्त बनाते हैं और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।

4.14 शब्दावली

1- प्रत्यायन (Accreditation)- प्रत्यायन (Accreditation) का अर्थ है - किसी संस्था, संगठन, सेवा या कार्यक्रम को निर्धारित मानकों के आधार पर प्रमाणित करना कि वह गुणवत्ता, योग्यता और विश्वसनीयता की दृष्टि से

उपयुक्त है। यह एक औपचारिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी स्वायत्त या मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा यह जांचा जाता है कि संबंधित संस्था या कार्यक्रम निर्धारित मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं। प्रत्यायन का उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं, छात्रों या हितधारकों को विश्वास प्रदान करना होता है।

2- संस्थागत प्रत्यायन (Institutional Accreditation)- यह प्रत्यायन सम्पूर्ण विद्यालय को एक संस्था के रूप में मूल्यांकित करता है। इसमें विद्यालय की समग्र गुणवत्ता, जैसे – प्रबंधन प्रणाली, शिक्षा का स्तर, अधोसंरचना, शिक्षक योग्यता, छात्रों की उपलब्धियाँ, पाठ्यचर्या आदि की जांच की जाती है।

3- विद्यालय प्रत्यायन (School Accreditation)- एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विद्यालय की गुणवत्ता, कार्यप्रणाली, शैक्षणिक उपलब्धियाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, और समग्र विकास का मूल्यांकन एक मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया विद्यालय की विश्वसनीयता और मानकों के अनुरूपता को प्रमाणित करती है।

4- कार्यक्रमात्मक प्रत्यायन (Programmatic Accreditation)- इसमें किसी विशेष शैक्षिक कार्यक्रम या कोर्स को प्रत्यायन प्रदान किया जाता है। जैसे कि किसी विद्यालय में विज्ञान, गणित या व्यावसायिक शिक्षा के विशेष कार्यक्रम की गुणवत्ता का आकलन।

4.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

भाग -1

उ.1 शैक्षिक संरचना विद्यार्थियों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक ज्ञान, कौशल और मूल्यों से परिपूर्ण करने का कार्य करती है।

उ. 2 यह संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब 5+3+3+4 प्रणाली पर आधारित है

भाग -2

उ.1 विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक कार्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, नवाचार और विशेषज्ञता के विकास को सुनिश्चित करने हेतु किए जाते हैं।

उ. 2 राज्य स्तर पर शैक्षिक संरचना का उद्देश्य राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का संचालन, नियमन और निगरानी करना होता है।

उ. 3 सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सामुदायिक सेवा, पर्यावरण जागरूकता, ग्रामीण विकास आदि।
है।

4.16 सन्दर्भ ग्रन्थ (Reference)

लाल, रमन बिहारी (2009) : History , Development and Problems of Indian Education, Uttar Pradesh, (Revised edition)

शर्मा कृष्णकांत (2009) : भारतीय शिक्षा का इतिहास , विकास एवं समस्याएं , मेरठ ,आर० लाल० पब्लिकेशन

पाठक , पी०डी० (2005), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं , आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर

पचौरी गिरीश (2007), शिक्षा और समाज मेरठ , इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस ।

एन. आर. स्वरुप सक्सेना , डॉ के.पी. पाण्डेय (1993 – 94) शिक्षा सिद्धांत, मेरठ , आर.लाल.बुक डिपो।

शर्मा, गणपति एवं व्यास. (2014). उदीयमान भारतीय समाज और शिक्षा. जयपुर:हिंदी ग्रन्थ अकादमी

रूहेला, एस.पी. (2014). शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन

मालवीय, राजीव. (2013). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन

भटनागर, सुरेश. (2008). भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास. मेरठ: आर लाल बुक डिपो

सक्सेना, एन.आर.स्वरुप. (2005). शिक्षा सिद्धांत. मेरठ: आर लाल बुक डिपो

4. 17 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

1. भारत में शैक्षिक संरचना का वर्णन कीजिये।
2. केन्द्रीय स्तर पर शैक्षिक संरचना के महत्व की व्याख्या कीजिये ।
3. केन्द्रीय स्तर पर शैक्षिक कार्य के प्रकृति का वर्णन कीजिए।
4. राज्य स्तर पर शैक्षिक संरचना का वर्णन कीजिये।
5 राज्य स्तर पर शैक्षिक कार्यों की व्याख्या कीजिये ।
6. जनपद स्तर पर शैक्षिक संरचना का वर्णन कीजिये।

BLOCK-2

इकाई 5 : केंद्रीय स्तर पर शीर्ष निकायों के कार्य: CABE, NCERT, NUEPA, UGC, NCTE, KVS और IGNOU. (Function of apex bodies at centre level : CABE, NCERT, NUEPA, UGC, NCTE, KVS and IGNOU)

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

5.2 उद्देश्य (Objectives)

5.3 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education)

5.4 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training)

5.5 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (NUEPA/NIEPA)

अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)

5.6 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

5.7 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE)

5.8 केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS)

अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)

5.9 नवोदय विद्यालय संगठन (NVS)

5.10 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)

5.11 सारांश (Summary)

5.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of Practice Questions)

5.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)

5.14 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Question)

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत में शिक्षा प्रणाली के सुचारू संचालन, मानकीकरण, नियमन, विकास और नीति निर्माण की दिशा में कई शीर्ष निकाय कार्यरत हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विभिन्न आयामों को नियंत्रित करने और मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये निकाय शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पाठ्यचर्या निर्धारण, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन पद्धतियों के पुनर्गठन, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने, संस्थानों की मान्यता, वित्तीय सहायता, शैक्षिक सुधारों के कार्यान्वयन और नई नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और अन्य शैक्षिक दिशानिर्देशों को मूर्त रूप देने में भी इनका योगदान अहम होता है। केंद्रीय स्तर पर कार्यरत प्रमुख शीर्ष निकायों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एवं अन्य शैक्षिक संस्थान शामिल हैं। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना, इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विभिन्न शिक्षण-शैली, मूल्यांकन तकनीकों में सुधार तथा शैक्षिक अनुसंधान को नवीन दृष्टिकोण प्रदान करना है। NCERT का कार्य स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या विकसित करना तथा शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ बनाना है, जबकि CBSE पूरे भारत में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के संचालन एवं पाठ्यक्रम निर्माण के लिए उत्तरदायी है। UGC का कार्य उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान प्रदान करना, उनकी मान्यता तय करना और उच्च शिक्षा नीति निर्माण में योगदान देना है। NAAC विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शैक्षिक गुणवत्ता निर्धारण और प्रत्यायन का कार्य करता है, और NCTE शिक्षकों की शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकीकरण के लिए जिम्मेदार है। इन शीर्ष निकायों का कार्य केवल नीतिगत विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समय-समय पर शोध, विश्लेषण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को परिष्कृत करने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में इन निकायों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, व्यावहारिक और आधुनिक तकनीकों से युक्त बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया को विद्यार्थियों के कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, बहु-विषयक दृष्टिकोण और समग्र मूल्यांकन की ओर

केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें इन शीर्ष निकायों का मार्गदर्शन, अनुसंधान, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के क्षेत्र में विशेष योगदान रहेगा। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा, ओपन लर्निंग, शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसंधान प्रवृत्ति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में सहयोग, तथा सतत व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा रहा है। इन सभी शीर्ष निकायों का आपसी समन्वय शिक्षा क्षेत्र में नीतिगत क्रियान्वयन को प्रभावी बनाता है, जिससे भारत में गुणवत्तापूर्ण और समान अवसरों वाली शिक्षा प्रणाली विकसित हो सके, और शिक्षा का स्तर वैश्विक मानकों के अनुरूप रखा जा सके।

5.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात छात्र-

1. छात्र CABE के कार्यो के बारे में जानकारी रख सकेंगे।
2. छात्र NCERT के कार्यों के बारे में जान सकेंगें।
3. छात्र NUEPA के कार्यों के बारे में जान सकेंगें।
4. छात्र UGC के महत्व को समझ सकेंगे।
5. छात्र NCTE के कार्यों के बारे में जान सकेंगे।
6. छात्र KVS की जानकारी रख सकेंगे।
7. छात्र NVS की जानकारी रख सकेंगे।
8. छात्र IGNOU के कार्यो को समझ सकेंगे।

5.3 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education)

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भारत में शिक्षा नीति निर्धारण और समन्वय का सर्वोच्च परामर्शदाता निकाय है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, और बाद में सन 1935 में इस बोर्ड को भंग कर दिया गया था परन्तु हर्टोग समिति की सिफारिश पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित कर सन 1935 में ही पुनः स्थापित किया गया था जो वर्तमान समय तक कार्य कर रहा हैं। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शिक्षा से संबंधित समन्वय स्थापित करता है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। वर्तमान में, **श्री धर्मेंद्र प्रधान** इस पद पर आसीन हैं।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) के सदस्य-

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड एक बहु-स्तरीय निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, शिक्षा विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नीति निर्माता और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल होते हैं। इसके प्रमुख सदस्य निम्नलिखित हैं:

- **अध्यक्ष:** केंद्रीय शिक्षा मंत्री, CABE के अध्यक्ष होते हैं।
- **राज्य सरकारों के प्रतिनिधि:** सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
- **केंद्र सरकार के प्रतिनिधि:** शिक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी, जैसे कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इसके सदस्य होते हैं।
- **शिक्षाविद और विशेषज्ञ:** शिक्षा नीति के विशेषज्ञ, विश्वविद्यालयों के कुलपति, राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक, और शिक्षा से जुड़े अन्य विशेषज्ञ लोग इसके सदस्य होते हैं।
- **सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठनों के सदस्य:** विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, जो समावेशी शिक्षा, बालिका शिक्षा, और दिव्यांगजन शिक्षा को बढ़ावा देने में कार्यरत हैं।
- **शिक्षक और प्रशासक:** विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, प्रधानाचार्य, और शिक्षा प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं।
- **विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधि:** उद्योग जगत, अनुसंधान संगठनों और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ, जो शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) के कार्य-

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भारत में शिक्षा नीति के निर्धारण और सुधार के लिए एक प्रमुख परामर्शदाता निकाय है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण और समीक्षा**- शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधारों को लागू करने और नई-नई शिक्षा नीतियाँ को बनाने तथा लागू कराने में सहयोग करना।
2. **राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय**- शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सही समन्वय स्थापित करना तथा उचित सलाह देना इसका मुख्य कार्य होता हैं।
3. **शिक्षा सुधार को बढ़ावा देना**- स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में आवश्यक सुधारों को प्रोत्साहित करने से सम्बंधित सुझाव देना।
4. **शिक्षा बजट और वित्तीय योजना**- शिक्षा के क्षेत्र में धन आवंटन और वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव देना।
5. **शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास में सहयोग**- शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रभावशाली नीतियाँ बनाना।
6. **डिजिटल शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा**- ई-लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा और आधुनिक तकनीकों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए सिफारिशें देना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य हैं।
7. **समावेशी शिक्षा को बढ़ावा**- बालिका शिक्षा, दिव्यांगजन शिक्षा और हाशिए पर खड़े समुदायों की शिक्षा को प्राथमिकता देना।
8. **शिक्षा से जुड़े कानूनों और योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग** – शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता करना।
9. **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा** – शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना तथा अन्य देशों की शैक्षिक रणनीतियों के बारे में सरकार को सुझाव देना।
10. **नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के कार्यान्वयन में योगदान** – बहु-विषयक शिक्षा, कौशल विकास, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-FS और NCF-SE) को लागू करने में सरकार की सहायता करना।

CABE भारत में शिक्षा प्रणाली को समावेशी, आधुनिक और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शिक्षा सुधारों को दिशा देने के लिए आवश्यक सुझाव प्रदान करता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भारत की शिक्षा नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सर्वोच्च निकाय है। यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है, शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देता है और शिक्षा सुधारों को लागू करने में सहायता करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत CABE की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जिससे यह भारत में गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और नवाचारी शिक्षा के विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है।

5.4 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद: National Council of Educational Research and Training

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा 1 सितम्बर 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, पाठ्यक्रम निर्माण करना, शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और विभिन्न शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता करना है। यह संगठन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और पूरे देश में स्कूली शिक्षा की दिशा तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NCERT की पाठ्यपुस्तकें विशेष रूप से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कई राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा उपयोग की जाती हैं, जिससे यह भारत की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के वर्तमान निदेशक **प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी** हैं।

संरचना एवं क्षेत्रीय कार्यालय-

NCERT का मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में इसके आठ क्षेत्रीय संस्थान कार्य कर रहें हैं जो निम्नवत हैं-

1. केंद्रीय शिक्षा संस्थान – अजमेर
2. केंद्रीय शिक्षा संस्थान – भोपाल
3. केंद्रीय शिक्षा संस्थान – भुवनेश्वर
4. केंद्रीय शिक्षा संस्थान – मैसूर

5. केंद्रीय शिक्षा संस्थान – शिलांग
6. CIET (Central Institute of Educational Technology) – नई दिल्ली
7. PSSCIVE (Vocational Education) – भोपाल
8. NERIE (North East Regional Institute of Education) – शिलांग

ये सभी संस्थान स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर शैक्षिक योजनाओं, प्रशिक्षण, और पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोग करते हैं।

NCERT के कार्य-

पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक निर्माण:

NCERT देशभर के छात्रों के लिए कक्षा 1 से 12 तक की NCERT पुस्तकें तैयार करता है। ये किताबें सरल, वैज्ञानिक, बालकेंद्रित, और गतिविधि-आधारित होती हैं। CBSE सहित कई राज्य बोर्ड इन पुस्तकों को अपनाते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर आधारित होती हैं। इन पुस्तकों में बच्चों के समग्र विकास, समीक्षा पर आधारित अधिगम, संवेदनशीलता, समाज की विविधता, और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया जाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF):

NCERT समय-समय पर NCF का निर्माण करता है, जो स्कूल स्तर पर पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन और शैक्षिक उद्देश्यों को तय करता है। अब तक कुल पांच 1975, 1988, 2000, 2005 और 2023 में NCF जारी किए गए हैं। नवीनतम NCF 2023, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिदृश्य में विकसित किया गया है।

शिक्षक प्रशिक्षण:

NCERT शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों, मूल्यांकन की नई प्रणालियों, समावेशी शिक्षा, बाल मनोविज्ञान आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित किए जाते हैं।

शैक्षिक अनुसंधान:

NCERT शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता है, जैसे– शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन तकनीक, अधिगम कठिनाइयाँ, बाल विकास, सामाजिक विविधताएँ आदि। इन शैक्षिक अनुसंधानों माध्यम से शिक्षा को अधिक प्रभावशाली और प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया जाता है।

मूल्यांकन और परीक्षाएँ:

NCERT ने मूल्यांकन की पारंपरिक प्रणाली को बदलने के लिए सतत और समग्र मूल्यांकन जैसी अवधारणाएँ विकसित की हैं। यह केवल अंक देने की प्रणाली से हटकर छात्र के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान केंद्रित करता है।

शैक्षिक नवाचार और तकनीकी प्रयोग:

NCERT ने दीक्षा पोर्टल, PM eVIDYA, NISHTHA प्रशिक्षण, e-pathshala, Swayam, और Shagun जैसे डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किए हैं, जिससे डिजिटल शिक्षा को बल मिला है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ऑडियो-विजुअल सामग्री, ई-बुक्स, प्रश्न बैंक, गतिविधियाँ आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक सशक्त आधार स्तंभ है। यह न केवल विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता की पाठ्य सामग्री तैयार करता है, बल्कि शिक्षकों के विकास और शिक्षा प्रणाली के सुधार में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। शिक्षा को समावेशी, बालकेंद्रित, अनुसंधान-आधारित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में इसके प्रयास प्रशंसनीय हैं। आने वाले समय में NEP 2020 के क्रियान्वयन में NCERT की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।

5.5 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (NUEPA/NIEPA)

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शिक्षा प्रणाली का कुशल प्रबंधन, नियोजन और प्रशासन अत्यंत आवश्यक है। भारत में शिक्षा का विस्तार, गुणवत्ता, समावेशिता और समानता तभी संभव है जब उसके पीछे एक सशक्त, शोध-आधारित और दूरदर्शी योजना हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष संस्था की स्थापना की हैं जिसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान हैं। यह संस्थान शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है।

NIEPA की शुरुआत वर्ष 1962 में भारत सरकार और युनेस्को के सहयोग से हुई थी। प्रारंभ में इसे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था। वर्ष 1979 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय रखा गया और बाद में इसे 2006 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और फिर वर्ष 2019 में इसका नाम परिवर्तित कर **राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (NIEPA)** कर दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के वर्तमान कुलपति **प्रोफेसर शशिकला वंजारी** हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के कार्य-

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के मुख्य कार्य निम्नवत हैं-

1. शैक्षिक योजना निर्माण और अनुसंधान करना :

- केंद्र और राज्य सरकारों को शैक्षिक योजना बनाने में सहायता प्रदान करना।
- शिक्षा से संबंधित नीतियों और योजनाओं पर शोध कार्य करना।
- नवीनतम शैक्षिक रुझानों, समस्याओं और समाधानों पर अध्ययन करना।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना :

- शैक्षिक प्रशासकों, योजना निर्माताओं, और स्कूल प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
- क्षमता संवर्धन के कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा के प्रबंधन को मजबूत बनाना।

3. आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण करना :

- शिक्षा के क्षेत्र में आँकड़े एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और रिपोर्ट तैयार करना।
- UDISE+ जैसे डेटा सिस्टम को सहयोग देना।

4. परामर्श सेवा देना :

- विभिन्न राज्यों, केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श देना।
- नीति निर्माण और योजना कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता देना।

5. प्रकाशन और दस्तावेज़ीकरण करना :

- शिक्षा, योजना और प्रशासन से संबंधित पुस्तकें, शोधपत्र और रिपोर्ट प्रकाशित करना।

- शैक्षिक प्रशासन से जुड़े ज्ञान का प्रसार करना।

6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना :

- UNESCO, UNICEF, World Bank आदि संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन में भारत का प्रतिनिधित्व करना।

NIEPA का योगदान केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों के कार्यान्वयन में भी मार्गदर्शक भूमिका निभा रहा है। शिक्षकों, प्रशासकों और नीति निर्माताओं को सक्षम बनाकर यह संस्थान गुणवत्तापूर्ण और उत्तरदायी शिक्षा प्रणाली की नींव रखता है।

अभ्यास प्रश्न -

प्रश्न.1- CABE की स्थापना कब की गयी?

प्रश्न.2- NCERT के वर्तमान निदेशक कोंन हैं ?

प्रश्न.3- NCERT की स्थापना कब की गयी?

5.6 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

सार्जेंट कमीशन 1944, ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यों में एकरूपता लाने तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इन सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव दिया था और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने सन 1946 में इस समिति का गठन कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 ने इस समिति को आयोग में परिवर्तित करने का सुझाव दिया। इस आयोग के सुझावों के आधार पर सन 1953 में केंद्र सरकार द्वारा इसे समिति के स्थान पर आयोग की घोषणा कर दी गयी, तथा बाद में सन 1956 में संसद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 पास कर इसे संवेधानिक दर्जा प्रदान किया गया और तब से यह एक स्वायत संस्था के रूप में कार्य कर रही हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के नियमन, समन्वयन और मानकीकरण के लिए की गई थी। यह आयोग देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, उन्हें वित्तीय सहायता देता है, और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है। UGC, SWAYAM, e-PG

Pathshala जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, यह आयोग देश भर के फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान कर विद्यार्थियों को सचेत करता है, और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य निम्नवत हैं-

1. UGC का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना हैं।
2. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विकास एवं अनुसंधान कार्यों के लिए अनुदान देना।
3. विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों को अनुदान देने से सम्बंधित नियमों का निर्धारण करना।
4. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शैक्षिक मानदंडों को निर्धारित करना और उनके पालन की निगरानी करना।
5. केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा नीति एवं योजना बनाने में सलाह देना और विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करना।
6. नवीनतम शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में पाठ्यक्रम विकसित करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
7. अनुसंधान के लिए छात्रों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों को फेलोशिप और छात्रवृत्तियाँ देना।
8. योग्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान करना ताकि वे अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में नवाचार ला सकें।
9. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देना।
10. शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे- Refresher और Orientation Courses आदि का आयोजन कराना।
11. UGC/ NTA परीक्षा का आयोजन कराना जो देशभर में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अनिवार्य है।
12. शिक्षा से जुड़ी नीतियों जैसे कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप कार्य करना और उसे लागू करवाना।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक वैधानिक निकाय है जो भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, विश्वविद्यालयों को मान्यता देने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है।

5.7 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE)

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य भारत में शिक्षक शिक्षा को योजनाबद्ध, संगठित और उच्च गुणवत्ता युक्त बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना सन 1973 में की गयी थी, फिर उसके बाद सन 1993 में संसद में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट, 1993 पास कर इसे संबैधानिक दर्जा दिया गया और 17 अगस्त सन 1995 को इस एक्ट के अनुसार इस परिषद् का पुनर्गठन किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की संरचना एवं क्षेत्रीय कार्यालय:

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित हैं तथा इसके देशभर में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो विभिन्न राज्यों में शिक्षक शिक्षा संस्थानों की निगरानी और मान्यता प्रक्रिया को संभालते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष **प्रो. पंकज अरोड़ा** हैं।

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	अधीनस्थ राज्य/ क्षेत्र
1.	उत्तर क्षेत्रीय समिति (NRC)	जयपुर (राजस्थान)	उत्तर भारत के राज्यः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ आदि
2.	दक्षिण क्षेत्रीय समिति (SRC)	बंगलुरु (कर्नाटक)	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा लक्षद्वीप
3.	पूर्वी क्षेत्रीय समिति (ERC)	भुवनेश्वर (उड़ीसा)	बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम

4.	पश्चिम क्षेत्रीय समिति (WRC)	भोपाल (मध्यप्रदेश)	मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव

NCTE के कार्य- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य निम्नवत हैं-

1. शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना।
2. शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक एवं दिशा निर्देश निर्धारित करना।
3. शिक्षक शिक्षा संस्थानों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना।
4. शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान, नवाचार एवं नबीन प्रयोग कराना।
5. राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षिक निकायों से समन्वय स्थापित करना।
6. शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और सुधार करना।
7. मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों की निगरानी करना और मानकों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करना।
8. शिक्षक शिक्षा संस्थानों को परामर्श और सुझाव प्रदान करना।
9. शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पाठ्यक्रम का विकास और संशोधन करना।
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी शिक्षक शिक्षा सुधार पहलों को प्रोत्साहित करना और लागू करना।

आज के बदलते शैक्षिक परिदृश्य में, जब शिक्षा में गुणवत्ता, समावेशिता और 21वीं सदी में कौशलों की आवश्यकता है, NCTE की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यह संस्था नई शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए शिक्षक शिक्षा को पुनर्जीवित कर रही है।

5.8 केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन हैं। यह संगठन मुख्यतः भारत के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले 15 दिसंबर 1963 को हुई थी, तथा तब से यह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित हैं। वर्तमान समय में भारत में लगभग 1200 से अधिक केन्द्रीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं तथा 3 केन्द्रीय विद्यालय अन्य देशों जैसे माँस्को, तेहरान तथा काठमांडू में संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रीय

विद्यालयों में भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों तथा अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे शिक्षण अधिगम करते आ रहे हैं। सभी केन्द्रीय विद्यालयों का संचालन केन्द्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन का मुख्यालय **नई दिल्ली** में हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन का चेयरमैन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के **कमिश्नर निधि पाण्डेय** हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को समान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना हैं तथा इसके विद्यालयों में शैक्षिक उत्कृष्टता, राष्ट्रीय एकता, और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम और गतिविधियों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को कहीं भी स्थानांतरित होने पर भी एक समान शिक्षा अवसर प्रदान करना है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन का उद्देश्य -

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के चार प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं-

- स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, जिनमें रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं, के बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना,
- विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना,
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचार को शामिल करना,
- विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता तथा भारतीयता की भावना का विकास करना,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्य कार्य- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं-

1. स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
2. राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा देना।
3. CBSE से संबद्ध एक समान पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली लागू करना।
4. शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देना।
5. नवीन शिक्षण विधियों और शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग करना।

6. शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करना।
7. समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद एवं सह-पाठयक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देना।
9. छात्रों के समग्र विकास (बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक) पर बल देना।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन का योगदान न केवल छात्रों के शैक्षणिक विकास तक सीमित है, बल्कि उनके समग्र व्यक्तित्व विकास, नैतिक मूल्यों, और राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभर कर सामने आता है, जो 'शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण' के अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक साकार कर रहा है।

अभ्यास प्रश्न –

प्रश्न.4- UGC की स्थापना की घोषणा कब की गयी?

प्रश्न.5- NCTE का मुख्यालय कहाँ स्थित हैं?

प्रश्न.6- KVS की स्थापना कब की गयी?

5.9 नवोदय विद्यालय संगठन (NVS)

नवोदय विद्यालय संगठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है, इसकी स्थापना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रावधानों के अनुरूप की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जिससे सामाजिक समानता और शैक्षिक समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके। नवोदय विद्यालयों की परिकल्पना यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिभा केवल शहरी और संपन्न वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को भी वही अवसर और संसाधन प्राप्त हों जो किसी उत्कृष्ट निजी या शहरी स्कूल में उपलब्ध होते हैं। नवोदय विद्यालय संगठन की स्थापना 1985 में की गई और सबसे पहले दो नवोदय विद्यालय अमरोहा (उत्तर प्रदेश) और झज्जर (हरियाणा) में प्रारंभ किये गये। आज यह संगठन सम्पूर्ण देश में लगभग 650 से अधिक जवाहर नवोदय विद्यालयों का संचालन कर रहा है, जो देश के लगभग प्रत्येक जिले में स्थित हैं। इन विद्यालयों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पूर्णतः आवासीय

होते हैं और यहाँ कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क दी जाती है, जिसमें भोजन, पुस्तकें, गणवेश, छात्रावास और चिकित्सा सुविधाएँ भी शामिल हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन होता है, जो कि निष्पक्ष और योग्यता आधारित होती है। इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होता है, नवोदय विद्यालयों का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी **'माइग्रेशन स्कीम'** है, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गैर-हिंदी भाषी राज्यों के विद्यालयों में एक वर्ष के लिए भेजा जाता है और इसके विपरीत गैर-हिंदी भाषी राज्यों के विद्यालयों के बच्चों को हिंदी भाषी विद्यालयों में भेजा जाता हैं। यह योजना विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता की समझ और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देती है। यह अपने आप में एक अनूठी योजना है जो भारत की विविधता में एकता की अवधारणा को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करती है। इसके अलावा नवोदय विद्यालयों में सह-शैक्षणिक गतिविधियों, खेलकूद, योग, संगीत, नाटक, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी विशेष बल दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। देश के सभी नवोदय विद्यालय डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट क्लासरूम जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने में अग्रणी रहे हैं। हाल के वर्षों में नवोदय विद्यालय संगठन ने शिक्षा के समावेशीकरण और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों की ओर भी ठोस कदम बढ़ाए हैं। यह संगठन सामाजिक न्याय, शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, और अवसरों की समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, जो 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' के लक्ष्य को साकार करता है।

नवोदय विद्यालय संगठन के कार्य-

नवोदय विद्यालय संगठन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

1. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना।
2. चयनित छात्रों को कक्षा 6 से 12 तक नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं आवासीय शिक्षा प्रदान करना।
3. छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ जैसे खेल, संगीत, कला आदि कराना।
4. राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए माइग्रेशन योजना लागू करना।
5. लड़कियों, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा में विशेष अवसर प्रदान करना।

6. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना - जैसे स्मार्ट क्लास, ई-कंटेंट, कंप्यूटर लैब आदि।
7. समाज में शिक्षा की गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करना।

5.10 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भारत की एक अग्रणी और विश्व की सबसे बड़ी मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है। यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से वर्ष 1985 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसका नाम देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है।

IGNOU की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, लचीली, सस्ती तथा समावेशी शिक्षा को देश के सभी वर्गों तक पहुँचाना है, तथा शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग, महिलाएँ, कामकाजी व्यक्ति, और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल हैं। यह विश्वविद्यालय 'शिक्षा सबके लिए' की अवधारणा पर कार्य करता है और आजीवन शिक्षा, व्यावसायिक विकास, तथा कौशल संवर्धन को प्रोत्साहित करता है।

शैक्षणिक संरचना-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इस विश्वविद्यालय में 21 स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ हैं, जो विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हैं और विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त, देशभर में लगभग 67 क्षेत्रीय केंद्र, लगभग 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र, और अंतरराष्ट्रीय केंद्रों के माध्यम से यह छात्रों तक पहुँचता है।

IGNOU के उद्देश्य- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं-

1. IGNOU का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाना है, चाहे वे किसी भी उम्र, स्थान, सामाजिक वर्ग, या आर्थिक स्थिति से हों। यह विशेष रूप से ग्रामीण, पिछड़े, महिलाओं, कार्यरत पेशेवरों और दिव्यांग व्यक्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है।

2. ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) प्रणाली को सुदृढ़ और व्यापक बनाना।
3. शिक्षण, अनुसंधान, और प्रशिक्षण में नवाचार को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना।
4. सूचना और संचार तकनीक का उपयोग करके शिक्षा को अधिक प्रभावशाली और सुलभ बनाना।
5. विद्यार्थियों में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, और समावेशी विकास को बढ़ावा देना।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्य- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्य कार्य निम्नवत हैं-

1. IGNOU का मुख्य कार्य दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा को समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाना है, विशेषकर उन लोगों तक जो किसी कारणवश नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।
2. IGNOU छात्रों को पाठ्यक्रमों की संरचना, अध्ययन की गति, और परीक्षा देने के समय में लचीलापन प्रदान करता है।
3. महिला, दिव्यांगजन, ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए विशेष सुविधाएँ और समर्थन उपलब्ध कराया जाता है।
4. विश्वविद्यालय ऑडियो, वीडियो, ई-लर्निंग सामग्री और रेडियो/टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण प्रदान करता है।
5. IGNOU कई प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम संचालित करता है, जैसे- शिक्षक शिक्षा, प्रबंधन, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य आदि।
6. IGNOU समाज के वंचित वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों, कामकाजी पेशेवरों, गृहिणियों और वरिष्ठ नागरिकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है।
7. विश्वविद्यालय शिक्षा में नई प्रौद्योगिकी, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल मीडिया का उपयोग करके शिक्षा का प्रसार करता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक प्रमुख शैक्षिक संस्था है जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लाखों छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को हर वर्ग तक पहुँचाना, विशेष रूप से उन लोगों तक जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से वंचित हैं। IGNOU न केवल शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण

योगदान देता है। इसके कार्यक्रम छात्रों को लचीला और सुलभ शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को हासिल कर सकें।

अभ्यास प्रश्न -

प्रश्न.7- IGNOU की स्थापना कब की गयी?

प्रश्न.8- IGNOU का मुख्यालय कहाँ स्थित हैं?

5.11 सारांश:

केन्द्रीय स्तर पर ये सभी शैक्षणिक संस्थान सम्पूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था के प्रबंधन, नियमन, निगरानी और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संस्थाएं देश की शैक्षिक नीतियों को दिशा देने, उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और सम्पूर्ण देश में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्य करती हैं। भारत जैसे विविधता से भरे देश में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ और समान रूप से लागू करने के लिए एक केंद्रीय नियामक व्यवस्था आवश्यक है, जिसे ये सभी संस्थाएं प्रभावी रूप से अपना-अपना कार्य संभालती हैं। जैसे– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों को अनुदान प्रदान करता है, उनके पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है और मानकों का निर्धारण करता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम विकास, शैक्षिक सामग्री निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक अनुसंधान का कार्य करती है। यह संस्था स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता देना, उनके पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना तथा अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना है। ये सभी संस्थाएं मिलकर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समानता, गुणवत्ता, समावेशिता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं। इनके माध्यम से सभी शिक्षण संस्थानों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं और समय-समय पर उनकी निगरानी की जाती है ताकि शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी बनी रहे।

इस प्रकार, केंद्र स्तर के ये सभी शैक्षणिक संस्थान भारतीय शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। ये न केवल नीति निर्माण करती हैं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और पहुँच को सुनिश्चित करने

के लिए निरंतर कार्य करती रहती हैं। इनकी सक्रिय भूमिका के कारण शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधार संभव हो पाया है और भारत एक समावेशी एवं वैश्विक दृष्टिकोण वाली शिक्षा प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहा है।

5.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर-

उत्तर 1- सन 1921 में

उत्तर 2- प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी

उत्तर 3- 01 सितम्बर 1961

उत्तर 4- सन 1953 को

उत्तर 5- नई दिल्ली

उत्तर 6- 15 दिसंबर 1963

उत्तर 7- सन 1985

उत्तर 8- नई दिल्ली

5.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)

- तोमर, गजेन्द्र.सिंह. (2017), विद्यालय संगठन एवं प्रबंधन.मेरठ, आर लाल बुक डिपो.
- शर्मा, आर.ए. (2006), शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन.
- सुखिया, एस.पी. (2006), विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, आगरा. विनोद पुस्तक भंडार.
- भटनागर, आर.पी. एवं अग्रवाल, विद्या. (1998), शैक्षिक प्रशासन, मेरठ, लायल बुक डीपो.
- सिंह,आर.पी. (2010), शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय संगठन, आगरा. साहित्य प्रकाशन.
- Government of India. (1988). National Literacy Mission. New Delhi:
- https://www.education.gov.in/hi
- https://ncert.nic.in/
- https://www.ugc.gov.in/
- https://www.niepa.ac.in/

5.14 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Question)

प्रश्न.1- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सामान्य परिचय दीजिये, और इसके उद्देश्यों एवं कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

प्रश्न.2- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में आप क्या जानते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय केन्द्रों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

प्रश्न.3- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों तथा कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

प्रश्न.4- केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

UNIT.6- राज्य स्तर पर शीर्ष निकायों के कार्य: SCERT, DIET और SRC (Function of apex bodies at centre level : SCERT, DIET and SRC)

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

6.2 उद्देश्य (Objectives)

6.3 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)

  अपनी उन्नति जानिए (Check your Progress)

6.4 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

  अपनी उन्नति जानिए (Check your Progress)

6.5 राज्य संसाधन केंद्र (SRC)

  अपनी उन्नति जानिए (Check your Progress)

6.6 सारांश (Summary)

6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)

6.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference Book)

6.9 निबंधात्मक प्रश्न (Long Answer Questions)

6.1 प्रस्तावना (Introduction) -

भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक संघीय संरचना के अंतर्गत कार्य करती है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की स्पष्ट और विशिष्ट भूमिकाएं निर्धारित हैं। राज्य स्तर पर शिक्षा की प्रभावी योजना, संचालन, मूल्यांकन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कई शीर्ष शैक्षिक निकाय सक्रिय रहते हैं। ये निकाय न केवल राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों और योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू करने में सहायक होते हैं, बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का कार्य भी करते हैं। राज्य स्तर पर प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), राज्य परीक्षा बोर्ड, राज्य विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय, तथा राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं परीक्षा प्राधिकरण प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन सभी संस्थाओं की भूमिकाएं बहुआयामी होती हैं जैसे कि शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या निर्माण, शैक्षिक सामग्री का विकास, मूल्यांकन सुधार, नवाचारों का समावेश, और शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी आदि। SCERT राज्य स्तर पर शिक्षक शिक्षा का प्रमुख निकाय है, जो शैक्षिक अनुसंधान, आधुनिक शिक्षण विधियों के विकास, तथा इन-सर्विस और प्री-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी निभाता है। यह संस्था राष्ट्रीय स्तर पर NCERT जैसे निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर, राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक योजनाएं और कार्यक्रम विकसित करती है। राज्य विद्यालयी शिक्षा निदेशालय स्कूलों के प्रशासन, मान्यता, अध्यापक स्थानांतरण, अनुश्रवण, छात्र नामांकन, उपस्थिति, परीक्षा परिणाम और समग्र शैक्षिक प्रगति की निगरानी करता है। राज्य परीक्षा बोर्ड माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के आयोजन एवं विद्यार्थियों के मूल्यांकन की प्रणाली के निर्धारण का कार्य करता है। वर्तमान में यह निकाय, नई शिक्षा नीति 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मूल्यांकन पद्धतियों में व्यापक सुधार की दिशा में प्रयासरत है।

राज्य पाठ्यचर्या समिति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) के मार्गदर्शन में, राज्य की सामाजिक, भाषायी और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों का विकास करती है। वहीं, राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय जैसे समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा की समावेशिता, गुणवत्ता और

पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य व केंद्र सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है।

अतः इस प्रकार, राज्य स्तर पर कार्यरत शीर्ष शैक्षिक निकाय शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता, समानता और सुलभता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन निकायों की पारदर्शिता, क्षमता और सतत सुधार की प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रगतिशील बनाने में सहायक सिद्ध होती है।

6.2 उद्देश्य (Objectives) –

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत छात्र-

1. छात्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में जान पाएंगे।
2. छात्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के मुख्य कार्यों के बारे में जन पाएंगे।
3. छात्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में समझ सकेंगे।
4. छात्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों के बारे में समझ सकेंगे।
5. छात्र राज्य संसाधन केंद्र की भूमिका के बारे में अवगत हो सकेंगे।
6. छात्र राज्य संसाधन केंद्र के कार्यों के बारे में जन सकेंगे।

6.3 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद: (SCERT)-

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का इतिहास-

भारत में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की स्थापना का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विकास क्रम रहा है। जब 1961 में केंद्र सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की, तब यह शिक्षा के विविध पहलुओं जैसे पाठ्यचर्या निर्माण, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन प्रणाली, शैक्षिक नवाचार और शिक्षक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और विकास हेतु एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्यरत हुआ। NCERT की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों से प्रेरित होकर यह अनुभव किया गया कि राज्यों को भी स्थानीय आवश्यकताओं, भाषाई विविधताओं, सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं और भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित शैक्षिक संस्था की आवश्यकता है। इस संस्था का उद्देश्य राज्य की शैक्षिक चुनौतियों और

संभावनाओं के अनुरूप कार्य करना होगा। इस दिशा में पहल करते हुए सबसे पहले आंध्रप्रदेश सरकार ने 1967 में NCERT की तर्ज पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की।

बाद में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राज्यों को यह सुझाव दिया कि वे अपनी-अपनी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना करें, साथ ही इन परिषदों को अधिक स्वायत्तता और विस्तृत कार्यक्षेत्र प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। वर्तमान में ये परिषदें राज्य स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन पद्धतियों, शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

SCERT, प्रत्येक राज्य की प्रमुख शैक्षिक संस्था के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विकास करना, शिक्षकों के लिए प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों को राज्य के विशेष संदर्भ में क्रियान्वित करना रहा है। SCERT की यह भूमिका भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण और राज्यों को अधिक शैक्षिक स्वायत्तता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है, जो राज्य-विशिष्ट शैक्षिक रणनीतियों और नवाचारों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करती है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों को प्रशासनिक रूप से राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग के अधीन रखा गया है, किंतु कार्यात्मक रूप से इन्हें व्यापक शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। इन परिषदों को शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा देने, राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का मार्गदर्शन करने, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (BRC) और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर (CRC) के साथ सहयोग स्थापित करने तथा विद्यालयों के शैक्षिक पर्यवेक्षण में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है।

SCERT की एक विशिष्ट भूमिका प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा, जैसे कार्यक्रमों के संचालन, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा योजना और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त, परिषद राज्य स्तर पर शैक्षिक नवाचारों की पहचान कर उनका दस्तावेजीकरण करती है और सफल नवाचारों को अन्य जिलों और विद्यालयों में प्रसारित करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करती है, जिससे समग्र राज्य में गुणवत्तापूर्ण और नवोन्मेषी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

SCERT की स्थापना के पीछे एक और प्रमुख उद्देश्य यह था कि प्रत्येक राज्य को अपनी भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को ढालने का अधिकार और अवसर मिल सके। जिन राज्यों में जनजातीय आबादी अधिक है, वहां की SCERT ने जनजातीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने हेतु विशेष और सराहनीय पहल की है। इसी प्रकार, देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों जैसे पहाड़ी, मैदानी, रेगिस्तानी और तटीय राज्यों ने अपनी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाल-केंद्रित शिक्षण विधियों, आकलन प्रक्रियाओं और अधिगम संसाधनों का सृजन किया है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) केवल राज्य की शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों और अनुकूलनों के माध्यम से शिक्षा को अधिक प्रभावशाली, समावेशी और प्रासंगिक बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, विशेष रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा- फाउंडेशनल स्टेज (NCF-FS 2022) और स्कूल एजुकेशन (NCF-SE 2023) के कार्यान्वयन के संदर्भ में, राज्यों में SCERT की भूमिका और भी अधिक व्यापक, जटिल और महत्वपूर्ण हो गई है। NEP 2020 यह स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि शिक्षा को बहुभाषिक, जिज्ञासु-आधारित, समावेशी तथा स्थानीय सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों से जुड़े होना चाहिए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में SCERT को एक प्रभावशाली परिवर्तनकारी एजेंसी के रूप में कार्य करना है। NCF-FS और NCF-SE में प्रस्तुत दृष्टिकोणों के अनुरूप, SCERT राज्य स्तर पर पूर्व-प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की पाठ्यचर्या का पुनर्गठन कर रहा है। इसके अंतर्गत 5+3+3+4 की संरचना के अनुसार शिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण, मूल्यांकन की नवीन पद्धतियों का विकास, मातृभाषा में शिक्षण सामग्री की तैयारी, तथा सतत व्यावसायिक विकास के लिए डिजिटल माध्यमों का सशक्त उपयोग शामिल हैं।

इस प्रकार देश के सभी राज्यों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने भारत के लगभग सभी राज्यों को अपनी शैक्षिक पहचान और स्वतंत्र कार्यनीति विकसित करने का अवसर प्रदान किया हैं। भविष्य में SCERT की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि यह संस्था राज्यों की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति

सुनिश्चित करने, और प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण एवं न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्य-

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का प्रमुख कार्य राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और शिक्षक शिक्षा को सशक्त बनाना है। इसके कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की तर्ज पर होते हैं, लेकिन राज्य की विशेष आवश्यकताओं तथा राज्य की मूलभूत सुबिधाओं के अनुरूप होते हैं। जो निम्नलिखित हैं:

1. राज्य की आवश्यकता एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली पाठ्यचर्या का निर्माण कर लागू करना।
2. कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं और शिक्षण सहायक सामग्री का विकास और उनका प्रकाशन करना।
3. समय-समय पर पूर्व-सेवा और सेवाकालीन शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना।
4. विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर शोध कार्य करना एवं नीति निर्माण हेतु सरकार को अपनी अनुशंसाएँ देना।
5. विद्यालयी शिक्षा हेतु मूल्यांकन उपकरणों, आकलन पद्धतियों तथा अधिगम स्तर पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना।
6. ऑडियो-विजुअल, डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया सम्बंधी सामग्री का निर्माण कर राज्य भर के शिक्षकों और छात्रों के लिए सहायक सामग्री को उपलब्ध कराना।
7. समग्र शिक्षा अभियान, NIPUN भारत अभियान, FLN मिशन आदि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को लाभ पहुचाना।
8. नवीन शिक्षण विधियों, ICT आधारित शिक्षण और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कार्य करना।
9. सतत एवं समग्र मूल्यांकन, योग्यता आधारित मूल्यांकन और नवीन मूल्यांकन प्रणालियों का संवर्धन करना।

10. राज्य के विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से सम्बंधित सभी आंकड़ों को एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित एवं प्रसारित करना।
11. विद्यालयी शिक्षा में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विशेष कार्यक्रम एवं संसाधन विकसित करना।
12. राज्य के सभी जिलों के जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं सहयोग करना।

अतः राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो शैक्षिक गुणवत्ता, नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिषद न केवल पाठ्यचर्या निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण में अपनी अहम् भूमिका निभाता हैं, बल्कि राज्य में शिक्षा से जुड़े अनुसंधान, मूल्यांकन सुधार और नीति निर्माण में भी अपना योगदान देती है। NEP 2020 जैसे नवीन शैक्षिक परिवर्तनों को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करने में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अपनी उन्नति जानिए (Check your Progress)-

प्रश्न.3- देश की पहली SCERT कहाँ स्थापित की गयी थी?

(अ) दिल्ली (ब) उत्तराखंड (स) झारखण्ड (द) आन्ध्र प्रदेश

प्रश्न.4- भारत में SCERT खोलने का सुझाव सबसे पहले किस आयोग ने दिया था?

(अ) कोठारी आयोग (ब) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (स) ज्ञान आयोग

(द) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

6.4 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान: (DIET):

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भारत में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा शिक्षक शिक्षा को स्थानीय संदर्भों के अनुरूप प्रभावी रूप से लागू करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी। ये संस्थान विकेन्द्रीकृत ढांचे में प्रत्येक जिले में कार्यरत होते हैं, और इनका प्रमुख उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के लिए सेवापूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना तथा कार्यरत शिक्षकों को विषयवार व नवाचार-आधारित निरंतर प्रशिक्षण देकर उनकी व्यावसायिक दक्षता

को अद्यतन बनाए रखना है। DIET स्थानीय भाषा, संस्कृति, संसाधनों और शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं कि वे अपने शैक्षिक क्षेत्र की सामाजिक व शैक्षणिक विविधताओं को समझकर बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। इन्हें शिक्षक शिक्षा का आधारभूत ढांचा माना जाता है, जो शैक्षिक नवाचार, पाठ्यचर्या विकास, समावेशी शिक्षा, शिक्षण-अधिगम सामग्री निर्माण तथा शैक्षिक अनुसंधान जैसे कार्यों में सक्रिय रहते हैं। DIET की सेवाएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं: एक, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जैसे डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) का संचालन करना और दूसरा, कार्यरत शिक्षकों के लिए विषयविशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, जैसे भाषा शिक्षण, गणित, बाल अधिकार, और आईसीटी शिक्षा आदि। साथ ही, ये संस्थान बच्चों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बाल मेलों, विज्ञान प्रदर्शनियों, शिक्षक नवाचार प्रतियोगिताओं, तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित शिक्षण पद्धतियों जैसी नवाचारी गतिविधियों का भी संचालन करते हैं।

आज के इस डिजिटल युग में DIET अब केवल परंपरागत प्रशिक्षण केंद्र न रहकर, नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षकों को उन्नत बनाने का कार्य कर रहे हैं। DIKSHA, NISHTHA, FLN मिशन, समग्र शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत DIET को शिक्षक प्रशिक्षण के डिजिटलीकरण और गुणवत्ता उन्नयन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने DIET को एक बार फिर से शिक्षा प्रणाली के हृदयस्थल में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जहाँ शिक्षक न केवल जानकारी प्राप्तकर्ता बल्कि समाज परिवर्तन के संवाहक भी बन सकें। NEP 2020 में DIET को **"हब ऑफ इनोवेशन"** के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है, जो शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता और उनकी पेशेवर गरिमा को बढ़ाएंगे। यह अत्यंत आवश्यक है कि DIET को महज एक प्रशिक्षण संस्था न मानकर, बल्कि एक शैक्षिक प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ शिक्षक, प्रशिक्षक, शोधकर्ता और नीति निर्माता मिलकर एक गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण में योगदान दें सकें। वर्तमान समय में जब शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी के कौशल, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक समावेशिता और बहुभाषिकता की ओर अग्रसर हो रही है, तब DIET की भूमिका और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि DIET भारतीय शिक्षा व्यवस्था का वह मजबूत स्तंभ हैं, जो न केवल वर्तमान शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे

हैं, बल्कि भविष्य के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की नींव भी तैयार कर रहे हैं, और यदि इन्हें समुचित संसाधन, नीति समर्थन और नवाचार की स्वतंत्रता दी जाए, तो ये संस्थान भारत के शिक्षा सुधार आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकते हैं।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विभाग-

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न विभाग होते हैं, जो शिक्षक शिक्षा और शैक्षिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करते हैं। इन विभागों का उद्देश्य शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, शैक्षिक अनुसंधान, और समुदाय के साथ समन्वय स्थापित करना होता है। जो निम्नवत है-

- **सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग-**

यह विभाग प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए सेवापूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करता हैं, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नाम से चल रहे कार्यक्रम जैसे- डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन, बी.टी.सी, बी.एस.टी.सी आदि जैसे कार्यक्रम संचालित करता है।

- **सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा विभाग-**

यह विभाग कार्यरत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे उनकी पेशेवर क्षमता में वृद्धि हो सके, जिसमें क्रियात्मक अनुसन्धान द्वारा शैक्षिक समस्याओं के समाधान खोजना एवं नवीन शिक्षण तकनीकिका प्रभावी उपयोग करना भी इस विभाग के कार्यों में शामिल हैं।

- **जिला संसाधन इकाई-**

इस विभाग का कार्यक्षेत्र प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा हैं, यह विभाग जिले जिले में प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का समन्वय एवं संचालन करता हैं तथा इसके लिए पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता हैं।

- **योजना एवं प्रबंधन-**

यह विभाग प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारीयों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता हैं, तथा इसके साथ ही यह विभाग स्कूल मैपिंग एवं सूक्ष्म स्तर योजना में सहयोग प्रदान

करता हैं। शैक्षिक आंकड़ों के संकलन एवं पिछड़े क्षेत्रों का शैक्षिक दृष्टि से आकलन करना भी इस विभाग का कार्य हैं।

- **पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग-**

यह विभाग विभिन्न विषयों के लिए तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्माण कर उसके मूल्यांकन विधियों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सकें।

- **कार्यानुभव विभाग-**

यह विभाग शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करता हैं, इसके साथ ही कार्यानुभव कार्यक्रमों में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को सहयोग प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता हैं। यह विभाग सामुदायिक सेवा कार्यक्रम भी आयोजित करता हैं तथा यह विभाग शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।

- **शैक्षिक तकनीकी विभाग-**

यह विभाग शिक्षकों को तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर के उपयोग में प्रशिक्षित करता है, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो सके, तथा विद्यार्थियों था अधिक से अधिक लाभ पहुच सकें।

<u>जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य-</u>

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं-

1. अध्यापकों के लिए सेवापूर्व और सेवाकालीन दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना।
2. प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक सुधार हेतु सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करना।
3. स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन उपकरणों का निर्माण करना।
4. शिक्षा से संबंधित समस्याओं की पहचान और उनके समाधान हेतु अनुसंधान कार्य करना।

5. प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
6. दृश्य-श्रव्य सामग्री, कंप्यूटर लैब और अन्य तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना।
7. जिला स्तर पर शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करऔर उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना।
8. स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाओं और शिक्षा समितियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
9. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के लिए मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करना।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान, पाठ्यचर्या विकास और सामुदायिक सहभागिता जैसे विविध कार्यों के लिए समर्पित है। यह संस्थान शिक्षा की जड़ों को मजबूत करने का कार्य करता है, जिससे न केवल शिक्षक समाज सशक्त होता हैं बल्कि विद्यार्थियों का समग्र विकास भी सुनिश्चित होता है। इस प्रकार, DIET एक ऐसा संस्थान है जो 'शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन' की अवधारणा को जमीनी स्तर पर साकार करता है और शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की दिशा में एक सशक्त माध्यम बनता है।

अपनी उन्नति जानिए (Check your Progress)-

प्रश्न.3- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का विचार किस आयोग ने दिया था?

प्रश्न.4- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य क्या-क्या हैं?

6.5. राज्य संसाधन केंद्र (State Resource Centre)

राज्य संसाधन केंद्र भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना वयस्क शिक्षा एवं सतत शिक्षा के उद्देश्यों को साकार करने हेतु की गई थी। राज्य संसाधन केंद्रों की स्थापना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत की गई, जिससे राज्य स्तर पर शिक्षा कार्यक्रमों को शैक्षिक, तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जा सके। राज्य संसाधन केंद्र मुख्यतः शैक्षिक सामग्री के विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन, नवाचारों के प्रचार-प्रसार, और निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यों में संलग्न रहते हैं।

राज्य संसाधन केंद्र के उद्देश्य-

राज्य संसाधन केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर साक्षरता कार्यक्रमों को तकनीकी और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है। इनके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. साक्षरता एवं सतत शिक्षा को मजबूत बनाना,
2. शिक्षण एवं अधिगम सामग्री का विकास करना,
3. प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों और वालंटियर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना,
4. शैक्षिक नवाचारों और अनुसंधान को बढ़ावा देना,
5. साक्षरता कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करना,
6. स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक सन्दर्भों के अनुसार सामग्री निर्माण,
7. वयस्क एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना,

राज्य संसाधन केंद्र के कार्य-

राज्य संसाधन केंद्रों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि प्रशिक्षण, सामग्री विकास, नीति-निर्माण में सहयोग, मूल्यांकन, अनुसंधान, और सामाजिक जागरूकता आदि। इन केन्द्रों के मुख्य कार्य निम्नलिखित है-

1. **शिक्षक एवं कार्मिक प्रशिक्षण-** राज्य संसाधन केंद्र का प्रमुख कार्य शिक्षकों, प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना होता हैं। यह प्रशिक्षण विभिन्न शैक्षिक विषयों, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन तकनीकों और नई शिक्षा नीति

2020 के अनुरूप होता है। SRC कार्यशालाओं का आयोजन, ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है जिससे शिक्षकों की दक्षता में सुधार होता है।

2. **शैक्षिक सामग्री का विकास-** राज्य संसाधन केंद्र द्वारा स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम सामग्री बनाकर, मॉड्यूल्स का निर्माण, पुस्तकों और मल्टीमीडिया संसाधनों का निर्माण किया जाता है। यह सामग्री साक्षरता कार्यक्रमों, प्रौढ़ शिक्षा, बाल शिक्षा, और शिक्षक प्रशिक्षण में उपयोग की जाती है।
3. **प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों में सहयोग-** राज्य संसाधन केंद्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रौढ़ शिक्षा मिशनों, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, साक्षर भारत मिशन, या अब पढ़े भारत बढ़े भारत अभियान के अंतर्गत साक्षरता के प्रचार-प्रसार में होती है। इस केंद्र का कार्य शिक्षण सहायक सामग्री तैयार कर, वालंटियर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, और साक्षरता अभियानों की निगरानी करना है।
4. **शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार-** राज्य संसाधन केंद्र नियमित रूप से शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न शैक्षिक समस्याओं पर सर्वेक्षण, केस स्टडी, और विश्लेषण करता है और उसके आधार पर सुधारात्मक सुझाव देता है। यह नीति-निर्माण में मदद करता है और स्थानीय संदर्भ में उपयुक्त समाधान सुझाता है।
5. **मूल्यांकन और निगरानी-** राज्य संसाधन केंद्र विभिन्न शैक्षिक योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यह यह सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम अपनी निर्धारित दिशा में कार्य कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए राज्य संसाधन केंद्र, समीक्षा बैठकें, प्रगति रिपोर्ट, और फील्ड विज़िट्स करता है।
6. **सामुदायिक भागीदारी और जन-जागरूकता-** राज्य संसाधन केंद्र मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों, NGOs और अन्य संगठनों के साथ मिलकर कार्यक्रमों को लागू करना और उनका समर्थन करना होता हैं।

राज्य संसाधन केंद्र राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केंद्र साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, और सतत शिक्षा के कार्यक्रमों को सशक्त बनाते

हैं, साथ ही ये शिक्षण सामग्री निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से जमीनी स्तर पर शिक्षा के प्रचार-प्रसार को गति प्रदान करते हैं। राज्य संसाधन केंद्र राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा कार्यक्रमों को समृद्ध करते हैं तथा विभिन्न समुदायों और संगठनों के सहयोग से शिक्षा को एक जनांदोलन का रूप देते हैं, जो राज्य को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करती है।

अपनी उन्नति जानिए (Check your Progress)-

प्रश्न.5- राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना किस मिशन के अंतर्गत की गयी थी?

प्रश्न.6- राज्य संसाधन केन्द्र के मुख्य कार्य क्या-क्या हैं?

6.6 सारांश (Summary)-

अतः राज्य स्तर पर शीर्ष निकायों का प्रमुख कार्य शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, नीतियों का निर्माण व कार्यान्वयन करना, तथा शैक्षिक नवाचार को बढ़ावा देना है। ये निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन प्रणाली, अध्यापक प्रशिक्षण, और अधिगम सामग्री तैयार करने का कार्य करते हैं। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जैसे संस्थान पाठ्यचर्या निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, और शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, तथा हाल के वर्षों में डिजिटल शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन में भी इन संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ये सभी राज्य स्तरीय निकाय विभिन्न शैक्षिक उपक्रमों के समन्वय द्वारा राज्य में समान, समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं।

6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)

उत्तर.1- (द) आन्ध्र प्रदेश,

उत्तर.2- (ब) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986,

उत्तर.3- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

उत्तर.4- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य शिक्षकों के प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान, पाठ्यचर्या विकास और सामुदायिक सहभागिता आदि हैं।

उत्तर.5- राष्ट्रीय साक्ष्यरता मिशन,

उत्तर.6- राज्य संसाधन केन्द्र का मुख्य कार्य साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, और सतत शिक्षा के कार्यक्रमों को सशक्त बनाना, शिक्षण सामग्री निर्माण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और नवाचार आदि हैं।

6.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference Book)-

- तोमर,गजेन्द्र.सिंह. (2017), विद्यालय संगठन एवं प्रबंधन.मेरठ, आर लाल बुक डिपो.
- शर्मा,आर.ए. (2006), शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन.
- सुखिया, एस.पी. (2006), विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, आगरा. विनोद पुस्तक भंडार.
- भटनागर, आर.पी. एवं अग्रवाल, विद्या. (1998), शैक्षिक प्रशासन, मेरठ, लायल बुक डीपो.
- सिंह,आर.पी. (2010), शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय संगठन, आगरा. साहित्य प्रकाशन.
- https://innovateuttarakhand.com/about-us
- https://thecsruniverse.com/organisation/state-resource-centre-uttarakhand
- https://kvsangathan.nic.in/
- https://scert.delhi.gov.in/scert/district-institute-education-training-diet

6.9 निबंधात्मक प्रश्न (Long Answer Questions)

प्रश्न.1- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का सामान्य परिचय देकर उसके कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिये।

प्रश्न.2- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में आप क्या जानते हैं? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का विद्यालयी शिक्षा में योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

प्रश्न.3- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

प्रश्न.4- राज्य संसाधन केन्द्र क्या होते हैं? राज्य संसाधन केन्द्रों का राज्य के शैक्षिक विकास में योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

इकाई 7: पीआरआई की भूमिका और कार्यो के संदर्भ में शिक्षा का विकेंद्रीकरण: (Decentralization of Education with reference to the role and functions of PRI's)

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्ददेश्य

7.3 पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषायें

7.4 पंचायती राज व्यवस्था का प्राचीन इतिहास

7.4.1 स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था का विकास

7.4.2 बलवन्तराय मेहता समिति का प्रतिवेदन

7.4.3 अशोक मेहता समिति की शिफारिशें

7.4.4 डॉ0 पी0 वी0 के0 राव समिति की शिफारिशें

7.4.5 डॉ एल. एम. सिंधवी समिति की शिफारिशें

7.4.6 73 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम, (1992)

7.5 वर्तमान समय में पंचायतों का स्वरूप

7.6 शिक्षा के विकेंद्रीकरण का अर्थ

7.7 पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन

7.7.1 ग्राम पंचायत संस्था और शिक्षा प्रबंधन

7.7.2 शिक्षा के प्रशासन में ग्राम पंचायत की भूमिका

7.7.3 कार्य दायित्व एवं शक्तियां

7.8 शिक्षा प्रशासन में पंचायत समिति की भूमिका

7.8.1 पंचायत समिति की संरचना

7.8.2 शिक्षा प्रशासन में पंचायत समिति की भूमिका एवं कार्य:

7.9 शिक्षा प्रशासन में जिला परिषद की भूमिका

7.9.1 जिला परिषद की संरचना

7.9.2 शैक्षिक प्रशासन मे जिला परिषद की शक्तियाँ एवं भूमिका

7.10 सारांश

7.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.12 निबंधात्मक प्रश्न

7.13 संदर्भ ग्रन्थ

7.1 प्रस्तावना :-

पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई) शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। नवीन पंचायत अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। अपने विविध कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, पंचायतें विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा उनके स्वामियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकती हैं। पंचायत प्रणाली स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी सक्रिय रूप से कार्य करती है। पंचायतों का कार्यक्षेत्र विविध स्तरों पर विस्तृत है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों जैसे आवश्यक संस्थानों का निर्माण, स्वच्छता संबंधी विषयों का समाधान, जलापूर्ति की व्यवस्था से लेकर ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन हेतु केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करना आदि सम्मिलित हैं। महात्मा गांधी ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद के तौर पर पंचायती राज की बात कही थी, जो सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें हर गाँव अपने मामलों के लिए खुद ज़िम्मेदार होता है। इस सपने को उन्होंने ग्राम स्वराज नाम दिया था। अलग-अलग समितियों की सलाहों और संविधान की ज़रूरतों के चलते अब इन संस्थाओं के पास आर्थिक उन्नति और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार, ज़िम्मेदारियाँ और प्रयाप्त बित्त है। राज्यों से यह उम्मीद की जाती है कि वे स्थानीय स्वशासन का एक मजबूत और काम करने लायक ढाँचा खड़ा करने के लिए अलग-अलग कानूनों के अनुसार कार्य करें। प्रस्तुत इकाई मे पंचायती राज का इतिहास एवं शिक्षा के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका आदि के संदर्भ मे विस्तृत चर्चा की गयी है।

7.2 उद्देश्य :

- विद्यार्थी पंचायती राज व्यवस्था एवं विकेन्द्रीकरण को समझ सकेंगे।
- विद्यार्थी पंचायती राज स्वशासन के प्रचीन एवं स्वतंत्रता के बाद के इतिहास एवं विकास का अवलोकन कर सकेंगे।
- विद्यार्थी स्वतंत्रता के बाद गठित विभिन्न समितियों के सुझावों व शिफारिशों का मूल्यांकन कर सकेंगे।

- विद्यार्थी पंचायती राज संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप एवं संरचना का बोध कर सकेंगे।
- विद्यार्थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् की संरचना, कार्य एवं भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे।
- विद्यार्थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के शैक्षिक प्रशासन में भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे।
- विद्यार्थी ग्राम पंचायत संस्थाओं के कार्य एवं महत्व को समझकर सामाजिक जीवन मे प्रयोग कर सकेंगे।

7.3 पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषायें:

पंचायती राज का अर्थ पचायतों द्वारा गांवो का शासन करना है ताकि गांवो का पुननिर्माण हो सके। पंचायती राज का संबन्ध सत्ता के प्रजातांन्त्रिक विकेन्द्रीकरण से है। पंचायती राज को लोकतंत्रीय राज्य में जनता को उसके कल्याण कार्य में सहभागी बनाने की पद्वति कहा जा सकता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक स्वशासन की पद्वति को विकसित किया जाता है तथा जन भागीदारी को बढाकर प्रशासनिक कार्यो को धरातल पर लागू किया जाता है।

1993 मे भारत के संविधान के 73वे और 74वे संशोधन अधिनियम के पारित होने के साथ, शक्तियों और कार्यो का विभाजन स्थानीय स्वशासनों (ग्राम स्तर पर पंचायत और नगरों एवं बडे शहरों मे नगर पालिकाऐं तथा नगरनिगम) तक किया गया है। इस प्रकार, भारत की संघीय व्यवस्था मे अब दो नहीं,बल्कि तीन स्तरीय सरकारें कार्य करती हैं।

भारत मे पंचायती राज का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है, पंचायती राज व्यवस्था को ही प्राचीन काल मे पंच परमेश्वर कहा जाता था जो कि गॉव के पॉच वरिष्ठ नागरिकों का एक समूह होता था। इन पचों के निर्णयों को समाज में सर्वोच्च्च प्राथमिकता दी जाती थी। वैदिककाल, रामायण, महाभारत, बौद्ध काल में भी पंचायतों की व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं तथा ब्रिटिश काल के दौरान पंचायती राज व्यवस्था को क्षति पहुची परन्तु लार्ड मेयो एवं लार्ड रिपन के काल मे पंचायती राज व्यवस्था को प्रयाप्त बल मिला। महात्मा गॉधी शुरू से ही पंचायती राज संस्थाओं के समर्थक रहे थे, उन्होंने पंचायतो को **रामराज्य** की संज्ञा दी थी।

रजनी कोठारी के अनुसार: ' राष्टीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था –पंचायती राज की स्थापना । इससे भारतीय राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उनकी एकता भी बढ रही है ।'

महात्मा गांधी के अनुसार: ' जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा, तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नही कर सकती । '

अनुच्छेद 40 मे पंचायती राज व्यवस्था: राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्यिां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने मे सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों ।

7.4 पंचायती राज व्यवस्था का प्राचीन इतिहास :

भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का इतिहास अत्यन्त प्राचीन रही है । वैदिक काल मे पंचायत, पॉच प्रबुद्व जनों का समूह हूआ करता था जिसे पंच- परमेश्वर कहा जाता था । ऋग्वेद में सभा, समिति तथा विदाथा के नाम से गांव के स्वशासन का उल्लेख मिलता है। पाँच प्रबुद्ध लोगों का समूह जिन्हें पंच-परमेश्वर कहा गया। ऋग्वेद में सभा, समिति एवं विदाथा के रूप में गांव की स्व शासन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जो स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। महाकाव्य युग के अन्तगर्त रामायण मे प्रशासन दो भागों: पुर एवं जनपद अर्थात नगर एवं ग्राम में विभाजित था।

वाल्मीकीय रामायण केवल भारतवर्ष का ही नही बल्कि विश्व का एक महानतम महाकाव्य है । इस महाकाव्य से ज्ञात होता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब विश्व के अन्य देश ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति और आचार विचार की दृष्टि से अत्यन्त पिछडे थे तो उस समय भारत एक विकसित सभ्यता वाला देश था। बाल्मीकी ने राज्य को सप्तांग स्वरूप में माना है । उनके अनुसार राज्य के ये सात अंग राजा, अमात्य, जपनद, कोष, पुर (दुर्ग), दण्ड तथा मित्र हैं । रामायणकाल राजतंत्रात्मक राज्यों का काल था परन्तु रामायण में परिषद, समिति तथा संसद तीन शब्दों का उल्लेख मिलता है । इस परिषद के सदस्य प्रतिष्ठित एवं विद्वान होते थे तथा उनका चुनाव सामान्य नागरिकों एवं विद्वान होते थे तथा चुनाव सामान्य नागरिकों में से किया जाता था ।

महाभारत के शांति पर्व में भी ग्रामपंचायत के एवं स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, महाभारत के अनुसार ग्राम के उपर 10, 20, 100 एवं 1000 ग्राम समूहों की इकाईयां विद्यमान थी, ग्रामिक ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, दशप दस ग्रामों का मुखिया, विश्य अधिपति,दस ग्राम अध्यक्ष तथा शत ग्रामपति 20, 100,तथा 1000 ग्रामों के मुखिया होते थे।

उत्तर वैदिक काल तक आर्य राज्यों का आधार जन या जाति था। जो जाति या वंश जहां वंश जहां बसता था, उसके नाम पर प्रान्त का नाम पड जाता था। इसमें16 जनपद प्रधान थे, जो इस प्रकार हैं: अंग, मगध, काशी,कोशल, वत्स, चेदि, कुरू, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अवन्ति,गांधार, कम्बोज, अश्वम। ये महाजनपद गणराज्य कहलाते थे क्योकि ये गणराज्य स्वतंत्र थे। प्रत्येक गणराज्य की एक व्यवस्थापिका होती जिसे संस्थागार कहते थे। राजवंश एवं अन्य वर्गो के प्रतिनिधि संस्थागार के सदस्य होते थे। मतदान पद्वति को येम्भुटयायिकेन कहा जाता था। मतदान की समस्त विधि को भली भॉति पूर्ण करने वाला अधिकारी शलाका ग्राहयक कहलाता था।

सूत्रकाल में दो प्रकार के राज्यों का उल्लेख मिलता है: राजतंत्र एवं गणतंत्र। पाणिनी के अष्टाधायी में गण और संघ की चर्चा आती है। अकेले गणतांन्त्रिक राज्य को गण और गणों के समूह को संघ कहा जाता था। ये ऐसे राज्य थे जिनमें प्रभुसत्ता एक व्यक्ति में न होकर समूह के हाथ में थी। इनकी कार्य पद्वति दलों पर अधारित थी।

भारत मे छठीं शताब्दी ई0पू0 एक धार्मिक क्रांति हुई। जिसके परिणामस्वरूप बौद्व धर्म एवं जैन धर्म का आर्विभाव हुआ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए जिसमे ऋषभ देव प्रथम एवं महावीर स्वामी 24वें तीर्थंक थे। जैन ग्रन्थों मे विभिन्न शासन प्रणालियों का विवरण मिलता है जिसमें गणरायाणि, जुरायणी,अरायाणि, विरूद्व जज्जाणि प्रमुख हैं। इन शासन प्रणालियों में कुछ राजतंत्रात्मक थी तो कुछ लोकतंत्रात्मक। जैन सूत्रों में भौज शासन प्रणाली का भी उल्लेख मिलता है।

बौध काल मे दो प्रमुख संप्रदाय थें- हीनयान एवं महायान। बौद्व संघ एक ऐसा संगठन था जिसमें बौद्व भिक्षु रहते थे जो मठों एवं विहारों मे रह कर अध्ययन किय करते थे। महात्मा बुद्व का बौद्व संघ एक लोकतांत्रिक संघ था जिसमें सभी सदस्यों को समान अधिकार थे। संघ के कार्यो के सम्पादन के लिए एक उचित व्यवस्था थी। किसी भी संघ की सभा में सर्वप्रथम प्रस्ताव पाठ पढा जात था प्रस्ताव को (नन्ति) कहा जाता था। यह प्रस्ताव तीन बार पढा जाता था तथा किसी भी प्रकार की आपत्ती ना होने पर प्रस्ताव पास माना जाता

था। प्रस्ताव के पठन को अनुसावन कहा जाता था। प्रस्ताव पाठ के बाद यदि कोई विवाद या सुझाव होता तो मतदान होता था जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता था। मतदान के बाद बहुमत का निर्णय ही सर्वमान्य होता था।

बौद्व काल में शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक एवं विकेन्द्रित थी। डॉ0 काशीप्रसाद जायसवाल लिखते हैं कि – ' इनके यहां नागरिक सेना थी। प्रत्येक राज्य में सम्पूर्ण जनता सशस्त्र थी। यही नागरिक कृषि करते थे एवं उद्योग भी चलाते थे। बौद्ध काल में सत्ता और शासन, उत्पादक वर्ग से अलग नही था। पूरा समाज का स्वायत्त शासन था(Communal self-governing habits).

मौर्य काल में स्वशासन या शासन व्यवस्था की यदि बात करें तो इसका प्रमुख स्त्रोत अशोक के शिलालेखों से प्राप्त जानकारी एवं कौटिल्य की प्रमुख रचना अर्थशास्त्र को आधार बनाया जा सकता है। इन प्रमुख स्त्रोतों से जानकरी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य पांच भागों में विभक्त था-

1- प्राच्य 2- उदीच्य 3- अवन्तिरट्ठ 4- कलिंग 5- दक्षिणापथ।

प्राच्य मौर्य काल की राजधानी थी, जिसमें सम्राट प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। इन पांचों प्रान्तों में अनेक छोटे मंण्डल होते थे जिनमें कुमारों के अन्तर्गत महामात्य (मंत्री) शासन करते थे। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में मौर्यो के विकेन्द्रीयकरण शासन का उदाहरण मिलता है जो निम्नवत् है-

1- केन्द्र: सम्राट द्वारा मन्त्रिपरिषद की सहायता से शासन।
2- प्रान्त: कुमारों द्वारा शासन।
3- विषय: विषयपति द्वारा शासन।
4- जनपद: स्थानिक द्वारा शासन।
5- ग्राम: ग्रामिक द्वारा शासन।

नोट:- प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसके मुखिया को ग्रामिक कहते थे, 10 ग्रामों से समूह को संग्रहण, 200 गॉवों के समूह को खार्वटिक, 400 गॉवों के समूह को द्रोणमुख तथा 800 गॉवों के समूह को महाग्राम कहते थे तथा इसके मुखिया को स्थानिक कहा जाता था। मौर्योत्तर काल में ग्राम का मुखिया बुजुर्गों की एक परिषद द्वारा चलाया जाता था। ग्राम पंचायत की यह प्रणाली गुप्तकाल में भी जारी रही जहां जिला अधिकारी को विषपति तथा ग्राम प्रधान को ग्रामपति कहा जाता था।

स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल मे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था थी तथा क्षेत्रीय और ग्रामीण स्तर पर शासन प्रशासन का अधिकार स्थानीय ग्रामीणों के पास था। यहां पर शासन – प्रशासन में स्वायत्ता तथा शक्तियों का विभाजन था तथा सत्ता का विकेन्द्रीयकरण था। ग्रामीण स्तर पर ग्रामपंचायते शक्तिशाली एवं मजबूत थी जो अनेकों न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यो का निपटारा स्वयं करती थी।

मध्यकाल में राज्य प्रान्तों में विभाजित थे जिन्हें विलायत कहा जाता था, ग्रामीण एवं स्थानीय प्रशासन के लिए तीन अधिकारी प्रमुख होतेथे:-

1- प्रशासनिक कार्यो के लिए – मुकद्दम
2- राजस्व हेतु – पटवारी
3- पंचों की सहायता एवं विवादों के समाधान के लिए – चौधरी

ब्रिटिश काल मे ग्राम पंचायतों का अस्तित्व कमजोर पड. गया था तथा उनकी शक्तियां स्थिल हो गयी थी। लार्ड मेयो ने पुन: ग्राम पंचायतों की महत्ता को स्वीकारा एवं स्थानीय संस्थाओं के उत्थान की पहल की। लार्ड मेयो के प्रयासों को सफलता तब मिली जब 1882 में लार्ड रिपन ने स्थानीय संस्थाओं के लिए प्रजातांन्त्रिक ढांचा तैयार किया तथा इस ढांचे को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। मॉटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 मे अनुशंसा की गयी कि स्थानीय निकायों के पास पूर्ण स्वायत्ता एवं नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए। 1926 तक देश के आठ प्रांतो ने एवं छ: देशी रियासतों पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था।

7.4.1 स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था का विकास:

स्वतंत्रता के बाद नीति निर्माताओं ने संविधान मे पंचायतों का समावेश करने का लेकर परिचर्चा हुई तथा इसे राज्य के नीति निदेशक सिद्वांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में शामिल किया तथा अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंन्धित किसी भी विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया। 1950 में भारत का नया संविधान लागू हो गया। केन्द्र सरकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्यो मे पंचायती राज्य एवं सामुदायिम विकास मंत्रालय की स्थापना अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। वर्ष 1993 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के सहयोग हेतु राष्ट्रीय विस्तार सेवा (National Extension Service) का प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुररूत्थान की राष्ट्रीय योजनाओं

के प्रति देश की ग्रामीण जनता स्वयं सहभागी होकर ग्रामीण विकास को सफल बनाय। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया-

1. गॉवों मे सम्पर्क मार्गो का विकास।
2. स्वास्थय कल्याण के कार्यक्रम।
3. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना।
4. ग्रामीणों को विभिन्न क्षेत्रों मे प्रशिक्षित कर आय एवं आत्मविश्वास मे वृद्वि करना।
5. कृषि उपज पढाने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित करना।
6. यह प्रयास करना कि स्वयं ग्रामीण जनता एवं विकास एवं कल्याण कार्यक्रम मे आगे आये तथा सरकारी तंत्र के सहयोग से कार्य करे।

सामुदायिक विकास के कार्यक्रमो को आगे बढाने के साथ ही पंचाजती राज प्रणाली की वर्तमान संरचना आने तक अनेको समितियों का गठन किया जिनकी शिफारिसों में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहे। प्रमुख समितियों के सूझावों की चर्चा यहां पर की जा रही है –

7.4.2 बलवन्तराय मेहता समिति का प्रतिवेदन:-

वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अवलोकन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री बलवन्तराय मेहता ने की। इस कमेटी ने सरकार को अवगत कराया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का प्रमुख कारण जनता का असहयोग रहा तथा यह सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने मे पंचायती राज सेवाओं की शुरूआत अतिशीघ्र की जानी चाहिये। इस कमेटी ने 1957 में लोकतांन्त्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम से यह प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया था जिसकी अन्य सुझाव निम्नवत् हैं :-

1- स्थानीय स्वशासन को गॉव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय व्यवस्थाकरनी चाहिये- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।

2- इन स्थानीय संस्थाओं को प्रशासन की वास्तविक शक्तियां तथा उत्तरदायित्व प्रदान करना चाहिए।

3- सरकार द्वारा चलाए गये आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रमो को इन संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाना चाहिए।

4- स्थानीय संस्थाओं को आवश्यक संसाधन मुहैया कराये जाने चाहिए जिससे कि वे स्वतंत्रता पूर्वक अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सकें।

5- इस व्ययस्था को शीघ्र लागू करके अवलोकन करना चाहिए जिससे कि भविष्य मे अधिक शक्ति एवं बडे उत्तरदायित्व दिये जा सकें।

6- इस व्यवस्था मे देश के पिछडे वर्गो अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गो का उचित प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।

बलवन्तराय मेहता समिति के प्रतिवेदन का प्रभाव एवं पंचायती राज व्यवस्था की स्वंतन्त्र भारत मे शुरूआत:-

पंचायती राज योजना की शुरूआत 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से किया गया। 1963 तक भारतीय संघ के सभी राज्यों मे पंचायत राज की व्यवस्था की गई। लगभग 10 वर्षो तक पंचायत राज व्यवस्था सही ढंग से चलने के बाद स्थिति संन्तोषजनक नही रही तथा भारत के कई राज्यों मे इस व्यवस्था मे अनेकों समस्यायें आने लगी। कई राज्यों मे तो एक दशक तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव ही नही हुये।

7.4.3 अशोक मेहता समिति की शिफारिशें:-

अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 12 सितम्बर 1977 में जनता सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत एवं फिर से सक्रिय करन और प्रभावशी बनाने के लिए किया गया था। अशोक मेहता समिति के गठन का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था के कमजोर प्रदर्शन के प्रमुख कारणों की जांच करना और इसे बेहतर बनाने के हेतु सुझाव देना भी था। श्री अशोक मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे तथा समिति ने वर्ष 1978 मे अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपी, जिसमे प्रमुख रूप से निम्नलिखित सिफारिशें दी-

1- त्रिस्तरी पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय संरचना वाली पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाए, जिसमे जिला परिषद और मंडल पंचायत को सम्मिलित किया जाये।

2- जिला परिषद को मजबूत बनाया जाय तथा ग्राम पंचायत की जगह मंण्डल पंचायत की स्थापना की जाए।

3- राज्य मे विकेन्द्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो तथा जिला परिषद को समस्त विकास कार्यो का केन्द्र बिन्दु बनाया गया।

4- राजनीतिक दलों को सभी स्तरों पर पंचायत चुनावों मे प्रतिभाग लेने की अनुमति अनुमति दी जाये।

5- जिला स्तर के नीचे मण्डल का गठन किया जाए, जिसमे लगभग 15000 से 20000 जनसंख्या और 11 से 15 गॉव समिल्लत होने चाहिये।

6- जिला परिषद एवं मण्डल पंचायत का कार्यकाल 4 वर्ष का हो।

7- पंचायती राज संस्थाएॅ समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यो का सम्पादन करें।

8- पंचायत सस्थाओं के समाप्त होने के बाद 6 महिने के अन्तराल मे चुनाव कराये जायें।

9- अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मदवारों के लिए सीट्ें आरक्षित की जायें।

10-पंचायत राज मंत्री की नियुक्ति राज्य स्तर पर की जानी चाहिये।

7.4.4 डॉ0 पी0 वी0 के0 राव समिति की शिफारिशें :-

डॉ0 पी0वी0 राव की अध्यक्षता में वर्ष 1985 मे एक समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक परिचालन तत्रं की समीक्षा हेतु गठित की गई। इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद्,मण्डल स्तर पर मण्डल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के गठन की सिफारिश की गयी थी, तथा पंचायती राज व्यवस्था को **जड विहीन घास** कह कर संबोधित किया था। लेकिन इनकी शिफारिशों को स्वीकार नही किया गया था।

7.4.5 डॉ एल. एम. सिंधवी समिति की शिफारिशें :-

वर्ष 1987 मे तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र और विकसा के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरोद्वार पर एक शिफारिश पत्र विकसित करने हेतु एक समिति बनाई जिसकी अध्यक्षता डॉ एल. एम. सिंधवी ने की। इस समिति ने गांवो के पुनर्गठन और पंचायतोको पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराने की अनुशंसा की। इस समिति की प्रमुख बात यह थी कि इसने ग्राम सभाओं को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अवतार कह कर संबोधित किया। इस समिति की प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं :-

1. स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिये।

2. पंचायती राज से संबंधित मुद्दों का निपटारा करने हेतु पंचायत न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित करना चाहिये।
3. पंचायतो को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने हेतु सुझाव दिये।
4. ग्राम सभाओं को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

वर्ष 1988 मे पंचायती राज सस्थाओं के कार्यो की समीक्षा करने तथा सुधार करने के संबध में सिफारिश करने हेतु पी. के. थुंगन समिति का गठन किया गया जिसने अपने सुझाव मे कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान मे स्थान दिया जाय। इस आधार पर केन्द्र सरकारने 64वॉ संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा मे रखा, लेकिन इस विधेयक को राज्यसभा मे आवश्यक बहुमत नही मिल सका। दसवी लोक सभा चुनाव के बाद सरकार द्वारा इसे फिर से प्रयत्न किये तथा वर्ष 1993 में पंचायत राज के संबध मे 73 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया।

7.4.6 73 वॉ संविधान संशोधन अिधनियम, (1992) :-

73वे संविधान संशोधन मे एक नया भाग IX तथा अनुच्छेद 16 व एक नयी अनुसूची 11वी अनुसूची जोडी गयी है और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संशोधन के उपरांत अब प्रत्येक राज्य अनिवार्य रूप से विधि अनुसार पंचायतों का गठन तथा उसके अनुसार स्थानीय शासन तंत्र की कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार अब पंचायतों का गठन करना प्रत्येक राज्य सरकारों का अनिवार्य दायित्व है। 25 अप्रैल 1993 से पंचायती राज की निम्नलिखित व्यवस्थायें की गयी हैं –

संरचना:- इस अधीनियम मे प्राथमिक स्तर पर गांव की उचित प्रशासनिक व्यवस्था की है। प्रत्यके गांव के सभी व्यस्क नागरिकों से मिलकर बनने वाली सभा को ग्राम सभा का नाम दिया जाता है।इस प्रकार यह ग्रामीण क्षेत्र मे स्थानीय स्वशासन की प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय संस्था है। यह ग्रामीण स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यो को करेगी जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर निश्चित करेंगें।

पंचायतों का गठन:- अनुच्छेद 243(ख) मे ग्राम सभा के अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। पंचायत राज व्यवस्था के तीन स्तर हैं – ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खण्ड या मध्यवर्ती स्तर पर खण्ड समिति, क्षेत्र समिति या पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला स्तर पर जिला

परिषद्, लेकिन जिन राज्यों या संघीय राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वे इस सम्बन्ध मे निर्णय लेगें कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत राज संस्था रखी जाए या नही।

पंचायतो की संरचना:– पंचायतो के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्रो से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से निर्वाचन क्षेत्रों मे विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र के समान हो। राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा ऐसे लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों जिनके निर्वाचन क्षेत्र का कोई भाग किसी माध्यमिक या जिला पंचायत क्षेत्र मे आता हो तथा ऐसे राज्य सभा व विधानपरिषद् सदस्य, जो कि उस क्षेत्र मे मतदाता के रूप मे पंजीकृत है, को माध्यमिक व जिला पंचायत का सदस्य बना सकती है। ग्राम पंचायत मे वार्डो की न्यूनत संख्या 10 और अधिकतम संख्या 20 रखी गई है।

चुनाव की विधि एवं पिछडे वर्गो हेतु प्रावधान:– पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और जिला परिषद के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। मध्यतर्वी स्तर की संस्था के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष यह बात संबंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी। गाम पंचायतो मे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जनसंख्या के अनुपात मे होगी। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसमे पहली बार की गयी और वर्तमान मे ग्राम पंचायतो मे कम से कम 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जातियों और जनजातियोंके लिए आरक्षित स्थानो की जो संख्या होगी, उनमे भी 30 प्रतिशत स्थान उन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ग्राम पंचायतों मे सरपंच के लिए भी की गयी है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यह आरक्षण उस अवधि तक प्रभावी रहेगा, जिस अवधि तक अनुच्छेद 334 के अधीन उन्हे आरक्षण प्राप्त हैं।

सदस्यों की योग्यताऍ एवं कार्यकाल:- सदस्यों की योग्यताऐं एवं कार्यकाल निम्नवत् है –

1- नागरिक ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

2- वह व्यक्ति राज्य विधान मण्डल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

3- वह संबंधित राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्मित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।

पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, इससे पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है, यदि उस समय प्रवृत किसी विधि के अधीन ऐसे उपबंध हो। किसी पंचायत के गठन के लिए चुनाव 1- पॉच वर्ष की अवधि के पूर्व का हो , 2- विघटन की तिथि से 6 मॉह की अवधि समाप्त होने के पूर्व करा लिया जाएगा। पंचायतो के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और पंचयातो के सभी निर्वाचनो के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा।

7.4 <u>वर्तमान समय में पंचायतों का स्वरूप:-</u> पंचायती राज व्यवस्था को आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर समुचिम अधिकार दिये गय हैं। स्वास्थ, शिक्षा, सडक, पानी, खेती, उद्योग धन्धे, भवन निर्माण, प्रशासन और न्याय आदि से सम्बन्धित विभिन्न कर्त्तव्यों को पूरा करने की व्यवस्था पंचायते करती हैं। विभिन्न राज्यों मे अलग अलग नियमो के अर्न्तगत पंचायत राज की स्थापना की गई है। पंचायती राज के अन्तर्गत ग्रामीण प्रशासन को तीन श्रेणियों मे बांटा जा सकता है –

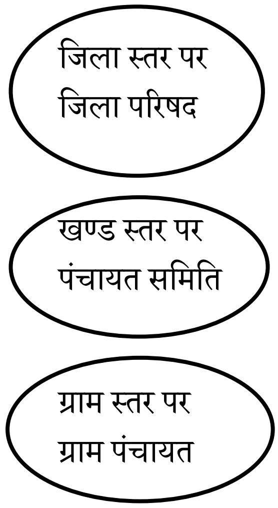

इस प्रकार, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें समस्त प्रशासनिक तथा न्यायिक और कल्याण कार्यो को पूर्ण करती हैं। ब्लाक स्तर पर पंचायतों और अन्य ग्रामीण संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् ग्रामीण स्वराज्य की इकाइयां हैं। ग्राम पंचायतों पर सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। पंचायत इन्सपेक्टर, पंचायत अधिकारी तथा पंचायत निर्देशक विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के कार्यो पर दृष्टि रखते हैं।

ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नौवीं पंचर्षीय योजना में जहां ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 42874 करोड रूपये का प्रावधान किया गया, वहीं दसवीं पंचवर्षीय योजना में 76774 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यू.पी.ए. सरकार के सत्ता मे आने के बाद प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया है।

7.5 अभ्यास के लिए प्रश्न:

1. मौर्य काल मे 10 ग्रामो के समूह को क्या कहते थे ?

   अ) ग्राम ब) संग्रहण स) खार्वरिक द) महाग्राम

2. बलवन्त राय मेहता समिति गठित की गई थी –

   अ) 1957 ब) 1956 स) 1958 द) 1960

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की शिफारिश किस समिति ने की ?

   अ) अशोक मेहता समिति ब) बलवन्त राय समिति स) डॉ. पी. बी. के. राव समिति द) डॉ.एल.एम. सिंधवी समिति

7.6 शिक्षा के विकेंद्रीकरण का अर्थ:-

शिक्षा का विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शिक्षा के प्रबन्ध्ान, प्रशासन, नियंत्रण, वित्तपोषण आदि दायित्वों का निर्वहन केंन्द्र सरकार से राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर जैसे कि जिला स्तर, ब्लाक स्तर, स्कूल बोर्ड, और सामुदायिक संगठनों आदि को स्थानान्तरित कर शक्तियों का विभाजन कर कार्य मे अधिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाना। यह देश, राज्य एवं स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों, प्रणालियों एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का एक व्यवस्थित तरीका है।

शिक्षा का विकेंद्रीकरण एक ऐसा व्यवस्थित तरीका है जो शिक्षा को राष्टीय, स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों और प्रणालियों के अनुकूल बनाने में मदद करता है, जिससे शिक्षा गुणात्मक, अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बन जाती है। शिक्षा में विकेंद्रीकरण को विद्यार्थी केन्द्रित निर्णय लेने के अधिकार के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह किसी संगठन के निचले स्तरों पर शक्तियों को

स्थानांतरित करने का रूप ले सकता है, जिसे विकेंद्रीकरण या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। शिक्षा में विकेंद्रीकरण का एक लोकप्रिय रूप स्थानीय प्रशासन एवं स्कूल प्रबंधन की अतिरिक्त जवाबदेही एवं ज़िम्मेदारियाँ तय करना भी है । इसे प्राय: स्कूल स्वायत्तता या स्कूल-आधारित प्रबंधन कहा जाता है और यह निर्वाचित या नियुक्त स्कूल परिषदों के निर्माण और उन्हें बजट और महत्वपूर्ण शैक्षिक निर्णय लेने का अधिकार देने का रूप ले सकता है। विकेंद्रीकरण स्कूल के निदेशकों/ प्रधानाचार्यो और शिक्षा संकाय को स्कूल के भीतर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने का रूप भी ले सकता है।

विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण का दूसरा रूप, सरकार के निचले स्तरों को शक्तियों का हस्तांतरण करना है। अक्सर, शिक्षा की ज़िम्मेदारियाँ क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर सामान्य-उद्देश्य वाली सरकारों को हस्तांतरित की जाती हैं। भारत में स्थानीय (जिला) स्तर की सरकारों को बुनियादी शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना इसका उदाहरण है। दुर्लभ मामलों में अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ एकल-उद्देश्य वाली सरकारों को दी जाती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय स्कूल । जब शिक्षा की ज़िम्मेदारियाँ सामान्य-उद्देश्य वाली सरकारों को हस्तांतरित की जाती हैं, तो उन सरकारों के निर्वाचित शासी निकायों को यह निर्णय लेना चाहिए कि शिक्षा बनाम अन्य स्थानीय सेवाओं पर कितना खर्च किया जाए।

विकेंद्रीकरण निर्णय लेने की प्रक्रिया को लोगों के और करीब ले जाता है और उन्हें स्कूली शिक्षा के निर्णयों में अधिक बोलने का मौका देता है, साथ ही सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह ठहराने की अधिक क्षमता भी देता है। सिद्धांत रूप में, स्कूलों को अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए अपने स्वयं के स्कूल सुधार विकसित करने का अधिकार दिया जाता है। व्यवहार में, कमज़ोर प्रबंधन क्षमता, अपर्याप्त निधि, अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षक और कमज़ोर प्रणाली, विकेंद्रीकरण की सकारात्मक क्षमता को साकार करना मुश्किल बनाते हैं। शिक्षा विकेंद्रीकरण पर अनुभवजन्य शोध साक्ष्य मिश्रित हैं, लेकिन अक्सर यह दर्शाता है कि स्कूल प्रशासन में माता-पिता की भागीदारी बढ़ाना, शिक्षकों को अपनी पाठ्यपुस्तकें चुनने का अधिकार देना और स्कूल निदेशकों को शिक्षकों की भर्ती करने का अधिकार देना शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक योगदान देता है।

7.7 पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन:

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पंचायती राज और नगरपालिकाओं की मुख्य भूमिका है। समय समय पर ऐसा महसूस किया जाता रहा है कि समुदाय और शिक्षा व्यवस्था के बीच एक दूरी है, जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चों का दाखिला कराने, उन्हें स्कूल में बनाए रखने और सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कोशिशें उतनी सफल नहीं हो पाई हैं। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को और भी सुद्रढ, प्रभावी और जवाबदेह बनाने का सदा से प्रयास रहा है। पंचायती राज और नगरपालिकाओं को अलग-अलग स्तरों पर शिक्षा के अलग-अलग कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उन पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी दी गयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हर स्तर पर शिक्षा की योजना और प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करने के महत्व पर ज़ोर दिया गया है, ताकि समुदाय की ज़्यादा भागीदारी हो सके। इससे पूर्व 73वें और 74वें संविधान संशोधन कानूनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर दिशा-निर्देश बनाने के लिए सीएबीई समिति बनाई। इस समिति को अपने दायरे में ज़िला, उप-ज़िला और गाँव के स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किय थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने सीएबीई समिति को सलाह देने के लिए एनआईईपीए में एक कोर ग्रुप बनाया, जिसमें श्री पीके उमा शंकर, श्री बलदेव महाजन और डॉ. एससी नूना शामिल थे। इस कोर ग्रुप ने समिति के इस्तेमाल के लिए कई दस्तावेज़, पृष्ठभूमि पत्र और सामग्री तैयार करके समिति को सलाह देने में मदद की।

7.7.1 ग्राम पंचायत संस्था और शिक्षा प्रबंधन:

सीएबीई द्वारा मंज़ूर की गई कार्य योजना में ग्राम शिक्षा समितियों (BEC) को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। आमतौर पर गाँव एक एकजुट समुदाय का प्रतीक होता है और समुदाय के सहयोग से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है, जैसे कि छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। ग्राम शिक्षा समितियों को लोगों को शिक्षा संबंधी कामों में शामिल करने और उन्हें संगठित करने के लिए एक बेहतरीन संगठन माना जा सकता है।

7.7.2 शिक्षा के प्रशासन में ग्राम पंचायत की भूमिका:

भारत में पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1992 में संविधान का तिहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं को ग्राम सभाओं और ग्राम

पंचायतों की शक्तियों तथा संरचना का निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप, ग्राम पंचायतों के अधिकार, कार्य और संरचना स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत, गाँव की ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित पंचों का एक संगठन है, जो एक स्वशासन निकाय के रूप में कार्य करता है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या गाँव की जनसंख्या पर आधारित होती है। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों में जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सामाजिक न्याय एवं विकास को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तिकरण, आर्थिक विकास सुनिश्चित करना आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत जमीनी स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएबीई समिति (1993) की रिपोर्ट भी सफल शैक्षिक प्रबंधन के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण के महत्व पर बल देती है। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, सामान्य पंचायती राज संरचनाओं से भिन्न शिक्षा के लिए व्यापक-आधारित सहभागी संरचनाओं की आवश्यकता है।

7.7.3 शैक्षिक दायित्वों के लिए ग्राम पंचायत की संरचना:

ग्राम स्तर पर शिक्षा प्रशासन की देखरेख हेतु पंचायत स्थायी समिति (पीसीई) का गठन आवश्यक है, जिसमें न्यूनतम पंद्रह सदस्य होने चाहिए। इस समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

- पंचायत अध्यक्ष
- अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (बीसी), एवं अल्पसंख्यक समुदाय से एक-एक सदस्य का प्रतिनिधित्व
- अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) का एक प्रतिनिधि
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- शिक्षा के प्रति अभिरुचि रखने वाला एक व्यक्ति
- सदस्य सचिव के रूप में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक

कार्य दायित्व एवं शक्तियां :-

ग्राम पंचायत निम्नलिखित क्षेत्रों में पर्यवेक्षण कार्य करेगी:

- उपस्थिति एवं अन्य रजिस्टरों की जांच करना, पूछताछ करना तथा गांव में शैक्षिक कमियों एवं आवश्यकताओं के बारे में संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करना
- संबंधित प्राधिकारी को स्कूल के वार्षिक बजट की सिफारिश करना
- उन्हें सौंपे गए निर्माण और मरम्मत कार्यों को करना
- छात्रों की नियमितता, शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट करना
- जिला परिषद के मार्गदर्शन में स्कूल कैलेंडर तैयार करना
- शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करना
- प्रौढ़ शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा।
- पंचायत समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत समग्र उच्च प्राथमिक विद्यालय का पर्यवेक्षण।
- प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए अभियान चलाना और शाला त्यागी बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना।
- प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए उपाय और आवश्यक सेवाएं शुरू करना।
- शैक्षिक एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं तथा अन्य हितधारकों का समर्थन प्राप्त करना।
- विद्यालयों में जलापूर्ति, शौचालय, खेल के मैदान और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु संसाधन जुटाना और सहायता करना।
- संपूर्ण वयस्क साक्षरता और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गाँव में शिक्षा के विकास हेतु अपनी क्षमता के अनुसार योजनाएँ और प्रस्ताव तैयार करना।

7.8 शिक्षा प्रशासन में पंचायत समिति की भूमिका:

पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर एक चुनी हुई कानूनी संस्था है, जिसके पास व्यापक कार्यक्षेत्र है और जिसे आवश्यक अधिकार एवं संसाधन प्राप्त हैं। इसे सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, जबकि राज्य सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। पंचायत समिति का भौगोलिक क्षेत्र न तो अत्यधिक विस्तृत और न ही अत्यधिक सीमित होना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था और दक्षता के सिद्धांतों का पालन हो सके। यह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होनी चाहिए और इसकी गतिविधियाँ सामान्य नागरिकों की पहुँच के भीतर होनी चाहिए।

7.8.1 पंचायत समिति की संरचना:

पंचायत समिति में शिक्षा संबंधी एक स्थायी समिति (पीएससीई) गठित की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 11 और अधिकतम 17 सदस्य होंगे। इस समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

- पंचायत समिति का अध्यक्ष
- अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (बीसी), एवं अल्पसंख्यक समुदायों से एक-एक सदस्य का प्रतिनिधित्व
- अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) अथवा किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) का एक प्रतिनिधि
- ग्राम शिक्षा समिति (वीईसी) अथवा पंचायत शिक्षा समिति (पीईसी) के एक या दो प्रतिनिधि, जो बारी-बारी से नामित किए जाएँगे
- किसी डिग्री अथवा पूर्व-डिग्री कॉलेज के प्राचार्य
- किसी स्कूल परिसर अथवा माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक
- शिक्षकों का एक प्रतिनिधि
- सदस्य सचिव के रूप में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अथवा उनके समकक्ष पद का अधिकारी

7.8.2 शिक्षा प्रबंधन में पंचायत समिति की भूमिका एवं कार्य:

शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में पंचायत समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, तथा सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रबंधन करना।

- जिला परिषद के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करना।
- जिला परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र में सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान का पर्यवेक्षण एवं वितरण करना।
- निजी विद्यालयों सहित अपने क्षेत्र के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षणिक पर्यवेक्षण करना।
- अपने अधिकार क्षेत्र में प्राथमिक स्तर तक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना।
- आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य सामाजिक सेवा विभागों एवं समितियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

7.9 शिक्षा प्रशासन में जिला परिषद की भूमिका:

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, ज़िला परिषद एक निर्वाचित निकाय है। ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष अथवा ब्लॉक प्रमुख भी ज़िला परिषद में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य विधानमंडल के सदस्य और भारत की संसद के सदस्य भी ज़िला परिषद के सदस्य होते हैं। ज़िला परिषद शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।

7.9.1 जिला परिषद की संरचना:

सीएबीई समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप, शिक्षा प्रशासन हेतु ज़िला परिषद की संरचनाएँ निम्नलिखित प्रकार से होंगी:

- ज़िला परिषद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति (जेडपीएससीई) में न्यूनतम 15 और अधिकतम 21 सदस्य होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- अध्यक्ष, ज़िला परिषद
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक समुदायों से एक-एक प्रतिनिधि
- अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) अथवा किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) का एक प्रतिनिधि
- पंचायत समिति तथा पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति के दो या अधिक प्रतिनिधि

- किसी महाविद्यालय के प्राचार्य
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से शिक्षा के प्रोफेसर
- ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के प्राचार्य
- किसी स्कूल परिसर अथवा माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक
- शिक्षकों का एक प्रतिनिधि
- सदस्य सचिव के रूप में मुख्य शिक्षा अधिकारी अथवा उनके समकक्ष पद का अधिकारी

7.9.2 शैक्षिक प्रशासन मे जिला परिषद की शक्तियाँ एवं भूमिका:

शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में जिला परिषद के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित होंगे:

- माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना एवं रखरखाव करना, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति एवं स्थानांतरण, वेतन का वितरण तथा सरकारी निर्देशों के अनुपालन में कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना सम्मिलित है।
- सरकारी दिशा-निर्देशों के अधीन माध्यमिक स्तर तक के सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों का नियंत्रण एवं शैक्षणिक पर्यवेक्षण करना।
- शैक्षिक संस्थानों के सुचारु संचालन हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मानकों का निर्धारण करना।
- सरकारी निर्देशों के अनुसार सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान वितरित करना।
- पंचायत समिति शिक्षा समितियों एवं पंचायत शिक्षा समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
- शिक्षा बजट तैयार करना एवं उसे स्वीकृति प्रदान करना।
- जिला शिक्षा निधि का प्रबंधन करना।
- जिले के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना।
- जिला परिषद को शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु उपकर, अधिभार एवं कर लगाने जैसे उपायों का प्रस्ताव करना।

7.10 सारांश:

पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई) शिक्षा प्रशासन में महत्वपूर्ण हैं। नए पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को कई अधिकार और जिम्मेदारियाँ मिली हैं, जिनके तहत वे आवश्यक दिशा-निर्देश

जारी कर सकती हैं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्य कर सकती हैं। इनके कार्यों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, स्वच्छता, जलापूर्ति और रोजगार सृजन शामिल हैं। महात्मा गांधी ने इसे ग्राम स्वराज के रूप में भारत की राजनीतिक व्यवस्था की नींव माना था। विभिन्न समितियों और संविधान की जरूरतों के अनुसार, इन संस्थाओं को अब आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार, जिम्मेदारियाँ और वित्त प्राप्त हैं। राज्यों से अपेक्षा है कि वे स्थानीय स्वशासन का मजबूत ढाँचा तैयार करें। प्रस्तुत इकाई में पंचायती राज का इतिहास और शिक्षा के संदर्भ में इसकी भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पंचायती राज और नगरपालिकाओं की मुख्य भूमिका है, क्योंकि समुदाय और शिक्षा व्यवस्था के बीच दूरी महसूस की जाती रही है। स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं, और पंचायती राज तथा नगरपालिकाओं को शिक्षा कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी शिक्षा के विकेंद्रीकरण और समुदाय की भागीदारी पर जोर देती है। आज पंचायत राज संस्थाऐं केन्द्र एवं राज्यों के बीच शिक्षा के क्षेत्र न केवल एक सेतु के रूप मे कार्य रहीं है बल्कि केन्द्र एवं राज्यों की शैक्षिक नीतियों का प्रभावशाली ढंग से लागू भी कर रही है। पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों मे सांमज्य बन रहा है और साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के द्वारा मिलकर शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा मे बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

7.11 **अभ्यास प्रश्नों के उत्तर :**

1. ब) संग्रहण।
2. अ) 1957
3. अ) अशोक मेहता समिति।

7.12 निबंधात्मक प्रश्न:

1. 73वे संविधान संशोधन मे पंचायतो के गठन एवं संरचना पर प्रकाश डालिए।

2. शिक्षा के विकेन्द्रीकरण से आप क्या समझते हैं ?

3. ग्राम पंचायत की संरचना एवं भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

4. ग्राम पंचायत की प्राचीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक लेख लिखिये।

7.13 संदर्भ ग्रन्थ :

1. मजूमदार, आर.सी. कारपोरेट लइफ इन एशियेट इण्डिया, कोलकाता
2. प्रसाद, बेनी, दि स्टेटस इन एशियेन्ट इंण्डिया, भारतीय ग्रन्थ माला, इलाहाबाद
3. प्राचीन स्थानीय प्रशासन, प्रिन्टवैल पब्शिर्स, जयपुर
4. पाण्डेय, राजबली, प्राचीन भारत, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
5. शर्मा, रामविलास, मानव सभ्यता का विकास,वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
6. सिंह, तेजराम, प्राचीन भारत मे ग्राम स्वराज अवधारणा का ऐतिहासिक अध्ययन, यू.पी.
7. file:///C:/Users/delhi%20laptop/Downloads/Gram%20Panchyat%20books%20notes.
8. file:///C:/Users/delhi%20laptop/Downloads/पंचायती%20राज%20व्यवस्था%20Panchayati%20Raj%20System.
9. जोशी, आर.पी. व मंगलानी, रूपा, पंचायतीराज के नवीन आयाम, यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा) लि0 जयपुर
10. ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स, जयपुर
11. प्रसाद, लालता, अमित गौतम, प्राथमिक शिक्षा में पंचायती राज संस्थाओं संस्थाओं की भूमिका, बी.एच.यू
12. कौर, गुरमनजीत कौर, स्कूल शिक्षा में शैक्षिक प्रशासन, प्रबन्धन व नेतृत्व।

इकाई 8 - विद्यालय शिक्षा का प्रबंधन, प्रबंधन प्रक्रिया, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण

8.1 प्रस्तावना

8.2 अध्ययन के उद्देश्य

8.3 प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा

8.4 प्रबंधन की विशेषताएँ

8.5 विद्यालय प्रबंधन: शिक्षा प्रबंधन

8.6 विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य

8.7 प्रबंधन प्रक्रिया

8.8 प्रबंधन प्रक्रिया की विशेषताएँ

8.9 प्रबंधन प्रक्रिया के चरण

- 8.9.1 नियोजन: अर्थ एवं परिभाषा
- 8.9.2 नियोजन: आवश्यकताएँ
- 8.9.3 नियोजन: सावधानियाँ
- 8.9.4 संगठन: अर्थ एवं परिभाषा
- 8.9.5 संगठन: आवश्यकताएँ
- 8.9.6 संगठन: सावधानियाँ
- 8.9.7 निर्देशन: अर्थ एवं परिभाषा
- 8.9.8 निर्देशन संचालन संबंधित कार्य
- 8.9.9 निर्देशन संबंधी सावधानियाँ
- 8.9.10 नियंत्रण का अर्थ
- 8.9.11 नियंत्रण संबंधी कार्य
- 8.9.12 नियंत्रण सम्बन्धी सावधानियाँ

8.10 सारांश

8.11 शब्दावली

8.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

8.13 संदर्भ ग्रंथ सूची

8.14 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना (Intorduction)

विद्यालय प्रबंधन आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक अत्यंत आवश्यक एवं अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से किसी भी शैक्षणिक संस्था का समुचित संचालन, विकास और मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाता है। यह केवल विद्यालय की व्यवस्थागत गतिविधियों का संचालन मात्र नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत विद्यालय की समस्त शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय, सामाजिक एवं नैतिक गतिविधियों का नियोजन, संगठन, समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो केवल पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व, व्यवहार, सोचने-समझने की क्षमता, सामाजिकता, नैतिकता और नेतृत्व गुणों के विकास में सहायक होता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विद्यालय का संचालन एक सुनियोजित, संगठित और उद्देश्यपूर्ण पद्धति से किया जाना आवश्यक होता है, जिसे विद्यालय प्रबंधन कहा जाता है। इसमें प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रबंध समिति, अभिभावक एवं अन्य सभी हितधारकों की सामूहिक भागीदारी होती है।आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली अत्यधिक गतिशील हो गई है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, समावेशी शिक्षा, बहुभाषिकता, योग्यता आधारित शिक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे बदलावों ने विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारियों को और अधिक बढ़ा दिया है। अब विद्यालय प्रबंधन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि यह एक नेतृत्वात्मक, नवोन्मेषी और शिक्षण को प्रेरित करने वाला तंत्र बन गया है।एक सशक्त विद्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक क्रियाएं समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी ढंग से संचालित हों। इसके माध्यम से विद्यालय में अनुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व के साथ-साथ सहयोग, सृजनात्मकता और विकास की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है।विद्यालय प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता, संस्था की प्रगति और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। इस अध्याय की प्रस्तावना हमें यही दर्शाती है कि प्रभावी विद्यालय प्रबंधन क्यों आवश्यक है और शिक्षा व्यवस्था में इसका क्या स्थान है।

8.2 अध्ययन के उद्देश्य: (Objectives of the Study)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी निम्नलिखित बिंदुओं को समझने और विश्लेषित करने में सक्षम होंगे:

1. प्रबंधन की मूल अवधारणा और उसकी शिक्षा व्यवस्था में प्रासंगिकता को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे।
2. विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं, कार्यक्षेत्र और इसके महत्व को पहचान सकेंगे।
3. विद्यालय प्रबंधन की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे नियोजन , संगठन , निर्देशन , समन्वय और नियंत्रण की व्याख्या कर सकेंगे।
4. विद्यालय में मानव संसाधनों तथा भौतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन की विधियों को समझ सकेंगे।
5. नेतृत्व और प्रबंधन के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकेंगे और एक प्रभावी शैक्षिक नेता के आवश्यक गुणों को जान सकेंगे।
6. विद्यालय प्रबंधन के घटकों, स्तरों एवं उनके आपसी संबंधों को विश्लेषित कर सकेंगे।

8.3 प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Management)

प्रबंधन का अर्थ

प्रबंधन एक गतिशील, सामाजिक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न संसाधनों (मानव, भौतिक, वित्तीय आदि) का नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। यह एक ऐसी कला और विज्ञान है जो लोगों को मिलकर कार्य करने, समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त करने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

प्रबंधन केवल आदेश देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक विचारशील योजना, समन्वय, निर्देशन और मूल्यांकन की श्रृंखला है जो संस्था को प्रगति की ओर अग्रसर करती है।

प्रबंधन की प्रक्रिया:

प्रबंधन की प्रक्रिया को मुख्यतः पाँच चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

1. **नियोजन** – भविष्य की कार्य योजना बनाना।
2. **संगठन** – कार्यों का वर्गीकरण व संसाधनों का समुचित वितरण।
3. **नियुक्ति** – उपयुक्त मानव संसाधनों की नियुक्ति।
4. **निर्देशन** – कार्य को सम्पन्न कराने हेतु निर्देश और प्रेरणा प्रदान करना।

5. **नियंत्रण** – कार्य की समीक्षा करना एवं सुधारात्मक कदम उठाना।

प्रबंधन की परिभाषाएँ

1. **एफ. डब्ल्यू. टेलर -"प्रबंधन का अर्थ है – कार्यों का वैज्ञानिक ढंग से संपादन करना।"**

2. **हेनरी फेयोल -"प्रबंधन का कार्य योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है।"**
3. **कूंट्ज़ और ओ'डोनेल -"प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।"**

8.4 प्रबंधन की विशेषताएँ (Characteristics of Management)

प्रबंधन एक बहुआयामी और उद्देश्यपरक प्रक्रिया है जिसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं। ये विशेषताएँ प्रबंधन को एक वैज्ञानिक, सामाजिक और व्यावहारिक अनुशासन के रूप में स्थापित करती हैं। नीचे प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत है:

1. सतत प्रक्रिया

प्रबंधन कोई एक बार की जाने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे-जैसे संगठन की आवश्यकताएँ, परिस्थितियाँ एवं लक्ष्य बदलते हैं, वैसे-वैसे प्रबंधन की रणनीतियों और प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन किया जाता है। नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण जैसे सभी चरण नियमित रूप से चलते रहते हैं।

2. समूहगत गतिविधि

प्रबंधन अकेले व्यक्ति की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है। इसमें विभिन्न लोगों, विभागों और इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित कर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य कराया जाता है। प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य सभी सदस्यों को एक साझा लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करना होता है।

3. लक्ष्य-उन्मुखता

प्रबंधन का उद्देश्य स्पष्ट और पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। सभी योजनाएँ, निर्णय और क्रियाएँ इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में होती हैं। बिना लक्ष्य के प्रबंधन दिशाहीन हो जाता है।

4. सहयोग और समन्वय पर आधारित

प्रबंधन का मूल आधार सहयोग और समन्वय है। संस्था के विभिन्न घटक, विभाग, और कर्मचारी जब परस्पर सहयोग करते हैं और उनके बीच समन्वय स्थापित होता है, तभी संगठनात्मक लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा सकते हैं। प्रबंधन का कार्य इन सभी को एक साझा मंच पर लाना है।

5. सार्वभौमिक प्रकृति

प्रबंधन की अवधारणाएँ केवल व्यवसाय या शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर प्रकार के संगठनों – जैसे अस्पताल, स्कूल, परिवार, NGO आदि – में लागू होती हैं। इसलिए यह सार्वभौमिक मानी जाती है।

6. उद्देश्यपरक निर्णय प्रक्रिया

प्रबंधन में सभी निर्णय तर्क, आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर लिए जाते हैं। इसमें भावनाओं के बजाय विश्लेषण और तार्किक सोच को प्राथमिकता दी जाती है।

7. सामाजिक प्रक्रिया

प्रबंधन मानव संसाधनों से संबंधित होता है, इसलिए यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें लोगों को समझना, उन्हें प्रेरित करना और उनके बीच संबंध स्थापित करना शामिल होता है।

8. नेतृत्व का तत्व

प्रबंधन केवल निर्देश देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें नेतृत्व गुणों की भी आवश्यकता होती है। एक अच्छा प्रबंधक अपने अधीनस्थों को प्रेरित करता है, मार्गदर्शन देता है और उनके विकास में सहयोग करता है।

8.5 विद्यालय प्रबंधन: शिक्षा प्रबंधन (School Management: Educational Management)

विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उस ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है जो विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों के संचालन, विकास और सुधार के लिए जिम्मेदार होता है। शिक्षा प्रबंधन एक समग्र प्रक्रिया है जो विद्यालयों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों, जैसे मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करती है। विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रबंधन का वह हिस्सा है जो विद्यालय स्तर पर इन सभी गतिविधियों का नियोजन, निगरानी और मूल्यांकन करता है।

विद्यालय प्रबंधन का महत्व (Importance of School Management)

1. **शैक्षिक वातावरण का निर्माण** : विद्यालय प्रबंधन का सबसे प्रमुख कार्य एक अच्छा और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण तैयार करना है। यह वातावरण विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के

लिए उपयुक्त और प्रेरणादायक होना चाहिए। एक अच्छे वातावरण में विद्यार्थी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से विकसित हो सकते हैं।

2. **कार्यप्रणाली और संरचना** : विद्यालय प्रबंधन शैक्षिक संस्थान की संरचना और कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करता है। यह संस्थान के सभी कार्यों जैसे पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, छात्रों की निगरानी, शैक्षिक विकास, और समय-सारणी निर्धारण को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है।
3. **संसाधनों का समुचित उपयोग** : विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य संसाधनों का प्रभावी और समुचित उपयोग करना है। इसमें भवन, उपकरण, शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, और मानव संसाधन का सही उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है ताकि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो सके।
4. **शैक्षिक नीतियाँ और योजनाएँ** : विद्यालय प्रबंधन शैक्षिक नीतियाँ बनाता है और उन्हें लागू करता है। ये नीतियाँ शिक्षा के उद्देश्य, प्राथमिकताएँ, और दृषटिकोन को स्पष्ट करती हैं। इसके अलावा, ये विद्यालय की कार्यप्रणाली को मार्गदर्शन देती हैं, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता बढ़े और विद्यार्थियों की समग्र विकास प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके।

विद्यालय प्रबंधन की भूमिकाएँ (Roles of School Management)

1. **शैक्षिक योजना और नीति निर्मा** : विद्यालय प्रबंधन शैक्षिक योजनाओं और नीतियों के निर्माण में शामिल होता है, जो विद्यालय के दृष्टिकोण और उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं। इसमें शिक्षा के स्तर में सुधार, पाठ्यक्रम में बदलाव, शिक्षण विधियों में नवाचार, और विद्यार्थियों के लिए उचित शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना शामिल है।
2. **शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण** : शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक भर्ती और उनके पेशेवर विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। इसमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, और उन्हें नवीनतम शैक्षिक तकनीकों से अवगत कराना शामिल है।

3. **शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन**: विद्यालय प्रबंधन शिक्षा के स्तर को लगातार मापता है और उसे सुधारने के लिए उपायों की योजना बनाता है। इसके लिए विभिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे परीक्षा परिणामों का विश्लेषण, शिक्षक की प्रदर्शन मूल्यांकन, और विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना।
4. **वित्तीय प्रबंधन** : विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन भी शामिल है। इसके माध्यम से विद्यालय के बजट का निर्धारण, विद्यालय की वित्तीय स्थिति की निगरानी, और संसाधनों की प्रबंधन प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी शैक्षिक गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।
5. **पारदर्शिता और लेखा-जोखा**: विद्यालय प्रबंधन की एक और भूमिका है पारदर्शिता बनाए रखना। विद्यालय के प्रशासन में सभी कार्यों का उचित लेखा-जोखा और निगरानी सुनिश्चित की जाती है, ताकि सभी गतिविधियाँ सही दिशा में चल सकें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता से बचा जा सके।
6. **समाज और अभिभावकों से समन्वय** : विद्यालय प्रबंधन का कार्य समाज और अभिभावकों से संवाद बनाए रखना भी होता है। इससे अभिभावक और समाज विद्यालय की गतिविधियों और निर्णयों में सक्रिय रूप से भागीदार बनते हैं और विद्यालय की शैक्षिक नीतियों में सुधार के लिए सुझाव प्रदान करते हैं।
7. **सह-शैक्षिक गतिविधियाँ :** विद्यालय प्रबंधन सह-शैक्षिक गतिविधियों के संचालन का भी जिम्मेदार होता है। ये गतिविधियाँ जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और अन्य अतिरिक्त पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है

8.6 विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य (Objectives of School Management)

विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य केवल विद्यालय का संचालन करना नहीं है, बल्कि गुणवत्ता शिक्षा, संसाधनों का दक्ष उपयोग और छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना भी है।

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना

पाठ्यक्रम पालन : निर्धारित सिलेबस का समय पर शिक्षण।

शिक्षक प्रशिक्षण : शिक्षकों के लिए नियमित कार्यशालाएँ और सेमिनार।

मूल्यांकन प्रणाली : निष्पक्ष और समुचित मूल्यांकन।

नवीन शिक्षण विधियाँ : स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षण आदि का उपयोग।

2. संसाधनों का दक्ष उपयोग

- **वित्तीय प्रबंधन :** बजट का नियोजन और खर्चों की निगरानी।
- **भौतिक संसाधनों का उपयोग :** कक्षाएँ, पुस्तकालय आदि का संतुलित प्रयोग।
- **प्रशासनिक दक्षता :** कार्यालय संचालन में पारदर्शिता और सुगमता।
- **तकनीकी संसाधन :** कंप्यूटर, इंटरनेट का शिक्षण हेतु उपयोग।

3. छात्रों के सर्वांगीण विकास **में सहायता**

- **कला और खेलकूद :** विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और शारीरिक विकास हेतु कार्यक्रम।
- **मानसिक स्वास्थ्य :** काउंसलिंग, मानसिक विकास के कार्यक्रम।
- **सामाजिक जागरूकता:** समाजसेवा, सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी।
- **नैतिक शिक्षा :** नैतिक मूल्यों के विकास की व्यवस्था।

4. छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना

- **सुरक्षा उपाय :** CCTV, सुरक्षा गार्ड, ट्रैकिंग सिस्टम।
- **स्वास्थ्य सेवाएँ :** मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुविधाएँ।
- **सहायक सेवाएँ :** परामर्श, हेल्पलाइन इत्यादि।

5. प्रेरणा और नेतृत्व का विकास

- **छात्र परिषद :** नेतृत्व के अवसर और निर्णय लेने की क्षमता का विकास।
- **सेमिनार और कार्यशालाएँ :** आत्मविश्वास और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहन।

अभ्यास प्रश्न:

1. **प्रबंधन को परिभाषित कीजिए।**
2. **प्रबंधन की पाँच प्रमुख प्रक्रियाएँ कौन-सी हैं?**

3. **विद्यालय प्रबंधन की कोई दो विशेषताएँ लिखिए।**

8.7 प्रबंधन प्रक्रिया

प्रबंधन प्रक्रिया एक व्यवस्थित एवं चरणबद्ध प्रणाली है, जो किसी भी संगठन, विशेष रूप से **विद्यालय** के सफल संचालन को सुनिश्चित करती है। यह प्रक्रिया पांच प्रमुख चरणों में विभाजित होती है, और प्रत्येक चरण का विद्यालय के समग्र विकास में विशेष योगदान होता है।

1. नियोजन : **नियोजन** प्रबंधन प्रक्रिया का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इसमें विद्यालय के उद्देश्यों, कार्यों और संसाधनों का पूर्वनिर्धारण किया जाता है। इस चरण में यह तय किया जाता है कि विभिन्न कार्य कैसे और कब पूरे किए जाएंगे।

- **लक्ष्य निर्धारण :** विद्यालय के उद्देश्य तय किए जाते हैं जैसे – शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, छात्रों का सर्वांगीण विकास, और प्रशासनिक दक्षता।
- **रणनीतिक योजना :** यह योजना बनती है कि कैसे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, जिसमें पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षकों का प्रशिक्षण, और शैक्षणिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं।
- **संसाधन आवंटन :** उपलब्ध संसाधनों – जैसे धन, समय और मानव संसाधन – का उचित और प्रभावी वितरण किया जाता है।

2. संगठन : **संगठन** वह चरण है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन और मानव शक्ति उपलब्ध हो। इसमें कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से विभाजित कर, उन्हें योग्य व्यक्तियों को सौंपा जाता है।

- **कार्य का विभाजन :**कार्यों को विभिन्न कर्मचारियों या विभागों को सौंपा जाता है ताकि दक्षता बढ़े।
- **संसाधनों का प्रबंधन :**शैक्षिक व प्रशासनिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।
- **कार्य संरचना :**संगठन में स्पष्ट पदानुक्रम, अधिकार और उत्तरदायित्व की संरचना निर्धारित की जाती है।

3. निर्देशन : **निर्देशन** वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक अपने अधीनस्थों को प्रेरित, निर्देशित और मार्गदर्शित करता है ताकि वे निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें।

- **प्रेरणा :** कर्मचारियों और छात्रों को कार्य में उत्साह और रुचि के साथ शामिल किया जाता है।
- **संचार :** प्रभावी संवाद के माध्यम से कार्यों को दिशा दी जाती है और भ्रम की स्थिति से बचा जाता है।
- **नेतृत्व :** प्रबंधक टीम का नेतृत्व करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य समन्वयपूर्वक कार्य करें।

4. समन्वय : **समन्वय** प्रबंधन प्रक्रिया का वह चरण है, जिसमें संगठन के सभी विभागों और कर्मचारियों के कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है।

- **सहयोग:**विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है।
- **सूचना आदान-प्रदान :**समन्वय हेतु प्रभावी संचार व्यवस्था बनाई जाती है।
- **संसाधनों का साझाकरण :**विभिन्न विभागों के बीच संसाधनों का न्यायोचित और समान वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

5. नियंत्रण : **नियंत्रण** प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसमें यह देखा जाता है कि योजना के अनुसार कार्य हो भी रहे हैं या नहीं। इसमें निगरानी, मूल्यांकन और आवश्यक सुधारात्मक कदम शामिल होते हैं।

- **प्रदर्शन मूल्यांकन :**कर्मचारियों और विभागों के कार्यों की समीक्षा की जाती है।
- **सुधारात्मक कदम :**जहां लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो रही होती, वहां आवश्यक सुधार लागू किए जाते हैं।
- **कार्य आकलन :**प्रत्येक कार्य के परिणामों का विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यालय अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है।

प्रबंधन प्रक्रिया के चरण

1. नियोजन :
    - विवरण: उद्देश्य निर्धारित करना और संसाधनों का प्रबंधन।
    - उद्देश्य: विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करना।

- कार्य: लक्ष्य तय करना, रणनीति बनाना, संसाधन आवंटन।

2. संगठन :
   - विवरण: कार्यों को व्यवस्थित करना और संसाधन का प्रबंधन।
   - उद्देश्य: संसाधनों का उचित वितरण करना।
   - कार्य: कार्यों का विभाजन, कार्य संरचना बनाना।
3. निर्देशन :
   - विवरण: कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना और प्रेरित करना।
   - उद्देश्य: कर्मचारियों का उत्तम प्रदर्शन।
   - कार्य: प्रेरणा देना, संचार करना, नेतृत्व प्रदान करना।
4. समन्वय :
   - विवरण: कार्यों के बीच तालमेल बैठाना।
   - उद्देश्य: विभिन्न विभागों का सामंजस्यपूर्ण कार्य।
   - कार्य: सहयोग बढ़ाना, सूचना का आदान-प्रदान करना।
5. नियंत्रण :
   - विवरण: कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करना।
   - उद्देश्य: कार्यों को ठीक से पूरा करना।
   - कार्य: प्रदर्शन का मूल्यांकन, सुधारात्मक कदम उठाना।

यह ग्राफ यह दिखाता है कि प्रबंधन प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक चरण दूसरे चरण से जुड़ा हुआ है। जैसे ही नियंत्रण होता है, प्रबंधन को फिर से नियोजन की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रिया दोहराई जाती है और सुधार होती रहती है।प्रबंधन प्रक्रिया के पांचों चरण—नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण—एक दूसरे से जुड़े होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विद्यालय के सभी कार्य सुचारू और प्रभावी ढंग से चलें। इन चरणों को सही तरीके से लागू करके विद्यालय में एक संरचित और सफल प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जा सकती है।

8.8 प्रबंधन प्रक्रिया की विशेषताएँ (Characteristics of Management Process)

1. क्रमबद्ध होती है :प्रबंधन प्रक्रिया क्रमबद्ध होती है, अर्थात् इसके विभिन्न चरण एक निश्चित क्रम में होते

हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। प्रत्येक चरण को एक के बाद एक लागू किया जाता है, और प्रत्येक चरण अगले चरण के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है।

उदाहरण: यदि विद्यालय के प्रबंधन में नियोजन चरण के बाद संसाधनों का सही तरीके से विभाजन और वितरण नहीं होता, तो निर्देशन और समन्वय की प्रक्रिया में कठिनाइयाँ आ सकती हैं।

2. लक्ष्य के प्रति केंद्रित होती है :प्रबंधन प्रक्रिया पूरी तरह से लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति केंद्रित होती है। सभी चरण और गतिविधियाँ इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित होती हैं। यह सुनिश्चित करती है कि सभी प्रयास एक ही दिशा में हों, ताकि संस्था के दीर्घकालिक और शॉर्ट-टर्म लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

• लक्ष्य स्पष्टता: विद्यालय में सभी कार्यों का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा का प्रसार और शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना होता है।

• संसाधनों का उद्देश्यपूर्ण उपयोग: सभी संसाधनों को इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही तरीके से उपयोग किया जाता है। इससे कार्यों में दिशा और परिणाम की स्पष्टता बनी रहती है।

3. टीम वर्क पर आधारित होती है :प्रबंधन प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास होती है, जिसमें विद्यालय के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों और नेतृत्व का योगदान होता है। यह प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि पूरी टीम के प्रयासों से चलती है। टीमवर्क यह सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य मिलकर अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा करें।• सहयोग और समन्वय: प्रबंधन प्रक्रिया में सभी कर्मचारियों, शिक्षकों, और छात्रों के बीच अच्छे समन्वय और सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके बिना कार्यों को सही तरीके से पूरा करना मुश्किल हो सकता है।

• रोल वितरण: प्रत्येक सदस्य को उसकी विशेषज्ञता और क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी दी जाती है। यह जिम्मेदारी वितरण टीमवर्क को मजबूत बनाता है और कार्यों को अधिक प्रभावी बनाता है।

4. पर्यावरण के अनुसार लचीली होती है :प्रबंधन प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह पर्यावरण और परिस्थितियों के अनुसार लचीली होती है। यह पर्यावरण के बदलते पहलुओं के अनुसार अपनी रणनीतियों और कार्यों में संशोधन कर सकती है। विद्यालय के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि शैक्षिक और प्रशासनिक परिस्थितियाँ समय-समय पर बदलती रहती हैं।

• समस्या समाधान: जब कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती है, तो प्रबंधन प्रक्रिया में लचीलापन उसे संभालने और समाधान खोजने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि विद्यालय में कोई आपातकालीन

स्थिति या प्राकृतिक आपदा होती है, तो प्रबंधन प्रक्रिया को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

• नवाचार की स्वीकृति: नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए लचीलापन प्रबंधन प्रक्रिया में होता है, जिससे नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है और विद्यालय का विकास होता है।

8.9 प्रबंधन प्रक्रिया के चरण

प्रबंधन प्रक्रिया में नियोजन सबसे महत्वपूर्ण और पहला चरण होता है। यह न केवल किसी भी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा निर्धारित करता है, बल्कि यह पूरे संगठन को एक व्यवस्थित रूप में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। नियोजन के तहत, विद्यालय के उद्देश्यों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए भविष्य की गतिविधियों और कार्यों का पूर्वनिर्धारण किया जाता है।

8.9.1 नियोजन: अर्थ एवं परिभाषा

नियोजन का मतलब है भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को पूर्व में तय करना और उनके लिए आवश्यक संसाधनों और समय का आवंटन करना। यह प्रबंधन का वह चरण है जिसमें विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ और कार्य योजनाएँ बनाई जाती हैं। नियोजन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी गतिविधियाँ उद्देश्य के अनुरूप हों और सभी कार्यों के लिए एक ठोस और स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध हो।

• नियोजन की परिभाषा:

1. कुण्ट्ज और ओ डोनेल के अनुसार- "नियोजन एक मानसिक क्रिया है।यह एक विशेष तरीके से कार्य करने का सचेतन निश्चयात्मक प्रयास है।"
2. मिलर के शब्दो मे-"नियोजन यानि किसी काम को करने के लिए बुद्धिपूर्वक तैयारी अर्थात कार्य को और कैसे सम्पादित किया जाए।"

8.9.2 नियोजन: आवश्यकताएँ

प्रभावी नियोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ होती हैं, जो सुनिश्चित करती हैं कि योजना सही दिशा में और उद्देश्य के अनुरूप तैयार की जाए। ये आवश्यकताएँ विद्यालय प्रबंधन को कार्यों की दक्षता और सफलता सुनिश्चित करने में मदद करती हैं:

1. समय की बचत

नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य समय की बचत करना होता है। यदि किसी कार्य का पहले से ही योजना बनाई जाए, तो कार्य को बिना किसी देरी के और समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सकता है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि कार्यों की गुणवत्ता भी बनी रहती है।

• **नियोजन के लाभ**: नियोजन के दौरान समय के अनुसार कार्यों का विभाजन और प्राथमिकताएँ तय की जाती हैं, जिससे कार्य की गति तेज़ होती है और समय की बचत होती है।

2. संसाधनों का दक्ष प्रयोग

प्रबंधन प्रक्रिया में संसाधनों का सही और दक्ष प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है। नियोजन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाए। यह न केवल वित्तीय

संसाधनों, बल्कि समय, मानव संसाधन, और भौतिक संसाधनों के उपयोग को भी प्रभावित करता है।

• **संसाधनों का समुचित आवंटन**: संसाधनों का सही तरीके से आवंटन किया जाता है, जैसे कि शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य संसाधनों का सही उपयोग।

3. कार्य की स्पष्ट दिशा

नियोजन के द्वारा सभी कार्यों को एक स्पष्ट दिशा दी जाती है। जब कार्यों की रूपरेखा पहले से तैयार होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी और कार्य की स्पष्टता होती है। इससे कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकता है।

• **स्पष्ट दिशा**: यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक सदस्य को अपने कार्य के बारे में सही जानकारी हो, और कार्य को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, इसकी स्पष्टता हो।

8.9.3 नियोजन: सावधानियाँ

नियोजन का कार्य सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यदि नियोजन में इन सावधानियों का पालन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि योजना सही दिशा में लागू हो, और इसके परिणाम सकारात्मक हों। निम्नलिखित महत्वपूर्ण सावधानियाँ हैं जो नियोजन के दौरान ध्यान में रखी जानी चाहिए:

1. यथार्थवादी योजना

नियोजन करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि जो योजना बनाई जा रही है, वह यथार्थवादी हो। यदि योजना बहुत अधिक महत्वाकांक्षी या अव्यावहारिक होगी, तो इसे लागू करना मुश्किल होगा और यह असफल हो सकती है। योजनाएँ हमेशा संस्थान की वास्तविक स्थिति, संसाधनों, समय और मानव क्षमता के आधार पर बनाई जानी चाहिए।

- **उदाहरण**: यदि किसी विद्यालय में बजट कम है और संसाधन सीमित हैं, तो यह यथार्थवादी नहीं होगा कि एक महंगी और संसाधनों की अधिक मांग वाली योजना बनाई जाए। इसके बजाय, एक सस्ती और आसान रूप से लागू की जा सकने वाली योजना बनाई जानी चाहिए।

2. सभी संबंधितों की सहभागिता

नियोजन के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि सभी संबंधित व्यक्तियों और समूहों को योजना बनाने में शामिल किया जाए। इसमें शिक्षक, छात्रों, प्रशासनिक स्टाफ, और अन्य कर्मचारियों का समावेश हो सकता है। जब

सभी संबंधित व्यक्ति योजनाओं में भागीदार होते हैं, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि योजना व्यापक, व्यावहारिक और सभी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। सभी संबंधितों से विचार और सुझाव प्राप्त करना योजना की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यह योजना को अधिक व्यवहारिक और कार्यान्वयन योग्य बनाता है।

3. लचीलापन होना चाहिए

नियोजन में लचीलापन होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कभी-कभी परिस्थितियाँ अचानक बदल सकती हैं। विद्यालय की योजना को विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, जैसे नीतिगत बदलाव, प्राकृतिक आपदाएँ, या अप्रत्याशित घटनाएँ। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि योजना लचीली हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे बदला जा सके या नई स्थिति के अनुरूप ढाला जा सके। लचीलापन योजना को स्थिर रखता है, और अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

सावधानियाँ:

1. सावधानी : यथार्थवादी योजना
   - विवरण : योजना को वास्तविक संसाधनों, समय और स्थितियों के अनुरूप बनाना।
   - लाभ : योजना को व्यावहारिक और लागू करने योग्य बनाता है।
2. सावधानी : सभी संबंधितों की सहभागिता
   - विवरण : योजना में शिक्षक, छात्र, और अन्य कर्मचारियों की भागीदारी।
   - लाभ : सामूहिक जिम्मेदारी और योजना की गुणवत्ता बढ़ाता है।
3. सावधानी : लचीलापन
   - विवरण : योजना को परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता।
   - लाभ : अप्रत्याशित बदलावों को समयोजित करने में मदद करता है

8.9.4 संगठन: अर्थ एवं परिभाषा (Organization: Meaning and Definition)

संगठन का अर्थ

संगठन का अर्थ है कार्यों, जिम्मेदारियों, और संसाधनों का सुव्यवस्थित तरीके से वितरण करना। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी कार्यों के लिए सही व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए, और सभी कार्यों के बीच तालमेल बनाए रखा जाए। संगठन प्रबंधन का वह चरण है, जिसमें निर्णय लिया जाता है कि कौन सा कार्य किसे सौंपा जाएगा और किस संसाधन की आवश्यकता होगी। इसका उद्देश्य यह होता है कि किसी भी कार्य को पूरे विद्यालय में सही ढंग से वितरित किया जाए ताकि कार्य पूरी तरह से सही समय पर, ठीक तरीके से और निर्धारित गुणवत्ता के साथ पूरा हो सके।

संगठन की परिभाषा

मैफारलैण्ड के अनुसार- "मनुष्यो का एक पहचान समूह जो अपने प्रयत्नो को उद्देश्य प्राप्ति मे लगाता है,संगठन कहलाता है।"

प्रो.एल.एच.होनी के शब्दो मे – "संगठन एक विशिष्ट भाग का सुसंगत समायोजन है जो कुछ सामान्य उद्देश्यो को सम्पादित करता है।"

8.9.5 संगठन: आवश्यकताएँ

संगठन प्रक्रिया के दौरान कुछ आवश्यकताएँ होती हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है ताकि कार्यों का वितरण और संचालन सही तरीके से किया जा सके। ये आवश्यकताएँ संगठन को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने में मदद करती हैं। निम्नलिखित आवश्यकताएँ संगठन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं:

1. स्पष्ट कार्य विभाजन

स्पष्ट कार्य विभाजन का मतलब है कि प्रत्येक कार्य को इस प्रकार विभाजित किया जाए कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का सही ज्ञान हो और वह अपनी भूमिका को ठीक से निभा सके। जब कार्यों का विभाजन सही तरीके से किया जाता है, तो हर व्यक्ति को उसकी कार्यों के दायरे और जिम्मेदारी की स्पष्टता होती है, और उसे अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

- **स्पष्ट कार्य विभाजन के लाभ**:
    - कार्यों की स्पष्टता और प्राथमिकताएँ स्थापित होती हैं।

   - हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी और कार्य का क्षेत्र स्पष्ट होता है, जिससे कार्यों में कोई भ्रम नहीं रहता।
   - कार्य की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होती है।

2. उचित समन्वय

संगठन में उचित समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि सभी कार्यों और विभागों के बीच तालमेल बना रहे। विभिन्न कार्यों और विभागों के बीच संपर्क और सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि कोई भी कार्य अन्य कार्यों से टकरा न जाए और सभी कार्य एकसाथ ठीक से चल सकें। समन्वय की कमी से कार्यों में अराजकता पैदा हो सकती है और परिणामस्वरूप कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

- **उचित समन्वय के लाभ**:
   - विभिन्न विभागों और कार्यों के बीच सहयोग बढ़ता है।
   - कार्यों में तालमेल बना रहता है, जिससे समस्याओं का समाधान जल्दी होता है।
   - संगठन के सभी सदस्य अपने कार्यों में एक ही दिशा में कार्य करते हैं, जिससे पूरे संगठन का उद्देश्य पूरा होता है।

3. कुशल नेतृत्व

कुशल नेतृत्व का मतलब है कि विद्यालय के संगठन के विभिन्न कार्यों को एक प्रभावी तरीके से दिशा देना और सभी कर्मचारियों और विद्यार्थियों को प्रेरित करना। एक सक्षम और सक्षम नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि कार्यों का उचित वितरण किया गया है, संसाधनों का दक्ष उपयोग हो रहा है, और सभी कर्मचारियों को अपनी भूमिका का सही ज्ञान हो। नेतृत्व संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है और कर्मचारियों को प्रेरित करता है ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वाह कर सकें।

- **कुशल नेतृत्व के लाभ**:
   - कर्मचारियों को प्रेरित करने और उनके उत्साह को बनाए रखने में मदद करता है।
   - संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
   - समस्याओं के समाधान में तेजी लाता है और कार्यों को प्राथमिकता देता है।

संगठन की आवश्यकताओं का विवरण

1. स्पष्ट कार्य विभाजन :

- विवरण : कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का सही ज्ञान हो।
- लाभ : कार्यों की स्पष्टता और प्राथमिकताएँ स्थापित होती हैं।

2. उचित समन्वय :
   - विवरण : कार्यों और विभागों के बीच संपर्क और सहयोग बनाए रखा जाए ताकि सभी कार्य एक साथ चल सकें।
   - लाभ : कार्यों में तालमेल बना रहता है, समस्याओं का समाधान जल्दी होता है।
3. कुशल नेतृत्व :
   - विवरण : प्रभावी नेतृत्व के द्वारा कर्मचारियों और विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए और कार्यों को सही दिशा में संचालित किया जाए।
   - लाभ : कर्मचारियों को प्रेरित करता है, कार्यों की प्राथमिकता और दिशा तय करता है।

8.9.6 संगठन: सावधानियाँ

संगठन प्रक्रिया के दौरान कुछ सावधानियाँ बरतना बेहद आवश्यक होता है ताकि कार्यों की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके और किसी भी प्रकार की समस्या या अव्यवस्था से बचा जा सके। यदि इन सावधानियों का पालन न किया जाए तो कार्यों में अनावश्यक अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं, जो विद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने में विघ्न डाल सकती हैं।

1. ओवरलैपिंग से बचाव

जब कार्यों का वितरण करते समय ओवरलैपिंग या कार्यों का दोहराव होता है, तो यह कार्यों में भ्रम पैदा कर सकता है और कार्यों के निष्पादन में समय की बर्बादी हो सकती है। ओवरलैपिंग का मतलब है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही कार्य सौंप दिया जाता है या एक ही कार्य को अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा समान रूप से किया जाता है। इससे न केवल कार्यों में अव्यवस्था होती है, बल्कि कर्मचारियों का समय भी बर्बाद होता है और उनकी कार्यकुशलता में गिरावट आ सकती है।

ओवरलैपिंग से बचने के उपाय :

- कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना और सुनिश्चित करना कि प्रत्येक कार्य के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त हो।
- कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सभी कर्मचारियों को स्पष्ट जानकारी देना।
- प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी का सही निर्धारण करना ताकि किसी कार्य को दोहराया न जाए।

2. संप्रेषण की स्पष्टता :

संप्रेषण या संवाद संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी कार्य, योजना या जिम्मेदारी के बारे में संवाद स्पष्ट नहीं होता, तो यह भ्रांतियाँ उत्पन्न कर सकता है और कार्यों के निष्पादन में बाधा डाल सकता है। संप्रेषण की अस्पष्टता से संगठन के सभी सदस्य अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं समझ पाते और इससे कार्यों में देरी हो सकती है या गुणवत्ता में कमी आ सकती है। इसलिए, संप्रेषण का स्पष्ट होना आवश्यक है।

संप्रेषण की स्पष्टता के उपाय

- कार्यों, योजनाओं और निर्देशों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना।
- सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को नियमित रूप से सूचित करना ताकि वे अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट रूप से जान सकें।
- डिजिटल या लिखित रूप में निर्देशों का संप्रेषण करना ताकि बाद में कोई भ्रम न हो।

3. सहयोगी वातावरण :

एक सहयोगी और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। जब कर्मचारियों और अन्य सदस्यों के बीच सहयोग और टीमवर्क होता है, तो कार्यों को प्रभावी रूप से और जल्दी पूरा किया जा सकता है। यदि संगठन में आपसी मतभेद, प्रतिस्पर्धा या तनाव होता है, तो यह कार्यों के निष्पादन को प्रभावित करता है। इसलिए, एक सहयोगी वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है, ताकि सभी सदस्य आपस में सहयोग करें और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एकजुट होकर काम करें।

सहयोगी वातावरण के निर्माण के उपाय :

- कर्मचारियों के बीच अच्छे रिश्ते बनाए रखना और उन्हें एक-दूसरे के विचारों और कार्यों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करना।
- टीमवर्क को बढ़ावा देना और सामूहिक कार्यों के लिए टीमों का गठन करना।
- कर्मचारियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और समस्याओं का समाधान मिलकर करने के लिए अवसर देना।

संगठन की सावधानियों का विवरण

1. **ओवरलैपिंग से बचाव** :
    - विवरण : कार्यों को स्पष्ट रूप से विभाजित करना, ताकि कोई कार्य दोहराया न जाए और कर्मचारियों का समय बर्बाद न हो।
    - लाभ : कार्यों में कोई भ्रम या विघ्न नहीं आता, समय की बचत होती है।
2. **संप्रेषण की स्पष्टता** :
    - विवरण : कार्यों, योजनाओं और निर्देशों को स्पष्ट और सरल भाषा में संप्रेषित करना, ताकि कोई भ्रम न हो।
    - लाभ : कार्यों की सही समझ और समय पर निष्पादन होता है।
3. **सहयोगी वातावरण** :
    - विवरण : कर्मचारियों और टीम के बीच सहयोग और सकारात्मक वातावरण बनाना, ताकि कार्यों में मदद और समर्थन मिले।
    - लाभ : कार्यों में तेजी और गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

8.9.7 निर्देशन: अर्थ एवं परिभाषा :

निर्देशन का मतलब होता है कर्मचारियों को उचित मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना ताकि वे अपने कार्यों को कुशलता से और प्रभावी ढंग से कर सकें। यह प्रक्रिया नेतृत्व, मार्गदर्शन और निगरानी पर आधारित होती है, जिसमें संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को सही दिशा में मार्गदर्शन दिया जाता है।निर्देशन का उद्देश्य केवल कार्यों को पूरा करना नहीं होता, बल्कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता और मनोबल को बढ़ाना भी होता है। जब कर्मचारियों को सही तरीके से दिशा और प्रोत्साहन मिलता है,

तो वे अधिक उत्साहित होते हैं, और उनके कार्य में उत्कृष्टता आती है।निर्देशन के दौरान, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी कर्मचारी अपने कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों और उपकरणों से लैस हों और उन्हें यह स्पष्ट हो कि संगठन के उद्देश्य के लिए उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है।

निर्देशन की परिभाषा :

मार्शल ई. डेमॉर्क के शब्दो मे-" निर्देशन कार्य प्रशासन का अंतःकरण है,जिसमे निश्चित आदेश और निर्देश सम्मिलित होते है।"

1. संचार:
    - कर्मचारियों के साथ स्पष्ट और प्रभावी संवाद बनाए रखना ताकि उन्हें उनकी जिम्मेदारियाँ और कार्य स्पष्ट हो।
    - कार्यों में स्पष्टता और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करता है।
2. प्रेरणा:
    - कर्मचारियों को प्रोत्साहित और उत्साहित करना ताकि वे अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकें।
    - कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, जिससे कार्य में उत्साह आता है।
3. निगरानी:
    - कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही दिशा में काम कर रहे हैं।
    - कार्यों का सही तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करता है।
4. सहायता:
    - कर्मचारियों को किसी भी समस्या में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।
    - कर्मचारियों को कार्य में सहायता मिलती है, जिससे समस्याएँ हल होती हैं।

8.9.8 निर्देशन संचालन संबंधित कार्य

1. **प्रेरणा देना:**कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना उनके कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सही प्रकार की प्रेरणा से कर्मचारी अधिक मेहनत करते हैं और अपने कार्य में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रेरणा दो प्रकार की होती है: आंतरिक (स्वयं से प्रेरित होना) और बाहरी (पुरस्कार, प्रशंसा, वेतन वृद्धि आदि)।

उदाहरण: एक शिक्षक को अच्छे परिणाम देने के लिए उनकी कड़ी मेहनत की सराहना करना और उनकी सफलताओं को उजागर करना प्रेरणा का एक रूप है।

2. **निगरानी :**कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वे सही दिशा में काम कर रहे हैं और उनके कार्यों में कोई गलती या अव्यवस्था न हो। निगरानी के दौरान, प्रबंधक यह देखता है कि कर्मचारियों को उनके कार्य में किस प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं और उनकी मदद कैसे की जा सकती है।
उदाहरण: स्कूल के प्रमुख द्वारा शिक्षकों की कक्षाओं की निगरानी करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कक्षाओं में सभी गतिविधियाँ निर्धारित तरीके से चल रही हैं।

3. **संचार:**कर्मचारियों के साथ प्रभावी संप्रेषण या संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि सभी कर्मचारियों को उनके कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सही जानकारी हो। स्पष्ट और प्रभावी संवाद से कार्यों में स्पष्टता आती है, जिससे कार्यों का निष्पादन बेहतर तरीके से हो पाता है। संप्रेषण के माध्यम से, प्रबंधक अपनी नीतियों और योजनाओं को कर्मचारियों तक पहुँचाता है, जिससे कार्य निष्पादन में कोई भ्रम या गड़बड़ी नहीं होती।
उदाहरण: विद्यालय में किसी नए प्रबंधन नीति के बारे में सभी कर्मचारियों को सूचित करना, ताकि वे समझ सकें कि यह नीति किस प्रकार उनके कार्यों पर प्रभाव डालेगी।

4. **प्रतिक्रिया:**कर्मचारियों के कार्यों पर प्रतिक्रिया देना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वे सही दिशा में काम कर रहे हैं और उनके कार्य में कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। प्रतिक्रिया का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना है। प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, जैसे अच्छे प्रदर्शन पर सराहना करना, और नकारात्मक भी हो सकती है, जैसे कार्य में किसी गलती के बारे में बताना और उसे सुधारने के उपाय सुझाना।
उदाहरण: एक शिक्षक द्वारा छात्रों के परीक्षा परिणामों पर प्रतिक्रिया देना, ताकि उन्हें अपने कमजोर क्षेत्रों पर काम करने का अवसर मिल सके।

5. **समन्वय :**निर्देशन संचालन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य समन्वय है। कर्मचारियों के बीच विभिन्न कार्यों का समन्वय करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है कि सभी कर्मचारी अपने कार्यों को सही समय पर और सही तरीके से पूरा करें। कार्यों का समन्वय अच्छे तरीके से

करने से किसी भी कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं होता और सभी कार्यों का समग्र रूप से समय पर निष्पादन होता है।

6. **समस्या समाधान :**कर्मचारियों को उनके कार्य में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए दिशा-निर्देश देना भी निर्देशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रबंधक को यह देखना होता है कि कर्मचारियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें इन समस्याओं का समाधान देने के लिए मार्गदर्शन करना होता है। कर्मचारियों को जब समस्या का समाधान दिया जाता है, तो वे अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और बेहतर तरीके से कार्य करते हैं।

निर्देशन संचालन संबंधित कार्य सारणी में विवरण

8.9.9 निर्देशन संबंधी सावधानियाँ

1. **मार्गदर्शन** :
   - विवरण : कर्मचारियों को उनके कार्यों को सही दिशा में संचालित करने के लिए मार्गदर्शन देना।
   - लाभ: कार्यों में स्पष्टता, कार्यकुशलता में वृद्धि।
2. **प्रेरणा** :
   - विवरण : कर्मचारियों को प्रेरित करना ताकि वे अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करें।
   - लाभ: कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, कार्यों में उत्साह आता है।
3. **निगरानी** :
   - विवरण : कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करना यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही दिशा में काम कर रहे हैं।
   - लाभ : कार्यों का सही तरीके से निष्पादन होता है।
4. **संचार** :
   - विवरण : कर्मचारियों के साथ स्पष्ट और प्रभावी संवाद बनाए रखना ताकि कार्यों में कोई भ्रम न हो।
   - लाभ : कार्यों में पारदर्शिता और सफलता।
5. **प्रतिक्रिया** :

- विवरण : कर्मचारियों को उनके कार्यों पर प्रतिक्रिया देना और सुधार के सुझाव देना।
- लाभ : कार्यों में सुधार, कर्मचारियों की प्रगति में सहायता।

6. **समन्वय** :
   - विवरण : विभिन्न कार्यों का समन्वय करना ताकि सभी कार्य समय पर और सही तरीके से पूरे हों।
   - लाभ : कार्यों में सामूहिकता, समय पर निष्पादन।
7. **समस्या समाधान** :
   - विवरण : कर्मचारियों को समस्याओं का समाधान प्रदान करना ताकि कार्यों में कोई विघ्न न आए।
   - लाभ : कार्यों की सफलता, कर्मचारियों की आत्मविश्वास में वृद्ध

1. यथार्थवादी निर्देशन : निर्देशों को यथार्थवादी और प्राप्ति योग्य बनाना चाहिए। यदि निर्देश बहुत ही कठिन या असंभव होते हैं, तो कर्मचारी असफल हो सकते हैं और उनका मनोबल गिर सकता है। इसलिए, यह जरूरी है कि दिए गए निर्देश कर्मचारियों की क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुरूप हों।

2. स्पष्ट निर्देश : निर्देशों को स्पष्ट और समझने में आसान होना चाहिए। अस्पष्ट और अस्पष्ट निर्देशों से भ्रम पैदा हो सकता है, जिससे कार्यों में देरी हो सकती है और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करने में कठिनाई हो सकती है।

3. सभी संबंधितों की सहभागिता : निर्देशन देते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी संबंधित कर्मचारी और पक्ष प्रक्रिया में शामिल हों। यदि किसी कर्मचारी को निर्णय लेने में शामिल नहीं किया जाता, तो वे अपने कार्यों में पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। यह भी हो सकता है कि वे निर्देशों को ठीक से न समझें।

4. लचीलापन : निर्देशों में लचीलापन होना चाहिए। कभी-कभी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, और कर्मचारियों को समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि निर्देश सख्त और कठोर होते हैं, तो यह कर्मचारियों के लिए समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है। लचीलापन देने से कर्मचारी अधिक सहजता से कार्य करते हैं और समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

5. प्रेरणा और उत्साह बनाए रखना : निर्देशन देते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी प्रेरित रहें और कार्य के प्रति उत्साहित रहें। जब कर्मचारी प्रेरित होते हैं, तो उनका कार्य बेहतर होता है। यदि निर्देशन केवल आदेशों और कठोरता के रूप में होता है, तो कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है।

6. संप्रेषण की स्पष्टता : निर्देश देने से पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जानकारी सही तरीके से और सही समय पर दी जा रही है। संप्रेषण में कोई गड़बड़ी न हो, ताकि कर्मचारी पूरी तरह से समझ सकें कि उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं। संप्रेषण के दौरान दोतरफा संवाद को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि कोई भी भ्रम न हो और कर्मचारी अपनी समस्याओं या सवालों को सीधे प्रबंधक से पूछ सकें।

7. समय की पाबंदी: निर्देशों में समय की सीमाएँ भी तय करनी चाहिए, ताकि कर्मचारी यह समझ सकें कि उन्हें किसी कार्य को कब तक पूरा करना है। यह कार्य की प्राथमिकता को सुनिश्चित करता है और समय पर निष्पादन को बढ़ावा देता है।

8. ओवरलैपिंग से बचाव :

निर्देशों में ओवरलैपिंग से बचना चाहिए। कभी-कभी एक ही कार्य के लिए कई निर्देश दिए जाते हैं, जो एक-दूसरे से विरोधाभासी होते हैं। यह कर्मचारियों के लिए भ्रम पैदा कर सकता है और उनके कार्य प्रदर्शनमें रुकावट डाल सकता है।

9. सहयोगी वातावरण :

निर्देशन का उद्देश्य केवल आदेश देना नहीं, बल्कि एक सहयोगी और सहायक वातावरण भी बनाना है। कर्मचारियों को महसूस होना चाहिए कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है और उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक सहयोगी वातावरण कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देता है, जिससे कार्य प्रदर्शन में सुधार होता है।

निर्देशन संबंधी सावधानियाँ सारणी में विवरण

निर्देशन संबंधी सावधानियाँ प्रबंधन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब इन सावधानियों का पालन किया जाता है, तो कर्मचारियों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और कार्य निष्पादन में कोई विघ्न नहीं आता। उचित निर्देशन, प्रेरणा, और निगरानी से कर्मचारियों का मनोबल उच्च रहता है, जिससे संगठन के उद्देश्य आसानी से प्राप्त होते हैं।

8.9.10 नियंत्रण का अर्थ (Meaning of Control)

नियंत्रण का अर्थ है:

- कार्य के प्रदर्शन को मापना: यह सुनिश्चित करना कि कार्य योजनाओं और निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं।
- विचलन का मूल्यांकन करना: यह पहचानना कि क्या कार्य के परिणाम अपेक्षित मानकों से भटक रहे हैं।
- सुधारात्मक उपायों को लागू करना: यदि किसी कार्य में कोई विघटन या विचलन होता है, तो सुधारात्मक कदम उठाना ताकि परिणाम योजना के अनुरूप हों।

1. **यथार्थवादी निर्देशण** :
   - विवरण : निर्देश यथार्थवादी और प्राप्त योग्य होने चाहिए।
   - लाभ : कर्मचारियों का मनोबल उच्च रहता है, कार्य पूरा होता है।
2. **स्पष्ट निर्देश** :
   - विवरण: निर्देश स्पष्ट और आसान समझ में आने चाहिए।
   - लाभ : कार्यों में स्पष्टता, गलतफहमियाँ दूर होती हैं।
3. **सभी संबंधितों की सहभागिता** :
   - विवरण: कर्मचारियों और संबंधित पक्षों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
   - लाभ: कर्मचारियों का सहयोग बढ़ता है, और कार्य सफलता से पूरा होता है।
4. **लचीलापन**:
   - विवरण : निर्देशण में लचीलापन होना चाहिए, ताकि परिस्थितियों के अनुसार समायोजन किया जा सके।
   - लाभ : कर्मचारियों को कार्य करने में सहूलियत होती है।
5. **प्रेरणा बनाए रखना** :
   - विवरण : कर्मचारियों को प्रेरित रखना और उत्साहित करना आवश्यक है।
   - लाभ : कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।
6. **संप्रेषण की स्पष्टता** :

  - विवरण : संप्रेषण में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि सभी कर्मचारी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
  - लाभ : कार्य निष्पादन में कोई भ्रम नहीं होता।

7. **समय की पाबंदी** :
   - विवरण : निर्देशों में समयसीमा तय की जानी चाहिए।
   - लाभ : कार्य समय पर पूरा होता है।
8. **ओवरलैपिंग से बचाव** :
   - विवरण : एक ही कार्य के लिए विशिष्टतम निर्देशों से बचना चाहिए।
   - लाभ : कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा मिलती है।
9. **सहयोगी वातावरण**:
   - विवरण : कर्मचारियों को सहयोगी और सहायक वातावरण प्रदान करना चाहिए।
   - लाभ : कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, कार्य में सुधार आता है।

नियंत्रण की परिभाषा- नियंत्रण को प्रबंधन में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी कार्य के निष्पादन की निगरानी करती है, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करती है, और उचित समय पर सुधारात्मक उपायों को लागू करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कार्य सही दिशा में चल रहे हैं और संगठन के उद्देश्य प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं हो रही है।

जे. बी. सियर्स का मत है - कोई भी जब तक संबंधित व्यक्तियो ,वस्तुओ अथवा लक्ष्यो पर भली प्रकार नियंत्रण न कर ले तब तक वह किसी क्रिया के संबंध मे निर्देशन नही दे सकता।

1. **उद्देश्यों एवं मानकों की स्थापना**:
   - सबसे पहले, यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्था के कार्यों के लिए क्या लक्ष्य और मानक निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि छात्रों की परीक्षा में न्यूनतम 75% सफलता दर।
2. **कार्य निष्पादन की निगरानी**:
   - वास्तविक कार्यों की लगातार निगरानी की जाती है ताकि यह देखा जा सके कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार हैं या नहीं। इसमें निरीक्षण, रिपोर्टिंग और नियमित मूल्यांकन शामिल है।

3. **वास्तविक और अपेक्षित प्रदर्शन की तुलना**:
   - कार्यों के निष्कर्ष को निर्धारित लक्ष्यों या मानकों से तुलना करके यह पता लगाया जाता है कि कार्य कहां पीछे रह गया या उत्कृष्ट रहा।
4. **विचलनों की पहचान**:
   - यदि किसी कार्य में मानक से अंतर पाया जाता है, तो उस अंतर को तुरंत पहचानना और उसका विश्लेषण करना आवश्यक होता है।
5. **सुधारात्मक कार्रवाई करना**:
   - पहचाने गए विचलनों को दूर करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, जैसे अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था या समय-सीमा बढ़ाना।
6. **प्रतिक्रिया एकत्र करना**:
   - सुधारात्मक कदमों की प्रभावशीलता को परखने और भविष्य में योजना व नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक लिया जाता है।

8.9.11 नियंत्रण संबंधी कार्य

नियंत्रण प्रबंधन की एक सतत प्रक्रिया है, जो यह सुनिश्चित करती है कि संगठन के सभी कार्य नियोजित लक्ष्यों के अनुरूप ही संपन्न हो रहे हैं या नहीं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ विशेष कार्य होते हैं, जिन्हें *नियंत्रण संबंधी कार्य* कहा जाता है। ये कार्य संगठन के कार्य निष्पादन, गुणवत्ता, समय-सीमा, संसाधनों के उपयोग और परिणामों की निगरानी व सुधार से संबंधित होते हैं।

नियंत्रण संबंधी कार्यों की सारणी

1. **उद्देश्य निर्धारण**:
   - लक्ष्य की स्पष्टता और दिशा सुनिश्चित करना।
2. **निरीक्षण और मूल्यांकन**:
   - कार्य निष्पादन की सटीक जानकारी प्राप्त करना।
3. **विचलन की पहचान**:
   - समय पर समस्या को पहचानना और विश्लेषण करना।

4. **सुधारात्मक उपाय**:
    - कार्यों को सही मार्ग देना और आवश्यक सुधार करना।
5. **फीडबैक और अनुवर्ती विश्लेषण**:
    - भविष्य की योजना और नियंत्रण प्रक्रिया में सुधार करना।

8.9.12 **नियंत्रण सम्बन्धी सावधानियाँ**

नियंत्रण किसी भी प्रबंधन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसका उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना होता है। यदि नियंत्रण प्रक्रिया में कुछ सावधानियाँ नहीं बरती जाएँ, तो इसका प्रभाव संपूर्ण विद्यालय प्रबंधन प्रणाली पर पड़ सकता है। नीचे नियंत्रण प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख सावधानियाँ विस्तारपूर्वक दी गई हैं:

1. उद्देश्य और मानकों की स्पष्टता

- नियंत्रण तभी प्रभावी होगा जब लक्ष्य और मानक स्पष्ट, यथार्थवादी और मापने योग्य हों।
- अस्पष्ट या असंगत मानक भ्रम और गलत निर्णय का कारण बन सकते हैं। **उदाहरण:** यदि छात्रों की उपस्थिति का मानक तय नहीं है, तो कम उपस्थिति वाले छात्रों की पहचान और सुधार कार्य नहीं किया जा सकेगा।

2. निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन

- नियंत्रण प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त रहनी चाहिए।
- केवल डेटा और प्रदर्शन के आधार पर ही निर्णय लेने चाहिए। **सावधानी:** किसी कर्मचारी या छात्र को पक्षपात के आधार पर गलत तरीके से आंकना नियंत्रण की प्रक्रिया को कमजोर बनाता है।

3. समयबद्ध और नियमित मूल्यांकन

- समय-समय पर नियमित रूप से निरीक्षण और मूल्यांकन होना चाहिए।
- विलंब से किया गया मूल्यांकन सुधारात्मक कदम उठाने में देर कर सकता है। **सुझाव:** विद्यालय में त्रैमासिक मूल्यांकन प्रणाली लागू की जा सकती है।

4. कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना

- यदि नियंत्रण केवल शीर्ष स्तर तक सीमित रहेगा तो वह प्रभावी नहीं होगा।
- सभी संबंधितों (शिक्षक, कर्मचारी, छात्र प्रतिनिधि आदि) की भागीदारी आवश्यक है। **लाभ:** इससे कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है।

5. निगरानी में संतुलन बनाए रखना

- अत्यधिक सख्त निगरानी से कार्य वातावरण में तनाव उत्पन्न हो सकता है।
- अत्यधिक ढील देने से लापरवाही और अनुशासनहीनता बढ़ सकती है। **सुझाव:** निगरानी ऐसी होनी चाहिए जिससे सुधार की भावना बनी रहे, न कि भय।

6. गोपनीयता और गरिमा का ध्यान रखना

- कर्मचारियों या छात्रों के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखना चाहिए।
- आलोचना व्यक्तिगत रूप से करें, सार्वजनिक रूप से नहीं। **सावधानी:** अपमानजनक भाषा या आलोचना से कार्य मनोबल टूट सकता है।

7. लचीला और अनुकूलनीय नियंत्रण तंत्र

- समय और परिस्थिति के अनुसार नियंत्रण प्रणाली में परिवर्तन संभव होना चाहिए।
- कठोर और जड़ नियंत्रण प्रणाली व्यवहारिक नहीं होती। **उदाहरण:** महामारी जैसे समय में ऑनलाइन मोड में उपस्थिति और प्रदर्शन के मानक लचीले होने चाहिए।

सारांश तालिका: नियंत्रण सम्बन्धी सावधानियाँ

1. मानकों की स्पष्टता:
    - लक्ष्य और मापदंड स्पष्ट एवं यथार्थवादी हों।
2. निष्पक्ष मूल्यांकन:
    - आंकड़ों पर आधारित हो, पक्षपात न हो।
3. समयबद्ध मूल्यांकन:
    - नियमित अंतराल में मूल्यांकन होना चाहिए।
4. भागीदारी:
    - सभी हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

5. संतुलित निगरानी:
    - सख्ती और ढील में संतुलन बनाए रखना।
6. गोपनीयता:
    - जानकारी और मूल्यांकन की गोपनीयता बनी रहे।
7. लचीलापन:
    - परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रण में बदलाव संभव हो।

8.10 अभ्यास प्रश्न

4. योजना निर्माण में सभी व्यक्तियों का सक्रिय साहियोग नहीं मिलना चाहिए। (सत्य/असत्य)

5. संगठन का आधार प्रजातांत्रिक होना चाहिए। (सत्य/असत्य)

6. नियंत्रण सम्बन्धित कार्य है-

(अ) अनुशासनात्मक कार्य (ब) समन्वय सम्बन्धित कार्य

(स) सन्तुलन सम्बन्धित कार्य (द)ये सभी

8.11 सारांश (Summary)

विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रणाली का एक केंद्रीय और अनिवार्य घटक है, जो विद्यालय की समस्त शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय, सामाजिक और नैतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह केवल एक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक नेतृत्वात्मक और समन्वयात्मक प्रयास है, जो शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रबंध समितियों को एक साझा उद्देश्य की ओर प्रेरित करताहै।

इस इकाई के अध्ययन से निम्नलिखित बिंदुओं को विस्तारपूर्वक समझा गया:

1. विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा एवं महत्व

- विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य विद्यालय को इस प्रकार संचालित करना है कि शैक्षणिक गुणवत्ता, संसाधनों का समुचित उपयोग, अनुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- यह प्रबंधन एक सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

2. प्रबंधन की प्रक्रिया एवं चरण

- **नियोजन :** भविष्य की गतिविधियों के लिए रूपरेखा बनाना, लक्ष्य निर्धारण और संसाधनों का आवंटन करना।
- **संगठन :** कार्यों का विभाजन, उत्तरदायित्व का निर्धारण और संसाधनों का सुव्यवस्थित वितरण।
- **निर्देशन :** कार्यों को संपन्न कराने हेतु कर्मचारियों और छात्रों को प्रेरित व मार्गदर्शन देना।
- **समन्वय :** विभिन्न विभागों व कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
- **नियंत्रण :** निर्धारित योजनाओं के अनुरूप कार्यों की समीक्षा, मूल्यांकन व सुधार।

3. नियोजन से संबंधित सावधानियाँ

- योजना यथार्थवादी होनी चाहिए, सभी संबंधित पक्षों की सहभागिता होनी चाहिए और उसमें पर्यावरण के अनुसार लचीलापन होना चाहिए।

4. संगठन की व्याख्या

- संगठन का कार्य स्पष्ट कार्य विभाजन, उत्तरदायित्व का निर्धारण और संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है।
- यह सभी कर्मचारियों की भूमिका को स्पष्ट करता है और विद्यालय के प्रभावी संचालन की नींव रखता है।

5. निर्देशन एवं नियंत्रण की भूमिका

- निर्देशन का कार्य प्रेरणा और नेतृत्व के माध्यम से कार्यों की दक्षता बढ़ाना है।
- नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि कार्य योजनानुसार हो रहे हैं या नहीं; यदि नहीं, तो सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

6. विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएँ

- यह एक सतत, सामाजिक, लक्ष्य-उन्मुख और समूहगत प्रक्रिया है।
- यह टीमवर्क, समन्वय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों पर आधारित है।

7. विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकताएँ और उद्देश्य

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, संसाधनों का दक्ष उपयोग सुनिश्चित करना, छात्रों व शिक्षकों के बीच समन्वय बनाए रखना, और नवाचार को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य हैं।

8.12 शब्दावली

1. **शब्द: प्रबंधन**
   - अर्थ: संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों का नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण।
2. **शब्द: विद्यालय प्रबंधन**
   - अर्थ: विद्यालय की शैक्षिक, प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक गतिविधियों का संचालन व नियंत्रण।
3. **शब्द: नियोजन**
   - अर्थ: भविष्य की गतिविधियों की रूपरेखा बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना।
4. **शब्द: संगठन**
   - अर्थ: कार्यों व उत्तरदायित्वों का विभाजन तथा संसाधनों का उपयुक्त वितरण।
5. **शब्द: निर्देशन**
   - अर्थ: अधीनस्थों को कार्य करने हेतु प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना।
6. **शब्द: समन्वय**
   - अर्थ: विभिन्न कार्यों और विभागों के बीच सहयोग और तालमेल स्थापित करना।
7. **शब्द: नियंत्रण**
   - अर्थ: कार्यों की निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार मूल्यांकन करना।
8. **शब्द: नेतृत्व**
   - अर्थ: समूह को कार्य करने और दिशा देने की प्रक्रिया।
9. **शब्द: मानव संसाधन**
   - अर्थ: शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों का समूह।
10. **शब्द: भौतिक संसाधन**
    - अर्थ: भवन, उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि जैसी वस्तुगत सुविधाएँ।
11. **शब्द: शैक्षिक गुणवत्ता**
    - अर्थ: शिक्षा की प्रभावशीलता और सीखने के परिणामों का स्तर।
12. **शब्द: प्रशासनिक प्रबंधन**

- अर्थ: विद्यालय के नियम, समय सारणी, रजिस्टर आदि का प्रबंधन।

13. **शब्द: वित्त प्रबंधन**
    - अर्थ: विद्यालय के आय-व्यय और संसाधनों का प्रबंधन।
14. **शब्द: सह-शैक्षिक गतिविधियाँ**
    - अर्थ: खेल, कला, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि जो व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं।
15. **शब्द: आदेश की श्रृंखला**
    - अर्थ: संगठन में आदेश देने और प्राप्त करने की अनुक्रमिक व्यवस्था।
16. **शब्द: अनुशासन**
    - अर्थ: नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना।
17. **शब्द: लचीलापन**
    - अर्थ: परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव की क्षमता।
18. **शब्द: प्रभावशीलता**
    - अर्थ: निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता।

8.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

---

1. पीटर एफ. ड्रेसके अनुसार- प्रबंधन प्रत्येक उपक्रम का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है ।

2. प्रबंधन की पाँच प्रमुख प्रक्रियाएँ हैं:

1. नियोजन
2. संगठन
3. निर्देशन
4. समन्वय
5. नियंत्रण

3. दो विशेषताएँ-

1. यह एक सतत प्रक्रिया होती है।
2. यह समूहगत प्रयास पर आधारित होता है।

4. असत्य

5. सत्य

6. द

8.14 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Aggarwal, J. C. (2010). Educational administration, management and planning. New Delhi: Vikas Publishing House.
2. Bhatnagar, R. P., & Aggarwal, V. (2000). Educational administration. Meerut: R. Lall Book Depot.
3. Bush, T. (2011). Theories of educational leadership and management (4th ed.). London: Sage Publications.
4. Koontz, H., & Weihrich, H. (2012). Essentials of management: An international and leadership perspective (8th ed.). New Delhi: McGraw-Hill Education.
5. Mathur, S. S. (2001). Educational administration and management. Agra: Vinod Pustak Mandir.
6. Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. New Delhi: Government of India. Retrieved from https://www.education.gov.in
7. Owens, R. G., & Valesky, T. C. (2010). Organizational behavior in education: Leadership and school reform (10th ed.). Boston: Pearson.
8. Pandya, S. R. (2001). Administration and management of education. Mumbai: Himalaya Publishing House.

8.15 निबंधात्मक प्रश्न

1. विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिए।
2. विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रियाओं – नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण – का विस्तृत वर्णन कीजिए।
3. विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं और आवश्यकता पर एक समग्र निबंध प्रस्तुत कीजिए।
4. विद्यालय में प्रभावी प्रबंधन के लिए कौन-कौन से सिद्धांत आवश्यक हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

5. प्रौद्योगिकी आधारित विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और लाभों का विश्लेषण कीजिए।
6. विद्यालय प्रबंधन की भूमिका शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और छात्रों के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार सहायक होती है?
7. नेतृत्व और प्रबंधन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए तथा एक प्रभावी शैक्षिक नेता के गुणों पर प्रकाश डालिए।

इकाई -9 कौशलों की अवधारणा, प्रबंधीय कौशलों की अवधारणा एवं प्रकार, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व

9.1 परिचय

9.2 इकाई के उद्देश्य

9.3 कौशलों की अवधारणा

9.4 प्रबंधीय कौशलों की अवधारणा एवं प्रकार

अभ्यास प्रश्न

9.5 प्रधानाचार्य के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व

9.6 शिक्षकों के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व

अभ्यास प्रश्न

9.7 सारांश

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

9.8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9.9 संदर्भ ग्रंथ (References)

9.1 परिचय

जीवन कौशल हमें अधिक रचनात्मक एवं संतोषजनक जीवन जीने के लिये तैयार करते है। जीवन कौशल मनोसामाजिक दक्षताओं का एक समूह है। जो व्यक्ति को सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते है। यह व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन को बृहद रूप में समझने की अंतरवैयक्तिक दक्षताएँ हैं। जो हमारी समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन तथा रचनात्मकता के साथ ही प्रभावी सम्प्रेषण दक्षताओं के विकास में सहायक होती है। यह जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के तरीके खोजने में उपयोगी है। व्यक्तियों के बीच स्वस्थ संबंध ,सहानुभूति ,तदनुभूति की भावना ,विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता का विकास तथा वातावरण के साथ सामंजस्य, मूलभूत जीवन कौशल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ,के अनुसार बुनियादी जीवन कौशल

- ✓ जीवन में सफलता प्राप्त करने ,

- ✓ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने ,
- ✓ समाज के उत्पादक सदस्य बनने तथा
- ✓ जीवन की निरन्तरता को बनाये रखने की भावना के विकास में

महत्वपूर्ण स्थान रखते है। जीवन कौशल व्यक्तिगत स्तर तथा सामाजिक स्तर पर भावनात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक उपकरण प्रदान करते है। जो जीवन को बेहतर समझने तथा जीने के लिए आवश्यक हैं। जैसे - जीवन में अभिव्यक्ति के अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण होते है। अभिव्यक्ति के लिये संचार कौशलों का विकास होना आवश्यक है। जो लोग खुलकर बात कर सकते हैं और अपनी भावनाएँ व्यक्त कर सकते हैं, वे समाज में बेहतर तालमेल बैठाने में सफल होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जिसका विकास स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिये जीवन कौशल आवश्यक होते है।

9.2 इकाई के उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप;

- कौशलों की अवधारणा को समझ सकते है,
- प्रबंधीय कौशलों की अवधारणा एवं प्रकारों को स्पष्ट कर सकते है,
- प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को वर्गीकृत कर सकते है,
- प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के शिक्षण संस्थानों में महत्व में प्रकाश डाल सकते हैं।

9.3 कौशलों की अवधारणा

जीवन कौशल व्यक्ति को दैनिक जीवन में बेहतर सामंजस्य बनाने में सहायता करते हैं। ये भय एवं असुरक्षा का सामना करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना किस प्रकार किया जाये ? का उत्तर देने में सहायता करते हैं । व्यक्ति को स्वयं के प्रति जागरूक करने तथा पूर्ण रूप से विकसित होने की क्षमता में वृद्धि करने में जीवन कौशलों का विशेष महत्व है। ये व्यक्तिगत ,व्यावसायिक ,सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अपनी क्षमता का बेहतर तरीकों से उपयोग एवं संवर्धन के लिए विभिन्न जीवन कौशलों को सीखना महत्वपूर्ण है। कौशल जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को जागरूक

तथा तैयार करते है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व ,प्रतिभा ,मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास में सहायक हैं। स्वयं एवं दूसरों को समझकर मानव को उसकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराते है। कौशल व्यक्ति को समाज में सोहार्दपूर्ण ढंग से रहने तथा आवश्यकतानुसार प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। जीवन कौशल कार्यक्रम के मुख्य पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं ;

- ✓ सम्प्रेषण कौशल
- ✓ पेशेवर कौशल
- ✓ नेतृत्व कौशल
- ✓ सार्वभौम मानव मूल्य कौशल

सम्प्रेषण कौशल व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अच्छे सम्प्रेषण कौशल की सहायता से अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। सम्प्रेषण के अनेक माध्यम है। पेशेवर जीवन को बेहतर बनाने में पेशेवर कौशलों का महत्वपूर्ण स्थान है। नेतृत्व एक गुण है जिसका के लिए नेतृत्व कौशल सीखना, नेतृत्व क्षमता को बेहतर बनाता है। मानव जीवन के कुछ सार्वभोम मूल्य है जिनका संरक्षण एवं संवर्धन जीवन कौशलों को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। पेशेवर कौशल, किसी भी पेशे अर्थात व्यवसाय को अधिक क्षमता एवं कुशलता से करने में सहायक होते है। नेतृत्व कौशल किसी भी क्षेत्र जैसे -शिक्षा, प्रबंधन, राजनीति में नेतृत्व करने में विशेष महत्व रखते है।

9.4 प्रबंधीय कौशलों की अवधारणा एवं प्रकार (Concept and types of Managerial skills)

प्रबंधन किसी भी संस्था/ इकाई के सुचारु संचालन के लिये आवश्यक आधारभूत कौशल है। जीवन का हर कार्य प्रबंधन से जुड़ा है। प्रबंधीय कौशल ,प्रबंधन के ज्ञान एवं कौशल से संबंधित क्षमताएं है जो किसी भी संस्था या संगठन के प्रमुख के लिए आवश्यक हैं। संस्था /संगठन की सफलता का मुख्य आधार अच्छा प्रबंधन होता है जिसमें निम्नांकित बिन्दु मुख्य रूप से शामिल होते है -

- योजना-लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की योजना
- संगठन-संसाधनों का आवंटन
- दिशा-अधीनस्थो को निर्देशन एवं प्रेरणा
- नियंत्रण-कार्यों का निष्पादन एवं बदलाव

प्रबंधीय कौशलों के प्रकार – प्रबंधीय कौशलों विभिन्न कौशलों का एक समूह है। जो किसी भी संस्था में कुशल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिनमें से मुख्य हैं-

- सम्प्रेषण क्षमता (communication ability)
- निर्णय लेना (Decision making)
- समय प्रबंधन (time management)
- प्रेरित करना (capacity to motivate)
- लक्ष्य निर्धारण (determination of Aim)
- सृजनशीलता एवं नवाचार (creativity and innovation)
- समस्या समाधान क्षमता (capacity of Problem solving)
- नेतृत्व क्षमता (ability to lead)
- संगठन बनाने की योग्यता (ability to organize)
- तकनीकी कौशल (technical skills)
- योजना बनाना (capacity of Planning)
- अंतर्विरोधों का निस्तारण (ability to resolve conflicts)
- रणनीतिक चिंतन (strategic thinking)
- अनुकूलन क्षमता (adaptability)
- सहयोग (collaboration)

प्रबंधीय कौशल किसी भी प्रबंधकीय पद पर बैठे व्यक्ति के पास कुछ विशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों या कार्यों को पूरा करने के लिए ज्ञान और क्षमता है। इस

ज्ञान और क्षमता को सीखा और अभ्यास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। प्रबंधन के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन बिन्दु शामिल होते है ;

- ✓ **संचार (communication)** - संचार, सूचना को प्रसारित करने की प्रक्रिया है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों की सहायता से सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। जो प्रबंधन का मुख्य बिन्दु है।
- ✓ **नेतृत्व (leading) -** नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रबंधक मार्गदर्शन करता है। और अपने अधीनस्थों से कुशलतापूर्वक कार्य संपादित करवाता है।
- ✓ **प्रेरणा (motivation) -** प्रेरणा का अर्थ है अधीनस्थो के मन में इच्छा जगाना की अपना सर्वश्रेष्ठ (best) दें। प्रेरणा कुशल प्रबंधन का आवश्यक घटक है।

नेतृत्व के लिये लोगों के मूल्यों, व्यवहारों , धारणा और दृष्टिकोण को समझना आवश्यक होता है। प्रधानाचार्य शिक्षण संस्था का नेतृत्व करता है उसे शिक्षार्थियों ,शिक्षकों ,सहयोगी स्टाफ, प्रशासन, प्रबंधन, अभिवावकों तथा समुदाय के व्यवहारों ,मूल्यों ,आदर्शों, धारणा तथा दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। शिक्षक कक्षा को नेतृत्व देता है। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहारों ,मूल्यों ,आदर्शों, धारणा तथा दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है साथ ही शिक्षण की आधुनिक तकनीकों ,शिक्षण शास्त्र पाठ्यवस्तु के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। प्रधानाचार्य तथा शिक्षक एक प्रकार से नेतृव /नेता की भूमिका में होते हैं। नेतृत्व एक गुण है जो व्यक्ति को अपने मूल्यों, व्यक्तित्व, धारणा और दृष्टिकोण में दूसरे व्यक्ति से अलग कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

अभ्यास प्रश्न -अपनी प्रगति जानिये

1. प्रबंधन के मुख्य बिन्दु हैं
   A. संचार
   B. नेतृत्व
   C. प्रेरणा
   D. उपरोक्त सभी
2. प्रबंधीय कौशलों विभिन्न कौशलों का एक समूह है
   A. सत्य
   B. असत्य
3. जीवन कौशल कार्यक्रम के मुख्य पाठ्यक्रम हैं
   A. सम्प्रेषण
   B. पेशेवर
   C. नेतृत्व
   D. सभी

9.5 प्रधानाचार्य के प्रमुख भूमिका एवं उत्तरदायित्व

प्रधानाचार्य किसी भी शिक्षण संस्था का प्रमुख होता है। जिसमें शिक्षण कौशलों के साथ ही नेतृत्व कौशलों तथा प्रबंधीय कौशलों का होना आवश्यक है। यह एक प्रशासनिक पद होता है, किसी भी शिक्षण संस्था के बेहतर संचालन में प्रधानाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है-

- प्रधानाचार्य स्कूल प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है।
- प्रधानाचार्य अपने प्रभार के तहत स्कूल के कार्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। और शैक्षिक संस्थान के लिए आवश्यक सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्तव्यों को पूरा करता है।

- संस्था के कर्मचारियों के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी होता है। हालांकि एक गैर-सहायता प्राप्त स्कूल में, वह केवल ऐसे कार्य कर सकता है, जैसा कि सोसायटी द्वारा जारी किए गए निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- संस्था के खातों, रिकॉर्ड, शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं, और ऐसे अन्य रजिस्टरों, रिटर्न और सांख्यिकी के उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। जो सरकार या सोसाइटी/बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।
- संस्था से संबंधित आधिकारिक पत्राचार को संभालना और निश्चित दिनों के भीतर, राज्य सरकार/बोर्ड द्वारा अपेक्षित विवरण और जानकारी प्रस्तुत करना प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है।
- नियमों के अंतर्गत भंडार एवं संस्था से संबंधित सामग्री का क्रय एवं प्रविष्टि करना प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है।
- स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका बहुआयामी (multidimensional) होती है। जिसमें मुख्य रूप से सकारात्मक और उत्पादक (positive and productive) सीखने के माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासनिक जिम्मेदारियां और नेतृत्व कार्य दोनों शामिल हैं।
- शैक्षिक नेतृत्व पाठ्यचर्या निरीक्षण- प्रधानाचार्य सुनिश्चित करता है कि स्कूल का पाठ्यक्रम शैक्षिक मानकों के साथ संरेखित (aligned) हो और छात्र की सफलता को बढ़ावा दे।
- वे पाठ योजनाओं को विकसित करने, प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को लागू करने और प्रौद्योगिकी को शामिल करने में शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। वे शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

- प्रधानाचार्य संस्था को प्रासंगिक और आगे की सोच रखते हुए, सीखने के अवसरों को बढ़ाने के लिए नवाचार और अभिनव (innovative) शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करते है। प्रधानाचार्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये विजन (vision), मिशन (mission) और मूल्यों (values) को विकसित एवं प्रसारित करते हैं। तथा शैक्षिक प्रदर्शन, छात्र कल्याण और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्कूल वर्ष के लिए स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य (achievable goals) निर्धारित करते हैं।

- प्रधानाचार्य छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों सभी के लिए एक सुरक्षित, समावेशी (inclusive) और स्वागतयोग्य (welcoming) वातावरण को बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं। जिसमें प्रत्येक के लिये सम्मान, सहानुभूति और भावनात्मक कल्याण (emotional wellbeing) को बढ़ावा देना शामिल है। प्रधानाचार्य कर्मचारियों, छात्रों, अभिभावकों एवं समुदाय के बीच व्यापक सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं, स्कूल को स्थानीय पर्यावरण का हिस्सा बनाने में प्रधानाचार्य की केन्द्रीय भूमिका होती है।

- प्रधानाचार्य अनुशासन और छात्र व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होते है। प्रधानाचार्य स्टाफ सदस्यों को काम पर रखने, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और सहायक स्टाफ सदस्यों के लिए जिम्मेदार है। वे सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षकों और कर्मचारियों के पास सफल होने के लिए आवश्यक संसाधन और व्यावसायिक विकास के अवसर हैं।

- वे स्कूल के बजट का प्रबंधन करते हैं, तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि शैक्षिक कार्यक्रमों, सुविधाओं और पाठ्येतर गतिविधियों का बढ़ाने के लिए संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित किया जाये। प्रधानाचार्य यह भी सुनिश्चित करता है कि स्कूल की नीतियों और विनियमों का पालन किया जाए, जैसे -स्वास्थ्य और सुरक्षा, छात्र उपस्थिति और शैक्षणिक अखंडता से संबंधित। प्रिंसिपल स्कूल और

प्रमुख हितधारकों, जैसे- छात्रों, माता-पिता, स्कूल बोर्डों और समुदाय के बीच संचार के मुख्य बिंदु के रूप में कार्य करता है।

- वे शिक्षण संस्था की गतिविधियों, प्रदर्शन और अन्य प्रमुख मुद्दों को प्रमुखता से रखते हैं। वे छात्रों, शिक्षकों ,कर्मचारियों और अभिवावकों/माता-पिता के बीच मध्यस्थता करते हैं, समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने के लिए निरंतर कार्य करते हैं।
- प्रधानाचार्य निर्देशात्मक नेतृत्व (directional leadership) शिक्षक सहायता, व्यावसायिक विकास, शिक्षण प्रभावी मूल्यांकन को बढ़ाने का कार्य करते हैं।

प्रधानाचार्य के कर्तव्य (Duties of Principal)

प्रधानाचार्य के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर्तव्य होते है;

- शैक्षिक नेतृत्व (educational leadership) ,शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारित करना और शिक्षण के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना,
- संस्था में सीखने के सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देना,
- पाठ्यक्रम मानकों (curricular standards) और शैक्षिक नीतियों (educational policies) को लागू करना,
- कर्मचारी प्रबंधन, शिक्षकों और कर्मचारियों को नियुक्ति, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना और उन्हें प्रोत्साहित करना,
- शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना,
- कर्मचारियों के बीच टीम भावना और संचार (communication) को बढ़ावा देना,
- छात्र कल्याण (student welfare) एवं अनुशासन बनाए रखना,
- व्यवहार संबंधी मुद्दों को समझना तथा निस्तारण करना,
- छात्र कल्याण, सुरक्षा (safety) और समावेशन को बढ़ावा देना,

- पाठ्येतर भागीदारी (cocurricular participation) और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना,
- स्कूल प्रशासन दैनिक स्कूल संचालन ,कार्यक्रमों , घटनाओं, तथा बैठकों की देखरेख करना ,
- संस्था अभिलेख (record) और अभिलेखिकरण (reporting) आवश्यकताओं का प्रबंधन करना,
- शिक्षा कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना,
- वित्तीय और संसाधन प्रबंधन स्कूल का बजट तैयार कर प्रबंधन करना,
- संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करना जैसे -पाठ्यपुस्तकों , प्रौद्योगिकी उपकरणों ,संदर्भ पुस्तकों आदि,
- स्कूल सुविधाओं के रखरखाव की देखरेख करना,
- सामुदायिक और अभिभावक जुड़ाव जिसमें मुख्य रूप से माता-पिता और अभिभावकों के साथ नियमित रूप से संवाद स्थापित करना,
- स्थानीय समुदाय के साथ अच्छे संबंध बना कर रखना,
- स्कूल की गतिविधियों में माता-पिता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना,
- रणनीतिक योजना और सुधार स्कूल सुधार के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना,
- निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध आँकणों (data)का विश्लेषण करना,
- स्कूल विकास और नवाचार के लिए पहल का नेतृत्व करना ।

9.6 शिक्षकों के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व

शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। जिसमें शिक्षक,शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम तीनों ही महत्वपूर्ण होते है। शिक्षण को रुचिकर, ज्ञानवर्धक ,नवाचारी (innovative) बनाने में शिक्षक केन्द्रीय भूमिका में होते

है। वर्तमान समय में शिक्षक के लिये सीखना ,भूलना तथा फिर से सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात स्वयं को वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना आवश्यक है। जिसके लिये उन्हें-

- पाठ योजना का निर्माण (Preparation of lesson plan)
- कक्षाकक्ष प्रबंधन (classroom management)
- सत्रीय कार्य (assignment work)
- रोल मॉडल की भूमिका (as role model)
- सीखने के सुरक्षित वातावरण का भरोसा (assurance of safe learning environment)
- सम्प्रेषण कौशल (communication skills)
- परीक्षा एवं मूल्यांकन (examination & evaluation)
- मेंटर के रूप में कार्य (work as mentor)
- शिक्षार्थियों की प्रगति एवं सहभागिता का रिकार्ड (keeping record of Progress and participation of students)
- शैक्षिक भ्रमण का आयोजन (organization of educational excursion)
- सतत सीखना (continuous learning)
- मध्यस्थता की भूमिका
- प्रशासनिक उत्तरदायित्व (administrative responsibilities)
- शिक्षण सामग्री का निर्माण (formation of teaching material)
- अच्छा श्रोता (good listener)

  शिक्षक के लिए ,शिक्षार्थी के स्तर तक जाकर पाठ्यक्रम को रुचिकर एवं प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसके घटक हैं –

  - छात्रों की प्रगति की निगरानी,

- मूल्यांकन तथा छात्रों के सीखने के परिणामों से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों को लागू करना,शिक्षक के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होते है। शिक्षक छात्रों के व्यक्तित्व को शैक्षिक ,सामाजिक और भावनात्मक रूप से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वके साथ ही प्रमुख कर्तव्य भी हैं जैसे –
    - पाठ योजना और निर्देश पाठ्यक्रम के साथ संरेखित प्रभावी पाठ तैयार करना और वितरित करना ,
    - विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना ,
    - शिक्षण के स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना तथा नियमित रूप से छात्र प्रगति का आकलन करना,
    - कक्षा प्रबंधन तथा अनुशासन बनाये रखना और एक सम्मानजनक, सुरक्षित सीखने का माहौल बनाना,
    - आदेश और जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले नियम और दिनचर्या स्थापित करना,
    - व्यवहारसंबंधी मुद्दों (behavioral issues) का तुरंत और निष्पक्ष रूप से समाधान करना,
    - मूल्यांकन और सीखने को मापने के लिए डिज़ाइन परीक्षण, क्विज़ और असाइनमेंट, ग्रेड और छात्रों को समय पर प्रतिक्रिया (feedback) प्रदान करना ,
    - आवश्यकतानुसार शिक्षण रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए परिणामों का विश्लेषण करना,

- छात्र सहायता और मार्गदर्शन करना ,छात्रों की व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों को पहचानना और सहायता प्रदान करना ,
- छात्रों को उनकी क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना,
- माता-पिता को शिक्षार्थियों/छात्रों की चिंताओं से अवगत कराना, यदि आवश्यक हो तो छात्रों को परामर्शदाताओं (counsellors) के पास भेजना
- माता-पिता को छात्र के प्रदर्शन और व्यवहार के बारे में सूचित (informed) रखना तथा अन्य शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रशासन के साथ सहयोग करना,
- अभिभावक-शिक्षक सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेना,
- व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालाओं और शैक्षिक सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी ,
- नई शिक्षण तकनीकों और विषय ज्ञान पर अपडेट रहना अपने स्वयं के शिक्षण विधियों पर चिंतन करना और सुधारना,
- प्रशासनिक कार्य जैसे -छात्रों की उपस्थिति, ग्रेड और व्यवहार का सही अभिलेख (record) बनाकर रखना ,
- आवश्यक अभिलेख और दस्तावेज़ीकरण (documentation) को पूरा करना ,
- शिक्षण सामग्री (teaching material) और संसाधन (resources) पहले से तैयार करना,
- नैतिकता और संस्था की नीतियों को बनाये रखना,
- छात्रों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करना,

- संस्था के नियमों, शैक्षिक कानूनों और नैतिक दिशानिर्देशों का पालन करना
- छात्र गोपनीयता का सम्मान करना और समानता को बढ़ावा देना

अभ्यास प्रश्न -अपनी प्रगति जानिये

4. प्रधानाचार्य स्कूल प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है
   A. सत्य
   B. असत्य
5. शिक्षक छात्रों के व्यक्तित्व को रूप से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
   A. शैक्षिक
   B. सामाजिक
   C. भावनात्मक
   D. उपरोक्त सभी
6. शिक्षक का कर्तव्य है छात्रों की उपस्थिति, ग्रेड और व्यवहार का सही अभिलेख बनाकर रखना ,
   A. सत्य
   B. असत्य

9.7 सारांश (summary)

जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए जीवन कौशल आवश्यक होते है। एक अच्छे प्रबंधन के लिए प्रबंधीय कौशलों का विशेष महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक घटनाये प्रबंधन प्रक्रिया को बहुत सरलता से स्पष्ट करती है। नेतृत्व एक गुण है (leadership is a quality) जिसे सीखकर तथा अभ्यास द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार

प्रधानाचार्य शिक्षण संस्था को सही नेतृत्व देने तथा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, उसी प्रकार शिक्षक कक्षा कक्ष प्रबंधन तथा नेतृत्व के लिए उत्तरदायी है। किसी भी शिक्षण संस्था के कुशल संचालन एवं प्रबंधन तथा गुणवत्ता के लिए प्रधानाचार्य एवं शिक्षक एक सिक्के के दो पहलू के समान है अर्थात दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षण संस्था के बेहतर संचालन के लिए प्रधानाचार्य ,शिक्षकों तथा सहायक स्टाफ के बीच बेहतर संचार ,सामंजस्य तथा समझ अत्यंत आवश्यक है।

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. A

2. D

3. D

4. D

5. A

6. A

9.9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long answer type questions)

1. कौशलों से आप क्या समझते है? स्पष्ट कीजिए.

   What do you understand by skills? Clarify.

2. प्रधानाचार्य के उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन कीजिए.

   Describe responsibilities of Principal.

3. शिक्षक के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का सविस्तार वर्णन कीजिये.

   Elaborately discuss duties and responsibilities of teachers.

4. प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के लिए प्रबंधीय कौशलों का क्या महत्व है ? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिये.

   Why leadership qualities are important for Principal? Clarify in your own words.

9.10 संदर्भ ग्रंथ (References)

https://www.coursera.org/enterprise/articles/essential-managerial-skills

https://deb.ugc.ac.in/Uploads/SelfLearning/HEI

https://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/38369/1/Unit-3.pdf

https://www.cbse.gov.in/cbsenew

Ashthana, Rai (2014), निर्देशन एवं परामर्शन, दिल्ली

Tutoo, Kundu (2001), Educational Psychology, sterling publication, New Delhi

Sharma R, A (2001), Technological Foundation of Education, Surya Publication, Meerut

इकाई 10 – कक्षा कक्ष प्रबंधन में नवाचार, कक्षा कक्ष स्कूली प्रणाली के एक अवयव के रूप में, दीवार रहित कक्षा कक्ष (Innovation in Classroom management, Classroom as a component of School system, Classroom without boundaries)

10.1 परिचय

10.2 इकाई के उद्देश्य

10.3 कक्षा कक्ष प्रबंधन में नवाचार

10.4 कक्षा कक्ष स्कूली प्रणाली के एक अवयव के रूप में

10.5 दीवार रहित कक्षा कक्ष

10.6 सारांश

10.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

10.8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

10.9 संदर्भ सूची

10.1 परिचय (Introduction)

कक्षा कक्ष (class room) औपचारिक शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एवं शिक्षार्थी कक्षा कक्ष में ही विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते है। किसी भी शिक्षण संस्था में कक्षा-कक्ष (Class room) का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संस्था में शिक्षण प्रक्रियायें मुख्य रूप से कक्षा-कक्ष में ही संपादित होती है,चाहे वह पारंपरिक कक्षा हो या डिजिटल कक्षा। इसके बिना औपचारिक शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कक्षा कक्ष बिना किसी रुकावट के छात्रों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से बनाये गये स्थान को कहते हैं। यह पेड़ के नीचे भी हो सकता है और अत्याधुनिक शिक्षण उपकरणों से सुसज्जित स्कूल भवन का एक विशिष्ट कक्ष भी । यह एक ऐसा स्थान है जिसे विशेष रूप से छात्रों के लिए एक सीखने के सुरक्षित स्थान के रूप में उपयोग करते है। जहां शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करते हैं। जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। कक्षा -कक्ष (Class room) को इस प्रकार भी समझा जा सकता है- कक्षा -कक्ष एक ऐसा संरचित (structured) स्थान है ,जहां शिक्षक और छात्र एक-दूसरे के साथ उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रियाओं (interaction) के माध्यम से वांछित (desired) लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और शिक्षा प्राप्त

करने के साथ-साथ समाजीकरण (socialisation) की कला भी सीखते हैं। वर्तमान समय में पारंपरिक कक्षा-कक्ष के अलावा डिजिटल कक्षा-कक्ष (Class room) तेजी से प्रचलन में आ रही है जो तकनीकी विकास का एक सशक्त उदाहरण है। तथा आज के तेजी से बदलते वैश्विक तथा शैक्षिक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक एवं उपयोगी है। वर्तमान समय में जहां हाइब्रिड मोड (blended learning) में शिक्षा की बात करते है तब पारंपरिक कक्षा-कक्ष के साथ ही डिजिटल कक्षा-कक्ष (Class room) का महत्व बढ़ जाता है। जिसे दीवाररहित कक्षा -कक्ष (Class room without boundaries) भी कहा जाता है।

10.2 इकाई के उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप;

- कक्षा कक्ष की अवधारणा को समझ सकेंगे,
- कक्षा कक्ष प्रबंधन में नवाचार को स्पष्ट कर सकेंगे,
- कक्षा कक्ष स्कूली प्रणाली के एक अवयव के रूप में वर्णन कर सकेंगे,
- दीवार रहित कक्षा कक्ष के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे,

10.3 कक्षा कक्ष प्रबंधन में नवाचार (Innovation in class room management)

कक्षा कक्ष (class room) प्रबंधन मानव जीवन के विकास की तरह समाज में हो रहे परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा है। कक्षा-कक्ष प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है,जिसमें विभिन्न विविधताओ (diversities) जैसे- क्षमताओ (capacities),दक्षताओ (abilities),अभिवृतियों(attitudes),रुचियों (interests),विशेष आवश्यकताओं वाले सम आयुवर्ग (homogenous age group) के भिन्न समाजों ,समुदायों ,वर्गों ,भौगोलिक विषमताओ ,आर्थिक स्थितियों के छात्रों के समावेशन का प्रयास किया जाता है। यह पारंपरिक कक्षा जिसमें चॉक ,ब्लैक्बोर्ड ,मेज ,कुर्सी ,दरी,संकेतक आदि शामिल होते है से लेकर आधुनिक कक्षा जिसमें व्हाइटबोर्ड, स्मार्ट बोर्ड ,कंप्यूटर ,प्रोजेक्टर,बैठने के लिए उचित संसाधन शामिल होते है। जहां पर शिक्षण एवं अनुदेशन (Instruction) की गतिविधियाँ नियमित रूप से की जाती है।

पारंपरिक रूप में कक्षा -कक्ष में छात्रों के बैठने के लिये स्थान इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि शिक्षक सामने से आकर अनुदेशन देते है तथा छात्र सामान्य रूप से एक क्रम में बैठ जाते है। कक्षा -कक्ष में छात्रों

के बैठने के लिए वृताकार (Circular),दीर्घ वृताकार (elliptical),वर्गाकार अभिविन्यास निर्धारित करना एक प्रकार से नवाचार है। आज के डिजिटल युग में, नवाचार शिक्षा के साथ ही हमारे जीवन के हर पक्ष्य का एक अभिन्न अंग बन गया है।आज दुनिया को दो भागों में समझा जा सकता है- कोविड-19 से पहले की दुनियाँ तथा कोविड-19 के बाद की दुनियाँ। दुनिया को नयी प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ ही नवाचार को जीवन के हर क्षेत्र में स्वीकार करने के लिये मानव को मजबूर कर दिया है। लॉक डाउन की दशाओ में जिस प्रकार ऑनलाइन माध्यमों ने एक विकल्प का कार्य किया उससे उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ,डिजिटल शिक्षा ने कक्षा कक्ष की अवधारणा को भी बदल दिया है। वर्तमान समय में छात्रों के पास अब उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला तक आसान पहुंच है जो उनकी सीखने के अनुभवों को विस्तार देती है। नयी तकनीकों ने शिक्षा प्रदान करने के तरीके में क्रांति ला दी है और सीखने को अधिक आकर्षक, संवादात्मक और प्रभावी बना दिया है। प्रत्येक छात्र की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं तथा प्राथमिकताएँ होती हैं। और उन्नत तकनीकें सीखने की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं।

यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि छात्रों को उनकी ताकत (strength) और कमजोरियों (weaknesses) को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा में उत्कृष्टता (excellence) प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हो। नवाचारी उपकरण (innovative tools) छात्रों और शिक्षकों के बीच सहयोग और संचार (communication) को बढ़ाने में सहायक होते है। वे भौगोलिक सीमाओं के बावजूद छात्रों और शिक्षकों के बीच सहज सहयोग और संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। छात्र आसानी से दुनिया के किसी भी स्थान से अन्य साथियों के साथ जुड़ सकते हैं, सहयोगी परियोजनाओं (Projects) में शामिल हो सकते हैं, विविध दृष्टिकोण साझा (share) कर सकते हैं जिससे वैश्विक नागरिकता (global nationality) की भावना को बढ़ावा मिलता हैं। जो सीखने की प्रक्रिया को नया विस्तार एवं दृष्टिकोण देती है। तथा शिक्षक वास्तविक समय (real time) की प्रतिक्रिया और समर्थन (support) तथा प्रोत्साहन प्रदान कर सकते है। एक गतिशील (dynamic) और अन्तः क्रियात्मक (interactive) सीखने का माहौल बनाने में नवाचार का विशेष महत्व है। डिजिटल कक्षा -कक्ष (Class room) भौतिक कक्षा का विस्तृत फैलाव है।

ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों और संचार उपकरणों के उदय (origin) के साथ, छात्र अब दुनिया में कहीं से भी अपने साथियों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों से जुड़ सकते हैं, तथा अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार उनका चुनाव कर सकते हैं। नवाचार (innovation) शिक्षा प्रक्रिया में हो रहे परिवर्तनो की प्रेरक शक्ति है। नवीन उपकरणों तथा तकनीकों के उपयोग ने कक्षा कक्ष की अवधारणा में भी परिवर्तन ला दिया है। शिक्षा में नवीन उपकरणों के समावेशन ने सीखने और सिखाने (teaching and learning) के अनुभवों को आकर्षक, व्यक्तिगत और सहयोगी बनाने का कार्य किया है। प्रत्येक छात्र को उसकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार अवसर देना उसे शैक्षिक सफलता के साथ ही भविष्य के लिए भी तैयार करता है। शिक्षा में नवाचार लाने के लिए कक्षा कक्षों में नवाचार आवश्यक है। कक्षा-कक्षों में नवाचार ,शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तन एवं सुधार के लिए आवश्यक हैं।

कक्षा प्रबंधन में नवाचार एक अधिक प्रभावी, आकर्षक और सहायक सीखने के माहौल बनाने के लिए नई रणनीतियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को संदर्भित करता है। इन नवाचारों का उद्देश्य छात्र व्यवहार में सुधार करना, सीखने के परिणामों को बढ़ाना और कक्षा की अंतःक्रियाओं को को अधिक गतिशील और सार्थक बनाना है। कक्षा प्रबंधन में नवाचार के प्रमुख क्षेत्र को इस प्रकार समझ सकते हैं- प्रौद्योगिकी एकीकरण (technological integration),स्मार्ट बोर्ड, व्यवहार-ट्रैकिंग ऐप और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म जैसे उपकरण छात्र प्रगति की निगरानी करने और गतिविधियों को कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। रीयल-टाइम फीडबैक सिस्टम छात्रों को व्यस्त और जवाबदेह बनाता हैं। लचीले बैठने और सीखने की जगह, मॉड्यूलर फर्नीचर, सहयोग और व्यक्तिगत शिक्षण को बढ़ावा छात्रों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करता है। आधुनिक कक्षाएं सकारात्मक व्यवहार रणनीतियों को अपनाकर सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए सुदृढीकरण, लक्ष्य-निर्धारण और पुरस्कार प्रणाली का उपयोग करती हैं। सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप और समर्थन जैसे कार्यक्रमों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण छात्रों को अधिक मुखर एवं आत्मविश्वासी बनाता है। कक्षा की बैठकें और सहकर्मी मध्यस्थता जैसी तकनीकें स्वामित्व और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती हैं। सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा छात्रों को भावनाओं को प्रबंधित करने, सहानुभूति और संघर्षों को शांतिपूर्वक हल ढूँढने में सहायता करती है। प्रगतिशील कक्षाओं में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस (mindfulness practice) और भावनात्मक जागरूकता (emotional awareness) कार्यक्रमों को लागू

किया जा रहा है। डेटा-संचालित निर्णय लेना शिक्षकों को छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुये कक्षा प्रबंधन रणनीतियों बनाने में सहायक होता है। गेमिफिकेशन अंक, स्तर और चुनौतियों जैसे खेल तत्वों को लागू करना सीखने और व्यवहार प्रबंधन को अधिक आकर्षक और मजेदार बनाता है। कक्षा प्रबंधन में नवाचार सीखने के माहौल को अधिक अनुकूलीत, समावेशी और आकर्षक स्थान में बदल देता है। यह सहयोग, सहानुभूति और प्रौद्योगिकी आधारित सीखने पर ध्यान केंद्रित करके शैक्षिक सफलता और व्यक्तिगत विकास दोनों का समर्थन करता है।

अभ्यास प्रश्न -अपनी प्रगति जानिये

1. कक्षा-कक्षों के अभिविन्यास के प्रकार है

A. वृत्ताकार

B. दीर्घ वृत्ताकार

C. वर्गाकार

D. सभी

2. डिजिटल कक्षा -कक्ष भौतिक कक्षा का ....फैलाव है।

A. संकीर्ण

B. विस्तृत

C. सीमित

D. इनमें से कोई नहीं

10.4 कक्षा कक्ष स्कूली प्रणाली के एक अवयव के रूप में (classroom as a component of School system)

स्कूली प्रणाली में एक कक्षा-कक्ष (class room) का विशेष महत्व होता है। कक्षा कक्ष वह स्थान है जहां पर शिक्षण गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। आमतौर पर कक्षा-कक्ष सीखने में सहायक और बच्चों को मदद करने वाली कई अलग-अलग वस्तुओं (materials) से भरी होती है। जैसे -लेखन और अध्ययन के लिए सहायक उपकरण, पाठ्यपुस्तकें और सीखने के संसाधन, समूह में पढ़ने के लिए कहानी की किताबें,

भंडारण कंटेनर, प्रदर्शन सामग्री, छात्रों के बैठने और सीखने के लिए छोटे डेस्क, टेबल और कुर्सिया,एक बड़ा डेस्क , ब्लैकबोर्ड, व्हाइटबोर्ड,स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर,कंप्यूटर, इंटरनेट आदि।

कक्षा शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है जो संरचित शिक्षा के लिए प्राथमिक घटक के रूप में कार्य करती है। कक्षा के महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है-

- कक्षाएं शिक्षण और सीखने के लिए एक केन्द्रीय स्थान प्रदान करती हैं, जो छात्रों और एक शिक्षक को मार्गदर्शन एवं निर्देशन हेतु उचित स्थान सुनिश्चित करती हैं।
- यह केंद्रित निर्देशन , संगठित कार्यक्रम और सुसंगत दिनचर्या के लिए, बातचीत (interaction) की सुविधा प्रदान करता है तथा अनुमति देता है।
- कक्षाएं छात्रों और शिक्षकों के साथ-साथ साथियों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करती हैं। जो संचार कौशल, महत्वपूर्ण सोच, टीम वर्क और सामाजिक विकास (social development) विकसित करने में मदद करती है।
- यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को एक समान और व्यापक शिक्षा प्राप्त हो। कक्षा में शिक्षक सीधे छात्रों की प्रगति (progress) की निगरानी कर सकते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं।
- कक्षाएं औपचारिक (formal) और अनौपचारिक (informal) आकलन का समर्थन करती हैं, सीखने के अंतराल (learning gap)की पहचान करने और उनका शीघ्र समाधान करने में मदद करती हैं।
- कक्षाएं नियमों, कार्यक्रमों और अपेक्षाओं के माध्यम से अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना का विकास करने में सहायक होती हैं।
- छात्र समय प्रबंधन, जवाबदेही (accountability) और व्यक्तिगत जिम्मेदारी सीखते हैं।
- कक्षाएं शैक्षिक सामग्री जैसे पुस्तकों, प्रौद्योगिकी और शिक्षण सहायक सामग्री से सुसज्जित होती हैं जो विविध सीखने की जरूरतों का समर्थन करती हैं संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं।

- विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र सह-अस्तित्व में सीखना, मतभेदों का सम्मान करना और प्रभावी ढंग से सहयोग करना सीखते हैं। कक्षाएं सहिष्णुता, समावेशिता और सहानुभूति जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती हैं।

एक कक्षा स्कूल प्रणाली का एक मूलभूत घटक है जहां एक शिक्षक के मार्गदर्शन में संरचित (structured) शिक्षण और सीखना होता है। यह शिक्षण संस्था की एक आधारभूत इकाई है जहां पाठ्यक्रम का अध्ययन किया जाता है, छात्र बातचीत करते हैं, और शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। यह औपचारिक शिक्षा का वह स्थान है जहां शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अनेक गतिविधियाँ आयोजित की जाती है जैसे -प्रत्यक्ष निर्देशन, चर्चा, प्रतिक्रिया और समर्थन आदि। सहकर्मी बातचीत, टीम वर्क और संचार कौशल सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करते है। कक्षाएं छात्रों को शेड्यूलिंग, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के लिए प्रबंधनीय समूहों में व्यवस्थित करने में मदद करती हैं। कक्षा कक्ष व्यापक स्कूल वातावरण के भीतर अनुशासन, मूल्यों और समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है।

अभ्यास प्रश्न -अपनी प्रगति जानिये

3. कक्षाएं नियमों, कार्यक्रमों और अपेक्षाओं के माध्यम से अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना का विकास करने में सहायक होती हैं।

A. सत्य

B. असत्य

4. कक्षाएं मूल्यों को बढ़ावा देती हैं-

A. सहिष्णुता,

B. समावेशिता

C. सहानुभूति

D. सभी

10.5 दीवार रहित कक्षा कक्ष (Classroom without boundaries)

पारंपरिक शिक्षा में कक्षा कक्ष का विशेष महत्व होता है। जिसका एक निश्चित एवं निर्धारित स्थान होता है । जो शिक्षण गतिविधियों का मुख्य केंद्र होता है। आधुनिक तकनीकी शिक्षा कक्षा कक्ष को दीवार रहित

बनाने में सफल हो रही है। दीवार रहित कक्षा, प्रक्रिया (process) तथा उत्पाद (product) दोनों है। दीवार रहित कक्षा (classroom without boundaries) एक लचीले (flexible), खुले (open) और समावेशी (inclusive) सीखने के माहौल को संदर्भित करती है जो पारंपरिक चार दीवारों से परे फैली हुई है। यह शिक्षा के पारंपरिक विचार को एक भौतिक स्थान तक सीमित रखने के बजाय सीखने के लिए एक व्यापक (broad), अधिक गतिशील (dynamic) दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। दीवार रहित कक्षा के प्रमुख पक्ष्य हैं -

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग** (Use of technology)-ऑनलाइन कक्षाएं, वर्चुअल लैब और लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग मेनेजमेंट सिस्टम जैसे डिजिटल उपकरण छात्रों को कभी भी (any time), कहीं भी (any where) सीखने के अवसर उपलब्ध कराते है। यह वैश्विक कनेक्टिविटी (global connectivity) को बढ़ावा देता है।
- **अनुभवात्मक अधिगम (Experiential learning)-** सीखना वास्तविक दुनिया के अनुभवों जैसे संग्रहालयों, प्रकृति, कार्यस्थलों या सामुदायिक परियोजनाओं में अधिक रुचिकर और स्थायी होता है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सीधे जुड़कर व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं।
- **वैयक्तिकृत शिक्षा (Individualised education)-**छात्र अपनी गति (speed) और शैली (pace) में सीख सकते हैं। यह रुचि-आधारित शिक्षा द्वारा निर्देशित होता है। शिक्षक पारंपरिक प्रशिक्षकों की तुलना में सुविधाकर्ता (facilitator) के रूप में अधिक कार्य करते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षा को बढ़ावा देता है।
- **सहयोगात्मक और समावेशी (Cooperative and Inclusive)-**यह सहयोगात्मक और समावेशी है जो छात्रों को समूह परियोजनाओं (group projects) और चर्चाओं (discussion forum) के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं, संस्कृतियों और यहां तक कि देशों में सहयोग करते हैं। यह शिक्षा के लिए शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करके विविध शिक्षार्थियों का सहयोग करता है।

- **आजीवन सीखना (lifelong learning)**- दीवार रहित कक्षा आजीवन सीखने की मानसिकता को बढ़ावा देती है। यहाँ सीखना स्कूल के वर्षों या स्थानों तक सीमित नहीं है । यह जीवन भर और हर सेटिंग में जारी रहता है।

सीमाओं के बिना एक कक्षा की प्रासंगिकता आज के डिजिटल और तेजी से बदलती दुनिया में व्यापक रूप से बढ़ रही है। शिक्षा के लिए यह आधुनिक दृष्टिकोण वर्तमान जरूरतों, अवसरों और चुनौतियों के साथ कई सार्थक तरीकों से संरेखित होता है। तकनीकी प्रगति के लिए अनुकूल इंटरनेट, मोबाइल उपकरणों और सीखने के प्लेटफार्मों के उदय के साथ, शिक्षा अब भौतिक कक्षाओं तक सीमित नहीं है। छात्र कहीं से भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जिससे शिक्षा अधिक सुलभ और समावेशी हो जाती है। यह सीखने की निरंतरता को बनाये रखने में सक्षम है। कोविड -19 जैसी महामारी से उत्पन्न आपात स्थितियों के दौरान, दूरस्थ शिक्षा अधिक प्रासंगिक एवं आवश्यक हो गई।

दीवार रहित कक्षाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि संकट में भी सीखना जारी रह सके। वैश्विक जागरूकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने में इनकी भूमिका प्रभावशाली है। सीमा-मुक्त कक्षाएं व्यक्तिगत, लचीले दृष्टिकोणों के माध्यम से विभिन्न शिक्षण शैलियों, पेस और क्षमताओं का समर्थन करती हैं। मुख्य रूप से ये सिद्धांत और व्यवहार (theory and practice) के बीच की खाई को कम करने का कार्य करती हैं। इसके अंतर्गत फील्डवर्क, वर्चुअल इंटर्नशिप, या सामुदायिक परियोजनाओं जैसे वास्तविक दुनिया के सीखने के अनुभव अकादमिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुप्रयोगों से जोड़ते हैं।

सीमाओं के बिना एक कक्षा शिक्षार्थियों को अपनी शिक्षा का आजीवन और स्व-निर्देशित तरीकों से प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये जिज्ञासा (curiosity) और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है। शैक्षिक अवसरों का विस्तार होता है ग्रामीण या कम-संसाधन वाले क्षेत्रों में छात्र गुणवत्तापूर्ण निर्देश और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। जो परंपरागत तरीकों से संभव नहीं है।

अभ्यास प्रश्न

5. दीवार रहित कक्षा एक लचीले (flexible), खुले (open) और समावेशी (inclusive) सीखने के माहौल को संदर्भित करती है।

A. सत्य

B. असत्य

6. दीवार रहित कक्षा है

A. प्रक्रिया (process)

B. उत्पाद (product)

C. दोनों

D. इनमें से कोई नहीं

10.6 सारांश

कक्षा केवल एक भौतिक स्थान नहीं है । यह एक गतिशील वातावरण है जो छात्रों के लिए ज्ञान, चरित्र और भविष्य के अवसरों को आकार देने में मूलभूत भूमिका निभाती है। तथा सीमाओं के बिना एक कक्षा शिक्षा को एक सतत, समावेशी और अनुकूलीत बनाने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कहीं भी, कभी भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कक्षाएं नियमों, कार्यक्रमों और अपेक्षाओं के माध्यम से अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना का विकास करने में सहायक होती हैं। कक्षाएं छात्रों और शिक्षकों के साथ-साथ साथियों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करती हैं। जो संचार कौशल, महत्वपूर्ण सोच, टीम वर्क और सामाजिक विकास (social development) विकसित करने में मदद करती है। तथा सुनिश्चित करती हैं कि छात्रों को एक समान (uniform) और व्यापक (broad) शिक्षा प्राप्त हो। विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र सह-अस्तित्व में सीखना (learning in coexistence), मतभेदों का सम्मान करना और प्रभावी ढंग से सहयोग करना सीखते हैं। कक्षाएं सहिष्णुता, समावेशिता और सहानुभूति जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती हैं। कक्षा कक्ष की चाहे वह पारंपरिक हो ,नवाचार युक्त हो या आधुनिक दीवाररहित, शिक्षण प्रणालियों में एक केन्द्रीय भूमिका है। सीमाओं के बिना कक्षा की अवधारणा अत्यधिक प्रासंगिक

है क्योंकि यह शिक्षा के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तथा शिक्षा को अधिक समावेशी बनाती है, और शिक्षार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करती है।

10.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. D
2. A
3. A
4. D
5. A
6. D

10.8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. कक्षा कक्ष प्रबंधन से आप क्या समझते है? स्पष्ट कीजिये.

What do you understand by classroom management? Clarify.

2. दीवाररहित कक्षा कक्ष की विशेषताओं का वर्णन किजिये?

Describe characteristics of classroom without boundaries.

3. कक्षा कक्ष की स्कूली प्रणाली के एक अभिन्न अवयव के रूप में व्याख्या कीजिये.

Explain role of classroom as integral component of school system.

10.9 संदर्भ सूची (references)

https://www.teachmint.com/glossary/c/classroom/

https://www.isdm.org.in/blog/innovation-in-education-tools-enhanced-learning

https://chatgpt.com/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545476/

https://www.education.gov.in/about-moe

https://dsel.education.gov.in/

https://www.education.gov.in/higher_education

https://www.coursera.org/enterprise/articles/essential-managerial-skills

https://deb.ugc.ac.in/Uploads/SelfLearning/HEI

https://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/38369/1/Unit-3.pdf

https://www.cbse.gov.in/cbsenew

Ashthana, Rai (2014), निर्देशन एवं परामर्शन, दिल्ली

Tutoo,Kundu (2001), Educational Psychology, sterling publication, New Delhi

Sharma R,A (2001), Technological Foundation of Education, Surya Publication, Meerut

इकाई 11 : मुक्त और आभासी कक्षा, रचनावादी कक्षा (Open and Virtual Classroom, Constructivist classroom)

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

11.2 उद्देश्य (Objectives)

11.3 मुक्त और आभासी कक्षा का अर्थ (Meaning and Definitions of Open and Virtual Classroom) 11.3.4 मुक्त और आभासी कक्षा की मुख्य विशेषताएँ (Main features of open and virtual classroom)

11.3.5 मुक्त और आभासी कक्षा के प्रकार (Types of open and virtual classroom)

11.3.6 मुक्त और आभासी कक्षा के लाभ और महत्व (Advantages and importance of open and virtual classroom)

11.3.7 मुक्त और आभासी कक्षा के नुकसान (Disadvantages of open and virtual classroom)

11.4 रचनावादी कक्षा का अर्थ (Meaning of Constructivist classroom)

11.4.1 रचनावादी कक्षा की विशेषताएँ (Characteristics of Constructivist classroom)

11.4.2 रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका (Role of Teacher in Constructivist classroom)

अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

11.5 सारांश (Summary)

11.6 शब्दावली (Glossary)

11.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)

11.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

11.9 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षा मानव जीवन का आधार स्तंभ है। समय के साथ-साथ शिक्षा पद्धतियों में निरंतर परिवर्तन आया है। जहाँ पहले शिक्षा गुरुकुलों और पारंपरिक कक्षाओं तक सीमित थी, वहीं आज तकनीकी प्रगति के कारण मुक्त (Open), आभासी (Virtual) और रचनावादी (Constructivist) कक्षाओं की अवधारणाएं सामने आई हैं। इन नई पद्धतियों ने शिक्षा को अधिक लचीला, सहभागी और सुलभ बना दिया है। अब शिक्षा केवल किताबों और ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह इंटरनेट, प्रोजेक्ट, विचारों और संवाद के माध्यम से विकसित हो रही है। आज तकनीकी विकास और शैक्षिक नवाचारों के कारण "मुक्त कक्षा", "आभासी कक्षा" और "रचनावादी कक्षा" जैसे नए शैक्षिक मॉडल सामने आए हैं। ये सभी आधुनिक शिक्षण-पद्धतियों के उदाहरण हैं, जो विद्यार्थियों की रचनात्मकता, भागीदारी और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर आधारित हैं। आज कक्षा का अर्थ केवल आमने-सामने की कक्षा शिक्षण से ही नहीं रह गया है अपितु एक दूर बैठा शिक्षक भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सहायता से अपने छात्रों का शिक्षण -अधिगम कर सकता है और छात्र बिना आमने -सामने बैठे भी वास्तविक कक्षा का आभास कर सकते हैं। आज ऑनलाइन शिक्षा का प्रचार -प्रसार अधिक तीव्रता से हो रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी है ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश नियमित कक्षा में नहीं जा सकते, जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं और आजीवन सीखना चाहते हैं या अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं ऐसे शिक्षार्थियों को अध्ययन की सुविधा मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा मुक्त और आभासी कक्षाओं के माध्यम से दी जाने लगी है। अब शिक्षक और विद्यार्थी विद्यालय और महाविद्यालय जाए बिना ही घर से ही कम्प्यूटर, इन्टरनेट और मोबाइल फोन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभाग कर लेते हैं। अर्थात् मुक्त और आभासी कक्षा अधिक छात्रों तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का एक स्मार्ट तरीका है जो उनके भौगोलिक क्षेत्र में नहीं हैं। मुक्त और आभासी कक्षा द्वारा संचार माध्यमों को ई-अधिगम के लिए समुदायों से भी सम्बन्धित किया जा रहा है। आज की परिस्थितियों में अधिगम के लिए मुक्त और आभासी कक्षाओं के सम्पादन हेतु अनेक क्रियाओं तथा संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें आधुनिक कम्प्यूटर, इन्टरनेट लैपटॉप, मोबाइल, ई -मेल , ऑनलाइन चैटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का प्रयोग करके शैक्षिक परिस्थितियों का आयोजन किया जाता है।

11.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :-

1. मुक्त और आभासी कक्षा के अर्थ को समझ सकेंगे।
2. मुक्त और आभासी कक्षाओं के प्रकार बता पाएँगे।
3. मुक्त और आभासी कक्षाओं के लाभ और महत्व का वर्णन कर सकेंगे।
4. मुक्त और आभासी कक्षाओं के नुकसान को समझ सकेंगे।
5. रचनावादी कक्षा का अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
6. रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका को समझ सकेंगे।

11.3 मुक्त और आभासी कक्षा का अर्थ -Meaning of Open and Virtual Classroom

11.3.1 मुक्त कक्षा (Open Classroom)

मुक्त कक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें शिक्षा की प्रक्रिया में अनावश्यक औपचारिकताओं और भौगोलिक सीमाओं को हटाकर विद्यार्थियों को स्वतंत्र वातावरण में सीखने का अवसर दिया जाता है। इस प्रणाली में विद्यार्थी अपनी रुचियों, गति और आवश्यकता के अनुसार सीख सकते हैं। जैसे- ओपन यूनिवर्सिटीज़ UOU, इग्नू (IGNOU) और एनआईओएस (NIOS) इस प्रणाली के श्रेष्ठ उदाहरण हैं, जहाँ विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। अर्थात मुक्त कक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थियों को सीखने की स्वतंत्रता होती है। इसमें पारंपरिक कक्षा जैसी सीमाएं नहीं होतीं। इसमें पाठ्यक्रम, समय-सारिणी और शिक्षण पद्धति में लचीलापन होता है। यह पद्धति आत्म-अध्ययन और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है।

11.3.3 आभासी कक्षा (Virtual Classroom)

आभासी कक्षा तकनीक पर आधारित वह शिक्षण व्यवस्था है जहाँ इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी आपस में जुड़ते हैं। यह कक्षा शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना भी संवाद और सीखने की पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Coursera, Khan Academy जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आभासी शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया है।

मुक्त और आभासी कक्षा-कक्ष से तात्पर्य वास्तविक कक्षा शिक्षण के प्रतिरूप से है। इसको खुला और अवास्तविक कक्षा- कक्ष भी कहा जा सकता है। इसका प्रयोग ई -लर्निंग प्रणाली, ऑनलाइन

पाठ्यक्रम तथा मुक्त शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक कक्षा- कक्ष के विकल्प के रूप में किया जाता है । यह एक ऐसा वेब आधारित शिक्षण अधिगम वातावरण है, जिसमें गंतव्य स्थान पर जाए बिना ही शिक्षार्थी और शिक्षक वहां चल रही शिक्षण सम्बन्धी कार्यों में भाग ले सकते हैं जैसा कि परम्परागत कक्षा-कक्ष में होता है। यह इंटरनेट आधारित कक्षा- कक्ष है जो मुक्त और आभासी है। शिक्षक अपने लैपटॉप या कम्पूटर की सहायता से शिक्षण प्रदान कर रहा है और शिक्षार्थी भी अपने कम्पूटर या मोबाइल से घर बैठे अवास्तविक और बंधन मुक्त कक्षा से अधिगम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक तथा शिक्षार्थी एक दूसरे से मीलों दूर होते हुए भी एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं तथा घर बैठे बातचीत द्वारा वास्तविक कक्षा -कक्ष के अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं । इसमें कम्पूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, ई -मेल , ऑनलाइन चैटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का प्रयोग करके नियमित कक्षाओं का स्थान लेने का प्रयत्न किया जाता है । इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी को शिक्षण अधिगम हेतु परम्परागत कक्षा शिक्षण जैसा प्लेटफॉर्म ही प्रदान किया जाता है । अत: आभासी कक्षा-कक्ष अधिगम की एक अनूठी सुविधा है जो मल्टीमिडिया प्रौद्योगिकी के कारण शिक्षार्थियों को उपलब्ध है, जो वीडियो, एनिमेशन, ध्वनि और कम्पूटर को जोड़ती है। यह शैक्षिक उपयोगों के लिए आभासी वास्तविकता का विस्तार है। यह एक ऐसा वेब आधारित माध्यम या शिक्षण अधिगम वातावरण है जो विद्यालय या शिक्षक के पास जाए बिना ही विद्यार्थियों को वहां चल रही शिक्षण -प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियों में भागीदारी निभाने में सक्षम बनाता है। विद्यार्थियों को यह आभास होता है कि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है क्योंकि वास्तविक कक्षा की तरह वह व्याख्यान सुनाता है। प्रश्न पूछता है, पृष्ठ पोषण प्राप्त करता है। अत: वर्चुअल क्लासरूम में भाग लेने वाले सभी पक्षों को और वर्चुअल क्लासरूम को चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन वाला कंप्यूटर, माइक्रोफोन और स्पीकर, वेबकैम, व्हाइटबोर्ड, पेन और पेपर आदि उपकरणों (सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर) की आवश्यकता होती है।

11.3.4 मुक्त और आभासी कक्षा की मुख्य विशेषताएँ (Characteristics of Constructivist classroom)

- किसी भी समय, कहीं से भी सीखने की सुविधा
- वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, लाइव इंटरैक्शन जैसे आधुनिक संसाधनों का उपयोग
- COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी में शिक्षा को जारी रखने का सशक्त माध्यम

- समय और संसाधनों की बचत
- विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल का विकास
- पारंपरिक कक्षा की दीवारों से अलग शिक्षा
- विद्यार्थी की स्वतंत्रता और स्वनिर्णय को महत्व
- शिक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका में
- शिक्षण के लिए पुस्तकों के साथ-साथ अनुभवों और संसाधनों का उपयोग
- रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और आत्म-प्रेरणा का विकास

11.3.5 मुक्त और आभासी कक्षा के प्रकार

मुक्त और वर्चुअल क्लासरूम शिक्षा क्षेत्र में एक प्रचलित शब्द है। यह एक ऑनलाइन शिक्षण वातावरण है, जो छात्रों और शिक्षकों को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। इसका प्रयोग औपचारिक/ नियमित कक्षा- कक्ष के विकल्प के रूप में किया जाता है। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं :

1.सिंक्रोनस वर्चुअल क्लासरूम: सबसे आम प्रकार सिंक्रोनस वर्चुअल क्लासरूम है, जो एक लाइव, ऑनलाइन क्लासरूम है जहाँ सभी प्रतिभागी एक ही समय पर लॉग इन होते हैं। इस प्रकार की कक्षा शिक्षक और छात्रों के बीच और स्वयं छात्रों के बीच वास्तविक समय की बातचीत की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, Up Educators जैसे प्लेटफ़ॉर्म सिंक्रोनस लर्निंग वातावरण प्रदान करते हैं।

2. एसिंक्रोनस वर्चुअल क्लासरूम: वर्चुअल क्लासरूम का एक और लोकप्रिय प्रकार एसिंक्रोनस वर्चुअल क्लासरूम है, जो एक ऑनलाइन क्लासरूम है जहाँ प्रतिभागी एक ही समय पर लॉग इन नहीं होते हैं। इस प्रकार की कक्षा का उपयोग अक्सर स्व-गति वाले पाठ्यक्रमों के लिए या उन छात्रों के लिए किया जाता है जो एक निश्चित समय पर मिलने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए Coursera जैसे प्लेटफ़ॉर्म एसिंक्रोनस लर्निंग वातावरण प्रदान करते हैं।

11.3.6 मुक्त और आभासी कक्षाओं के लाभ और महत्व (Advantages and importance of open and virtual classroom)

मुक्त और आभासी कक्षाएं शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और वे छात्रों को एक लचीला, सुलभ और प्रभावी सीखने का अनुभव प्रदान करती हैं। वर्चुअल कक्षाएँ पारंपरिक आमने-सामने की कक्षाओं की तुलना में कई लाभ प्रदान करती हैं। मुक्त और वर्चुअल क्लासरूम एक ऑनलाइन शिक्षण वातावरण है जो छात्रों और शिक्षकों को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। इसका प्रयोग औपचारिक/ नियमित कक्षा- कक्ष के विकल्प के रूप में किया जाता है। वर्चुअल क्लासरूम आमतौर पर छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री, असाइनमेंट और परीक्षणों तक पहुँच प्रदान करने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं। कई वर्चुअल क्लासरूम छात्रों और शिक्षकों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैट रूम जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। मुक्त और आभासी कक्षाओं के लाभ और महत्व निम्नलिखित हैं -

1.समावेशिता में वृद्धि : आभासी कक्षा में सीखने का पहला लाभ यह है कि शर्मीले छात्रों को आभासी कक्षाओं में भाग लेना अधिक बेहतर लगता है। उन्हें वह चिंता नहीं होती जो वास्तविक कक्षा में अन्य छात्रों के सामने हाथ उठाने पर हो सकती है।

2. बेहतर पहुंच : वर्चुअल क्लासरूम किसी भी बच्चे के लिए सुलभ हैं। वर्चुअल क्लासरूम में लॉग इन करके सीखना शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षार्थी के पाठ्यक्रम की पाठ्य सामग्री भी इंटरनेट पर किसी भी समय, दिन में 24 घंटे और वर्ष में 365 दिन प्राप्त की जा सकती है।

3. विस्तृत विश्व दृष्टिकोण : जो बच्चे आभासी कक्षाओं में सीखते हैं, उन्हें अक्सर दुनिया भर के विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के बच्चों से मिलने और उनसे सीखने का मौका मिलता है। अन्य संस्कृतियों और लोगों द्वारा समस्या समाधान के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण की जानकारी बच्चों को अपने कौशल को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।

4. समुदाय के साथ संबंध निर्माण : आभासी कक्षा शिक्षण वातावरण का एक अन्य लाभ यह है कि इससे बच्चों को उन अन्य बच्चों के साथ संबंध बनाने का अवसर भी मिलता है जिनके साथ उनकी रुचियां समान होती हैं। इसके बाद वे परियोजनाओं पर सहयोग कर सकते हैं और विचारों पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे उनकी टीमवर्क कौशल में भी मदद मिल सकती है।

5. लागत बचत : महंगी यात्रा (यहाँ तक कि आवास) की कोई ज़रूरत नहीं है। यात्रा लागत बचाने के साथ-साथ, वर्चुअल क्लासरूम आपके बच्चे के गैस और ईंधन से संबंधित कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेगा। कई आभासी पाठ और कक्षाएं अक्सर कॉलेज जैसे पारंपरिक प्रतिष्ठानों की तुलना में बहुत सस्ती होती हैं।

6. सुलभता : आभासी कक्षाएं छात्रों को अपनी पढ़ाई की गति और समय निर्धारित करने की स्वतंत्रता देती हैं, जो उन्हें व्यस्त जीवनशैली वाले छात्रों, कामकाजी पेशेवरों या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

7. बेहतर सहयोग : वर्चुअल कक्षाएँ अधिक सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण भी प्रदान करती हैं। छात्र आसानी से संवाद कर सकते हैं और परियोजनाओं पर एक साथ काम कर सकते हैं।

8. तत्काल प्रतिक्रिया : विलंबित प्रतिक्रिया कक्षा में समग्र प्रगति में बाधा डालती है। वर्चुअल प्रतिक्रिया टूल के साथ शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को तेज़ बना सकते हैं।

9. समय प्रबंधन : मुक्त और आभासी कक्षाएं छात्रों को यात्रा के समय और खर्च से भी बचाती हैं और उनकी भौतिक संसाधनों की आवश्यकता को भी कम करती हैं। वर्चुअल क्लासरूम के साथ, शिक्षक और छात्र दोनों ही बहुत सारे घंटे बचाते हैं। भौतिक गंतव्य तक पहुँचने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, बहुत सारा समय बच जाता है जिसका उपयोग सीखने के माहौल को बेहतर बनाने और बनाने में किया जा सकता है।

10. उन्नत तकनीकी कौशल : आभासी पाठों के दौरान कंप्यूटर पर रहने से बच्चे नई तकनीकी कौशल सीख सकते हैं और की-बोर्ड और एप्लिकेशन के साथ अधिक कुशल बन सकते हैं। इसके अलावा अब अधिकतर व्यवसाय वर्चुअल टीमों की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए दूरस्थ रूप से सहयोग करने और सीखने का ज्ञान होना भविष्य के करियर में निश्चित रूप से लाभदायक हो सकता है।

11. विभिन्न संसाधनों तक पहुँच: आभासी कक्षाएं छात्रों को विभिन्न प्रकार के शिक्षण संसाधनों यथा- ऑडियो, वीडियो और इंटरैक्टिव सामग्री तक पहुँच प्रदान करती है, जो पारम्परिक कक्षाओं में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

12.सीखने पर तत्काल प्रतिक्रिया : अधिकांश ऑनलाइन शिक्षण कक्षाएं तत्काल फीडबैक का अवसर प्रदान करती हैं, जबकि पारंपरिक कक्षाओं में शिक्षक काम को घर ले जाकर उसका मूल्यांकन करते हैं।

इससे बच्चे की सीखने की क्षमता में तेजी आएगी, जिससे वे स्कूल या कॉलेज की तुलना में अधिक तेजी से प्रगति कर सकेंगे।

13. अधिक लचीलापन और आराम : वर्चुअल कक्षाएँ छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करती हैं। छात्र इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी वर्चुअल कक्षा में लॉग इन कर सकते हैं और किसी भी समय कक्षा सामग्री तक पहुँच सकते हैं। बच्चे पूर्व-रिकॉर्ड की गई आभासी कक्षाओं के माध्यम से अपनी गति से सीख सकते हैं, तथा जब उनके लिए सबसे अच्छा समय हो, तब वे इसमें शामिल हो सकते हैं। यह घर से सीखने के लिए अधिक सुविधाजनक है और शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि पारंपरिक संस्थानों तक पहुंचना चुनौती पूर्ण हो सकता है।

14. संवाद : आभासी कक्षाएं छात्रों को एक-दूसरे के साथ और अपने शिक्षकों के साथ संवाद करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं जिससे वे अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं और एक-दूसरे से सीख सकते हैं।

15. डिजिटल कौशल का विकास : वर्तमान में गैजेट्स और तकनीक का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। आभासी कक्षाओं में भाग लेने से छात्रों में डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने का कौशल विकसित हो जाता है, जो आज के डिजिटल दुनिया में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वर्चुअल क्लासरूम न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों के डिजिटल कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, शिक्षक Google प्रमाणित शिक्षक या Microsoft प्रमाणित शिक्षक जैसे कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं और कक्षा में लागू करने के लिए डिजिटल कौशल प्राप्त कर सकते हैं।

16. दूरस्थ शिक्षा को सक्षम बनाना : मुक्त और आभासी कक्षाएं दूरस्थ शिक्षा को सक्षम बनाती हैं, जो उन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है जो पारंपरिक कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं।

17. शिक्षण में सुधार : मुक्त और आभासी कक्षाएं शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने और छात्रों के साथ शिक्षण में सुधार करने में भी सहायक हैं।

11.3.7 वर्चुअल क्लासरूम के नुकसान

मुक्त और आभासी कक्षाएं जहाँ कई लाभ प्रदान करती हैं, वहीं वर्चुअल क्लासरूम में कई नुकसान भी हैं जो छात्रों की पढ़ाई में बाधा डाल सकते हैं।

तकनीकी बाधाएँ: -इंटरनेट और डिवाइस की उपलब्धता सभी को नहीं होती ।इसके अतिरिक्त वर्चुअल क्लासरूम का अनुभव तब काफी खराब हो सकता है, जिसमें ऑडियो और वीडियो कनेक्शन खराब होते हैं और समय की कमी होती है जिससे इसे समझना मुश्किल हो सकता है।

स्व-अनुशासन की ज़रूरत: विद्यार्थी को स्वयं से पढ़ाई के लिए प्रेरित रहना पड़ता है। वर्चुअल क्लासरूम में छात्र आसानी से विचलित हो सकते हैं, क्योंकि ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन विकर्षण केवल एक क्लिक की दूरी पर होते हैं।

सीधे संपर्क की कमी: शिक्षक और छात्र में व्यक्तिगत संवाद सीमित होता है। वर्चुअल क्लासरूम काफी अवैयक्तिक लग सकते हैं। इससे छात्रों के लिए सामग्री और एक-दूसरे के साथ जुड़ना मुश्किल हो सकता है।

गुणवत्ता में अंतर: सभी आभासी पाठ्यक्रम उच्च गुणवत्ता के नहीं होते।

11.4 रचनावादी कक्षा (Constructivist Classroom)

रचनावादी कक्षा एक ऐसी शैक्षणिक अवधारणा है जिसमें यह माना जाता है कि विद्यार्थी केवल जानकारी को ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह अपने पूर्व ज्ञान, अनुभवों और विचारों के आधार पर ज्ञान का निर्माण (construction) करता है। यह कक्षा विद्यार्थी को शिक्षा की प्रक्रिया का सक्रिय सदस्य बनाती है। जैसे - यदि कोई विद्यार्थी विज्ञान का कोई सिद्धांत समझ रहा है, तो रचनावादी कक्षा में वह इसे केवल पढ़ेगा नहीं, बल्कि प्रयोग करके, वीडियो देखकर, सहपाठियों से चर्चा करके और स्वयं विश्लेषण करके समझेगा | रचनावादी कक्षा एक प्रभावी शिक्षण पद्धति है जो छात्रों को गहरा सीखने और अपने ज्ञान का निर्माण करने में मदद करती है। इस पद्धति में, छात्रों को अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने साथियों से सीख सकते हैं और अपने ज्ञान को और भी गहरा बना सकते हैं। रचनावादी कक्षा में, छात्रों को अपने सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है, जिससे वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकें। इस पद्धति के माध्यम से, छात्रों को अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने साथियों से सीख सकते हैं और अपने ज्ञान को और भी गहरा बना सकते हैं। रचनावादी कक्षा में, शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें अपने सीखने की प्रक्रिया में स्वतंत्रता भी देते हैं।

रचनावादी कक्षाएँ छात्र-केंद्रित होती हैं। जहां छात्र अन्वेषण, सहयोग और चिंतन के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिसमें शिक्षक व्याख्याता के बजाय एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है। ये कक्षाएँ छात्रों के प्रश्नों और रुचियों और पूर्व ज्ञान पर आधारित होती हैं। इन कक्षाओं में अंतः क्रियात्मक अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैं, जहाँ शिक्षक छात्रों के साथ संवाद करते हैं ताकि उन्हें अपना ज्ञान बनाने में मदद मिल सके। रचनावादी कक्षा में छात्रों को सीखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों को अपनी गति से काम करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है, जैसे छात्रों को विभिन्न दत्त परियोजनाओं पर काम करना, शोध करना, और सहपाठियों के साथ चर्चा करना होता है | रचनावादी कक्षा में, ध्यान शिक्षक से हटकर छात्रों पर चला जाता है। कक्षा अब वह स्थान नहीं रह गया है जहाँ शिक्षक निष्क्रिय छात्रों में ज्ञान भरता है, जो खाली बर्तन की तरह भरे जाने का इंतज़ार करते हैं। रचनावादी मॉडल में, छात्रों से सीखने की अपनी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया जाता है। रचनावादी कक्षा में, शिक्षक और छात्र दोनों ही ज्ञान को उस विश्व के एक गतिशील, निरंतर बदलते दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं जिसमें हम रहते हैं और उस दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक विस्तारित करने और अन्वेषण करने की क्षमता के रूप में देखते हैं - न कि याद रखने योग्य निष्क्रिय तथ्यों के रूप में। इस परिप्रेक्ष्य की प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं:-

1. विद्यार्थी वर्तमान में क्या मानता है, चाहे वह सही हो या गलत, यह महत्वपूर्ण है।
2. एक ही तरह का सीखने का अनुभव होने के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीख को अपनी व्यक्तिगत समझ और अर्थ के आधार पर सीखेगा।
3. किसी अर्थ को समझना या बनाना एक सक्रिय एवं सतत प्रक्रिया है।
4. सीखने में कुछ वैचारिक परिवर्तन शामिल हो सकते हैं।
5. जब छात्र कोई नया अर्थ गढ़ते हैं, तो वे उस पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन उसे अस्थायी रूप से स्वीकार कर लेते हैं या अस्वीकार भी कर देते हैं।
6. सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं, और यह विद्यार्थियों द्वारा सीखने की जिम्मेदारी लेने पर निर्भर करता है।

रचनावादी कक्षा में मुख्य गतिविधि समस्याओं का समाधान करना है। छात्र प्रश्न पूछने, किसी विषय की जांच करने और समाधान और उत्तर खोजने के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग करने के लिए जांच

विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे-जैसे छात्र विषय का अन्वेषण करते हैं, वे निष्कर्ष निकालते हैं, और जैसे-जैसे अन्वेषण जारी रहता है, वे उन निष्कर्षों पर फिर से विचार करते हैं। प्रश्नों का अन्वेषण और अधिक प्रश्नों की ओर ले जाता है। रचनावादी और सामाजिक रचनावादी कक्षा के बीच बहुत अधिक समानता है, सिवाय इसके कि सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखने पर अधिक जोर दिया जाता है, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को महत्व दिया जाता है। वायगोत्स्की के अनुसार, संस्कृति बच्चे को विकास के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक उपकरण प्रदान करती है। शिक्षार्थी के वातावरण में वयस्क संस्कृति के उपकरणों के लिए वाहक होते हैं, जिसमें भाषा, सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक संदर्भ और हाल ही में, सूचना तक पहुँच के इलेक्ट्रॉनिक रूप शामिल हैं। सामाजिक रचनावादी कक्षाओं में सहयोगात्मक शिक्षण सहकर्मी बातचीत की एक प्रक्रिया है जो शिक्षक द्वारा मध्यस्थता और संरचित होती है। चर्चा को विशिष्ट अवधारणाओं, समस्याओं या परिदृश्यों की प्रस्तुति द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है, और प्रभावी रूप से निर्देशित प्रश्नों, अवधारणाओं और सूचनाओं के परिचय और स्पष्टीकरण, और पहले से सीखी गई सामग्री के संदर्भों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है।

रचनावादी गतिविधियां-

- समस्या-आधारित शिक्षा: -छात्र वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें शोध, विश्लेषण और समाधान खोजने की आवश्यकता होती है।
- समूह परियोजनाएं: -छात्र परियोजनाओं पर सहयोग करते हैं, विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और एक-दूसरे से सीखते हैं।
- वाद-विवाद और चर्चाएँ: -छात्र चर्चाओं और वाद-विवादों में भाग लेते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों की खोज करते हैं तथा आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करते हैं।
- क्षेत्र भ्रमण और अनुभवात्मक शिक्षा:- छात्र वास्तविक दुनिया के अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, जैसे संग्रहालयों का भ्रमण करना, कार्यक्रमों में भाग लेना, या इंटर्नशिप में भाग लेना।
- सिमुलेशन और रोल-प्लेइंग:- छात्र वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का अनुकरण करते हैं, जिससे उन्हें कौशल का अभ्यास करने और अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है।
- सहकर्मी शिक्षण:- छात्र एक-दूसरे को पढ़ाते हैं। अपनी समझ को मजबूत करते हैं और अपने संचार कौशल का विकास करते हैं। रचनावादी कक्षा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। इस

तरह की कक्षा में छात्रों को जानकारी पाने के लिए निष्क्रिय रूप से नहीं बैठना पड़ता बल्कि रचनावादी कक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट पर काम करना, शोध करना, और सहपाठियों के साथ चर्चा करना होता है।

11.4.1 रचनावादी कक्षा की मुख्य विशेषताएँ (Main Characteristics of Constructivist classroom)

रचनावादी कक्षा में सीखना एक छात्र-केंद्रित संवादात्मक प्रक्रिया है | मुक्त और आभासी कक्षा के संदर्भ में रचनावादी कक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

1.छात्र-केंद्रित शिक्षा:- रचनावादी कक्षा में छात्र अपने ज्ञान निर्माण के केंद्र में होते हैं। शिक्षक मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, लेकिन छात्रों को अपनी सोच और विचारों का अनुसरण करने का अवसर मिलता है। कक्षा का वातावरण सुरक्षित होता है। छात्रों को अपनी गति से काम करने के लिए समय दिया जाता है। ध्यान शिक्षक से हटकर विद्यार्थियों पर केंद्रित हो जाता है तथा सीखने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया जाता है।

2. समूह कार्य और सहयोग: रचनावादी कक्षा में छात्रों को आपस में मिलकर कार्य करने, विचार साझा करने, और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह सहयोग की भावना को बढ़ाता है और सामाजिक कौशलों को विकसित करता है। छात्रों को अपने मॉडल बनाने में मदद की जाती है। छात्रों को अपने मॉडल को परिष्कृत करने के लिए समूह चर्चा की जाती है। चर्चाओं, समूह कार्य और सहयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें सीखने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, जिससे उन्हें सीखने और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा मिलता है।

3. पूछताछ और अन्वेषण पर जोर: विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, विषयों का अन्वेषण करने तथा अनुसंधान एवं प्रयोग के माध्यम से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रचनावादी कक्षा में छात्रों को सीखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. छात्रों को अपनी गति से काम करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है।

4.सक्रिय शिक्षा विधियाँ: शिक्षा केवल शास्त्र के पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं होती, बल्कि गतिविधियों, परियोजनाओं, और प्रयोगों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। यह विद्यार्थियों को अपनी गलतियों से सीखने और सुधारने का अवसर देता है।

5. पूर्व ज्ञान पर निर्माण:-छात्रों की रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को स्वीकार किया जाता है और उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। सीखना छात्रों के पहले से ज्ञात ज्ञान पर आधारित होता है तथा शिक्षक व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार निर्देश देते हैं।

6. शिक्षक एक सुविधाकर्ता के रूप में:- शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी देने की नहीं बल्कि विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है। छात्रों और शिक्षक की भूमिकाएं और ज़िम्मेदारियां लगातार बदलती रहती हैं।

7. वास्तविक विश्व संदर्भ पर ध्यान केंद्रित:- सीखना अक्सर वास्तविक दुनिया की स्थितियों और समस्याओं से जुड़ा होता है, जिससे यह अधिक प्रासंगिक और आकर्षक बन जाता है।

8. अर्थ-निर्माण पर जोर:- छात्रों को अपनी सीख का अर्थ समझने तथा अवधारणाओं की अपनी समझ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9. विविध शिक्षण संसाधनों का उपयोग: -सीखने को बढ़ाने के लिए पुस्तकों, प्रौद्योगिकी और वास्तविक दुनिया के अनुभवों सहित विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

10. फीडबैक और आत्ममूल्यांकन: छात्रों को निरंतर फीडबैक मिलता है ताकि वे अपनी समझ को सुधार सकें। इसके अलावा, आत्ममूल्यांकन के माध्यम से छात्र अपनी प्रगति का आकलन कर सकते हैं। छात्रों को अपनी शिक्षा पर चिंतन करने तथा अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रचनावादी कक्षा में छात्रों को सीखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. छात्रों को अपनी गति से काम करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है। इस प्रकार, रचनावादी कक्षा एक गतिशील और छात्रों के अनुसार अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, जो उन्हें अपनी सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने और विकसित करने का अवसर देती है।

11. प्रौद्योगिकी का उपयोग: आभासी कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल महत्वपूर्ण होता है, जो छात्रों को वैश्विक स्तर पर अन्य लोगों के साथ संवाद करने और सीखने का अवसर देता है। विभिन्न डिजिटल उपकरण और प्लेटफार्म जैसे वीडियो, वेबिनार, और वर्चुअल टूल्स का उपयोग इस प्रकार की शिक्षा में किया जाता है।

12. समस्या-आधारित शिक्षा (PBL): रचनावादी कक्षा में समस्या-आधारित शिक्षा का महत्व है, जहां वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। यह उनके आलोचनात्मक सोच कौशल को प्रोत्साहित करता है।

13. अनुकूलनशील और लचीला पाठ्यक्रम: रचनावादी कक्षा में पाठ्यक्रम लचीला होता है, जो छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार बदलता रहता है। यह छात्रों को अपने तरीके से सीखने का अवसर देता है।

14. संसाधनों का समावेश: पाठ्यपुस्तकों के अलावा, बाहरी संसाधन जैसे डिजिटल कंटेंट, ओपन सोर्स शिक्षा सामग्री, और वेब आधारित टूल्स का इस्तेमाल छात्रों के लिए ज्ञान के विभिन्न स्रोतों को खोलता है।

15. दृष्टिकोण में विविधता: रचनावादी कक्षाओं में छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से चीजों को देखने और समझने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उनकी सोच में विविधता आती है।

16, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी: छात्रों को स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है। वे अपने अध्ययन के लिए स्वयं को प्रेरित करते हैं और लक्ष्य तय करते हैं।

11.4.2 रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका (Role of Teacher in Constructivist classroom)

रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। एक रचनात्मक कक्षा में, शिक्षक की भूमिका ज्ञान के एकमात्र प्रदाता से बदलकर सीखने के सूत्रधार की होती है। व्याख्यान देने के बजाय, शिक्षक खोज की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं, अन्वेषण और स्व-निर्देशित सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। इस पद्धति में, शिक्षक छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें अपने ज्ञान का निर्माण करने में मदद करते हैं। रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित है : -

मार्गदर्शक: रचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें अपने ज्ञान का निर्माण करने में मदद करते हैं। शिक्षक छात्रों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं और उन्हें अपने सीखने की प्रक्रिया में समर्थन प्रदान करते हैं।

सुविधा प्रदाता : रचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। वे छात्रों को विभिन्न संसाधनों और गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षक छात्रों को उनके सीखने की प्रक्रिया में समर्थन प्रदान करते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।

प्रोत्साहन देने वाला : रचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहन देते हैं। वे छात्रों को उनके प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अपने सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक छात्रों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं और उन्हें अपने सीखने की प्रक्रिया में समर्थन प्रदान करते हैं।

मूल्यांकनकर्ता : रचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं। वे छात्रों को उनके सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करते हैं और उन्हें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थन प्रदान करते हैं। शिक्षक छात्रों को उनके सीखने की प्रक्रिया में नियमित प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।

सहयोगी : रचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों के साथ सहयोग करते हैं। वे छात्रों को उनके सीखने की प्रक्रिया में समर्थन प्रदान करते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें उनके सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।

रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका को सफल बनाने के लिए, उन्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए : -

छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को समझना : शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को समझना चाहिए और उनके अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए।

सीखने के अवसर प्रदान करना : शिक्षकों को छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए, जैसे कि परियोजनाएं, प्रस्तुतियां, और समूह कार्य।

मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना : शिक्षकों को छात्रों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने सीखने की प्रक्रिया में स्वतंत्रता भी देनी चाहिए।

नियमित मूल्यांकन और प्रतिक्रिया : शिक्षकों को नियमित मूल्यांकन और प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए, जिससे छात्रों को अपने सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद मिल सके।

1. आभासी कक्षा (Virtual Classroom)

यह एक डिजिटल कक्षा होती है जो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होती है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी वर्चुअली जुड़े होते हैं, और शिक्षण प्रक्रिया ऑनलाइन चलती है।

2. रचनावादी कक्षा (Constructivist Classroom)

यह कक्षा विद्यार्थियों को केवल ज्ञान देने की बजाय ज्ञान निर्माण (knowledge construction) पर जोर देती है। इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपने अनुभवों और विचारों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं।

अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

प्र.1 मुक्त एवं आभासी कक्षाओं में पारम्परिक कक्षा की तुलना में ----------------- होता है |

प्र.2 रचनावादी कक्षा में पूर्व -------------------को महत्व दिया जाता है |

प्र.3 मुक्त कक्षा में शिक्षा केवल परीक्षा केन्द्रित होती है | सत्य / असत्य

प्र.4 रचनावादी कक्षा में विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं | सत्य / असत्य

11.5 सारांश (Summary)

शिक्षा का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। जहाँ पहले परंपरागत शिक्षा प्रणाली में एक सीमित वातावरण में पढ़ाई होती थी, वहीं आज आधुनिक शिक्षण पद्धतियों ने तकनीकी प्रगति के द्वारा सीखने और सिखाने के तरीके में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हैं जिसमें कम्प्यूटर, इन्टरनेट और मोबाइल फोन ने डिजिटल क्रान्ति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । शिक्षा की पारंपरिक कक्षा प्रणाली को हटाकर मुक्त (Open) और आभासी (Virtual) तथा रचनावादी कक्षा (Constructivist Classroom) – को और अधिक प्रभावशाली और सहभागी बनाया है | अर्थात मुक्त, आभासी और रचनावादी कक्षाएँ वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीली और प्रभावशाली बना रही हैं । ये न केवल भौगोलिक सीमाओं को मिटा रही हैं, बल्कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र, रचनात्मक और आत्मनिर्भर भी बना रही हैं । यदि इन शिक्षण पद्धतियों को सही दिशा में प्रयोग किया जाए, तो यह भारत समेत पूरे विश्व में शिक्षा की तस्वीर बदल सकती है । वर्तमान युग में जब शिक्षा केवल स्कूलों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही, तब मुक्त, आभासी और रचनावादी कक्षाएँ शिक्षा को एक नए आयाम पर ले जा रही हैं । ये न केवल विद्यार्थियों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही हैं, बल्कि उन्हें सोचने, समझने, बनाने और अपने अनुभवों से सीखने की प्रेरणा भी दे रही हैं। अगर इन तीनों शैलियों को एक साथ अपनाया जाए, तो यह शिक्षा प्रणाली को कहीं अधिक समावेशी, सशक्त और सृजनशील बना सकती है। यही भविष्य की शिक्षा है – जहाँ विद्यार्थी केवल सीखते नहीं, बल्कि सीखना सीखते हैं।

मुक्त और आभासी कक्षा के संदर्भ में रचनावादी कक्षा (Constructivist Classroom) का विचार शिक्षा के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। रचनावादी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण में संलग्न करना है, जहां वे अपनी समझ को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ते हैं और इसे नए अनुभवों से समृद्ध करते हैं।

11.6 शब्दावली (Glossary)

1. आभासी कक्षा (Virtual Classroom)

यह एक डिजिटल कक्षा होती है जो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होती है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी वर्चुअली जुड़े होते हैं, और शिक्षण प्रक्रिया ऑनलाइन चलती है।

2. रचनावादी कक्षा (Constructivist Classroom)

यह कक्षा विद्यार्थियों को केवल ज्ञान देने की बजाय ज्ञान निर्माण (knowledge construction) पर जोर देती है। इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपने अनुभवों और विचारों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं।

3.लचीलापन (Flexibility):-छात्रों को अपने सीखने का समय और तरीका चुनने की स्वतंत्रता, जो आभासी कक्षाओं में होती है।

11.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)

1. लचीलापन
2. ज्ञान
3. असत्य
4. असत्य

11.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

1. Piaget, J. (1972). The Psychology of the Child. New York: Basic Books. (रचनावादी शिक्षण के मूल सिद्धांत)
2. Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three Generations of Distance Education Pedagogy. The International Review of Research in Open and Distributed Learning.

3. Bates, Tony (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing teaching and learning. https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/
4. Mishra, S. (2005). Virtual Learning Environments in India: An overview. Commonwealth of Learning. http://www.col.org
5. UNESCO (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. https://unesdoc.unesco.org/

11.9 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

1.मुक्त एवं आभासी कक्षा का अर्थ एवं विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए |

2. मुक्त एवं आभासी कक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए |

3. रचनात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तारपूर्वक लिखिए |

4. मुक्त एवं आभासी कक्षा और रचनावादी कक्षा से आप क्या समझते हैं? इनके बीच तुलनात्मक अंतर स्पष्ट कीजिए |

5. रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए |

इकाई 12 : संस्थागत नियोजन, विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं विद्यालय विकास योजना (Institutional Planning, School Management Committee and School Development Plan)

12.1 प्रस्तावना

12.1 उद्देश्य

12.2 संस्थागत नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा

12.3 संस्थागत नियोजन की आवश्यकता एवं उद्देश्य

12.4 संस्थागत नियोजन के कार्यक्षेत्र

12.5 विद्यालय प्रबन्धन समिति का अर्थ

12.6 विद्यालय प्रबन्धन समिति के उद्देश्य एवं कार्य

12.7 अभ्यास प्रश्न

12.8 विद्यालय विकास योजना

12.8 विद्यालय विकास योजना की आवश्यकता एवं उद्देश्य

12.9 सारांश

12.10 शब्दावली

12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

12.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

12.13 निबन्धात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना

यह प्रत्येक राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वह अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाए। इसके लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है, जो उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता करती है। एक सशक्त शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने से देश की अगली पीढ़ी को सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसके लिए उचित शैक्षिक एवं संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी शिक्षा प्रणाली को सशक्त किए बिना प्रगति नहीं कर सकता। शिक्षा का उद्देश्य भी ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो राष्ट्र के उचित विकास में योगदान दे सके। इसके लिए योजनाबद्ध रूप में कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। नीति-निर्धारकों को भविष्य की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक योजनाएं बनानी चाहिए। इससे शिक्षा का संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास होगा। शैक्षिक प्रशासन एवं संस्थागत नियोजन के मध्य समुचित समन्वय से ही शैक्षिक प्रगति संभव है, क्योंकि दोनों के संतुलित समन्वय से ही कार्यक्षमता एवं कार्यदक्षता में वृद्धि होती है।

12.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन पश्चात आप-

1. संस्थागत नियोजन का अर्थ समझ पाएंगे।
2. संस्थागत नियोजन को परिभाषित कर पाएंगे।
3. संस्थागत नियोजन के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र का सविस्तार वर्णन कर सकेंगे।
4. विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यों का उल्लेख कर सकेंगे।
5. विद्यालय विकास योजना की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कर सकेंगे।

12.2 संस्थागत नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा

संस्थागत नियोजन एक प्रत्यय है जो मूल रूप से तीन शब्दों से मिलकर बना है: संस्था + गत + नियोजन। यहाँ संस्था का अर्थ है एक समूह जो किसी कार्य को करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि स्कूल, दुकान, संगठन, औद्योगिक इकाई या किसी अन्य प्रकार का शासनात्मक कार्यकारी समूह अथवा स्थल। गत का अर्थ है उसमें निहित या अंतर्निहित एवं नियोजन का अर्थ है योजनाबद्ध और व्यवस्थित

तरीके से काम करना। इस प्रकार, संस्थागत नियोजन का अर्थ है एक संस्था द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया। इसे अंग्रेजी में Institutional Planning कहा जाता है। संस्थागत नियोजन में किसी संस्था या संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें संस्था के लक्ष्यों, आवश्यकताओं एवं संसाधनों का विश्लेषण किया जाता है और फिर एक प्रभावी योजना तैयार की जाती है जिससे संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस प्रक्रिया में आवश्यकताओं की पहचान करना, संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, और गतिविधियों को संस्थान के मिशन और उद्देश्यों के साथ संरेखित करना शामिल है।

संस्थागत नियोजन शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि संस्था अपने उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में कुछ भारतीय विशेषज्ञ संस्थागत नियोजन के दूसरे दृष्टिकोण का समर्थन भी कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, नई योजना अधिकांशतः नीचे से शुरू होनी चाहिए। कुछ योजना ऊपर से भी आवश्यक है। इस प्रकार, योजना एक दो-तरफ़ा प्रक्रिया होनी चाहिए। हमें नीचे से, जमीनी स्तर से योजना शुरू करनी चाहिए, जिसे हम "संस्थागत नियोजन" कहते हैं।

संस्थागत नियोजन को परिभाषित करने हेतु अनेक विद्वानों ने अपने मतानुसार अनेक परिभाषाओं को प्रतिपादित किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख का विवरण क्रमशः इस प्रकार है :

1. **एम. बी. बुच के अनुसार-** "संस्थागत नियोजन एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और भविष्य में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सुधार और विकास के लिए बनाई गई योजना है।"
2. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा के अनुसार-** "संस्थागत नियोजन एक विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हितों को साधने और उसके समुचित विकास के लिए बनाई जाती है, जिससे समाज और राष्ट्र को प्रगति की दिशा मिलती है। संस्थागत नियोजन के अन्तर्गत संस्था के विकास और समाज के हितों को साधने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाता है।"
3. **श्रीमती ए. बारौलिया के अनुसार-** "संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह राष्ट्र की प्रगति के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की दिशा में संकेत करता है"।

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि संस्थागत नियोजन किसी भी संस्था के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। यह योजना संस्था की विशेषताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे संस्था का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके। संस्थागत नियोजन से देश की प्रगति भी सुनिश्चित होती है।

12.3 संस्थागत नियोजन की आवश्यकता एवं उद्देश्य

संस्थागत नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी भी संस्था के विकास एवं प्रगति के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया संस्था के उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने तथा संसाधनों का उपयोग करने में सहायता करती है। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है :

1. लक्ष्यों की प्राप्ति- संस्थागत नियोजन का मुख्य उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संस्था के संसाधनों का उपयोग सही दिशा में हो रहा है और संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। इस प्रकार संस्थागत नियोजन संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है।

2. संसाधनों का प्रभावी उपयोग- संस्थागत नियोजन का उद्देश्य संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का उपयोग सही तरीके से हो रहा है और उनका अधिकतम उपयोग हो रहा है। इस प्रकार संस्थागत नियोजन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता करता है, जिससे संस्था की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।

3. कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि- संस्थागत नियोजन का उद्देश्य संस्था की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संस्था के कार्य सुचारु रूप से संचालित हो रहे हैं और संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। इस प्रकार संस्थागत नियोजन संस्था की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करने में विशेष सहायता करता है।

4. निर्णय लेने में सुधार- संस्थागत नियोजन का उद्देश्य निर्णय लेने में सुधार करना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संस्था के निर्णय सही और सूचित हों और संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे। इस प्रकार संस्थागत नियोजन उचित एवं प्रभावशाली निर्णय लेने में सहायता करता है।

5. जटिल प्रबंधन - संस्थागत नियोजन का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन करना है। संस्थागत नियोजन जटिल एवं जोखिम प्रबंधन में सहायता करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संस्था के जोखिमों को पहचाना जाए और उनका प्रबंधन किया जाए, जिससे संस्था की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

6. भविष्य की योजना में सहायक- संस्थागत नियोजन भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संस्था के भविष्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं और संसाधनों का उपयोग किया जाए।

7. नवाचार एवं रचनात्मकता- नवाचार और रचनात्मकता संस्थागत नियोजन की एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह प्रक्रिया संस्था को अपने कार्यों में नए और बेहतर तरीके अपनाने में सक्षम बनाती है, जिससे संस्था अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती है। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य संस्था में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, जिससे संस्था अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती है।

8. निरंतर सुधार- निरंतर सुधार संस्थागत नियोजन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता व उद्देश्य है। यह प्रक्रिया संस्था को अपने कार्यों और प्रक्रियाओं में सुधार करने में मदद करती है, जिससे संस्था अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती है। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य संस्था की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना है, जिससे संस्था अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती है।

9. जवाबदेही- जवाबदेही संस्थागत नियोजन की एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता व उद्देश्य है। यह प्रक्रिया संस्था के सदस्यों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाती है, जिससे संस्था की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य संस्था के सदस्यों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना है, जिससे संस्था अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती है।

10. संचार में सुधार- संचार में सुधार संस्थागत नियोजन का एक वांछनीय उद्देश्य है। यह प्रक्रिया संस्था के सदस्यों के बीच संचार में सुधार करने में मदद करती है, जिससे संस्था के कार्यों में समन्वय और सहयोग बढ़ता है। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य संस्था के सदस्यों के बीच संचार में सुधार करना है, जिससे संस्था अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती है।

11. संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाना- यह प्रक्रिया संस्था को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ती है। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाना है, जिससे संस्था अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती है।

12. हितधारकों की संतुष्टि- हितधारकों की संतुष्टि संस्थागत नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह प्रक्रिया संस्था को अपने हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करती है, जिससे संस्था अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती है। संस्थागत नियोजन का उद्देश्य हितधारकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना है, जिससे संस्था अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती है।

इस प्रकार संस्थागत नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी भी संस्था के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया संस्था के उद्देश्यों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने और संसाधनों का उपयोग करने में मदद करती है। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता और उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने, संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने, कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करने, निर्णय लेने में सुधार करने, जोखिम प्रबंधन करने और संस्था के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

12.4 संस्थागत नियोजन के कार्यक्षेत्र

संस्थागत नियोजन का कार्यक्षेत्र शैक्षिक संस्थान के समस्त घटकों को सम्मिलित करता है। इनमें से कुछ प्रमुख का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

1. पाठ्यक्रम- पाठ्यक्रम छात्रों के सीखने के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनुभवों का योग है जो शैक्षिक संस्थान के परिसर में होता है। यह छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने और सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने में मदद करता है। संस्थागत नियोजन में पाठ्यक्रम के संगठन को शामिल किया जाता है जो संस्थान में निर्धारित किया जाता है। संस्थान के अधिकारी धीमे सीखने वालों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन भी करते हैं और ज्ञान उन्नयन के लिए शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए सेमिनार, सम्मेलन आदि का आयोजन करते हैं। यह सरकार या उच्च शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को भी लागू करता है।

2. शिक्षण सामग्री- नियोजन में शिक्षण सामग्री और ऑडियो-विजुअल एड्स के विकास और उपयोग को शामिल किया जाता है जो विषयों और कक्षाओं की मांग के अनुसार होता है। इसमें पुस्तकालय में पुस्तकें, पत्रिकाएं, जर्नल, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आदि की खरीद और वितरण भी शामिल है।

3. शैक्षिक एवं प्रशासनिक भवन- एक शैक्षिक संस्थान में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कमरे होते हैं। यह कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला कक्ष, सभागार, शिक्षकों के कमरे, छात्रों के लिए सामान्य कमरे, और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय के निर्माण की योजना बनाता है। यह समय-समय पर आवश्यकता अनुसार विद्यालय के शैक्षिक एवं प्रशासनिक भवन के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत पर धन खर्च करने की भी योजना बनाता है। इसके अतिरिक्त पेयजल सुविधा, स्वच्छता सुविधाएं, मध्याह्न भोजन, चिकित्सा सुविधाएं आदि अन्य कार्य हैं जिन्हें संस्थागत नियोजन द्वारा लागू किया जाता है।

4. मूल्यांकन- संस्थागत नियोजन में संस्थान की मूल्यांकन प्रणाली को शामिल किया जाता है। यह आंतरिक परीक्षा के लिए नियमित कार्यक्रम तैयार करता है, जिसमें कक्षा परीक्षा, इकाई परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा शामिल हैं। स्कूल या कॉलेज बाहरी परीक्षा के संबंध में छात्रों के लिए दो महत्वपूर्ण कार्य भी आयोजित करता है, जैसे कि उच्च शैक्षिक निकाय में छात्रों का पंजीकरण और बाहरी परीक्षा के लिए छात्रों के फॉर्म भरना।

5. सह-पाठ्यचर्या गतिविधियाँ- चूँकि आधुनिक शिक्षा छात्र-केंद्रित शिक्षा है और शिक्षा का एक प्राथमिक कार्य छात्रों का समग्र विकास इसलिए, यह संस्थान की जिम्मेदारी है कि वह संस्थान के भीतर एक ऐसा वातावरण बनाए जिससे छात्रों को अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और सौंदर्य पहलुओं को विकसित करने का अवसर मिले। संस्थागत नियोजन में छात्रों के दृष्टिकोण, नैतिक व्यवहार के निर्माण पर जोर दिया जाता है। संस्थान को शारीरिक, साहित्यिक और सामाजिक सेवा गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए।

12.5 विद्यालय प्रबन्धन समिति का अर्थ

विद्यालय प्रबन्धन समिति एक ऐसी संस्था है जो विद्यालय के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से

संचालित करना होता है, ताकि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य विद्यालय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं तथा निर्णय लेते हैं जो विद्यालय के विकास व प्रगति के लिए आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक एवं समुदाय के सदस्य सम्मिलित होते हैं जो विद्यालय के हित में समय-समय पर कार्य करते हैं।

विद्यालय प्रबन्धन समिति का महत्व इस प्रकार है कि यह विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए काम करती है, जिससे छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। यह समिति विद्यालय के संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने के लिए काम करती है, जिससे विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त, समिति छात्रों के शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में मदद करती है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। विद्यालय प्रबन्धन समिति की भूमिका विद्यालय के प्रशासन, प्रबंधन एवं नियोजन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विद्यालय के विभिन्न पहलुओं पर निगरानी रखती है और आवश्यक निर्णय लेती है। समिति के प्रयासों से विद्यालय का वातावरण बेहतर होता है, जिससे छात्रों को सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण मिलता है। इस प्रकार, विद्यालय प्रबन्धन समिति विद्यालय के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मदद करती है। विद्यालय प्रबन्धन समिति के प्रयासों से विद्यालय की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और यह विद्यालय को समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में मदद करती है। इस प्रकार, विद्यालय प्रबन्धन समिति विद्यालय के विकास और छात्रों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

12.6 विद्यालय प्रबन्धन समिति के उद्देश्य एवं कार्य

विद्यालय प्रबन्धन समिति के उद्देश्य एवं कार्यों का विवरण क्रमशः इस प्रकार है :

(अ) विद्यालय प्रबन्धन समिति के मुख्य उद्देश्य :

1. विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार- समिति विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए काम करती है, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। इसमें शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने, पाठ्यक्रम में सुधार करने और छात्रों के लिए बेहतर संसाधन प्रदान करने जैसे कार्य शामिल हैं।

2. छात्रों के विकास में मदद- समिति छात्रों के शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में मदद करती है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसमें छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने, उनकी प्रतिभाओं को विकसित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने जैसे कार्य शामिल हैं।

3. विद्यालय के संसाधनों का प्रभावी उपयोग- समिति विद्यालय के संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने के लिए काम करती है, जिससे विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसमें विद्यालय के बजट का प्रबंधन करने, संसाधनों का आवंटन करने और विद्यालय की सुविधाओं का रखरखाव करने जैसे कार्य शामिल हैं।

4. विद्यालय के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार- समिति विद्यालय के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करने के लिए काम करती है, जिससे विद्यालय के विभिन्न पहलुओं पर निगरानी रखी जा सके और आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। इसमें विद्यालय की नीतियों का निर्धारण करने, शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और विद्यालय के विभिन्न पहलुओं पर निगरानी रखने जैसे कार्य शामिल हैं।

(ब) विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्य :

1. नीति निर्धारण- विद्यालय प्रबन्धन समिति विद्यालय की नीतियों और उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जिससे विद्यालय के विभिन्न पहलुओं पर दिशा और मार्गदर्शन मिल सके।

2. प्रबंधन- समिति विद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षिक कार्यों का प्रबंधन करती है, जिससे विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

3. वित्तीय प्रबंधन- समिति विद्यालय के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करती है, जिससे विद्यालय के बजट का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

4. छात्र विकास- समिति छात्रों के शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में मदद करती है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

5. विद्यालय के संसाधनों का उपयोग- समिति विद्यालय के संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने के लिए काम करती है, जिससे विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

6. निगरानी और मूल्यांकन- समिति विद्यालय के विभिन्न पहलुओं पर निगरानी रखती है और आवश्यक निर्णय लेती है, जिससे विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार, विद्यालय प्रबन्धन समिति विद्यालय के समग्र एवं समन्वित विकास व प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के भविष्य को उज्ज्वल बनाने हेतु विशेष सहायता प्राप्त की जा सके।

12.7 अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 01 : संस्थागत नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 02 : संस्थागत नियोजन किसी भी संस्था के.............एवं............के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 03 : संस्थागत नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों को बताइए।

प्रश्न 04 : विद्यालय प्रबन्धन समिति से आप क्या समझते हैं ?

प्रश्न 05 : विद्यालय प्रबन्धन समिति विद्यालय की...........और.............को निर्धारित करती है।

12.8 विद्यालय विकास योजना

विद्यालय विकास योजना एक अति महत्वपूर्ण एवं दस्तावेज होता है जो विद्यालय के विकास एवं प्रगति के कार्यों के लिए बनाया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति अपनी कार्यकारिणी गठन के पश्चात विद्यालय के विकास के अगले तीन वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना को तैयार करती है। विद्यालय विकास योजना विद्यालय की प्रगति के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यह योजना विद्यालय के शैक्षिक माहौल, शिक्षण प्रक्रिया और समग्र विकास को बेहतर बनाने के लिए तैयार की जाती है, जिसमें आमतौर पर 3 से 5 वर्षों की अवधि के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसमें विद्यालय की प्राथमिकताएं, रणनीतिक क्रियाएं, संसाधन आवंटन और अपेक्षित परिणामों को रेखांकित किया जाता है, जिससे सुधार प्राप्त करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। इस योजना को सहयोगात्मक रूप से विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें शिक्षक, अभिभावक, समुदाय के सदस्य और विद्यालय प्रबंधक शामिल हों। यह योजना विद्यालय को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और छात्रों के लिए एक बेहतर शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करती है। विद्यालय विकास योजना के मुख्य घटक हैं :

1. विद्यालय की प्राथमिकताएं- विद्यालय की मुख्य आवश्यकताएं और लक्ष्य।
2. रणनीतिक क्रियाएं- विद्यालय की प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम।

3. संसाधन आवंटन- विद्यालय के संसाधनों का आवंटन और उपयोग।

4. अपेक्षित परिणाम- विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद अपेक्षित परिणाम।

इस प्रकार, विद्यालय विकास योजना विद्यालय के विकास और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार करने और छात्रों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करती है। विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है :

1. छात्रों की संख्या और आवश्यक अध्यापक- विद्यालय विकास योजना के लिए बच्चों की कक्षावार अनुमानित पंजीकरण संख्या और आवश्यक अध्यापकों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है।

2. स्कूल भवन और आवश्यक सुविधाएँ- विद्यालय भवन की वर्तमान स्थिति और आवश्यक सुधारों का आकलन किया जाता है।

3. आवश्यक धनराशि- इसके लिए ऊपर लिखित आवश्यकताओं के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाया जाता है।

4. छात्रों के लिए सुविधाएँ- बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, स्कूल ड्रेस, और अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाया जाता है।

5. अध्यापकों के प्रशिक्षण- अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाया जाता है।

6. विद्यालय की अन्य आवश्यकताएँ- स्कूल की अन्य आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, पुस्तकालय, खेल सामग्री, और शिक्षण सामग्री के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान लगाया जाता है।

इसके अतिरिक्त विद्यालय विकास योजना की आवश्यकताएँ जानने के लिए चार समूह बनाए जाते हैं :

1. छात्र समूह- विद्यालय के सभी बच्चे स्कूल की बुनियादी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करते हैं।

2. अभिभावक समूह- विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावक स्कूल की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

3. विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अध्यापक समूह- स्कूल प्रबंधन समिति कार्यकारिणी और स्कूल के अध्यापक स्कूल की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

4. ग्राम पंचायत और सामाजिक कार्यकर्ता समूह- ग्राम पंचायत के सदस्य और गांव के शिक्षा शास्त्री या सामाजिक कार्यकर्ता स्कूल की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

इस प्रकार इन चारों समूहों से मिली जानकारी के आधार पर विद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं की एक विस्तृत सूची तैयार की जाती है तथा विद्यालय विकास योजना बनाई जाती है।

12.8 विद्यालय विकास योजना की आवश्यकता और उद्देश्य

विद्यालय विकास योजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो विद्यालय के विकास और प्रगति के लिए बनाया जाता है। इसकी आवश्यकता और उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार- विद्यालय विकास योजना विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके।

2. छात्रों के विकास में मदद- योजना छात्रों के शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में मदद करने के लिए रणनीतियाँ प्रदान करती है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

3. विद्यालय के संसाधनों का प्रभावी उपयोग- योजना विद्यालय के संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने के लिए एक योजना प्रदान करती है, जिससे विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

4. विद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि- योजना विद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए एक रणनीति प्रदान करती है, जिससे विद्यालय की छवि में सुधार हो सके।

5. विद्यालय के विकास के लिए एक रोडमैप प्रदान करना- योजना विद्यालय के विकास के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है, जिससे विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट दिशा मिल सके।

6. छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना- योजना का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और समाज में योगदान कर सकें।

7. विद्यालय की जवाबदेही सुनिश्चित करना- योजना विद्यालय की जवाबदेही बढ़ाने एवं सुनिश्चित के लिए एक रणनीति प्रदान करती है, जिससे विद्यालय के अधिकारियों को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके।

8. क्रियान्वयन की रणनीति- योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक विस्तृत रणनीति बनाई जानी चाहिए, जिसमें समय सीमा, जिम्मेदार व्यक्ति और आवश्यक संसाधनों का उल्लेख हो।

9. निगरानी और मूल्यांकन- योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं।

10. समीक्षा और अद्यतन- योजना की समीक्षा और अद्यतन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना वर्तमान आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार है।

11. संचार और भागीदारी- योजना के बारे में सभी हितधारकों को सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें योजना के क्रियान्वयन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

12. समर्थन और संसाधन- योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समर्थन और संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे कि वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन और तकनीकी संसाधन।

इस प्रकार, विद्यालय विकास योजना विद्यालय के विकास और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार करने, छात्रों के विकास में मदद करने, और विद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। यह योजना विद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। विद्यालय विकास योजना के माध्यम से, विद्यालय अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकता है, शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि कर सकता है, और छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सकता है। यह योजना विद्यालय को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय विकास योजना विद्यालय की जवाबदेही बढ़ाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करती है। यह योजना विद्यालय के अधिकारियों को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और विद्यालय के संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है।

12.9 सारांश

संस्थागत नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें एक संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाती है और संसाधनों का उपयोग करती है। इसमें संस्था के लक्ष्यों, आवश्यकताओं और संसाधनों का विश्लेषण किया जाता है और एक प्रभावी योजना तैयार की जाती है। इसके मुख्य बिंदु हैं लक्ष्यों की प्राप्ति, आवश्यकताओं की पहचान, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और मिशन और उद्देश्यों के साथ संरेखण। यह

शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सुनिश्चित करता है कि संस्था अपने उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। नई शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में, एक दो-तरफ़ा प्रक्रिया का समर्थन किया जा रहा है, जिसमें योजना नीचे से शुरू होनी चाहिए और ऊपर से भी आवश्यक है।

संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया किसी भी संस्था के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक होती है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं लक्ष्यों की प्राप्ति, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि, निर्णय लेने में सुधार, जोखिम प्रबंधन, भविष्य की योजना, नवाचार और रचनात्मकता, निरंतर सुधार, जवाबदेही, संचार में सुधार, संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाना और हितधारकों की संतुष्टि। यह प्रक्रिया संस्था के उद्देश्यों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने और संसाधनों का उपयोग करने में मदद करती है। संस्थागत नियोजन के कार्यक्षेत्र में पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, शैक्षिक एवं प्रशासनिक भवन, मूल्यांकन और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियाँ शामिल हैं। इसमें संस्थान के विभिन्न पहलुओं का नियोजन और प्रबंधन किया जाता है, जैसे कि पाठ्यक्रम का संगठन, शिक्षण सामग्री का विकास और उपयोग, भवनों का निर्माण और रखरखाव, मूल्यांकन प्रणाली और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों का आयोजन। इसका उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करना है।

विद्यालय प्रबन्धन समिति एक महत्वपूर्ण संस्था है जो विद्यालय के प्रशासन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करना है, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। इस समिति के उद्देश्य में विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार, छात्रों के विकास में मदद, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और प्रशासन में सुधार शामिल हैं। इसके कार्यों में नीति निर्धारण, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, छात्र विकास, संसाधनों का उपयोग और निगरानी शामिल हैं। समिति की भूमिका विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न पहलुओं पर निगरानी रखती है और आवश्यक निर्णय लेती है, जिससे विद्यालय का वातावरण सकारात्मक होता है और छात्रों को अधिगम हेतु भी उपयुक्त वातावरण प्राप्त हो जाता है।

विद्यालय विकास योजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो विद्यालय के विकास और प्रगति के लिए बनाया जाता है, जिसमें विद्यालय की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और रणनीतियों को रेखांकित किया जाता है। यह योजना विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार करने, छात्रों के विकास में मदद करने और विद्यालय की

प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। इसमें विद्यालय के संसाधनों का प्रभावी उपयोग, शिक्षकों के प्रशिक्षण, छात्रों के लिए सुविधाएँ और विद्यालय की अन्य आवश्यकताएँ शामिल होती हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत रणनीति बनाई जानी चाहिए, जिसमें समय सीमा, जिम्मेदार व्यक्ति और आवश्यक संसाधनों का उल्लेख हो। विद्यालय विकास योजना विद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है और विद्यालय को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मदद करती है।

12.10 शब्दावली

संस्थागत नियोजन- संस्थागत नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें एक संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाती है और संसाधनों का उपयोग करती है। इसमें संस्था के लक्ष्यों, आवश्यकताओं और संसाधनों का विश्लेषण किया जाता है और एक प्रभावी योजना तैयार की जाती है।

विद्यालय प्रबन्धन समिति- विद्यालय प्रबन्धन समिति एक महत्वपूर्ण संस्था है जो विद्यालय के प्रशासन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करना है, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके।

विद्यालय विकास योजना- विद्यालय विकास योजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो विद्यालय के विकास और प्रगति के लिए बनाया जाता है, जिसमें विद्यालय की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और रणनीतियों को रेखांकित किया जाता है। यह योजना विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार करने, छात्रों के विकास में मदद करने और विद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है।

12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 01: संस्थागत नियोजन का अर्थ है एक संस्था द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता और उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने, संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने, कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करने, निर्णय लेने में सुधार करने, जोखिम प्रबंधन करने और संस्था के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

उत्तर 02 : विकास एवं प्रगति।

उत्तर 03 : (01) कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि,

(02) भविष्य की योजना का निर्माण करना।

उत्तर 04 : विद्यालय प्रबन्धन समिति एक ऐसी संस्था है जो विद्यालय के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है। विद्यालय प्रबन्धन समिति के प्रयासों से विद्यालय की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और यह विद्यालय को समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में मदद करती है।

उत्तर 05 : नीतियों और उद्देश्य

12.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Aggarwal J.C. (1967): Educational Administration, School Organization and Supe vision. Acharya Book, New Delhi.
2. Bhatnagar and Aggarwal (1986): Educational Administration: Emerging Trends, Kanishka Publishers, New Delhi.
3. Drucker, Duke P.F (1954): The Practice of Effective Management Khulke & Row, New Yark.
4. Morphet et el (1961) Educational Administration Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey.
5. Mukherji S.N., Bhattacharya P.V. (1970) Administration of Institutional Planning, Finance Acharya Book Depot : Koymbator
6. Naik.J.P, Narayan Laxmi (1969) Institutional Planning: A Discussion Paper, Delhi National Institute of Educational Planning and Administration.
7. https://www.academia.edu/37925596/Types_of_Educational_Planning_Reasons_for_ Planning Education
8. https://kkhsou.ac.in/eslm/E-

9. SLM_Main/5th%20Sem/Bachelor%20Degree/Education/Education%20Major/English%20medium/Educational%20Management%20English%20Medium/Block%201/Uni t%20-3.pdf

10. https://www.educationmanagementdiploma.com/blogs/321-Importance-of-Institutional-Planning-blog.php

12.13 निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 01 : संस्थागत नियोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 02 : विद्यालय प्रबन्धक समिति से आप क्या समझते हैं? विद्यालय के समन्वित विकास में विद्यालय प्रबन्धक समिति की क्या भूमिका होती है?

प्रश्न 03 : विद्यालय प्रबन्धक समिति के उद्देश्यों को समझाइए।

प्रश्न 04 : विद्यालय विकास समिति क्या होती है? इसके मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए।

इकाई- 13 शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य, विद्यालय में शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों का संगठन,स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य निर्देश Aims and Objective of physical education, Organising physical and health education activities in School, health education and health instructions.

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

13.2 उद्देश्य (Objective)

13.3 शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र (Scope of Physical Education)

13.4 शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objective of physical education)

13.5 शारीरिक शिक्षा की आवश्कता एवं महत्व (Need and Importance of physical Education)

13.6 विद्यालय में शारीरिक शिक्षा गतिविधियों का संगठन(Organising physical activities in School)

13.7 स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य निर्देश (Hhealth education and health instructions)

13.8 सारांश(Summary)

13.9 संदर्भ ग्रंथ सूची(Biblliography)

13.10 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

प्रस्तावना(Introduction)

शारीरिक शिक्षा की अवधारणा का जन्म सभ्यता के विकास के साथ ही प्रारम्भ हो गया था। प्राचीन समय में यह व्यवस्थित रूप में नहीं थी, लेकिन वैदिक काल से गुरूकुलों में विद्यार्थियों को अन्य विद्याओं के साथ धनुर्विद्या, मल्लयुद्ध, घुड़सवारी तथा शिकार करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, अर्थात् उस समय भी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया जाता था। वर्तमान समय में भी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा की अनिवार्यता बनी हुई है।

शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ - शरीर की शिक्षा परन्तु इसका भाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। आम साधारण व्यक्ति शारीरिक शिक्षा को "शारीरिक क्रिया' ही मानता आया है और आज भी मानता है, परन्तु शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक क्रियाओं का ही एक समूह मानना उसके साथ अन्याय जै सा है क्योंकि जहाँ शब्द "शिक्षा" का प्रयोग किया गया तो उसके साथ संलग्न शब्द का भी अर्थ काफी विस्तृत तथा अधिक अर्थ पूर्ण हो जाता है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की सीमाबद्ध योग्यता को परिवर्द्धित करने की अपेक्षा उसकी विभिन्न पारस्परिक सम्बन्ध क्रियाशील इकाईयों को सम्पूर्ण रूप से संगठित करके उसे एक निश्चित उद्देश्य के लिए शिक्षित करती है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक पहलुओं को सामूहिक रूप से समझना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार विद्यालय के किसी अन्य विषय की बजाय समीचीन ढंग से दी गई शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा की लक्ष्य पूर्ति में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है। सभी बालकों के लिए शिक्षा योजनाबद्ध विकासशील अनुभव है, जबकि शारीरिक शिक्षा उस अनुभव की प्राप्ति के लिए उत्साहपूर्ण गतिविधि का प्रयोग है। शारीरिक शिक्षा शैक्षिक पद्धति का वह भाग है, जिसमें बालक को केवल सामान्य शाररिक गतिशीलता के बारे में ही नहीं सिखाया जाता अपितु उसे प्रभावपूर्ण ढंग से गतिशील होना भी सिखाया जाता है। शारीरिक शिक्षा बालक की दैनिक गतिविधियाँ का निर्धारिण इस प्रकार से करता है जिससे बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हो | शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण तथा संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला विषय है।

उद्देश्य (objective)

इस इकाई को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी –

- शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता,महत्त्व एवं क्षेत्र को व्यापक रूप से समज सकेगें |

- शारीरिक शिक्षा के विविध प्रकार के कार्यक्रमों का समावेश तथा उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हो सकेगें|
- शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को समझ सकेगें |

शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र (Scope of physical Education)

शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है इसमें विविध प्रकार के कार्यक्रमों का समावेश है जिनमें भाग लेने पर बालक का शारीरिक ही नहीं अपितु उसका मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास इस प्रकार से होता है कि वह अपने भावी जीवन में अच्छे नागरिक की भाँति समाज में जीवनयापन कर सके। इस विषय के शिक्षण में अनेकों प्रकार के वृहत्त तथा लघु खेलों, दौड़-परिपथ और क्षेत्रीय खेलों, नृत्य, तथा मनोरंजन के कार्यों, पर्यटन, शिविर व प्रकृति विहार आदि कार्यक्रमों का समावेश हो इसके साथ-साथ इसमें स्वास्थ्य एवं योग शिक्षण, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान आदि शिक्षण के तत्व भी मौजूद है।

कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार "शारीरिक शिक्षा शारीरिक दक्षता, मानसिक सतर्कता, अध्यवसाय, समूह भावना, नेतृत्व, आज्ञाकारिता, संयम, संतुलन एवं विनम्रता आदि व्यक्तित्व के श्रेष्ठ गुणों को विकसित करने वाला विषय क्षेत्र है। "

शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य(Aims and Objective of physical education)

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्तित्व के दो आधार है-

1. स्वस्थ एवं सुगठित शरीर -स्वस्थ शरीर से तात्पर्य है शारीरिक अंग-प्रत्यंगों की सुव्यवस्थित वृद्धि, उनका समुचित विकास एवं सभी अंगों की निर्धारित कार्यक्षमता।

2.स्वस्थ चिन्तन व व्यवहार-स्वस्थ चिन्तन शरीर की ऐसी मानसिक दक्षता है जो बालकों में उचित एवं योग्य निर्णय लेने व उसे कार्य में क्रियान्वित करने की क्षमता प्रदान करता है।

शारीरिक शिक्षा को शिक्षण प्रक्रिया में इसी लक्ष्य की प्राप्ति को दृष्टिगत रखकर सम्मिलित किया गया है।शारीरिक शिक्षा का शिक्षण सहज एवं नैसर्गिक रूप में बालक के शरीर को सुगठित, स्वस्थ एवं क्रियाशील रहने की प्रेरणा देकर व्यक्तित्व निर्माण के साथ-साथ समाज निर्माण एवं उत्थान का एक घटक बनाने में सहायक होता है।हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों तथा वेद-पुराणों ने शारीरिक शिक्षा पर बहुत बल दिया

था, उस समय भी यौगिक क्रियायें की जाती थी। जैसे-जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ शारीरिक शिक्षा व शिक्षा का भी विकास होता गया। आधुनिक युग को यन्त्र युग कहा जाता है। आज प्रत्येक कार्य को मशीन द्वारा किया जाता है। व्यक्ति को बहुत ही कम शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। यान्त्रिक/मशीनी युग ने मनुष्य को निढाल बना दिया है। ऐसे समय में शारीरिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है।

आज घर के काम में हाथ बटाने, व पैदल चलने की आदत ही नहीं रही, ऐसी स्थिति में आज के युवाओं को शारीरिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। सुडौल एवं स्वस्थ युवक राष्ट्र की सम्पत्ति ही नहीं, वरन् उसकी आवश्कयता भी है। हमारे देश के नवयुवक हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसके लिये शारीरिक शिक्षा को माध्यम के रूप में अपनाना उचित होगा।

शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले ये समस्त क्रिया-कलाप बालक के शिक्षण के लिये ऐसे साधन हैं जिनमें भाग लेकर बालक को एक व्यक्तित्व पूर्ण नागरिक बनाने का साध्य अर्जित किया जाता है। जिस प्रकार शिक्षा बालक को सुसंस्कृत व्यवहार में ढालती है। उसी प्रकार शारीरिक शिक्षा भी अपने तीव्र गतियुक्त वृहद मांसपेशीय क्रिया-कलापों से बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास में अपना योगदान देती है। इस दृष्टि से यह एक ऐसा विषय है जो बालक व युवा में निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति में सक्षम है।

सेन्ट्रल एडवायजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन एण्ड रिक्रेयशन 1956 के प्रतिवेदन के अनुसार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख इस प्रकार है-

1. शारीरिक अंगों की पुष्टता का विकास
2. स्नायु मांसपेशीय कुशलता का विकास
3. चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शारीरिक शिक्षण केवल बल या शरीर संवर्धन ही नहीं वरन् यह व्यक्तित्व संवर्धन भी है।

जे. एफ. विलियम्स के अनुसार- "शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति तथा व्यक्ति दलों के लिये उन परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व प्रचुर सुविधाएं तथा समय का प्रावधान करना है जो भौतिक दृष्टि से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग तथा सामाजिक दृष्टि से सशक्त हो।" इस परिभाषा पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर चार संकल्प सामने आते है।

1. कुशल नेतृत्व

2. अधिक सुविधा

3. प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह के लिए खेल में भाग लेने की संभावना

4. शारीरिक रूप से पूर्ण, मानसिक रूप से साहसिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त परिस्थिति या व्यक्ति तथा व्यक्ति दलों का विकास शारीरिक शिक्षा का अंतिम ध्येय है। कुशल नायक, प्रचुर सुविधाएं तथा समय, ध्येय तक पहुँचने के साधन है। तथा खेल परिस्थिति एवं व्यायाम प्रक्रियाएं शारीरिक शिक्षा की कर्मभूमि है।

शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1956 के अनुसार- शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ बनाऐ रखना, चेतना पेशियों का तालमेल, कौशल तथा आचरण और व्यक्तित्व का विकास ही शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं।

अरस्तू के अनुसार "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।"

विभिन्न विचारकों तथा शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों के दृष्टिकोण से शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है।

1. शारीरिक विकास :

शारीरिक विकास के उद्देश्य का सम्बंध व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगो-प्रत्यंगों का विकास करना है इससे शरीर शक्ति में बल का विकास होता है व्यक्ति स्वस्थ व शक्तिशाली बनता है। यह व्यक्ति के दौड़ने, भागने, भार उठाने, चढ़ने, उतरने, फेंकने, पकड़ने, कूदने, फादने आदि प्रक्रियाओं में सहायक है।

2. मानसिक विकास :

शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से व्यक्ति को खेल कौशल का ज्ञान, उनके नियम, स्वास्थ्य एवं व्यायाम का ज्ञान तो प्राप्त होता ही है इससे मन तथा मस्तिष्क को दृढ़ता तथा आत्मविश्वास भी मिलता है। जो व्यक्ति के मानसिक विकास का रहस्य है। शारीरिक दृष्टि से शिक्षित व्यक्ति प्रत्येक स्थिति का सामना दृढ़ निश्चय तथा आत्मविश्वास से करता है। इससे बालक के मानसिक तनाव तथा दबाव को दूर किया जा सकता है तथा उचित प्रकार से सोचने समझने, कठिनाईयों का हल करने की समझ प्राप्त होती है।

3. गामक विकास :

इसकी प्राप्ति से शारीरिक क्रिया-प्रक्रिया अधिक उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि नाड़ी-पेशी समन्वय के स्थापित होने से गति में वृद्धि होती है। तंत्रिकाओं तथा पेशियों के बीच सुन्दर तालमेल व्यक्ति को विभिन्न गामक प्रक्रियाओं और खेल कौशल को करने में सहायता प्रदान करता है।

4. सामाजिक विकास :

शारीरिक शिक्षा की गतिविधियाँ वैयक्तिक समायोजन समूह समायोजन तथा एक सामाजिक सदस्य के रूप में समायोजन करने में व्यक्ति को सहायक होती है। शारीरिक शिक्षा से खाली समय का सदुपयोग, अच्छी आदतों का विकास, अच्छे आचरण एवं चरित्र का विकास, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, अच्छे खिलाड़ी के गुण, सच्ची खेल भावना आदि सामाजिक विकास होता है। सभ्यता, संस्कृति तथा मानवता का विकास खेलों के माध्यम से जितना सम्भव है। शायद अन्य क्रिया के माध्यम से सम्भव नहीं हो ।

शारीरिक शिक्षा की आवश्कता एवं महत्व (Need and Importance of physical Education)

आज के वैज्ञानिक युग में हम सब विज्ञान के दास बन गये हैं। हमें प्रातः काल से लेकर रात्रि में सोने के समय तक बिजली, पंखा, हीटर, कूलर, बाईक, कार आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन यन्त्रों पर आश्रित रहकर ही हम सुख का अनुभव करते हैं लेकिन यह सब यन्त्र हमारे शरीर के लिये लाभकारी नहीं है। इनके उपयोग से हमारा प्रकृति से सम्बंध दूर होता जा रहा है। अरस्तू ने कहा था- "स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है।" आज के शिक्षाशास्त्री भी इस कथन को मानने के लिये बाध्य हैं। अच्छा मनुष्य शरीर से हृष्ट-पुष्ट, बुद्धि से प्रखर, संवेगात्मक दृष्टि से सन्तुलित और समाज में सुव्यवस्थित होता है इसलिए आज सभी ने शारीरिक शिक्षा का महत्व स्वीकार किया है और इसे शिक्षा का अभिन्न अंग माना है।

इसका कारण है स्वस्थ एवं शारीरिक रूप से चुस्त विद्यार्थी ही शिक्षा में मन लगा सकता है। रोगी और सुस्त विद्यार्थी का पढ़ाई में जी नहीं लगता है। शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों को स्वस्थ एवं चुस्त बनाती है।

प्राचीन गुरूकुल पद्धति में जहां विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए योग की शिक्षा दी जाती थी वहीं आधुनिक युग में विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग के साथ साथ पी. टी., खेलकूद तथा जिम की व्यवस्था की जाती है। जिससे विद्यार्थियों का शारीरिक विकास सुचारू रूप से हो सकें। शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास के बीच निकट का सम्बन्ध होता है। शारीरिक विकास से ही मानसिक विकास संभव होता है।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार "निर्बल व्यक्ति आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता। चाहे वह शारीरिक रूप से निर्बल हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जीवन के महान उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सहनशीलता, आत्मविश्वास आदि का अभाव होता है।"

मुदालियर शिक्षा आयोग (1953) ने स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा था कि "जब तक शारीरिक शिक्षा को शिक्षा का अभिन्न अंग स्वीकार नहीं किया जाता तथा शैक्षिक अधिकारी विद्यालयों में इसकी आवश्यकता नहीं मान लेते तब तक देश के युवक जो देश की सर्वाधिक मूल्यवान उपयोगी वस्तु है, राष्ट्रीय कल्याण कार्यों में पूर्ण योगदान करने के योग्य नहीं बन सकेंगे। अब तक केवल शैक्षिक प्रकार की शिक्षा पर बिना शारीरिक विकास पर ध्यान दिए तथा छात्रों के स्वास्थ्य के उचित स्तर को बनाए रखने पर बल दिया जाता रहा है। प्रत्येक छात्र को विद्यालय तथा घर दोनों जगह उत्तम स्वास्थ्य संबंधी आदतों का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। यह केवल शारीरिक कारणों से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिए कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही उत्तम मानसिक स्वास्थ्य भी निर्भर रहता है।" इस प्रकार ये स्पष्ट है कि सामान्य शिक्षा का आधार शारीरिक शिक्षा ही है। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार -** "खेल और शारीरिक शिक्षा, सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और इन्हें विद्यार्थियों की कार्यसिद्धि के मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए। शरीर और मन के समेकित विकास के साधन के रूप में योग शिक्षा पर विशेष बल देना भी आवश्यक है।" शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का महत्व व आवश्यकता

इस प्रकार विद्यालयी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का महत्व निर्विवाद रूप से स्पष्ट है। यह शिक्षा न केवल शारीरिक विकास के लिए ही आवश्यक है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी वांछनीय है। अतः प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण विद्यालय के कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता व महत्व के निम्न बिन्दु हैं -

1. सुदृढ़ शारीरिक दक्षता बनाये रखना।
2. आत्मविश्वास का विकास।
3. स्वास्थ्य और पोषण के महत्वपूर्ण मुद्दों के सम्बन्ध में जागरूकता।
4. खेल और टीम भावना का विकास।
5. गामक कौशलों का विकास।
6. स्वच्छता एवं यौन शिक्षा का महत्व |

7. नवोदित खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना।

8. सम्पूर्ण ज्ञानात्मक योग्यताओं में वृद्धि।

9. तनाव दूर करना और आनन्द का स्त्रोत।

10. शारीरिक शिक्षा का ध्येय व्यक्तित्व का स्वांगीण विकास करना

शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के खेल-कूद, दौड़, व्यायाम, योग आदि सम्मिलित किये जाते है। विद्यालयों में इन क्रियाओं को अनिवार्य किया गया है। शारीरिक शिक्षा गतिविधियों से स्वास्थ्य के अतिरिक्त अन्य लाभ भी हैं, जो इस प्रकार है-

1. सामाजिकता का विकास

2. नैतिक व चारित्रिक विकास

3. सामान्य शिक्षा में सहायक

4. नागरिकता की भावना का विकास

5. खेल भावना का विकास

विद्यालय में शारीरिक शिक्षा गतिविधियों का संगठन (Organiting physical and health education activites in School)

विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने का प्रमुख केंद्र है | जहाँ पर छात्रों के सर्वागीर्ण विकास के लिए पाठ्यक्रम में पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिनमे प्रमुख रूप से –खेल,व्यायाम एवं अन्य शारीरिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जिनके माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास को संभव बनाने में सहायता मिलती है | तथा छात्रों के निमित्त इन क्रियाओं को शिक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित करने से छात्रों का सर्वागीर्ण विकास किया जाता है। शारीरिक गतिविधि हृदय, शरीर और मन के लिए अच्छी है। नियमित शारीरिक गतिविधि शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है | हृदय, संवहनी और चयापचय स्वास्थ्य, और हड्डी के स्वास्थ्य में सुधार और बच्चों और किशोरों में वसा को कम कर सकती है | सक्रिय होने से शैक्षणिक प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य सहित संज्ञानात्मक कार्य में भी सुधार हो होता है, अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम किया जा सकता है| इसके विपरीत,बहुत अधिक गतिहीन व्यवहार अस्वास्थ्यकर हो सकता है; यह मोटापे और खराब फिटनेस और कार्डियोमेटाबोलिक स्वास्थ्य के जोखिम को बढ़ाता है, और नींद की अवधि को प्रभावित कर सकता

है वैश्विक अनुमानों से संकेत मिलता है कि स्कूल में 80% से अधिक युवा प्रति दिन 60 मिनट की मध्यम से जोरदार शारीरिक गतिविधि की वैश्विक सिफारिशों को पूरा नहीं कर रहे हैं | अधिकांश देशों में, लड़कियां लड़कों की तुलना में कम सक्रिय हैं, और लड़कियों के बीच निष्क्रियता के स्तर में सुधार नहीं हुआ है| वास्तव में, लड़कियों और लड़कों के बीच का अंतर बढ़ रहा है इसके अलावा, अधिकांश देशों में सबसे अधिक सामाजिक रूप से वंचित समूह, जैसे कि लड़कियां और पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों या विकलांगता के साथ रहने वाले लोग, अक्सर सबसे कम सक्रिय होते हैं।

माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार "शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अनिवार्य भाग है। इसकी विभिन्न क्रियाओं को इस प्रकार करवाया जाए कि विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का विकास हो, उनकी मनोरंजनात्मक क्रियाओं में रूचि बढ़े तथा उनके भीतर सामूहिक भावना, खेल भावना तथा दूसरों का आदर करना आदि विकसित हो। अतःशारीरिक शिक्षा, शारीरिक ड्रिल अथवा नियमबद्ध व्यायाम से शिक्षा के उदेश्यों की प्राप्ति कर सकते है। उसमें सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएँ तथा खेल सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है।"

शारीरिक गतिविधि और गतिहीन व्यवहार पर 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देश के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक गतिविधि को एकीकृत करने के महत्व का वर्णन करता है ताकि सभी बच्चे और युवा नियमित रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय हो सकें, जो बचपन के मोटापे की बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को रोकने में योगदान देगा। यह स्कूलों में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए छह साक्ष्य-आधारित क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करता हैः

1. गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा
2. विद्यालय आने-जाने के लिए सक्रिय यात्रा
3. विद्यालय से पहले और बाद के सक्रिय कार्यक्रम
4. अवकाश के दौरान शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के अवसर
5. सक्रिय कक्षाएँ
6. शारीरिक गतिविधि के लिए समावेशी दृष्टिकोण।

शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने और बच्चों और युवाओं के बीच गतिहीन व्यवहार को कम करने वाली रणनीतियों को विकसित करने, लागू करने और मूल्यांकन करने के लिए स्कूल के वातावरण का

उपयोग कैसे किया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ ने स्कूलों के माध्यम से शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए है -

1. गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा
2. विद्यालय आने-जाने के लिए सक्रिय यात्रा
3. विद्यालय से पहले और बाद के सक्रिय कार्यक्रम
4. अवकाश के दौरान शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के अवसर
5. सक्रिय कक्षाएँ
6. शारीरिक गतिविधि के लिए समावेशी दृष्टिकोण

अपनी उन्नति जानिए (Check your progress)

प्रश्न.1- शारीरिक शिक्षा के द्वारा छात्रों में विकास होता है -

(a) गामक कौशलों का विकास (b)आत्मविश्वास में वृद्धि (c) टीम भावना का विकास (d) उपरोक्त सभी |

प्रश्न.2 "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।" किसने कहा –

(a) अरस्तु (b)स्वामी विवेकानंद (c) महात्मा गाँधी (d) उपरोक्त कोई नहीं

प्रश्न.3 शारीरिक शिक्षा के अन्तेर्गत निम्न क्रियाए सम्मलित है -

(a) योग (b) व्ययाम (c) खेल (d) उपरोक्त सभी |

स्वास्थ्य शिक्षा - परिभाषा, महत्व एवं लक्ष्य (Definition, Importance & Objectives of Health Education)

हम सभी सुख की इच्छा करते हैं दुखी होना कोई नहीं चाहता। सुख और दुख का संबंध हमारे शरीर तथा मन से होता है। जिसका मन मष्तिक तथा शरीर निरोगी एवं स्वस्थ होता है, वह सुखी माना जाता है। मन मष्तिक तथा शरीर को स्वस्थ्य बनाना हमारे हाथ में है | कहा जाता है कि "पहला सुख निरोगी काया" | **अरस्तू ने कहा -** स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है।

स्वास्थ्य मनुष्य की अमूल्य निधि है एक प्राचीन कहावत है कि "स्वास्थ्य ही जीवन है" किसी विद्वान ने कहा है "अगर धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया, लेकिन स्वास्थ्य खो दिया तो सब कुछ खो दिया" अतः सुखी जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना आवश्यक है।

मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिये औषध विज्ञान व शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही है। प्रत्येक सरकार यह चाहती है कि उसकी जनता सुखी रहे इसलिए सरकार विद्यालयों में शारीरक शिक्षा , स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग बनाया है |प्रार्थना सभा में योग व सूर्य नमस्कार कराने पर जोर दिया है। क्योंकि आज का बालक देश का भविष्य है। अतः उसे इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि अपने तन व मन को किस प्रकार स्वस्थ रखा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति अपने समाज परिवार तथा देश की सेवा अच्छी तरह कर सकता है। स्पष्ट है कि बिना अच्छे स्वास्थ्य के जीवन के किसी भी क्षेत्र में इच्छित उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं की जा सकती। विद्वान स्पेन्सर के शब्दों में "स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है । स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर की रोग मुक्त अवस्था ही नहीं है वरन् वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सम्पन्नता की स्थिति है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा निम्न शब्दों में की है "स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रसन्नता की अवस्था है। इसका तात्पर्य न तो रोगों का अभाव ही है और न अक्षमताओं की न्यूनता ही है।"

एलोपैथिक विचारधारा के अनुसार "कोई मनुष्य उसी समय तक स्वस्थ कहा जा सकता है जब तक कि उसके शरीर के सभी अंग या उपांग अपने कर्त्तत्यों का ठीक ठाक पालन करते रहें । शरीर के अंगों में किसी प्रकार का विकार चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी रोग कहलाता है। **आयुर्वेद की विचारधारा के अनुसार-** "वात, पित्त व कफ सम हो- न कोई कम हो, न अधिक हो । भोजन को पचाने वाली अग्नि ठीक हो और शरीर का तापमान उचित मात्रा में हो ।

स्वास्थ्य जीवन रूपी फूल में शहद के समान है। स्वास्थ्य मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य सुखी जीवन का सम्बल है। यह मानव की अमूल्य निधि है। स्वास्थ्य ही धन है, जीवन के खिले पुष्प में स्वास्थ्य अमृत के समान है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य से इतना गहरा सम्बंध है जो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सदा साथ रहता है। स्वस्थ मानव समाज, समुदाय एवं राष्ट्र का आधार स्तम्भ है। वह अपने परिवार, पडोसी,

नगर, समुदाय तथा राष्ट्र के प्रति सेवाये देने में समर्थ रहता है। वह अपनी कार्यक्षमता से पारिवारिक दायित्त्वों को अच्छी प्रकार निभाता है |

स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व एवं लक्ष्य(Aims and Importance of health Education)

स्वास्थ्य शिक्षा एक सामाजिक विज्ञान है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और शिक्षा-संचालित नियंत्रित व्यवहार समायोजन क्रियाओं की सहायता से बीमारी, विकलांगता और असामयिक मृत्यु को रोकने के लिए जैविक, पर्यावरणीय, मनोदैहिक, भौतिक और चिकित्सा विज्ञान से खुद को जोड़ता है। स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य जागरूकता, व्यक्तित्व, कौशल और व्यवहार को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत, समूह, संस्थागत, सामुदायिक और प्रणालीगत नियोजन का विस्तार है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य व्यवहार के साथ-साथ आजीविका और कार्य वातावरण को आशावादी रूप से प्रभावित करना है जो उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा कार्य है जो लोगों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने में संलग्न है। इस पेशे के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ-साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा भी शामिल है।

1.यह लोगों की जागरूकता और कौशल को प्रोत्साहित करता है - स्वास्थ्य कार्यक्रम कुशल पेशेवरों को शामिल करते हैं जो समुदाय से मिलकर स्वास्थ्य को विकसित करने और बनाए रखने के सरल तरीकों के बारे में बात करते हैं। वे अनुभवी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से सीखते हैं और प्राथमिक चिकित्सा जैसे कौशल सीखते हैं। विशेषज्ञ उन्हें उनकी कमज़ोरियों के बारे में बताते हैं जो उन्हें बीमारियों और संक्रमणों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। स्वास्थ्य का बिगड़ना अक्सर अप्रत्याशित होता है। इसलिए ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल की तलाश करने की आवश्यकता है।

2.स्वास्थ्य शिक्षा छात्रों की स्वास्थ्य के बारे में समझ को बढ़ाती है - यह उन्हें अपने शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य मूल्यों को विकसित करने की अनुमति देती है। जब छात्र अधिक जानकार लोगों से मिलते हैं, तो वे उनसे सीखते हैं और इस ज्ञान को बदलने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें जो जानकारी मिलती है, उसमें यौन संबंध जैसे कार्यों में संलग्न होने पर सावधानियाँ शामिल हैं। छात्र अपने

संस्थान में व्याख्यानों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समुदाय में वापस आने पर दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं।

3.यह युवाओं को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है

- स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों का हिस्सा बनने से छात्र खुद देख पाते हैं कि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें स्वस्थ भोजन खाने और व्यायाम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह सीखकर, वे अपने स्वास्थ्य सिद्धांतों के बारे में ठीक से सोचना शुरू कर देते हैं। युवाओं में व्यायाम करने की इच्छा होती है और उन्हें अपने और आम लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है।

4.स्वास्थ्य शिक्षा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है - इसमें अच्छी स्वास्थ्य आदतें शामिल हैं जिन्हें स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वीकार किया जाता है। लोगों को अपनी गलत आदतों के बारे में पता चलता है और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें अपनी आदतों को बदलने या सुधारने की ज़रूरत है। वे अपनी आदतों को बदलते हैं और उन्हें बेहतर बनाते हैं ताकि उनके मानकों में उल्लेखनीय सुधार हो सके। उदाहरण के लिए, वे एसटीडी के प्रसार से बचने या कम करने के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना सीखते हैं।

5. समय से पहले होने वाली मौतों को भी कम करता है - समुदाय को बीमारियों और संक्रमणों के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में अध्ययन करना चाहिए। लोग महामारी से लड़ने और मौतों और पीड़ा को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो सकते हैं। जब संक्रमण और बीमारियाँ बुरी तरह से प्रभावित होती हैं, तो युवा और बच्चे समय से पहले मृत्यु के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। समय से पहले होने वाली मौतों को रोकने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के दौरान टीकाकरण निःशुल्क किया जा सकता है। जब अवसर मिले तो ऐसी योजनाओं पर ध्यान देना समझदारी है।

सारांश (Summary)

शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो न केवल बालक के शारीरिक पक्ष को ही प्रबल व पुष्ट बनाती है वरन् उसके व्यक्तित्व के अन्य पक्ष यथा मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक पक्ष को भी सुविकसित करती है । स्वामी विवेकानन्द ने शारीरिक शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि “भारत को आज भगवत् गीता

की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है।” आधुनिक समाज में मनुष्य द्वारा स्वयं अपने चारों ओर खड़ी की गई अनेक समस्याओं से बाहर निकलने में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है।

अपनी उन्नति जानिए प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न .1 उत्तर -(d) उपरोक्त सभी | **प्रश्न .2 उत्तर** -(a) अरस्तु ; **प्रश्न .3 उत्तर- उपरोक्त सभी**

संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

1.*शाररिक शिक्षा एंवं स्वास्थ्य शिक्षा*, कक्षा -9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर |

2.*शाररिक शिक्षा* कक्षा -12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर |

3.PROMOTING PHYSICALACTIVITY THROUGH SCHOOLS: POLICY BRIEF-WHO

4. डॉ. राजशेखर व्यास एवं शशि शेखेर व्यास; शाररिक शिक्षा सिद्धतांत एवं व्यवहार |

5.Phycial education , NCERT New Delhi.

6.https://www.hindivyakran.com/2023/09/physical-education-scope-and-importance-in-hindi.html

7. https://aihms.in/blog/importance-of-health-education/
HPE [IX-X]

8.9789240035928-eng.pdf/WHO

निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

1. शारीरिक शिक्षा" से आपका क्या अभिप्राय है इसके निश्चित एवं वर्तमान स्वरूप पर विचार कीजिए
2. विद्यालयी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता व महत्व पर सविस्तार दृष्टिपात कीजिए ।
3. "शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का ही अभिन्न अंग हैं।" वर्णन कीजिए।

इकाई- 14 प्राथमिक चिकित्सा, सामान्य चोटों के लिए प्राथमिकी विभिन्न परिस्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा एवं आपातकालीन देखभाल (First aid for common injuries, First aid and emergency care in various sitituation.)

14.1 प्रस्तावना (Introduction)

14.2 उद्देश्य (Objective)

14.3 प्राथमिक चिकित्सा–अर्थ,परिभाषा और क्षेत्र (FirstAid-Meaning,Defination &Scope)

14.4 प्राथमिक चिकित्सा के स्वर्ण नियम (Golden Rules of First Aid)

14 .5 प्राथमिक चिकित्सा के ABC नियम (ABC Rule of First Aid)

14. 6 प्राथमिक चिकित्सा पेटी (First Aid Kit)

14 .7 प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रहने वाली प्रमुख सामग्री(Key items to keep in a first Aid Box)

14.8 विभिन्न परिस्थियों में प्राथमिक चिकित्सा एवं आपातकालीन देखभाल (First aid and emergency care in various sitituation)

14.8.1 घाव या चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा (First Aid for Injury and bleeding)

14.8.2 हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा (First Aid for fracture (Broken Bone)

14.8.3 करंट (बिजली का झटका) लगने पर प्राथमिक चिकित्सा (First Aid for Electric Shock)

14.8 .4 जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा (First Aid for Burn)

14.8.5 सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा (First Aid for Snake Bite)

14.8.6 कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा(First Aid for Dog Bite)

14.9 सारांश(Summary)

14.10 संदर्भ ग्रंथ सूची(Biblliography)

14.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

14.1 प्रस्तावना(Introduction)

किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे **प्राथमिक चिकित्सा** कहते हैं। उस आपातकाल में पड़े हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम अपने अनुभव तथा आस-पास में   उपलब्ध प्राथमिक उपकरणों   का उपयोग कर जिससे जल्द से जल्द उसको आराम मिल सके| प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) किसी भी इमरजेंसी जैसे दुर्घटना की स्थिति में समस्या की पहचान और सहायता प्रदान करने का पहला कदम है। तथा जीवन को बचाने वाली प्राथमिक तकनीक शामिल होती है। प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) को कोई भी कम से कम इक्विपमेंट और बिना मेडिकल अनुभव के भी प्रदान कर सकते हैं। यह किसी मेडिकल उपचार (Medical Treatment) का हिस्सा नहीं है, और न ही डॉक्टर की सलाह और ट्रीटमेंट की जगह ले सकता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को जब तक मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती, तब तक सामान्य प्रक्रियाओं और कॉमन सेन्स का प्रयोग करके स्थिर रखना होता है, प्राथमिक चिकित्सा प्रायः इमरजेंसी स्थिति में दी जा सकती है | जैसे– दम घुटना (पानी में डूबने के कारण, फांसी लगने के कारण या साँस नल्ली में किसी बाहरी चीज का अटक जाना), हृदय गति रूकना-हार्ट अटैक, खून बहना, शारीर में जहर का असर होना, जल जाना, हीट स्ट्रोक (अत्यधिक गर्मी के कारण शारीर में पानी की कमी), बेहोश या कोमा, मोच, हड्डी टूटना और किसी जानवर के काटने पर।

14.2 उदेश्य (objective)

इस इकाई के पढ़ने के बाद, शिक्षार्थी निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

1. प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को परिभाषित कर सकेंगे;

2. प्राथमिक चिकित्सा के स्वर्ण नियम तथा ABC नियमों को समज सकेंगे;

3. **विभिन्न परिस्थियों एवं आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग कर सकेंगे;**

4.प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय ध्यान में रखे जाने वाले विभिन्न सावधानियाँ को सूचीबद्ध कर **सकेंगे;**

14.3 प्राथमिक चिकित्सा–अर्थ ,परिभाषा और क्षेत्र (FirstAid-Meaning,Defination & Scope)

प्राथमिक उपचार किसी भी व्यक्ति को मामूली या गंभीर बीमारी या चोट के साथ दी जाने वाली प्राथमिक और तत्काल सहायता है। यह एक साधारण चिकित्सा उपचार है जो घायल व्यक्ति या अचानक बीमार होने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द दिया जाता है। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य जीवन को बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना या चिकित्सा सेवाओं के आने तक स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना है।

सरल शब्दों में, प्राथमिक उपचार किसी भी व्यक्ति को एक आपात स्थिति का सामना करने पर तत्काल/प्राथमिक देखभाल दी जाती है | आपात स्थिति कुछ भी हो सकती है, यह व्यक्ति को चोट लग सकती है, गिर सकता है, व्यक्ति जो बीमार पड़ गया है| नियमित चिकित्सा सहायता आने से पहले प्राथमिक उपचार दिया जाता है | जीवन और आगे की क्षति को कम से कम करना | जब तक कि मरीज को अस्पताल में ले जाया न जाए , अस्पताल पहुचने पर चिकित्सा और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा इलाज शुरू किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का ऐसी विभिन्न स्थितियाँ का सामना हो सकता है, जैसे दिल का दौरा, काटने, गिरने, रक्तस्राव आदि| प्राथमिक उपचार के रूप में तत्काल देखभाल को लागू करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपका ज्ञान आपको प्राथमिक उपचार प्रदान करने में मदद करेगी |

चित्र. 1. प्राथमिक चिकित्स

प्राथमिक उपचार का क्षेत्र (Scope of First Aid)

प्राथमिक चिकित्सा का दायरा व्यापक है और विभिन्न स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग किया जा सकता है |

1- व्यक्ति के चोट की गंभीरता की स्थिति एवं प्रकृति को जानने और उन लोगों की स्थिति का पता लगाने के लिए जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाना है|

2- स्थिति के अनुकूल और आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा करना जब तक कि चिकित्सा सहायता न आ जाए।

3- पीड़ित को जितना जल्दी हो सके उपयुक्त अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में भर्ती करना।

4- कोई भी दुर्घटना चाहे वह सड़क, गली, घर, फैक्ट्रियों, कार्यशालाओं, बाढ़, भूकंप, सूखा,भूस्खलन आदि जैसी विविध स्थितियों के कारण हुई हो में प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग किया जाता है |

प्राथमिक चिकित्सा के स्वर्ण नियम (Golden Rules of First Aid)

प्राथमिक चिकित्सा के कुछ सुनहरे नियम इस प्रकार हैं –

1. जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुचना और अनावश्यक प्रश्न पूछकर समय बर्बाद न करना।
2. चोट का कारणों का जल्दी से पता पता लगाना ।
3. चोट लगने वाली वस्तु को रोगी से अलग करना ।जैसे गिरने वाली मशीनरी, आग, बिजली का तार, जहरीले कीड़े, या कोई अन्य वस्तु।

4. सांस की जाँच करना बेहोश की स्थति में है। दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार उपायों की प्राथमिकता निर्धारित करना । तथा कार्डियक फंक्शन को ठीक करना, सांस लेने में मदद करना, चोट लगने की जगह से खून बहना बंद करें।
5. जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना ।
6. रोगी का रिकॉर्ड और घटना का विवरण सही प्रकार से रखना ।
7. जहां तक संभव हो मरीज को गर्म और आरामदायक स्थति में रखना ।
8. यदि रोगी होश में है, तो उसे आश्वस्त सही होने के लिए आस्वथ करना ।

प्राथमिक चिकित्सा के ABC नियम (ABC Rule of First Aid)

A. श्वासनली की जाँच (Airway)

श्वासनली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों में जीभ के कारण हो सकता है। बेहोशी के बाद मुहँ के मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ गले के पिछले भाग में गिर जाता है जिससे श्वासनली ब्लाक हो जाता है।

श्वासनली की जाँच करने के लिए सबसे पहले अपनी उँगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खिंच लायें। आप उसके पश्चात यह सुनिश्चित कर लें की श्वासनली में किसी भी प्रकार का रुकाव ना हो।

B. सांस की जाँच (Breathing)

सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुह के पास ले जा कर सुनें, देखें और महसूस करें। छाती को ध्यान से देखें , ऊपर निचे हो रहा है या नहीं। अगर वह सांस नहीं ले रहा हो तो उसी समय Mouth to Mouth Respiration चालू करें। जिसमें घायल व्यक्ति को पीठ के बल सीधे लेटा कर उसके मुहँ को खोल कर अपने मुहँ से हवा भरा जाता है।

C. रक्तसंचार की जाँच(Circulation)

अब रक्तसंचार की जाँच करने के लिए सबसे पहले घायल व्यक्ति के नाड़ी की जाँच करें। जाँच करने के लिए कैरोटिड आर्टरी को ढूँढें । यह artery गर्दन के कोने में कान के नीचें होती है आप अपनी उँगलियों को वहां रख कर जाँच कर सकते हैं। पल्स की जाँच करने के लिए 5-10 सेकंड लगते है।

अगर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन चल रही हो तो Mouth to Mouth Respiration चालू रखें और अगर दिल की धड़कन ना चल रही हो तो बिना देरी किये Cardio pulmonary Resuscitation(CPR) चालू करें Mouth to Mouth Respiration के साथ।

इसमें एक बार मुहँ से हवा देने बाद मरीज़ के दिल के ऊपर एक हाँथ के ऊपर दूसरा हाँथ रख कर ज़ोर-ज़ोर से चार बार दबाएँ। जब तक घायल व्यक्ति अपने आप सांस नहीं लेता। यह काम दो व्यक्ति होने पर और भी सही प्रकार से होता है क्योंकि इससे एक व्यक्ति Mouth to Mouth Respiration करता है तो दूसरा Cardiopulmonary Resuscitation(CPR) करता है।

अपनी उन्नति जांचे(Know your progress)-01

प्रश्न -1. रोगी की स्थिति की जाँच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए?

(a) मरीज के सांस की जाँच करना सांस ले रहा या नहीं|

(b) बीमा की जाँच करना|

(c) पीड़ित से बात करें और उसे कंधों से हिलाएं।

(d) बाहरी घाव की जाँच करना हैं।

प्रश्न -2 मरीज के साँस की जाँच कैसे करते हैं-

A. सुनकर

B. छाती पर हाथ रखकर महसूस करके।

C. महसूस करके

D. देखकर

प्राथमिक चिकित्सा पेटी (First Aid Kit or Box)

एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, जिसे प्राथमिक चिकित्सा किट या चिकित्सा किट के रूप में भी जाना जाता है, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों का एक संग्रह है, जिसका उपयोग चोट, बीमारी, या आपात स्थिति में प्रारंभिक चिकित्सा सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह किसी भी सुरक्षा तैयारी का एक आवश्यक घटक है, चाहे वह घर के लिए हो, कार्यस्थल के लिए, स्कूल के लिए,

या किसी अन्य स्थान के लिए जहाँ दुर्घटनाएं या चिकित्सा आपात स्थितियाँ हो सकती हैं।

First Aid Box

प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का मुख्य उद्देश्य लोगों को मामूली चोटों पर तुरंत और प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाना या किसी व्यक्ति की स्थिति को स्थिर करना है,जब तक कि पेशेवर चिकित्सा सहायता न पहुँच जाए। एक अच्छी तरह से भरी हुई और सही तरीके से रखी गई प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तत्काल देखभाल प्रदान करने, आगे की जटिलताओं को रोकने, और संभावित रूप से जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की सामग्री उन कारकों पर निर्भर कर सकती है जैसे जोखिम का स्तर, और कोई विशिष्ट आवश्यकताएँ या नियम। हालांकि, कुछ सामान्य वस्तुएँ हैं जो आमतौर पर एक फर्स्ट ऐड बॉक्स में रहनी आवश्क है |

प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रहने वाली प्रमुख सामग्री

- मुहँ के लिए मास्क Pocket mask
- चेहरे के लिए शील्ड Face shield
- रक्तदाबमापी Sphygmomanometer (blood pressure cuff)
- स्टेथोस्कोप Stethoscope
- इमरजेंसी फ़ोन नंबर

घरेलु प्राथमिक चिकित्सा के किट या पेटी में ये चीजें भी होनी चाहिए : स्पिरिट या अल्कोहल, बैंडऐड, रुई, रुई के स्वब, आयोडीन लोशन, बैंडेज, हाइड्रोजन पेरोक्सा

चोट लगना, खून निकलना, हड्डी का टूटना या जल जाने का सामग्री फर्स्ट ऐड किट में होना बहुत आवश्यक है। इसमें बहुत सारे बैंडेज और ड्रेसिंग सामान का होना जरूरी होता है। जैसे –

- चिपकाने वाली पट्टियां Adhesive bandages जैसे बैंड ऐड, स्टिकलिंग प्लास्टर (band-aids, sticking plasters)

मोलस्किन Moleskin – छाले के उपचार और रोकथाम के लिए।

- ड्रेसिंग की सामग्री(Dressings) – जीवाणुरहित, घाव पर सीधे लगाने के लिए।
    - अजिवाणु/कीटाणुरहित आँख के लिए पैड Sterile eye pads।
    - अजिवाणु गौज पैड Sterile gauze pads।
    - चिपकने वाला टेफ़लोन लेयर वाला पैड।
    - पेट्रोलेटम गौज पैड – छाती के घाव पर लगाने के लिए तथा वायुरोध ड्रेसिंग के लिए और ना चिपकने वाले ड्रेसिंग के लिए।
- बैंडेज Bandages (ड्रेसिंग के लिए, स्टेराइल किये बिना)
    - रोलर बैंडेज Gauze roller bandages – घाव को जल्द से जल्द सोकने में मददगार।
    - इलास्टिक बैंडेज Elastic bandages – मांसपेशियों में खिचाव और प्रेशर पड़ने पर ड्रेसिंग में उपयोगी।
    - जलरोधक बैंडेज Waterproof bandaging
    - त्रिकोणीय पट्टियाँ या बैंडेज Triangular bandages – टूनिकेट (रक्त रोधी) जल्द से जल्द रक्त बहाव को रोकने के लिए।

- बटरफ्लाई क्लोसुरे स्ट्रिप्स Butterfly closure strips – बिना साफ़ किये हुए घाव के लिए।
- सेलाइन Saline- घाव को धोने के लिए या आँखों से गन्दगी निकलने के लिए।
- साबुन Soap – घाव को साफ़ करने के लिए।
- जले हुए घाव के लिए ड्रेसिंग Burn dressing – ठन्डे जेल पैक।
- कैंची Scissor

प्राथमिक चिकित्सा-विभिन्न परिस्थियों में आपातकालीन देखभाल(First aid and emergency care in various sitituation)

1. **घाव या चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा (First Aid for Injury and bleeding)**

1.अगर घाव बहुत गहरा हो और खून बहुत ज्यादा बह रहा हो या 10 मिनट के बाद भी ना रुके तो चोट की जगह पर किसी कपडे, रुई की मदद से ज़ोर से दबा कर रखें जिससे की ब्लीडिंग बंद हो जाये।

2. **घाव को साफ़ करें** – चोट या घाव को साबुन या गुनगुने पानी से धोएं। कटे और खुले हुए घाव में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना डालें।
3. चोट पर **एंटीबायोटिक मरहम लगायें** और बैंडेज बांध दें।
4. आगे की चिकित्सा के लिए घायल व्यक्ति को **नजदीकी चिकित्सालय या अस्पताल पहुचना |**

2. हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा (First Aid for fracture (Broken Bone)

हड्डी कई कारणो से टूट सकती है जैसे किसी खेल के समय या किसी और दुर्घटना के कारण। कभी-कभी हड्डी टूटना जानलेवा भी हो सकता है।

हड्डी के टूटने के लक्षण

- चोट की जगह को छूने और हिलाने पर अगर दर्द हो।
- चोट की जगह पर सुज़न, सुन्न हो जाना या नीला पड़ जाना।
- पैर काम ना दे रहा हो उठाने में या problem हो रहा हो, खासकर जब कंधे और पैर के जोड़ों में चोट लगी हो तो।
- अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो।

हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स

1. अगर आदमी बेहोश हो तो सबसे पहले ABC रूल को फॉलो करें।
2. अगर कहीं खून निकल रहा हो तो पहले ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करें।
3. अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो पहले उससे सदमे के लिए प्राथमिक चिकित्सा दें और आराम से बात करें साथ ही सांत्वना दें।
4. अगर आपको दिखा कोई हड्डी टूट गया है तो पहले उस हड्डी को सीधा कर के निचे एक गत्ते या लकड़ी का तख्ता देकर मजबूती से बैंडेज बाँध दें।
5. चोट की जगह पर प्लास्टिक बैग में बर्फ रखकर दबाएँ।
6. जल्द से जल्द मरीज़ को अस्पताल पहुँचायें।

3. करंट (बिजली का झटका) लगने पर प्राथमिक चिकित्सा (First Aid for Electric Shock)

इलेक्ट्रिक शॉक के लगने पर खतरा कर्रेंट के वोल्टेज के हिसाब से होता है। इलेक्ट्रिक शॉक इतना खतरनाक हो सकता है कि इसमें अंदरूनी शारीर जल भी सकता है। यह पूरी तरीके से जानलेवा है।

इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर इस प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं

- अत्यधिक शारीर का जलना
- उलझन में पड़ना
- साँस लेने में मुश्किल
- हार्ट अटैक
- मांसपेशियों में दर्द
- दौरा पड़ना
- बेहोश हो जाना

इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स

1. सबसे पहले बिजली के स्त्रोत को बंद करें। अगर ना हो सके तो किसी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या कार्ड बोर्ड से बिजली के स्त्रोत को घायल व्यक्ति से दूर कर दें।
2. अगर आदमी होश में ना हो तो ABC रूल फॉलो करें।
3. चोट लगे हुए स्थान पर बैंडेज लगायें और जले हुए स्थानों को साफ़ कपडे से ढक दें।

4. जल्द से जल्द मरीज़ को नज़दीकी अस्पताल पहुंचायें।

4. जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा (First Aid for Burn)

आप कई प्रकार से जल सकते हैं – गर्मी से, आग से, रेडिएशन से, सूर्य किरण, रासायनिक पदार्थ से और गर्म पानी से।

बर्न या जलने को 3 डिग्री में विवाजित है –

- **फर्स्ट डिग्री बर्न** – इसमें चमड़े का उपरी भाग लाल हो जाता है और दर्द भी बहुत होता है। थोडा सुजन आता है और त्वचा को छूने से सफ़ेद हो जाता है। जला हुआ त्वचा 1-2 दिन में निकल जाता है। इसमें घाव 3-6 दिन में भर जाता है।
- **सेकंड डिग्री बर्न** – इसमें त्वचा थोडा मोटे आकार में जल जाता है। इसमें दर्द बहुत होता है और फफोले या छाले निकल जाते हैं। इसमें त्वचा बहुत ज्यादा लाल हो जाता है और सुजन भी आता है। इसमें घाव 2-3 हफ्ते में भर जाता है।
- **थर्ड डिग्री बर्न** – इसमें त्वचा के तीनो लेयर जल जाता है। इसमें जला हुआ त्वचा सफ़ेद हो जाता है ऐसे में दर्द कम होता है या बिलकुल नहीं होता क्योंकि इसमें न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। इसमें घाव भरने में बहुत समय लग जाता है।

जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स

फर्स्ट डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें?

- जले हुए जगह को 5 मिनट तक पानी में डूबा कर ठंडा कीजिये। इससे सुजन और जलन कम हो जायेगा।
- अलोवेरा क्रीम या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगायें।
- हलके से बैंडेज बांधे।
- दर्द कम करने वाली दवाइयां खाएं (डॉक्टर से संपर्क करें)।

सेकंड डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें?

- जले हुए जगह को 15 मिनट के लिए पानी में डूबा कर ठंडा कीजिये जिससे जलन कमें और सुजन भी।
- एंटीबायोटिक क्रीम लगायें।

- प्रतिदिन नया ड्रेसिंग करें।
- दर्द कम करने वाली दवाइयां और एंटीबायोटिक खाएं (डॉक्टर से संपर्क करें)।

थर्ड डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें?

- थर्ड डिग्री बर्न में जितनी जल्दी हो सके मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाएँ।
- उनके शारीर या कपड़ों को ना छुएं, वे घाव में चिपक सकते हैं।
- घाव में पानी ना लगायें।
- किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट ना लगायें।

5. सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा (First Aid for Snake Bite)

बहुत सारे सांप जहरीले नहीं होते उनके काटने पर घाव को साफ करने और दवाई लगाने से ठीक हो जाता है। लेकिन ज़रारिले सांप के काटने पर जल्द-से-जल्द फर्स्ट ऐड की आवश्यकता होती है।

सांप के काटने से त्वचा पर दो लाल बिंदु जैसे निशान आते है। नीचे दिए गए चित्र को देखें –

सांप के काटने का निशान

जहरीले सांप के काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है। **कोबरा** या **क्रेट** प्रजाति के सांप के काटने पर न्यूरोलॉजिकल/मस्तिक्ष सम्बन्धी लक्षण दीखते हैं, जबकि **वाईपर** के काटने पर रक्त वाहिकाएं नस्ट हो जाती हैं। सांप के काटने पर इलाज के लिए सही एंटी-टोक्सिन या सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप की पहचान करना बहुत आवश्यक है।

सांप काटने पर लक्षण

- सांप के काटने का निशान

- दर्द या सुन्न हो जाना दर्द के जगह पर
- लाल पड़ जाना
- काटे हुए स्थान पर गर्म लगना और सुजन आना
- सांप के काटे हुए निशान के पास के ग्रंथियों में सुजन
- आँखों में धुंधलापन
- सांस और बात करने में मुश्किल होना
- लार बहार निकलना
- बेहोश या कोमा में चले जाना

सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स

1. पेशेंट को आराम दें
2. शांत और अशस्वाना दें
3. सांप के काटे हुए स्थान को साबुन से ज्यादा पानी में अच्छे से धोयें
4. सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचें रखें
5. काटे हुए स्थान और उसके आस-पास बर्फ पैक लगायें ताकि इससे ज़हर(venom) का फैलना कम हो जाये
6. पेशेंट को सूने ना दें और हर पल नज़र रखे
7. होश ना आने पर ABC रूल अपनाएं
8. जितना जल्दी हो सके मरीज़ को अस्पताल पहुंचाएं

6. कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा(First Aid for Dog Bite)

एक कुत्ते के मुह के अन्दर 60 से भी ज्यादा अलग-अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जिनमे से कुछ बहुत ही खतरनाक होते हैं जैसे – उदाहरण के लिए : रेबीज(Rabies). किसी भी आदमी, बिल्ली, बंदर, घोड़े के काटने पर भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है।

कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स

- घाव को तुरंत अच्छे से साबुन और पानी से धोएं
- 5-10 मिनट तक धोएं

- धोते समय ज्यदा ना रगड़ें
- थोडा सा खून बहने दें इससे इन्फेक्शन साफ़ हो जाता है
- तुरंत अस्पताल जा कर एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाएं

अपनी उन्नति जाचें (Chack your progress) -2

प्रश्न -1 थर्ड-डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं?

A. जली हुई त्वचा, दर्द नहीं

B. जली हुई त्वचा, दर्द

C. छाले और दर्द

D. लाल और दर्द

प्रश्न 2 . गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए?

A. पीड़ित को रिकवरी पोजीशन में रखना

B. साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें

C. साफ कपड़े से ढकें

D. A&B

5. What does ABC stand for?

A. Airway

B. Back

C. Breathing

D. C-Spine

E. Circulation

(a) A, C, E (b) A, B, C (c) A, C,D (d) A, D, E

सारांश(summary)

जीवन बचाने के लिए प्राथमिक उपचार बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति के जीवन के लिए ख़तरा पैदा करने वाली घटना या चोट लगने के बाद आपातकालीन सेवाओं के आने से पहले प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। जीवन को बचाना में प्राथमिक चिकित्सा कि महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे की हानि को रोकना के लिए चोट लगने वाले व्यक्ति को स्थिर रखा जाना चाहिए, और चिकित्सा सेवाओं के आने से पहले उनकी स्थिति खराब न हो इसका ध्यान रखना आवश्यक है प्राथमिक चिकित्सा में संदर्भित सबसे आम शब्द ABC है। इसका अर्थ है वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण। कुछ सुविधाओं के लिए आपातकालीन प्रक्रियाओं में चौथा चरण दिखाई देगा। वायुमार्ग: सुनिश्चित करें कि वायुमार्ग साफ है। श्वासमार्ग में रुकावट के कारण होने वाली घुटन घातक हो सकती है। श्वास: एक बार वायुमार्ग साफ होने की पुष्टि हो जाने पर, निर्धारित करें कि व्यक्ति सांस ले सकता है या नहीं, और यदि आवश्यक हो, तो बचाव श्वास प्रदान करें। परिसंचरण: यदि आपातकालीन स्थिति में शामिल व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है, तो प्राथमिक उपचारकर्ता को सीधे छाती को दबाना और बचाव श्वास देना चाहिए। छाती को दबाने से परिसंचरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे बहुमूल्य समय की बचत होती है। आपातकालीन स्थितियों में जो जीवन के लिए खतरा नहीं हैं, प्राथमिक उपचारकर्ता को नाड़ी की जांच करने की आवश्यकता होती है। घातक रक्तस्राव या डिफिब्रिलेशन: कुछ संगठन गंभीर घावों की ड्रेसिंग या हृदय में डिफिब्रिलेशन लगाने को एक अलग चौथा चरण मानते हैं, जबकि अन्य इसे परिसंचरण चरण के भाग के रूप में शामिल करते हैं।इस प्रकार प्राथमिक उपचार जीवन को बचने के लिए महत्वपूर्ण कार्य है |

अपनी उन्नति जाचें(Chack your progress) - 01

प्रश्न 1.उत्तर-(a) मरीज के सांस की जाँच करना सांस ले रहा या नहीं |

प्रश्न 2. उत्तर –(b) छाती पर हाथ रखकर महसूस करके ।

अपनी उन्नति जाचें(Chack your progress) -02

प्रश्न 1.उत्तर- (b) जली हुई त्वचा, दर्द. प्रश्न 2. उत्तर - (d) A&B. प्रश्न 3. उत्तर- (a) A,C,E.

संदर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

1.भारतीय प्राथमिक चिकित्सा पुस्तिका (INDIAN FIRST AID MANUAL) 2016 (सातवां संस्करण) सेंट जॉन एम्बलेंस एसोससएशन (भारत) इंडिया रेडक्रॉस सोसाइटी न्यू दिल्ली – 110001.

2. बेसिक ऑफ फर्स्ट ऐड (BNS-04) , IGNOU,न्यू दिल्ली .

निबंधात्मक प्रश्न(Essay Type Queastion)

प्रश्न 1. प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझाते है ? परिभाषित कीजिए?

प्रश्न 2 . **प्राथमिक चिकित्सा के स्वर्ण नियम तथा ABC नियमों का विस्तार से वर्णन कीजिए|**

Unit-15 ईकाई -15 योग शिक्षा, योग के लाभ, आसन के प्रत्यय (Yoga education, benefits of yoga, concept of Asana)

15.1 प्रस्तावना

15.2 उद्देश्य

15.3 योग का अर्थ एवं परिभाषाएँ

15.4 योग शिक्षा

15.5 योग शिक्षा के उद्देश्य

15.6 योग शिक्षा के प्रकार

15.7 योग शिक्षा के लाभ

15.7.1 शारीरिक

15.7.2 मानसिक

15.7.3 आध्यात्मिक

15.8 आसन

15.9 आसन के प्रकार

15.10 स्वमूल्यांकित प्रश्नों के उत्तर

15.11 सारांश

15.12 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

15.13 निबंधात्मक प्रश्न

15.1 प्रस्तावना

सकारात्मक मनोविज्ञान, जिसे सकारात्मक मनोविज्ञान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, मनोविज्ञान की एक शाखा है जो व्यक्ति की शक्तियों, गुणों और प्रतिभाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जो सफल कामकाज और कल्याण में योगदान करते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान आंदोलन मनोविज्ञान के छोटे इतिहास में एक हालिया विकास है, 200 साल से भी कम की यात्रा। यह बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से उभरा है इसलिए इसने जीवन में अच्छी चीजों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया। अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक मनोविज्ञान हस्तक्षेप व्यक्तिवादी संस्कृतियों में बेहतर काम करते हैं, जहाँ सांस्कृतिक मानदंड व्यक्तिगत खुशी की खोज का समर्थन करते हैं (सुह, 2008 और सिन, 2009)। जिन मूल्यों और मान्यताओं के आधार पर लोग 'क्यों' और 'कैसे' जैसे सवालों के जवाब खोजते हैं, यानी जीवन में अर्थ और जीने का सही तरीका, वे संस्कृति से प्रभावित होते हैं। ये विचार गहरे जड़ जमाए हुए हैं और विकल्प नहीं हैं, बल्कि जागरूकता की सतह के नीचे काम करते हैं। भारतीय संस्कृति में एक समृद्ध दार्शनिक-मनोवैज्ञानिक विरासत है और मानव जीवन और उसके अंतिम लक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण है। इसलिए, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के स्वदेशी विचारों का पता लगाना उचित होगा, जो योग और ध्यान से निकटता से संबंधित प्रतीत होता है। मन और शरीर दोनों के लिए योग और ध्यान के विभिन्न लाभों को इंगित करने वाले कई अध्ययन पहले ही एकत्रित हो चुके हैं। योग शिक्षा में योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का व्यवस्थित अध्ययन और अभ्यास शामिल है, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और नैतिक दिशा-निर्देश शामिल हैं, जिसका उद्देश्य समग्र कल्याण और आत्म-जागरूकता है। इसलिए योग और ध्यान को उनकी समग्रता में समझना प्रासंगिक है, जिसे आप इस इकाई में सीखेंगे।

15.2 उद्देश्य

प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

1. योग का अर्थ,परिभाषाएँ एवं महत्व को समझ सकेंगे ।
2. योग शिक्षा एवं उसके उद्देश्यों से अवगत हो सकेंगे।
3. योग के शारीरिक ,मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों को समझ सकेंगे ।

4. योग शिक्षा के प्रकारों को समझ सकेंगे।
5. आसान के प्रत्यय को समझ सकेंगे।
6. आसन के अर्थ एवं उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे।

15.3 योग का अर्थ एवं परिभाषाएँ

योग एक स्वस्थ जीवन शैली है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। अब, इसे दुनिया भर में स्वीकृत विज्ञान का एक रूप माना जाता है। पश्चिमी संस्कृति भी इसे वैज्ञानिक व्यायाम के एक स्वस्थ रूप के रूप में स्वीकार कर रही है। हालाँकि योग की उत्पत्ति अस्पष्ट है, लेकिन इसकी एक लंबी परंपरा है। एक आम व्यक्ति के लिए योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया और ध्यान के अभ्यास शामिल हैं, जो खुद को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से सतर्क और भावनात्मक रूप से संतुलित रखने में सहायक हैं। यह अंततः एक व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए जमीन तैयार करता है।योग की परंपरा भारतीय समाज में हज़ारों सालों से है, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि थे। उन्होंने 'योग सूत्र' की रचना की थी। इसलिए महर्षि पतंजलि को योग का जनक यानी पिता माना जाता है। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है। इसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए गति, ध्यान और श्वास तकनीक शामिल हैं। योग के कई प्रकार हैं और इसके अभ्यास में कई अनुशासन शामिल हैं। योग एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो तीन आवश्यक तत्वों- शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखता है। योगाभ्यास एक समग्र विज्ञान है जिसमें शरीर, मन और आत्मा का संस्कार शामिल है। योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक क्षमता में सुधार करता है, बल्कि यम-नियम की मदद से उनके अंदर की बुराईयों को जड़ से खत्म करके उनके चरित्र और व्यवहार में भी सुधार करता है। यह व्यक्तियों के जीवन को एक मजबूत नैतिक आधार प्रदान करता है जिस पर वे अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संरचना का निर्माण करते हैं और खुद को सही मायने में पुरुष या महिला साबित करते हैं।

योग शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ति 'युज' धातु से हुई है। इस संस्कृत शब्द के पर्यायवाची शब्द विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में भी पाए जाते हैं। ये शब्द हैं अंग्रेजी में 'योक', फ्रेंच में 'यूग', जर्मन में 'जॉच', ग्रीक में 'जुगोस', लैटिन में 'जुगम', रूसी में 'इगो' और स्पेनिश में 'युगो'।

'युज' का अर्थ है 'जुड़ना', 'एकजुट होना', 'जोड़ना'। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा (आसन), ध्यान, सांस लेने की तकनीकों और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही 'योग' या भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन है। इस प्रकार, योग का अर्थ है 'एकजुट होना', आपसी समझ, सहयोग, समन्वय, प्रेम और स्नेह के साथ एकजुट होकर कार्य करना, सभी मतभेदों, संघर्षों, दुर्भावनाओं और घृणा से बचना, एक मन, एक विचार के साथ, एक ही लक्ष्य पर पहुंचना। योग शुरू में शरीर-प्रणाली में शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और प्रणालियों के एकजुट कामकाज के साथ शुरू होता है, उसके बाद यह धीरे-धीरे शरीर और मन, परिवार के सदस्यों, पड़ोस, गांव, समुदाय, राष्ट्र, मानव समाज, पशु और वनस्पति जगत, ब्रह्मांड की वस्तुओं और प्राणियों के एकजुट होकर काम करने तक फैल जाता है, और अंत में व्यक्तिगत आत्मा का सार्वभौमिक चेतना के साथ विलय हो जाता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने आप को समझे और महसूस करे। इसीलिए, पूर्व और पश्चिम दोनों जगह प्राचीन दार्शनिक कहते थे 'स्वयं को जानो' 'आत्मानं विद्धि'। अपने भीतर गहराई में उतरो और अपने भीतर के ज्ञान की खोज करो । प्रत्येक व्यक्ति में अपार रचनात्मक क्षमता होती है। इस प्रकार योग का अर्थ हुआ - "योग साधनाओं को अपनाते हुए मन को नियन्त्रित कर, संयमित कर, आत्मा का परमात्मा से मिलन" ।

योग की परिभाषाएं (Definition of Yoga)

श्रीमद भगवद्गीता के अनुसार, "अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है।"

महर्षि पतंजलि के अनुसार, "अपनी चित्त की इच्छाओं (वृत्तियों) को नियंत्रित करना योग है।"

याज्ञवल्क्य के अनुसार, "जीवात्मा तथा परमात्मा के संयोग को योग कहते हैं अर्थात जब आत्मा अपने चित्र को शुद्ध करके सारे संसार बंधनों को तोड़कर परमात्मा के साथ मिलती है । इसी आत्मा-परमात्मा के मिलन को योग कहा जाता है ।"

राधाकृष्णन के अनुसार, "अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक जगह इकट्ठा करना उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना है।"

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि चित्त की शुद्धि करके सभी इच्छाओं का निरोध करके अपने सवरूप को जानकर परमात्मा के साथ एक हो जाना ही योग है ।

15.4 योग शिक्षा

योग की प्राचीन कला और विज्ञान में शिक्षा का महत्व निर्विवाद है। योग शिक्षा स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा का पूरक हो सकती है। यह छात्रों को उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के एकीकरण के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर सकती है ताकि छात्र समाज और राष्ट्र के अधिक स्वस्थ, समझदार और अधिक एकीकृत सदस्य बन सकें। योग शिक्षा स्कूल और विश्वविद्यालय के ज्ञान का शैक्षिक परिशिष्ट है। यह शिक्षा छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के एकीकरण के लिए दी जाती है ताकि छात्र योग और ध्यान के शांत मन से समाज में एकीकृत हो सकें।

योग शिक्षा का अर्थ है योग के सिद्धांतों, तकनीकों और दर्शन का व्यवस्थित अध्ययन और अभ्यास, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। इसमें आसन (शारीरिक मुद्राएँ), प्राणायाम (श्वास नियंत्रण), ध्यान और प्राचीन योग ग्रंथों से प्राप्त नैतिक दिशा-निर्देश शामिल हैं। योग शिक्षा केवल शारीरिक व्यायाम करने के बारे में नहीं है; यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो आत्म-जागरूकता, आत्म-अनुशासन और व्यक्ति के आंतरिक स्व के साथ गहरे संबंध को प्रोत्साहित करता है। यह सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सुलभ है, जो व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए आजीवन लाभ प्रदान करता है।

योग शिक्षा छात्रों को आत्म-जागरूक बनने और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करती है। कई लोगों के लिए, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में भी काम करता है, जो आत्म-अन्वेषण और आत्म-खोज को बढ़ावा देता है। छात्रों को केवल धार्मिक मान्यताओं से परे मार्गदर्शन करके, योग आत्मा के समग्र विकास का समर्थन करता है, गहन आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है।

15.5 योग शिक्षा के उद्देश्य -

1. **विद्यार्थियों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए सक्षम बनाना :** योग शिक्षा आसन और प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देती है, जिससे शक्ति, लचीलापन और समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलता है।

2. **मानसिक स्वच्छता का अभ्यास** : मानसिक स्वच्छता का मतलब है स्वस्थ मन बनाए रखना। योग शिक्षा व्यक्तियों को अपने विचारों और भावनाओं को प्रबंधित करना सिखाती है, जिससे सकारात्मक मानसिकता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा मिलता है।
3. **भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करना** : संतुलित जीवन के लिए भावनात्मक स्थिरता बहुत ज़रूरी है। योग शिक्षा व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और लचीलापन विकसित करने में मदद करती है, जिससे भावनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है।
4. **शारीरिक स्वास्थ्य का अभ्यास करना** : अच्छे स्वास्थ्य के अलावा, योग शिक्षा नियमित अभ्यास और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से शारीरिक कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।
5. **चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करना** : योग शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की चेतना को उन्नत करना, आत्म-जागरूकता, सचेतनता, तथा स्वयं और ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध विकसित करना है।

15.6 योग शिक्षा के प्रकार –

हठ योग

यह योग के सबसे पुराने रूपों में से एक है जिसमें आसन (मुद्राएँ) और प्राणायाम (श्वास व्यायाम) का अभ्यास शामिल है जो मन और शरीर को शांति प्रदान करता है, और शरीर को ध्यान जैसे गहन आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए तैयार करने में मदद करता है।

अष्टांग योग या राजयोग (Ashtanga yoga)

महर्षि पतंजलि के योग को ही अष्टांग योग या राजयोग कहा जाता है। इसके आठ अंग होते हैं। भगवान बुद्ध का आष्टांगिक मार्ग भी योग के इन्हीं आठ अंगों का हिस्सा है। आमतौर हम जिस योग का अभ्यास करते हैं या चर्चा करते हैं, वह यही है। योग की सबसे प्रचलित धारा है यह। इसे आठ अंग इस तरह हैं : यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन आठ अंगों के अपने-अपने उप अंग भी हैं। मोटे तौर पर इनमें से तीन अंगों पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। ये हैं : आसन, प्राणायाम और ध्यान ।

ज्ञान योग (Gyan Yoga)-

बौद्धिक ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान में बदलने की प्रक्रिया है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड के संबंध में मानव धर्म की खोज है। ज्ञान योग को परंपरा द्वारा उच्चतम ध्यान अवस्था और आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में वर्णित किया गया है।

ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है 'ज्ञान', लेकिन योग के संदर्भ में इसका अर्थ है ध्यानात्मक जागरूकता की प्रक्रिया जो ज्ञानवर्धक ज्ञान की ओर ले जाती है। यह कोई ऐसी विधि नहीं है जिसके द्वारा हम शाश्वत प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, बल्कि यह ध्यान का एक हिस्सा है जो आत्म-जांच और आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाता है।

कर्म योग (Karma Yoga)

कर्म योग का अर्थ है "निस्वार्थ क्रिया"। यह योग का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों को बिना किसी फल की अपेक्षा के करता है। कर्म योग का मुख्य उद्देश्य मन और हृदय को शुद्ध करना है। यह योग भगवद गीता में वर्णित है और इसे शारीरिक से अधिक आध्यात्मिक माना जाता है।

भक्ति योग (Bhakti Yoga)

भक्ति योग प्रेम और भक्ति का योग है। इसमें व्यक्ति अपने ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। भक्ति योग के नौ सिद्धांत हैं: श्रवण (सुनना), कीर्तन (गाना), स्मरण (याद करना), पादसेवन (सेवा करना), अर्चन (पूजा), वंदन (नमन), दास्य (सेवक बनना), सख्य (मित्रता), और आत्मनिवेदन (आत्मसमर्पण)।

तंत्र योग (Tantra Yoga)

तंत्र योग का उद्देश्य चेतना के सभी स्तरों तक पहुंचना है। यह योग मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों और तकनीकों का उपयोग करता है। तंत्र योग का एक प्रमुख भाग कुंडलिनी योग है, जो शरीर में स्थित ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने पर केंद्रित है।

बिक्रम योग (Bikram Yoga)

बिक्रम योग हाल ही में लोकप्रिय हुआ है और इसमें 26 विशेष आसनों का अभ्यास किया जाता है। यह योग एक गर्म कमरे में किया जाता है, जिससे शरीर को अधिक लचीलापन और विषहरण में मदद मिलती है।

इन विभिन्न प्रकार के योगों का अभ्यास करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। आप अपनी आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार किसी भी प्रकार के योग का चयन कर सकते हैं।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न-

1. योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है?
2. किस योग में 26 विशेष आसनों का अभ्यास किया जाता है ?
3. भक्ति योग के कितने सिद्धांत हैं? 9
4. किसके अनुसार, "अपनी चित्त की इच्छाओं (वृत्तियों) को नियंत्रित करना ही योग है।"

15.7 योग के लाभ

आज की दौड़ती भागती जिंदगी में मनुष्य जब कई कार्यों को एक साथ पूरा कर रहा है कई जिम्मेदारियों को एक साथ निभा रहा है ऐसे में उसे कई समस्याएं घेर लेती हैं साथ ही वह अपने जीवन में अत्यधिक तनाव का सामना कर रहा है इस परिस्थिति में वह अपने जीवन में योग को अपनाकर इन समस्याओं से निजात पा सकता है और हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप, हमारे जीवन में आनंद आता है, हालांकि थोड़े समय के लिए योग का सार्वभौमिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि ईमानदारी और भक्ति के साथ इसका नियमित अभ्यास सांसारिक दुखों और पीड़ाओं को हमेशा के लिए दूर कर देता है और व्यक्ति को स्थायी शांति और आनंद मिलता है।

पिछले कई वर्षों में योग के प्रचलन में तेज़ी से वृद्धि हुई है। स्वामी रामदेव जी ने भी योग को चिकित्सा के रूप में स्वस्थ जीवन शैली का परिचायक बनाया तथा योग को जन मानस तक पहुँचाने में विशेष योगदान दिया। चिकित्सा पेशेवर और मशहूर हस्तियाँ भी इसके विभिन्न लाभों के कारण योग के नियमित अभ्यास को अपना रहे हैं और इसकी अनुशंसा कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग योग को सिर्फ़ एक और प्रचलित फैशन मानते हैं, वहीं अन्य लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्यायाम का यह रूप कितना आश्चर्यजनक लगता है। वे यह नहीं समझते कि जिसे वे सिर्फ़ एक और व्यायाम के रूप में देखते हैं, वह उन्हें ऐसे तरीकों से लाभ पहुँचाएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

योग कोई धर्म नहीं है, यह जीने का एक तरीका है जिसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की प्राप्ति है। मनुष्य एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है; योग तीनों के बीच संतुलन विकसित करने में मदद करता है जैसा कि भारत में आयुर्वेद में कहा गया है । व्यायाम के अन्य रूप, जैसे एरोबिक्स, केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। इन व्यायामों का आध्यात्मिक या सूक्ष्म शरीर के सुधार से बहुत कम लेना-देना है।

योग का मतलब सिर्फ़ शरीर को मोड़ना या घुमाना और सांस को रोकना नहीं है। यह आपको ऐसी अवस्था में लाने की तकनीक है जहाँ आप वास्तविकता को बस वैसे ही देखते और अनुभव करते हैं जैसी वह है। अगर आप अपनी ऊर्जा को उल्लास मय और आनंदित होने देते हैं, तो आपका संवेदी शरीर फैलता है। यह आपको पूरे ब्रह्मांड को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव करने में सक्षम बनाता है, जिससे सब कुछ एक हो जाता है, यही वह मिलन है जो योग बनाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग के द्वारा शारीरिक ,मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ होते हैं जो निम्नलिखित हैं ।

15.7.1 शारीरिक लाभ

- योग लचीलापन और संतुलन में सुधार करता है

योग का एक प्रमुख हिस्सा आपकी मांसपेशियों को खींचना है, जो आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। लचीलापन शारीरिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। योग में चुनने के लिए कई शैलियाँ उपलब्ध हैं, जिनकी तीव्रता उच्च से मध्यम से लेकर हल्की तक भिन्न होती है।

- शरीर के प्रति जागरूकता और संतुलन का निर्माण होता है

योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को इस बात की बेहतर समझ विकसित होती है कि विभिन्न मांसपेशियाँ, जोड़ और ऊतक एक साथ कैसे काम करते हैं। बेहतर संतुलन से चोट लगने का जोखिम भी कम होता है क्योंकि सही मांसपेशियों को सक्रिय करने की जागरूकता आपको स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है।

- थकान कम करने में मदद करता है

योग के दौरान, हृदय मांसपेशियों और अंगों तक अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, जिससे थकान कम करने और आपको अधिक ऊर्जावान महसूस करने में मदद मिलती है।

➢ हृदय स्वास्थ्य को लाभ

योग हृदय गति, रक्तचाप और यहां तक कि कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय-संवहनी स्वास्थ्य में सुधार करता है।

➢ बेहतर श्वास

योग डायाफ्राम की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। यह तनावपूर्ण स्थितियों या किसी भी तरह के व्यायाम के दौरान आपकी सांस को नियंत्रित करता है।

➢ ताकत बढ़ाता है

कुछ योगासनों को लम्बे समय तक करने से ताकत और मांसपेशियों की सहनशक्ति बढ़ती है।

➢ नींद में सुधार

योग आपको आराम का अनुभव कराता है और आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है।योग से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है

➢ योग नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है

15.7.2 मानसिक लाभ

➢ फोकस में सुधार

योग के लिए एकाग्रता और धीरज की आवश्यकता होती है। इससे आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है।

➢ योग तनाव से राहत दिलाने में सहायक है

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 84% अमेरिकी वयस्क दीर्घकालिक तनाव के प्रभाव को महसूस करते हैं।नियमित योग अभ्यास आपको अपने तनाव के स्तर को प्रबंधित करने और अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है । शारीरिक अभ्यास योग का सिर्फ़ एक पहलू है। ध्यान, सांस लेने की क्रिया और श्रवण अनुष्ठान, जैसे कि मंत्रोच्चार और ध्वनि स्नान , भी योग के लिए लाभकारी साबित हुए हैं। इसके द्वारा तनाव से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

➢ योग मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है

प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार (एमडीडी) को दुनिया में सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य विकारों में से एक माना जाता है। 2017 का मेटा-विश्लेषण 23 हस्तक्षेप अवसादग्रस्त लक्षणों पर योग-आधारित उपचारों के

प्रभावों को देखते हुए, निष्कर्ष निकाला गया कि योग को अब एमडीडी के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार माना जा सकता है। गति-आधारित योग चिकित्सा और श्वास-आधारित अभ्यास दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुए हैं।

- योग बेहतर मुद्रा और शरीर जागरूकता को बढ़ावा दे सकता है

प्रौद्योगिकी पर निर्भर आधुनिक समाज के रूप में, हम अधिक से अधिक समय बैठे हुए या उपकरणों पर झुके हुए बिताते प्रतीत होते हैं।बेहतर मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए अपने वर्कआउट में ब्रेक के दौरान योग आसन जोड़ने का प्रयास करें।

15.7.3 आध्यात्मिक लाभ

- योग से आत्म-सम्मान में सुधार हो सकता है

शरीर की छवि और आत्म-सम्मान अक्सर किशोरों और युवा वयस्कों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होते हैं। हाल ही में किए गए कई अध्ययनों से पता चलता जब इन लोगों में आत्म-सम्मान और शारीरिक छवि को सुधारने के लिए योग का उपयोग किया जाता है।तो है सकारात्मक नतीजे प्राप्त होते हैं इस बात से यह सिद्ध होता है कि योग के द्वारा आत्मसम्मान में वृद्धि होती है।

- सजगता और जागरूकता में वृद्धि

योग आसन आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने और वर्तमान में मौजूद रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह माइंडफुलनेस को बढ़ाता है, जिससे आप अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। बढ़ी हुई माइंडफुलनेस आपको स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती है, जिससे आप अधिक स्पष्टता और इरादे के साथ प्रतिक्रिया कर पाते हैं।

- अधिक आंतरिक शांति

योग में गहरी साँस लेने की तकनीकें शामिल हैं जो मन को शांत करती हैं, जिससे आपको स्थिरता और शांति का एहसास होता है। यह आपको अपने उच्च स्व से जोड़ता है, व्यक्तिगत चुनौतियों पर अंतर्दृष्टि और स्पष्टता प्रदान करता है और भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देता है।

- दया और करुणा का विकास

योग आत्म-जागरूकता को बढ़ाता है और अपने और दूसरों के प्रति दया और करुणा को बढ़ावा देता है। यह अहिंसा के सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है, जिससे आपको लोगों और उनकी स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है और ज़रूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है।

- कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देना

योग मन की शांति को बढ़ाता है, जिससे आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यह नकारात्मक विचारों को कम करने में मदद करता है और आपके दृष्टिकोण को भौतिक सुख-सुविधाओं की कमी और अन्य मुद्दों से हटाकर कृतज्ञता और संतोष की ओर ले जाता है। इसलिए, योग का अभ्यास करने से आंतरिक शांति, खुशी, प्रशंसा और सहानुभूति विकसित होती है - आध्यात्मिक विकास के प्रमुख लक्षण।

15.8 आसन

पतंजलि के योग सूत्रों में वर्णित "आसन" का शाब्दिक अर्थ "बैठना" है? तो आसन, शुरुआती दिनों में, योग अभ्यास का हिस्सा था जिसमें मूल रूप से ध्यान करने के लिए अक्सर घंटों तक बैठना शामिल था। आसन योग मुद्राएँ जैसा कि हम जानते हैं कि अब शरीर को पर्याप्त लचीला बनाने और मन को पर्याप्त रूप से केंद्रित करने के तरीके के रूप में विकसित हुई हैं - एक बार फिर - बिना दर्द और बेचैनी महसूस किए लंबे समय तक ध्यान करने के लिए आसान मुद्रा, आधा कमल या कमल में बैठने में सक्षम होना। आसन मूल रूप से कमल या अर्ध कमल मुद्रा थी, और बाद में शरीर को लचीला रखने और मन को ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किए गए योग आसनों में विकसित हुई। #योग #आसन #ध्यान #योगसूत्र **आसन** शब्द की निष्पत्ति आस् (धातु) +ल्युट (प्रत्यय) से हुई है, जिसके विभिन्न अर्थ हैं जैसे - 1. बैठना, 2. बैठने का आधार, 3. बैठने की विशेष प्रक्रिया, 4. बैठ जाना इत्यादि।

पतञ्जलि के योगसूत्र के अनुसार,

"स्थिरसुखमासनम्"

(अर्थ:- सुखपूर्वक स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। या, जो स्थिर भी हो और सुखदायक अर्थात् आरामदायक भी हो, वह आसन है।)

इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आसन वह है जो आसानी से किए जा सकें तथा हमारे जीवन शैली में विशेष लाभदायक प्रभाव डाले।

15.9 आसन के प्रकार

आसन हमारे शरीर को रखने का स्वाभाविक तरीका है। यह वह स्थिति है जिसमें हमारा शरीर तब रहता है जब हम स्थिर बैठे होते हैं और चलते हैं। आसन की 4 श्रेणियाँ हैं: खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल लेटकर और पीठ के बल लेटकर। प्रत्येक आसन का अभ्यास आमतौर पर खड़े होकर किया जाने वाले आसन से शुरू होता है। इससे ऊर्जा का संचार होता है और पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। इसके बाद बैठकर किए जाने वाले आसन किए जाते हैं जो अच्छे ग्राउंडिंग आसन हैं और पीठ और गर्दन को बेहतरीन खिंचाव प्रदान करते हैं। निम्नलिखित कुछ सबसे सामान्य प्रकार के योग आसन हैं जिनका लोग नियमित अभ्यास करते हैं:

आसन की 4 श्रेणियाँ हैं: खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल लेटकर और पीठ के बल लेटकर। प्रत्येक आसन का अभ्यास आमतौर पर खड़े होकर किया जाने वाले आसन से शुरू होता है। इससे ऊर्जा का संचार होता है और पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। इसके बाद बैठकर किए जाने वाले आसन किए जाते हैं जो अच्छे ग्राउंडिंग आसन हैं और पीठ और गर्दन को बेहतरीन खिंचाव प्रदान करते हैं।

- शवासन

  इस आसन को शव आसन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति को स्थिर अवस्था में फर्श पर लेटना होता है। यह शरीर और मन को आराम देने के लिए सबसे अच्छा योग आसन है।

- सुखासन

  इस आसन में व्यक्ति को अपनी पीठ सीधी रखते हुए पैरों को क्रॉस करके बैठना होता है। यह आसन तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है और पीठ को भी मजबूत बनाता है।

- शीर्षासन

  यह सभी योग मुद्राओं का राजा है। शीर्षासन एक उल्टा योग मुद्रा है जिसमें व्यक्ति को कुछ मिनटों के लिए सिर के बल खड़े रहना होता है। यह कोर को मजबूत करता है और पैरों में सूजन को कम करने में भी मदद करता है।

- वज्रासन

  इसे आमतौर पर वज्र मुद्रा या हीरा मुद्रा कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को अपने पैरों को मोड़कर घुटनों के बल बैठना होता है।

- ताड़ासन

  आमतौर पर पर्वत मुद्रा के नाम से जाने जाने वाले ताड़ासन में व्यक्ति को अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा होना होता है और हाथों को ऊपर की ओर फैलाना होता है। यह आसन और शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा है।

- कुर्सी आसन

  इसे कुर्सी मुद्रा कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ना होता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना होता है। कुर्सियासन पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है और जांघों को भी मजबूत बनाता है।

- बालासन

  इसे चाइल्ड रेस्टिंग पोज़ भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को घुटने टेककर अपने शरीर को आगे की ओर झुकाना होता है ताकि माथा ज़मीन को छू सके। यह पीठ और गर्दन के दर्द को कम करने में मदद करता है।

- सेतु बंधासन

  इसे ब्रिज पोज़ कहते हैं। इसमें पीठ को ज़मीन से ऊपर उठाकर पुल जैसा आकार दिया जाता है। सेतुबंधासन पाचन क्रिया और शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करता है।

- भुजंगासन

  कोबरा मुद्रा के नाम से भी जाना जाने वाला भुजंगासन पेट के बल लेटने और धड़ को खींचने की प्रक्रिया है। यह कंधों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और तंत्रिका तंत्र के लिए भी अच्छा है।

- पद्मासन

  इसे कमल मुद्रा भी कहा जाता है। पद्मासन में , व्यक्ति को अपने पैरों को क्रॉस करके बैठना होता है और अपने टखनों को विपरीत जांघों पर टिकाना होता है। यह मुद्रा में सुधार करता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और कूल्हों को टोन करता है।

- वृक्षासन

  इस आसन में आपको एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर पेड़ की तरह सीधा खड़ा होना होता है। इससे शरीर का संतुलन बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

- नौकासन

  इसे नाव मुद्रा भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी हिस्से और पैरों को ऊपर उठाकर अपने कूल्हों पर बैठता है। नौकासन कोर और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और गुर्दे और यकृत के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है।

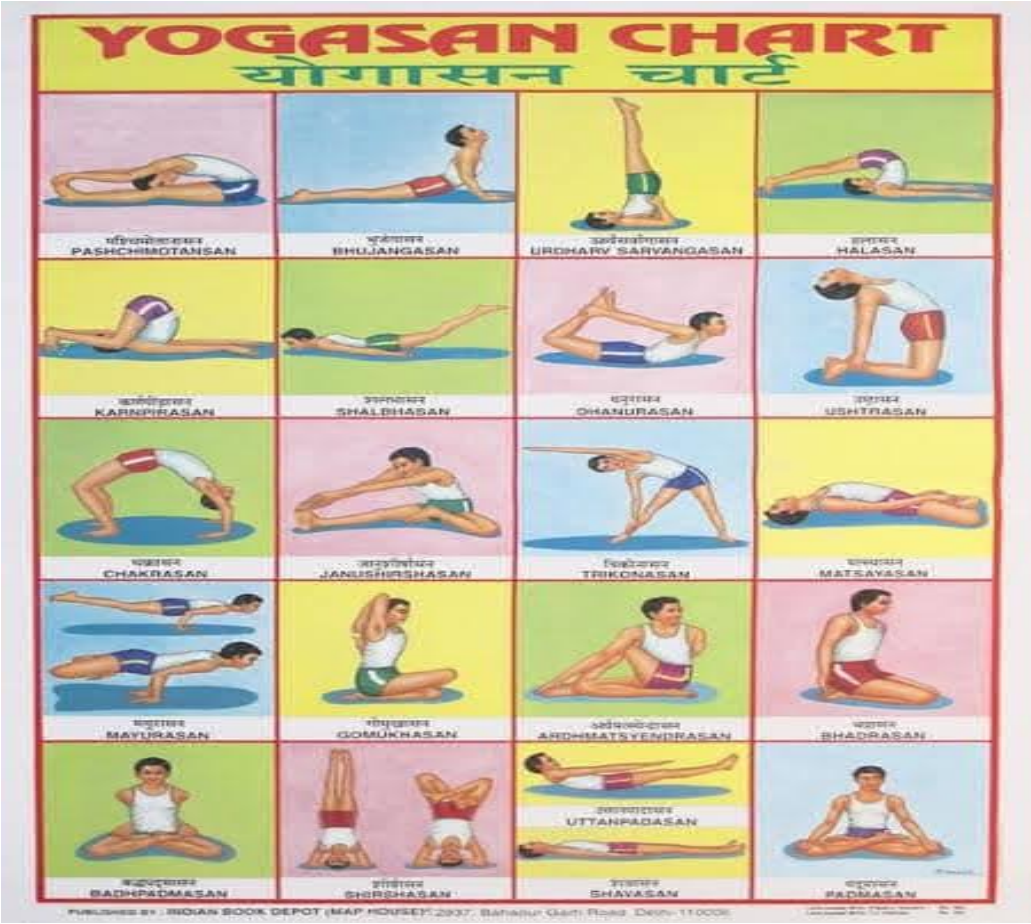

- गोमुखासन

  इसे आमतौर पर गाय के चेहरे की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। गोमुखासन घुटने और पीठ के दर्द को कम करने में फायदेमंद है। यह रीढ़ और कूल्हे के जोड़ों को भी मजबूत करता है।

- सर्वांगासन

  इस आसन को शोल्डर स्टैंड कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को अपने कंधों की मदद से अपने शरीर को ऊपर उठाना होता है। सर्वांगासन कब्ज और पीठ दर्द से राहत पाने के लिए अच्छा है।

- धनुरासन

  धनुष मुद्रा के नाम से मशहूर धनुरासन शरीर की चर्बी कम करने में मदद करता है। यह जांघों, पीठ, कंधों को भी मजबूत बनाता है और लचीलेपन में सुधार करता है।

- त्रिकोणासन

  इसे विस्तारित त्रिभुज मुद्रा कहा जाता है। त्रिकोणासन शरीर में रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाता है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह पीठ के निचले हिस्से के दर्द से छुटकारा पाने में भी मदद करता है।

- दंडासन

  दंडासन को प्लैंक पोज़ भी कहा जाता है, यह शरीर की मुद्रा को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छे योगासनों में से एक है। यह मन को शांत करने में भी मदद करता है।

- उत्तानासन

  यह खड़े होकर आगे की ओर झुकने वाला आसन है जिसमें व्यक्ति को सीधे खड़े होकर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाना होता है। उत्तानासन पीठ और गर्दन से तनाव को दूर करने में मदद करता है और पैरों को भी मजबूत बनाता है।

- पश्चिमोत्तानासन

  यह आगे की ओर झुकने वाला आसन है, जिसमें व्यक्ति को अपने पैरों को फैलाकर बैठना होता है और शरीर का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर झुकाना होता है। पश्चिमोत्तानासन पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए अच्छा है । यह पेट के क्षेत्र में रक्त प्रवाह को भी बेहतर बनाता है।

- मालासन

    यह पैल्विक मांसपेशियों को फैलाता है, और प्रसव के दौरान दर्द को कम करने में मदद करता है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न –

5. "आसन" का शाब्दिक अर्थ क्या है?
6. कौन सा आसन कब्ज और पीठ दर्द से राहत पाने के लिए अच्छा है?
7. योग के संस्थापक हैं?
8. किस आसन को विस्तारित त्रिभुज मुद्रा भी कहते हैं?

15.10 सारांश

प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपार रचनात्मक क्षमता होती है। लक्ष्य अपने अंदर की क्षमता को प्रकट करना होना चाहिए। यह बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की प्रकृति को नियंत्रित करके किया जा सकता है । इसके लिए योग अत्यंत आवश्यक है। योग से शारीरिक,मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों तरह के लाभ होते हैं ।वर्तमान समय में जब हम घर पर, कार्य स्थल तथा अन्य स्थानों में प्रोद्यौगिकी पर निर्भर हैं ।तथा हमारी जीवनचर्या ऐसी हो गई है, कि कई घंटों बैठना तथा अधिकतर प्रौधोगिकी उपकरणों का उपयोग जिससे हमें कई मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं का सामना करना पढ़ता है । अतः उचित तरीके से योग को अपने जीवन में शामिल करके हम अपने जीवन को बेहतर एवं सकारात्मक तरीके से जी सकते हैं । आसन योग की क्रिया में केवल एक प्रारंभिक चरण है। यह एक ऐसा तरीका है जो आपको अधिक से अधिक अच्छा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। योग आपके मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य को आदर्श बनाने पर केंद्रित है। जब आप खुद को इस तरह से समायोजित करते हैं। कि आपके भीतर सब कुछ शानदार ढंग से काम करता है, तो आप अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे।

15.11 स्वमूल्यांकित प्रश्नों के उत्तर

1. युज
2. बिक्रम आसन
3. महर्षि पतंजलि
4. बैठना

5. सर्वांगासन
6. पतंजलि
7. त्रिकोणासन

15.12 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/88340/1/Unit-16.pdf
2. https://ncert.nic.in/pdf/publication/otherpublications/tiyhwlups1.pdf
3. https://www.ttcb.co.in/Diglib/DELED/S5/unit1YOGA.pdf
4. Agrawal, J. (2021). Sattva Enhancement Therapy: An illustrative report. *Indian Journal of Clinical Psychology, 48*(2), 3-6.
5. WHO. (2001). Mental Health : New Understanding, New Hope.
6. SURVEY, N. M. (2015-16). Retrieved from http://www.indianmhs.nimhans.ac.in/

15.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. योग का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
2. योग के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
3. आसन से आप क्या समझते हैं ? इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
4. वर्तमान समय में योग की उपादेयता को स्पष्ट कीजिए।

UNIT-16 ईकाई -16 योग एवं तनाव प्रबंधन (Yoga and stress management)

16.1 प्रस्तावना

16.2 उद्देश्य

16.3 तनाव का अर्थ

16.4 तनाव की परिभाषा

16.5 तनाव के कारण

16.6 तनाव के प्रकार

16.7 तनाव के लक्षण

16.7.1 शारीरिक लक्षण

16.7.2 मनोवैज्ञानिक लक्षण

16.7.3 व्यवहारगत लक्षण

16.8 तनाव प्रबंधन

16.9 तनाव प्रबंधन के लाभ एवं महत्व

16.10 तनाव प्रबंधन के तरीके

16.11 तनाव प्रबंधन एवं योग

16.12 सारांश

16.13 स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर

16.14 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

16.15 निबन्धात्मक प्रश्न

16.1 प्रस्तावना

वर्तमान समय में आज हमारा जीवन जीने का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है। हमारी जीवन शैली इस भाँति बदल गई है, कि इसका असर शारीरिक सेहत के साथ-साथ दिमागी सेहत पर भी पड़ने लगा है कामकाज की भागदौड़, असंतुलित भोजन, रिश्तों में आई दूरियाँ, अपने शौक पूरा करने के लिए वक्त न निकाल पाना तनाव का कारण बन जाते हैं, देखा जाए तो इसे डिप्रेशन यानी तनाव, मेंटल हेल्थ से जुड़ी बड़ी परेशानी के रूप में देखा जाने लगा है। आजकल जिसे देखो,चाहे वो बच्चा हो जवान हो या कोई वृद्ध तनाव में जी रहा है। डिप्रेशन के शिकार लोगों की संख्या एकाएक बढ़ने लगी है। भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव आम समस्या बन चुकी है । तनाव की सबसे बड़ी वजह क्या है ? तनाव का असर हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। यह हमें चिड़चिड़ा, निराशा से भरा हुआ और थका हुआ महसूस कराता है , जिससे नींद की समस्या उत्पन्न होती ही है। इसके साथ ही, तनाव के कारण हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। हालाँकि इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और कम कर सकते हैं। योग, एक प्राचीन अनुशासन है जो मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करता है, तनाव प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रस्तुत ईकाई में हम योग के माध्यम से तनाव प्रबंधन, इसके पीछे के विज्ञान और अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए कुछ प्रमुख अभ्यासों के बारे में जान सकेंगे।

16.2 उद्देश्य

प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

- तनाव को समझ सकेंगें
- तनाव का अर्थ एवं परिभाषाओं को जान पाएंगे
- तनाव के कारणों को समझ सकेंगे।
- तनाव के प्रकार एवं लक्षणों को समझ सकेंगे
- तनाव प्रबंधन का अर्थ एवं इसमें योग की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।

16.3 तनाव का अर्थ –

तनाव हमारे शरीर में होने वाली एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जब कोई बदलाव या चुनौतियाँ आती हैं। इसके परिणामस्वरूप कई अलग-अलग शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं। हर कोई समय-समय पर तनाव का अनुभव करता है। हम इससे बच नहीं सकते। लेकिन तनाव प्रबंधन तकनीकें हम को इससे निपटने में मदद कर सकती हैं। स्ट्रेस या तनाव हमारे शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जिसका सामना हम तब करते हैं, जब हम किसी भी कारणवश दबाव का सामना करते हैं। इस दबाव के कारण हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं या उसमें लगातार गलतियां करते रहते हैं। हालांकि हल्के मात्रा में तनाव बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी स्थिति में हम अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन दे पाते हैं।

लेकिन अत्यधिक या लंबे समय तक तनाव हमारे सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अत्यधिक तनाव के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तनाव की स्थिति में हमारा शरीर कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इसकी वजह से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर और चेतना पर भी देखने को मिलता है। यदि तनाव बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से कोर्टिसोल, एपिनेफ्रीन और नॉरपेनेफ्रिन नामक हार्मोन शरीर में रिलीज होते हैं, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को बुलावा दे सकते हैं।

तनाव एक प्राकृतिक मानवीय प्रतिक्रिया है जो हर किसी को होती है। जब हम परिवर्तन या चुनौतियों (तनाव) का अनुभव करते हैं, तो हमारा शरीर शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करता है । यही तनाव है। तनाव हमारे शरीर में होने वाली एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जब कोई बदलाव या चुनौतियाँ आती हैं। इसके परिणामस्वरूप कई अलग-अलग शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं। हर कोई समय-समय पर तनाव का अनुभव करता है। हम इससे बच नहीं सकते। लेकिन तनाव प्रबंधन तकनीकें हम को इससे निपटने में मदद कर सकती हैं। तनाव प्रतिक्रियाएँ हमारे शरीर को नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करती हैं। तनाव सकारात्मक हो सकता है – हमें सतर्क, प्रेरित और खतरे से बचने के लिए तैयार रखता है।

मध्यम मात्रा में तनाव एक प्रेरक शक्ति हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। यह हृदय रोग, अवसाद, चिंता और बहुत कुछ

विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने के लिए तनाव का प्रबंधन करना आवश्यक है।

तनाव को किसी कठिन परिस्थिति के कारण होने वाली चिंता या मानसिक तनाव की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तनाव एक प्राकृतिक मानवीय प्रतिक्रिया है जो हमें अपने जीवन में चुनौतियों और खतरों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। हर कोई किसी न किसी हद तक तनाव का अनुभव करता है। हालाँकि, जिस तरह से हम तनाव का जवाब देते हैं, उससे हमारे समग्र स्वास्थ्य पर बहुत फर्क पड़ता है।

16.4 तनाव की परिभाषाएं

विद्वानों ने तनाव से सम्बंधित विभिन्न परिभाषाएं दी है जो निम्न प्रकार से है,

डेंस सेली (1974) ने तनाव को "मेर-विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है जो विभिन्न प्रकार के उत्तेजनाओं अथवा किसी भी मांग के प्रति उत्पन्न होता है।" सेली, जिन्हें तनाव अनुसंधान के जनक' के रूप में जाना जाता है, चूहों के साथ उनके प्रयोगों से पता चला कि लंबे समय तक तनाव के संपर्क में रहने से चूहों के ऊतकों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं।

लाजरस और फोल्कमेन (1984) ने तनाव को दैहिक मांगों ओर संसाधनों के बीच असंतुलन का परिणाम बताया है। तनाव को उन स्थितियों में होने वाली नकारात्मक शारीरिक प्रतिक्रियाओं के एक पेटर्न के रूप में परिभाषित किया है, जहां लोग अपनी भलाई के लिए खतरे का अनुभव करते हैं तथा जिसे पूरा करने में वे असमर्थ हो सकते हैं।

एस० पामर (1989) तनाव एक व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित की गयी मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और व्यावहारिक प्रतिक्रिया है, जो समय के साथ-साथ अस्वस्थता की ओर ले जाती है।

बेरोन (1992) - "तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है, जो हम लोग में वैसी पटनाओं के प्रति अनुक्रियाओं के रूप में उत्पन्न होती है, जो हमारे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करता है”।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ तनाव को "बाहरी कारण के लिए शारीरिक या मानसिक प्रतिक्रिया" के रूप में परिभाषित करता है।

16.5 तनाव के कारण

तनाव पैदा करने वाली स्थितियों और दबावों को तनाव कारक (स्ट्रेसर) के रूप में जाना जाता है। तनाव के कारणों को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता है। कभी-कभी तनाव का एक स्पष्ट कारण होता है जिससे हम जानते हैं। लेकिन कभी-कभी पैसा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, स्कूल, परिवार और दोस्तों के द्वारा प्रदत्त छोटे दैनिक तनाव भी मन और शरीर पर भारी पड़ सकते हैं।तनाव से संबंधित विभिन्न कारक हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति या रिश्ते से संबंधित समस्याएं या अन्य आंतरिक कारक जैसे- भविष्य से संबंधित सफलता या अनिश्चितता की भावना, वित्तीय चिंता आदि। तनाव से संबंधित विभिन्न कारक निम्नलिखित हैं।

- पारिवारिक समस्याएं
- बेरोजगारी
- काम का दबाव एवं नौकरी में काम के लंबे घंटे
- दर्दनाक घटनाएं या दुर्घटनाएं
- परिवार में मृत्यु
- वैवाहिक मुद्दे एवं समस्याएं
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
- दैनिक कार्यों में आने वाली बाधाएं

पर्यावरणीय एवं सामाजिक कारक

संवेदी पर्यावरणीय तनाव पर्यावरणीय कारक हैं जो पांच इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, जैसे तेज आवाज, अत्यधिक तापमान और प्रदूषण। सामाजिक तनाव को प्रत्यक्ष पर्यवेक्षकों सहकर्मियों और अन्य लोगों के साथ खराब सामाजिक संपर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है आज प्रौद्योगिकीकरण के इस युग में न सिर्फ शहरी वरन ग्रामीण जीवन भी विभिन्न प्रकार के वातावरणी कारकों की चपेट में आ गया है जहां आए दिन तनाव देखने को मिलता है। इन पर्यावरणीय जीवन तनावों में तेज आवाज, मौसम, भीड़, तापमान, प्रदूषण, अपराध और युद्ध शामिल हैं। कार्यस्थल पर पर्यावरण संबंधी तनाव कार्यस्थल के वह कारक हैं जो

किसी कर्मचारी में मानसिक या भावनात्मक तनाव को बढ़ाते हैं। इस प्रकार के तनावों के उदाहरणों में कार्यस्थल का बहुत गर्म या बहुत ठंडा होना और सहकर्मी जो लगातार बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, शामिल हैं।

16.6 तनाव के प्रकार

तनाव के तीन मुख्य प्रकार हैं: तीव्र, प्रकरणीय तीव्र और दीर्घकालिक।

- **तीव्र तनाव:** तीव्र तनाव अल्पकालिक तनाव है जो जल्दी आता है और चला जाता है। यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यह वह भावना है जो हम को रोलरकोस्टर पर सवारी करते समय या अपने किसी करीबी के साथ झगड़ा करते समय होती है। हर कोई समय-समय पर तीव्र तनाव का अनुभव करता है।
- **प्रकरणीय तीव्र या एपिसोडिक तीव्र तनाव:** एपिसोडिक तीव्र तनाव तब होता है जब हम नियमित आधार पर तीव्र तनाव का अनुभव करते हैं। इस तरह के तनाव के साथ, हम को कभी भी शांत, आराम की स्थिति में लौटने का समय नहीं मिलता है। एपिसोडिक तनाव अक्सर कुछ व्यवसायों में काम करने वाले लोगों को प्रभावित करता है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता।
- **दीर्घकालिक या क्रोनिक तनाव:** क्रोनिक तनाव दीर्घकालिक तनाव है, जो हफ्तों या महीनों तक चलता है। हम वैवाहिक परेशानियों, काम पर समस्याओं या वित्तीय समस्याओं के कारण क्रोनिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। क्रोनिक तनाव को प्रबंधित करने के तरीके खोजना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है।

16.7 तनाव के लक्षण

हमारे शरीर का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारी हृदय गति, श्वास, दृष्टि परिवर्तन आदि को नियंत्रित करता है। इसकी अंतर्निहित तनाव प्रतिक्रिया हमारे शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने में मदद करती है। जब हम लंबे समय तक (क्रोनिक) तनाव में रहते हैं, तो तनाव प्रतिक्रिया की निरंतर सक्रियता हमारे शरीर पर टूट-फूट का कारण बनती है। जिससे हमारे शरीर में तनाव के लक्षण विकसित हो सकते हैं जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक हो सकते हैं।

16.7.1 तनाव के शारीरिक लक्षण

तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए हमारे शरीर द्वारा उत्पादित हार्मोन के कई शारीरिक प्रभाव हो सकते हैं। इन प्रभावों में शामिल हो सकते हैं-

- सांस लेने में कठिनाई
- पैनिक अटैक
- आंखों में धुंधलापन या आंखों में दर्द
- नींद की समस्या
- थकान
- मांसपेशियों में दर्द और सिरदर्द
- सीने में दर्द और उच्च रक्तचाप
- अपच या सीने में जलन
- कब्ज या दस्त
- बीमार महसूस करना, चक्कर आना या बेहोशी
- अचानक वजन बढ़ना या कम होना
- त्वचा पर चकत्ते या खुजली होना
- पसीना आना
- मासिक धर्म या मासिक धर्म चक्र में बदलाव
- मौजूदा शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का बदतर होना

यदि हम उच्च स्तर के तनाव का अनुभव करते हैं, तो ये शारीरिक प्रभाव बदतर हो सकते हैं। ऐसा तब भी हो सकता है, जब हम लंबे समय तक तनाव का अनुभव करते हैं।

16.7.2 मनोवैज्ञानिक लक्षण

- चिंता,घबराहट, आशंका या तनाव महसूस करना।

- चिड़चिड़ापन, आसानी से निराश, उत्तेजित या मूडी हो जाना।
- ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, ध्यान केंद्रित करने या निर्णय लेने में परेशानी।
- स्मृति समस्याएं, भूलने की बीमारी या जानकारी को याद करने में कठिनाई।
- भावनात्मक विस्फोट, रोना, गुस्सा, या भावनात्मक संवेदनशीलता।
- अभिभूत महसूस करना, कार्यों या जिम्मेदारियों का सामना करने में असमर्थ होने की भावना।
- नकारात्मक सोच, निराशावाद, लगातार चिंता करना, या सबसे बुरी स्थिति की उम्मीद करना।
- रुचि की कमी, उन गतिविधियों में रुचि या प्रेरणा में कमी आना, जिनका हम पहले आनंद लेते थे।
- डिप्रेशन, उदासी, निराशा या बेकारपन की लगातार भावनाएँ।
- व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक मेलजोल से दूर हो जाना या मादक द्रव्यों के सेवन जैसे-अस्वस्थ व्यवहार में लिप्त हो जाना।

16.7.3 व्यवहारगत लक्षण

अक्सर, क्रोनिक तनाव से पीड़ित लोग इससे निपटने के लिए अलग-अलग चीज़ें आज़माते हैं। और उनमें से कुछ चीज़ें आदत बनाने वाली होती हैं और हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं-

- शराब उपयोग विकार।
- जुआ विकार।
- अधिक भोजन करना या भोजन विकार का विकास होना।
- शॉपिंग या इंटरनेट ब्राउजिंग में अनिवार्य रूप से भाग लेना।
- धूम्रपान।
- पदार्थ उपयोग विकार।

16.8 तनाव प्रबंधन

तनाव प्रबंधन में तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर उनके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कौशल विकसित करना शामिल है, जिसमें विश्राम, स्वस्थ आदतें

और सहायता प्राप्त करने जैसी तकनीकें शामिल हैं। हम तनाव से बच नहीं सकते, लेकिन इससे पहले कि यह अत्यधिक हो जाए, इसे प्रबंधित करना आवश्यक होता है।

मध्यम मात्रा में तनाव एक प्रेरक शक्ति हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। यह हृदय रोग, अवसाद, चिंता और बहुत कुछ विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने के लिए तनाव का प्रबंधन करना आवश्यक है। तनाव प्रबंधन में तकनीकों और मनोचिकित्साओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक तनाव के स्तर को नियंत्रित करना होता है, विशेष रूप से दीर्घकालिक तनाव को, जिसका उद्देश्य आम तौर पर रोजमर्रा के जीवन के कामकाज में सुधार करना होता है। आसन और श्वास का संतुलन तनाव प्रबंधन और विश्राम प्राप्त करने में मदद करता है।

तनाव प्रबंधन में जीवन के तनावों पर हमारी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। ये तकनीकें तनाव-प्रेरित लक्षणों को रोक सकती हैं या कम कर सकती हैं। हर कोई अपने जीवन में कई बार तनाव का अनुभव करता है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब हम बदलाव या चुनौतियों (तनाव) का सामना करते हैं। हमारा शरीर तनाव के प्रति शारीरिक और मानसिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। तनाव प्रबंधन में जीवन के तनावों पर हमारी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। ये तकनीकें तनाव-प्रेरित लक्षणों को रोक सकती हैं या कम कर सकती हैं। तनाव कई शारीरिक और मानसिक लक्षण पैदा करता है जो प्रत्येक व्यक्ति के परिस्थितिजन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग होते हैं। इनमें शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट, जैसे सिरदर्द, सीने में दर्द, थकान, नींद की समस्या, और अवसाद शामिल हो सकते हैं। तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कारक है जो आधुनिक समाज में एक खुशहाल और सफल जीवन की ओर ले जा सकती है। तनाव प्रबंधन चिंता को प्रबंधित करने और समग्र कल्याण को बनाए रखने के कई तरीके प्रदान करता है। तनाव प्रबंधन समग्र शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पुराना या विषाक्त तनाव जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, कभी-कभी अवसाद, चिंता और अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। तनाव प्रबंधन में अक्सर आत्म-देखभाल को प्राथमिकता देना, सामाजिक समर्थन प्राप्त करना और सुखद गतिविधियों में शामिल होना होता है। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करना और प्रकृति में समय बिताना भी स्वस्थ एवं तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है।

16.9 तनाव प्रबंधन के लाभ एवं महत्व

व्यस्त आधुनिक युग में तनाव अक्सर और बहुत अधिक होता है, जिसका अर्थ है, कि हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएँ पूरी तरह से आराम नहीं कर सकती हैं। चूँकि हमारी लड़ाई-या-भागने की प्रतिक्रिया अस्थायी मानी जाती है, इसलिए पुराना तनाव कई समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे- हृदय रोग, स्ट्रोक, दर्द, नींद की गड़बड़ी, चिंता और अवसाद। तनाव के जोखिमों से निपटने के लिए तनाव प्रबंधन कौशल आवश्यक है। जिससे कि हम अपने जीवन को सहज तथा सरल तरीके से व्यतीत कर सकें। बदले में, हम किसी स्थिति को खराब करने या तनाव को बढ़ाने वाले तरीकों से प्रतिक्रिया करने के बजाय चुनौतियों का सोच-समझकर जवाब देना सीखते हैं। यदि हमारा तनाव का स्तर बहुत अधिक है और हमारी भलाई के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो हम को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तनाव प्रबंधन में अंतिम लक्ष्य एक संतुलित जीवनशैली है , जिसमें काम और व्यक्तिगत जीवन के लिए पर्याप्त समय होता है और साथ ही तनाव में भी स्वयं पर संयम, दृढ़ता और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत होती है।

तनाव जीवन का अभिन्न अंग है। यह हमें शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से प्रभावित कर सकता है और सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएँ पैदा कर सकता है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सभी तनाव हानिकारक नहीं होते। वास्तव में, हम हल्के तनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जब हम जानते हैं कि इसे कैसे प्रबंधित किया जाए। इसे सकारात्मक तनाव कहा जाता है। सकारात्मक तनाव हमें ध्यान केंद्रित करने, ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और यह हमें जीवित रहने में भी मदद कर सकता है। हमारी शारीरिक तनाव प्रतिक्रिया हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में मदद करती है और यह जीवन का एक आवश्यक तथ्य है। सकारात्मक तनाव हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने में मदद करता है; यह एक नई जागरूकता और एक रोमांचक नए दृष्टिकोण का परिणाम हो सकता है। तनाव के प्रति हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया हमेशा एक जैसी होती है, लेकिन नकारात्मक तनाव के साथ, हमारा शरीर तैयार रहता है और आराम नहीं करता। अत्यधिक उत्तेजना हमें परेशान करती है और प्रदर्शन में गिरावट का कारण बनती है। जब तनाव पुराना और निरंतर हो जाता है, तो हमारा शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तनाव प्रबंधन से हम अधिक खुश, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं यह हमें जीवन के

आनंद लेने और अपनी क्षमता को बेहतर ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। यह व्यक्तियों को चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने, तनावपूर्ण स्थितियों से सीखने और लचीलापन विकसित करने की अनुमति देता है।

तनाव प्रबंधन से होने वाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं।

- तनाव प्रबंधन समग्र स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करता है।
- हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम होते हैं।
- तनाव प्रबंधन उत्पादकता बढ़ाता है, क्योंकि हम अपने कार्यों पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं।
- हम अपनी भावनाओं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया पर बेहतर नियंत्रण रखते हैं। जिससे द्वारा हम अपने तनाव को कम का सकते हैं या खतम कर सकते हैं।
- प्रभावी तनाव प्रबंधन के द्वारा हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं।
- सोचने की क्षमता में सुधार होता है।
- तनाव प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी संयम बना कर रहता है।
- उचित तनाव प्रबंधन से व्यक्ति को स्वस्थ एवं संतुष्ट जीवन जीने में सहायता मिलती है।

16.10 तनाव प्रबंधन के तरीके

तनाव को प्रबंधित करने से पूर्व तनाव के कारणों को जानना आवश्यक है, की हमारे तनाव का स्रोत क्या है? यदि तनाव के कारण का पता चल जाए तो हम तनाव को कम कर सकते हैं तथा स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। जबकि नौकरी बदलने, घर बदलने या तलाक से गुज़रने जैसे प्रमुख तनावों की पहचान करना आसान है, लेकिन पुराने तनाव के स्रोतों का पता लगाना ज़्यादा जटिल हो सकता है। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अपने विचार, भावनाएँ और व्यवहार हमारे रोज़मर्रा के तनाव के स्तर को कैसे बढ़ाते हैं। हम अपने काम की समय सीमा के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि यह हमारी टालमटोल की आदत हो, न कि वास्तविक नौकरी की माँग, जो तनाव का कारण बन रही हो। सभी तनावों से बचा नहीं जा सकता, और ऐसी स्थिति से बचना ठीक नहीं है उसका समाधान किया जाना ज़रूरी है। हमें स्वयं को भी यह पता नहीं होता है कि हमारे जीवन में कई ऐसे तनाव होते हैं जिन्हें हम समाप्त कर

सकते हैं। तनाव प्रबंधन तकनीकें व्यक्ति को संतुलित जीवन जीने अपनी भावनाओं को स्थिर करने एवं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करती हैं।

अनावश्यक तनाव से बचें

हमें अनावश्यक तनाव नहीं लेना चाहिए कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम मना नहीं कर पाते हैं। हमें **"नहीं" कहना सीखना पड़ेगा।** अपनी सीमाएँ जानकर उनका पालन करना होगा। चाहे हमारी निजी या पेशेवर ज़िंदगी हो, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम लेना तनाव का पक्का कारण है। **ऐसे लोगों से दूर रहें जो तनाव देते हैं।** अगर कोई व्यक्ति लगातार हमारे जीवन में तनाव पैदा करता है, तो उस व्यक्ति के साथ बिताए जाने वाले समय को सीमित करें या उससे रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए।

स्थिति बदलें

यदि हम किसी तनावपूर्ण स्थिति से बच नहीं सकते, तो उसे बदलने की कोशिश करनी होगी। अधिकांशतः इसमें हमारे संवाद करने और हमारे दैनिक जीवन में काम करने के तरीके को बदलना शामिल होता है। **अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करें।** अगर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है, तो अपनी चिंताओं को खुले और सम्मानजनक तरीके से बताएं। अगर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, तो नाराज़गी बढ़ेगी और तनाव बढ़ेगा।

तनाव के अनुकूल ढलना

यदि हम तनाव के कारण को नहीं बदल सकते, तो हमें स्वयं को बदलना होगा। हम अपनी अपेक्षाओं और रवैये को बदलकर तनावपूर्ण स्थितियों के अनुकूल बन सकते हैं और नियंत्रण की अपनी भावना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

उन चीजों को स्वीकार करें जिन्हें हम बदल नहीं सकते

तनाव के कुछ स्रोत अपरिहार्य हैं। हम अपने किसी प्रियजन की मृत्यु, गंभीर बीमारी या राष्ट्रीय मंदी,प्राकृतिक आपदा जैसे तनावों को रोक या बदल नहीं सकते। ऐसे मामलों में, तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए जैसी वे हैं। स्वीकार करना मुश्किल

हो सकता है, लेकिन लंबे समय में, यह उस स्थिति के खिलाफ़ चिल्लाने से आसान है जिसे हम बदल नहीं सकते।

अपने समय का बेहतर प्रबंधन करें

खराब समय प्रबंधन तनाव का बहुत बढ़ा कारण बन सकता है। जब हम बहुत व्यस्त होते हैं और पीछे भागते हैं, तो शांत और केंद्रित रहना मुश्किल होता है। साथ ही, हम तनाव को नियंत्रित रखने के लिए उन सभी स्वस्थ चीजों को टालने या कम करने के लिए प्रेरित होंगे जो हम को करनी चाहिए, जैसे कि सामाजिक मेलजोल और पर्याप्त नींद लेना।

विश्राम

यह तकनीक तनाव को प्रबंधित करने में अत्यधिक प्रभावी है, जब कोई व्यक्ति स्वयं को अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता है। इस तकनीक में, व्यक्ति को सक्रिय रूप से अपने मन और शरीर को शांत करना होता है। उचित श्वास तकनीक के साथ-साथ विश्राम तनाव को कम करने में अत्यधिक प्रभावी है। विश्राम तकनीकों का अभ्यास तनाव से जुड़े लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह बदले में, उच्च रक्तचाप और विभिन्न हृदय रोगों जैसी तनाव-प्रेरित स्वास्थ्य स्थितियों की घटनाओं को कम करता है।

ध्यान

तनाव को प्रबंधित करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण ध्यान की प्राचीन यौगिक प्रथा है। ध्यान, मन और शरीर को शांत करता है और व्यक्ति में आंतरिक शांति की भावना विकसित करने में मदद करता है। ध्यान का अभ्यास 'ध्यान' की स्थिति में बैठकर और अपने ध्यान को मन की एक विशेष स्थिति पर लाकर किया जाता है। यह मन को नकारात्मक विचारों और तनाव को जन्म देने वाली बाहरी परिस्थितियों से विचलित करता है। ध्यान का नियमित अभ्यास व्यक्ति में तनाव के स्तर को कम करने में बेहद मददगार है।

रचनात्मक दृश्यावलोकन

यह तकनीक तनाव से निपटने के लिए व्यक्ति की कल्पना शक्ति का उपयोग करती है। जब कोई व्यक्ति जीवन में सकारात्मक चीजों के बारे में अपने मन में एक छवि बनाने के लिए कल्पना का उपयोग करता है, तो वह सचेत रूप से सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया सोचने के तरीके को बदल देती है और व्यक्ति को भविष्य में खुशी और सकारात्मकता की कल्पना करने के लिए प्रेरित

करती है। इस तकनीक का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका एक शांत जगह पर शांत दिमाग, आराम से शरीर और आँखें बंद करके बैठना है। रचनात्मक दृश्य तनाव से निपटने में मदद करता है और चिंता और उदासी के प्रबंधन के लिए भी फायदेमंद है। इसके साथ- साथ निम्नलिखित बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें ।

1. सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।
2. यह स्वीकार करें कि ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते।
3. आक्रामक होने के बजाय मुखर बनें। क्रोधित, रक्षात्मक या निष्क्रिय होने के बजाय अपनी भावनाओं, विचारों या विश्वासों पर जोर दें।
4. विश्राम तकनीक सीखें और उसका अभ्यास करें, तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान, योग या का प्रयास करें।
5. नियमित रूप से व्यायाम करें। जब हमारा शरीर फिट रहेगा तो वह तनाव से बेहतर तरीके से लड़ सकेगा।
6. स्वस्थ एवं संतुलित भोजन खाएं।
7. अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें।
8. उचित रूप से सीमाएँ निर्धारित करें और उन अनुरोधों को अस्वीकार करना सीखें जो हमारे जीवन में अत्यधिक तनाव पैदा करेंगे।
9. शौक, रुचियों और आराम के लिए समय निकालें।
10. पर्याप्त आराम और नींद लें। हमारे शरीर को तनावपूर्ण घटनाओं से उबरने के लिए समय की आवश्यकता होती है।
11. सामाजिक समर्थन प्राप्त करें। उन लोगों के साथ पर्याप्त समय बिताएँ जिनके साथ आपको अच्छा लगता है।
12. अपने जीवन में तनाव से निपटने के स्वस्थ तरीके सीखने के लिए तनाव प्रबंधन या बायोफीडबैक तकनीकों में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या अन्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से उपचार लें।

16.11 तनाव प्रबंधन एवं योग

योग की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग इसके शारीरिक और मानसिक लाभों का अनुभव कर रहे हैं। व्यक्तिगत योग अभ्यास विकसित करने से तनाव को रोकने और कम करने में मदद मिल सकती है, जो उन लोगों के बीच एक सामान्य लक्ष्य है जो सकारात्मक विकास करना चाहते हैं और आत्म-सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तनाव प्रबंधन और योग एक साथ आते हैं, क्योंकि योग तनाव को कम करने में मदद करता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर (MDD) विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है, जो 340 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है और वैश्विक बीमारी के बोझ में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं को तंत्रिका, अंतःस्रावी और प्रतिरक्षा तंत्र सहित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक समायोजन के अनुक्रम को भड़काने के लिए दिखाया गया है। तनाव विभिन्न प्रकार के भड़काऊ साइटोकिन्स और तनाव हार्मोन के बढ़ने का कारण बन सकता है, स्वायत्त शिथिलता और न्यूरोट्रांसमीटर में असंतुलन पैदा कर सकता है। योग तनाव को कम करके अवसादग्रस्त लक्षणों को कम कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विकारों के लिए योग एक आदर्श पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा है। कोरोना काल में जब प्रत्येक व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से तनावग्रस्त था उस समय योग ने लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया तथा उसके बाद से योग अधिकांश व्यक्तियों के जीवनचर्या में अनिवार्य घटक के रूप में शामिल हो गया।

योगासन, प्राणायाम और ध्यान शरीर और मन को आराम देते हैं, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक संतुलन बढ़ता है मन और शरीर की स्थिति का आपस में गहरा संबंध है। अगर मन शांत है, तो शरीर की मांसपेशियां भी शांत होंगी। तनाव शारीरिक और मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करता है। हज़ारों साल पहले विकसित योग को मन-शरीर चिकित्सा के रूप में मान्यता प्राप्त है। योग में, शारीरिक मुद्राएँ और साँस लेने के व्यायाम मांसपेशियों की ताकत, लचीलापन, रक्त परिसंचरण और ऑक्सीजन के अवशोषण के साथ-साथ हार्मोन के कार्य को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा, ध्यान द्वारा प्रेरित विश्राम पैरासिम्पेथेटिक प्रभुत्व की प्रवृत्ति के साथ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को स्थिर करने में मदद करता है। इसके बाद होने वाले शारीरिक लाभ, योग करने वालों को तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति अधिक लचीला बनने और विभिन्न बीमारियों, विशेष रूप से कार्डियो-श्वसन रोगों के लिए कई महत्वपूर्ण जोखिम कारकों को कम करने में मदद करते हैं। योग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमको अपने मन, शरीर और भावनाओं के बारे में अधिक जानने में मदद करता है। योग हमें जीवन के सामान्य उतार-चढ़ाव से गुज़रते

समय अधिक संतुलित, शांत, केंद्रित और तनावमुक्त बनाने में मदद कर सकता है। कुछ योग आसन करने के बाद हम तुरंत ज़्यादा सकारात्मक, शांत या ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे। सभी अच्छी चीज़ों की तरह, योग के प्रभावों को समय के साथ विकसित होने की ज़रूरत होती है। इसके लिए योग का नियमित अभ्यास करना आवश्यक है ।जिसके लिए हम योग शिक्षक से मार्गदर्शन ले सकते हैं । योग का अभ्यास हमें शान्ति एवं स्थिरता के साथ करना चाहिए तथा धैर्य बनाए रखना चाहिए । योग में कई महत्वपूर्ण आसन ,ध्यान एवं प्राणायाम हैं जिनके द्वारा मन को शांत किया जा सकता है तथा तनाव को दूर किया जा सकता है । जीवन में शांति और सुख का अनुभव करने के लिए योग में कई तरह की तकनीक है जिसका अभ्यास करके हम अपनी मानसिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। जो निम्नलिखित हैं –

प्राणायाम

हमारा श्वास और मन एक-दूसरे से जुड़े हैं। जब भी हम तनाव या चिंता महसूस करें, तो हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए खासकर भ्रामरी प्राणायाम का। जब हम अपने श्वास को नियंत्रण में लेकर आते हैं, तो हमारा मन भी अपने आप शांत होने लगता हैं। प्राणायाम से हमारे मन की स्थिति में सुधार होता है , तनाव कम होता है और एकग्रता बढ़ती है । प्राणायाम में हम अपनी श्वास प्राणवायु में नियंत्रण करके अपने विचारों को नियमित एवं संयमित कर सकते हैं ।

- **अनुलोम-विलोम:**

  यह प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने में मदद करता है और तनाव को कम करता है।

- **कपालभाति:**

  यह प्राणायाम थके हुए और उदास तंत्रिका तंत्र को पुनर्जीवित करने में मदद करता है।

- **भस्त्रिका:**

  यह प्राणायाम थके हुए और उदास तंत्रिका तंत्र को पुनर्जीवित करने में मदद करता है।

ध्यान

एकाग्रता की स्थिति में लंबे समय तक बने रहना ध्यान है। तनाव दूर करने के लिए मन की स्थिति को शांत करना आवश्यक है। जब भी हम चिंता या तनाव की स्थिति में होते हैं, हमें अपनी आंखें बंद करके आसपास

की आवाजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब ये आवाजें हमारे कान पर पड़ती हैं तो आनंद की अनुभूती होती है। जिससे हम असंतुलित और तनाव की स्थिति से निकलकर शांति के वातावरण में आ जाते हैं।

आसन

साधारण शब्दों में शरीर को लचीला अर्थात एक ही स्थिति में बनाए रखने की क्षमता के साथ मन को शांत, स्थिर और सुखमय स्थिति में स्थापित करने की क्रिया को आसन कहते हैं। यह चौरासी प्रकार के माने जाते हैं। जिनमें से अधिकांश प्राणियों के नाम पर रखे गए हैं। आजकल दिनभर के कामकाज की वजह से लोग चिंता और तनाव जैसी परेशानियों का शिकार बनते जा रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए योगासन का अभ्यास सबसे अच्छा तरीका होता है। कुछ प्रमुख आसन जो तनाव प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वीरासन, पद्मासन ,शीर्षासन विपरीतकरणी मुद्रा वृक्षासन ,बालासन , उत्तानासन, और शलभासन आदि।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. तनाव कम करने हेतु आवश्यक आसनों का नाम लिखिए|
2. उदास तंत्रिका तंत्र को पुनर्जीवित करने हेतु कौन सा प्राणायाम उपयोगी है ?
3. तनाव मुख्यतः कितने प्रकार का होता है ?
4. तनाव के पाँच मनोवैज्ञानिक लक्षण लिखिए|

16.12 सारांश

मानव को प्रत्येक क्षेत्र में कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो उसके प्रतिकूल होती हैं ऐसी स्थिति में मनुष्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रह पाता जिस कारण से उसे कई स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। जैसे –ब्लड प्रेसर, शुगर ,दिल से सम्बधित बिमारी आदि। ऐसे में इन स्थितियों से उबरने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय में व्यक्ति एक साथ कई कार्यों का निर्वहन कर रहा है, जिसकी वजह से उसे कई प्रकार के तनावों का सामना करना पड़ता है। जैसे- तीव्र तनाव, प्रकरणीय तनाव क्रोनिक तनाव ऐसी स्थिति में उचित तनाव प्रबंधन के द्वारा तनाव को कम किया जा सकता है। स्वस्थ दिनचर्या के द्वारा तनाव को काबू किया जा सकता है। आज के समय में योग को अधिकांशतः व्यक्तियों ने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। कई प्रकार के योग

हैं - वीरासन, पद्मासन , शीर्षासन, विपरीतकरणी मुद्रा वृक्षासन ,बालासन , उत्तानासन, और शलभासन आदि। जिनके द्वारा तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। योग करने वालों को तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति अधिक लचीला बनने और विभिन्न बीमारियों, विशेष रूप से कार्डियो-श्वसन रोगों के लिए कई महत्वपूर्ण जोखिम कारकों को कम करने में मदद करते हैं। तनाव लेना हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। तनाव और डिप्रेशन से राहत पाने के लिए लोग दवाइयों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है इसके साथ ही यह कई शारीरिक समस्याओं को भी बुलावा देता है। अतः योगासनों को अपने जीवन में शामिल करके हम तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी कई प्रॉब्लम्स को खुद से दूर रख सकते हैं।

16.13 स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर

1. वीरासन, पद्मासन, शीर्षासन विपरीतकरणी मुद्रा वृक्षासन ,बालासन , उत्तानासन, और शलभासन आदि।
2. कपालभाती
3. तीन
4. चिंता, घबराहट, आशंका या तनाव महसूस करना ,चिड़चिड़ापन, आसानी से निराश होना।

16.14 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

7. https://www.ttcb.co.in/Diglib/DELED/S5/unit1YOGA.pdf
8. Agrawal, J. (2021). Sattva Enhancement Therapy: An illustrative report. *Indian Journal of Clinical Psychology, 48*(2), 3-6.
9. WHO. (2001). Mental Health : New Understanding, New Hope.
10. SURVEY, N. M. (2015-16). Retrieved from http://www.indianmhs.nimhans.ac.in/
11. https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/73537/1/Unit-6.pdf
12. https://www.researchgate.net/profile/Pandurang-Lohote/publication/333601637_Tanav_Prabandhan_Me_Yoga_Ka_Yogdan

16.15 निबन्धात्मक प्रश्न

1. तनाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके लक्षण लिखिए|
2. तनाव प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसके तरीकों की व्याख्या कीजिए|
3. तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका स्पष्ट कीजिए|
4. तनाव प्रबंधन के लाभ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए|